शिवाजी विश्वविद्‍यालय, कोल्हापुर
महाराष्ट्र

दूरशिक्षण केंद्र

भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा

(शैक्षिक वर्ष जून 2021 से)

बी. ए. भाग–3 हिंदी

सत्र–5 : पेपर 11

सत्र–6 : पेपर 16

© **कुलसचिव,** शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
प्रथम संस्करण : 2021
बी. ए. भाग 3 (हिंदी : बीजपत्र-11 और 16)
सभी अधिकार विश्वविद्यालय के अधीन। शिवाजी विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना किसी भी सामग्री की नकल न करें।

प्रतियाँ : ३००

■

प्रकाशक :
डॉ. व्ही. एन. शिंदे
प्रभारी कुलसचिव,
शिवाजी विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर-416 004.

■

मुद्रक :
श्री. बी. पी. पाटील
अधीक्षक,
शिवाजी विश्वविद्यालय मुद्रणालय,
कोल्हापुर - 416 004.

■

ISBN- 978-93-92887-24-6

★ दूरशिक्षण केंद्र और शिवाजी विश्वविद्यालय की जानकारी निम्नांकित पते पर मिलेगी-
शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोल्हापुर-416 004. (भारत)

दूरशिक्षण केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

■ सलाहकार समिति ■

प्रा. (डॉ.) डी. टी. शिर्के
मा. कुलगुरू,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) पी. एस. पाटील
मा. प्र-कुलगुरू,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) एम. एम. साळुंखे
माजी कुलगुरू,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक

प्रा. (डॉ.) के. एस. रंगाप्पा
मा. कुलगुरू,
म्हैसुर विश्वविद्यालय, म्हैसुर

प्रा. पी. प्रकाश
अतिरिक्त सचिव-II
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नवी दिल्ली

प्रा. (डॉ.) सीमा येवले
गीत-गोविंद, फ्लॅट नं. २, ११३९ साईक्स एक्स्टेंशन,
कोल्हापुर-४१६००१

प्रा. (डॉ.) आर. के. कामत
प्रभारी अधिष्ठाता, विज्ञान और तंत्रज्ञान विद्याशाखा,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) एस. एस. महाजन
प्रभारी अधिष्ठाता, वाणिज्य और व्यवस्थापन विद्याशाखा,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्राचार्य (डॉ.) आर. जी. कुलकर्णी
प्रभारी अधिष्ठाता, मानवविज्ञान विद्याशाखा,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्राचार्या (डॉ.) श्रीमती एम. व्ही. गुळवणी
प्रभारी अधिष्ठाता, आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

डॉ. व्ही. एन. शिंदे
प्रभारी कुलसचिव,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

श्री. जी. आर. पळसे
प्रभारी संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

श्री. ए. बी. चौगुले
प्रभारी वित्त व लेखा अधिकारी,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) डी. के. मोरे (सदस्य सचिव)
प्रभारी संचालक, दूरशिक्षण केंद्र,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

■ हिंदी अध्ययन मंडल ■

डॉ. राजेंद्र पिलोबा भोसले

अध्यक्ष, हिंदी अध्ययन मंडल, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

तथा

सहयोगी प्राध्यापक, छत्रपति शिवाजी कॉलेज, सातारा

सदस्य

- **प्रो. (डॉ.) ए. एम. सरवदे**
  हिंदी विभाग,
  शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
- **डॉ. बी. एस. खिलारे**
  छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा
- **डॉ. एस. एम. कांबळे**
  तुकाराम कृष्णाजी कोलेकर आर्टस ॲण्ड कॉमर्स कॉलेज, नेसरी, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर
- **डॉ. बबन शंकर सातपुते**
  मिरज महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली
- **डॉ. क्षितिज यादवराव धुमाळ**
  प्र-प्रधानाचार्य, कला व वाणिज्य महाविद्यालय, वडूज, जि. सातारा
- **डॉ. संजय पिराजी चिंदगे**
  देशभक्त आनंदराव बळवंतराव नाईक आर्टस ॲण्ड सायन्स कॉलेज, चिखली, ता. शिराळा, जि. सांगली
- **डॉ. सुनील बापू बनसोडे**
  जयसिंगपुर कॉलेज, जयसिंगपुर, जि. कोल्हापुर
- **डॉ. एकनाथ श्रीपती पाटील**
  राधानगरी महाविद्यालय, राधानगरी,
  जि. कोल्हापुर
- **प्रो. (डॉ.) विष्णु रानबा सरवदे**
  प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- **डॉ. मोहन मंगेशराव सावंत**
  मा. श्री. आण्णासाहेब डांगे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, हातकणंगले, जि. कोल्हापुर
- **डॉ. प्रकाश शंकरराव चिकुर्डेकर**
  यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, वारणानगर,
  जि. कोल्हापुर
- **डॉ. मधुकर शंकरराव खराटे**
  आर्टस, कॉमर्स ॲण्ड सायन्स कॉलेज, बोदवड,
  जि. जळगाव
- **डॉ. श्रीमती सरोज संग्राम पाटील**
  श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय, कोल्हापुर

अपनी बात

शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर की दूरशिक्षा योजना के अंतर्गत बी. ए. भाग–3 के हिंदी विषय के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री का निर्माण करना एक आनंद की अनुभूति है। दूरशिक्षा के छात्रों को महाविद्यालय जाने का अवसर नहीं मिल पाता अतः उनके अध्ययन में कोई बाधा न हो इस उद्देश से शिवाजी विश्वविद्यालय ने इस योजना की शुरुआत की है।

दूरशिक्षा के छात्रों कों पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र का स्वरूप, अंकवितरण आदि उपलब्ध हो वह भी शिक्षा के इस मुख्य प्रवाह में आए इस हेतु से इस स्वयं अध्ययन सामग्री का लेखन किया गया है।

इकाई लेखकों ने अपनी–अपनी इकाई का समग्र लेखन कर विविध प्रश्न और उन के उत्तरों को भी इसमें जोड दिया गया हैं। मुझे विश्वास है कि यह सामग्री छात्रों के लिए लाभप्रद साबित होंगी।

शिवाजी विश्वविद्यालय के मा. कुलगुरू, कुलसचिव, दूरशिक्षा विभाग के संचालक, हिंदी अध्ययन मंडल के सभी सदस्य तथा इकाई लेखकों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ।

धन्यवाद !

– संपादक

	सत्र 5	सत्र 6
★ **प्राचार्य डॉ. के. आर. पाटील** तुकाराम कृष्णाजी कोलेकर आर्टस अ‍ॅण्ड कॉमर्स कॉलेज, नेसरी ★ **प्रा. संजय नारायण पाटील** आर. बी. माडखोलकर कॉलेज, चंदगड ★ **प्रा. परशराम शंकर कांबळे** दूरशिक्षण केंद्र, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर	**1** **1** **1**	**-** **-** **-**
★ **प्रा. डॉ. संजय ब. देसाई** कर्मवीर हिरे कला, शास्त्र, वाणिज्य व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, गारगोटी, जि. कोल्हापुर	**2**	**-**
★ **प्रा. डॉ. दिलीपकुमार कसबे** सद्‌गुरू गाडगे महाराज कॉलेज, कराड, जि. सातारा	**3**	**-**
★ **डॉ. शाहीन अब्दुलअजीज पटेल** शंकरराव जगताप आर्टस् अ‍ॅण्ड कॉमर्स कॉलेज, वाघोली, जि. सातारा	**4**	**-**
★ **प्रा. संजिवनी पाटील** कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर	**-**	**1**
★ **प्रा. डॉ. संतोष माने** शिवराज महाविद्यालय, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापुर	**-**	**2**
★ **प्रा. डॉ. रामचंद्र लोंढे** क्रांतिसिंह नाना पाटील कॉलेज, वाळवा, जि. सांगली	**-**	**3**
★ **प्रा. माणिक मारूती मोरे** श्री शिव-शाहू महाविद्यालय, सरूड, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापुर	**-**	**4**

■ सम्पादक ■

डॉ. आर. पी. भोसले
छत्रपति शिवाजी कॉलेज, सातारा
तथा
अध्यक्ष, हिंदी अध्ययन मंडल,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

डॉ. मोहन मंगेशराव सावंत
अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
मा. श्री. अण्णासाहेब डांगे कला, वाणिज्य
व विज्ञान महाविद्यालय, हातकणंगले,
जि. कोल्हापुर

अनुक्रमणिका

इकाई	पाठ्यविषय	पृष्ठ
	सत्र-5	
1.	भाषा की परिभाषाएँ। भाषा की विशेषताएँ। भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविध वाद ।	1
2.	भाषा परिवर्तनशीलता के कारण। भाषा के विविध रूप : बोली और परिनिष्ठित भाषा बोलियों के बनने के कारण। बोली और भाषा में अंतर।	34
3.	हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी का शब्द समूह। हिंदी भाषा के विविध रूप। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्कभाषा ।	57
4.	हिंदी की बोलियाँ। लिपि विकास का सामान्य परिचय। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता।	78
	सत्र-6	
1.	भाषाविज्ञान की परिभाषाएँ। भाषाविज्ञान के अध्ययन का महत्त्व। भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकता।	99
2.	भाषाविज्ञान के प्रधान अंगों का सामान्य परिचय ।	119
3.	भाषा-विज्ञान का अन्य ज्ञान-विज्ञानों से संबंध ।	127
4.	कारकों के अर्थ और प्रयोग। पदक्रम । विराम चिह्न। मानक वर्तनी के नियम।	139

हर इकाई की शुरूआत उद्देश्य से होगी, जिससे दिशा और आगे के विषय सूचित होंगे-

(१) इकाई में क्या दिया गया है।

(२) आपसे क्या अपेक्षित है।

(३) विशेष इकाई के अध्ययन के उपतरांत आपको किन बातों से अवगत होना अपेक्षित है।

स्वयं-अध्ययन के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनके अपेक्षित उत्तरों को भी दर्ज किया है। इससे इकाई का अध्ययन सही दिशा से होगा। आपके उत्तर लिखने के पश्चात् ही स्वयं-अध्ययन के अंतर्गत दिए हुए उत्तरों को देखें। आपके द्वारा लिखे गए उत्तर (स्वाध्याय) मूल्यांकन के लिए हमारे पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपका अध्ययन सही दिशा से हो, इसलिए यह अध्ययन सामग्री (Study Tool) उपयुक्त सिद्ध होगी।

इकाई – 1

1) भाषा की परिभाषाएँ।
2) भाषा की विशेषताएँ।
3) भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविध वाद।

(दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, श्रमपरिहार सिद्धांत, मनोभावाभिव्यंजक सिद्धांत तथा समन्वित (समन्वय) सिद्धांत)

1.1 उद्देश्य।

1.2 प्रस्तावना।

1.3 विषय विवेचन।

1.3.1 भाषा की परिभाषाएँ।

1.3.2 भाषा की विशेषताएँ।

1.3.3 भाषा की उत्पात्ति एवं तत्संबंधी विविध वाद।

1.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न।

1.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ।

1.6 स्वयं अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर।

1.7 सारांश।

1.8 स्वाध्याय।

1.9 क्षेत्रीय कार्य।

1.10 अतिरिक्त अध्ययन।

1.1 उद्देश्य :

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

1. भाषा के व्यापक तथा सीमित अर्थ से परिचित होंगे।
2. भाषा की भारतीय और पाश्चात्य परिभाषाओं से परिचित होंगे।
3. भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की सार्थक परिभाषा को जान सकेंगे।
4. भाषा के स्वरूप को समझ सकेंगे।

5. भाषा की विशेषताओं से परिचित होंगे।

6 भाषा की उत्पत्ति संबंधी विविध सिद्धांतों से परिचित हो जाएँगे।

1.2 प्रस्तावना :

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह परस्पर विचार-विनिमय करना चाहता है। आत्माभिव्यक्ति की यह इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। अपनी बात जहाँ वह दूसरों से कहना चाहता है, वहीं दूसरों के विचारों को ग्रहण भी करता है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने विचार दूसरों को सुनाना चाहता है, उसी प्रकार दूसरों के विचार सुनना भी चाहता है। आत्माभिव्यक्ति की इस इच्छा (Desire of self expresion) ने भाषा को जन्म दिया है। मनुष्य के विचार-विनिमय के अनेक साधनों में 'भाषा' एक महत्त्वपूर्ण साधन है। भाषा के व्यापक एवं सीमित अर्थ कौनसे हैं ? भाषा की कौनसी महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं? कौन कौनसे विद्वानों ने भाषा को परिभाषित एवं परिभाषाबद्ध करने की कोशिश की है? भाषा विज्ञान की दृष्टिसे भाषा की कौनसी परिभाषा है ? तथा भाषा की सबसे व्यापक परिभाषा कौनसी है? भाषा की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ कौनसी हैं ? भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई तथा उससे संबंधीत कौन-कौनसे सिद्धांत प्रचलित हैं? आदि प्रश्नों के संदर्भ में हम प्रस्तुत इकाई में अध्ययन करेंगे।

1.3 विषय विवेचन :

हम क्रमश: भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषाएँ भाषा की विशेषताएँ एवं भाषा उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का विवेचन करेंगे।

1.3.1 भाषा की परिभाषाएँ :

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के लोगों के साथ उसे सर्वदा ही विचार-विनिमय करना पड़ता है। कभी वह शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने आपको (अपने भावों को) प्रकट करता है तो कभी सिर हिलाने से उसका काम चल जाता है। समाज के उच्च और शिक्षित वर्ग में लोगों को निमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाये जाते हैं, तो देहात के अनपढ़ और निम्नवर्ग में निमंत्रण के लिए हल्दी, सुपारी या इलायंची बाँट दी जाती है। रेलवे-गार्ड और रेल-चालक का विचारविनिमय झंडियों से होता है, तो बिहारी जैसे कवियों के पात्र 'भरे भवन में नैनों' से संकेत करते हैं। चोर अंधेरे में एक-दूसरे का हाथ पकड़कर, छूकर या दबाकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं। इसी तरह हाथ से संकेत, करतल-ध्वनि (तालियाँ बजाना) आँख टेढ़ी करना या मारना या बंद करना, खाँसना, मुँह बिचकाना, तथा गहरी साँस लेना आदि अनेक प्रकार के साधनों से हमारे विचार-विनिमय का काम चलता है। ऐसे ही यदि पहले से निश्चित कर लिया जाए तो, स्वाद या गंध द्वारा तथा विशेष कृति से भी अपनी बात कही जा सकती है। उदा. यदि 'मैं काँफी पिलाऊँ' तो, समझ जाना कि समय है, काम करूँगा। किंतु यदि 'चाय पिलाऊँ' तो समझ जाना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं काम नहीं करूँगा। या यदि मेरे कमरे में गुलाब की अगरबत्ती जलती मिले तो समझना कि तुम्हारा काम हो गया है, किंतु यदि चंदन की अगरबत्ती जलती मिले तो समझ जाना की काम नहीं हुआ है।

इस तरह अपने पाँचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है, तथापि अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने वाले पाँचों ज्ञान-इंद्रियों में से गंध-इंद्रिय और स्वाद-इंद्रिय का प्रयोग प्राय: नहीं होता। स्पर्श-इंद्रिय का भी प्रयोग कम ही होता है। इससे अधिक प्रयोग आँख का होता है, जैसे रेल का सिग्नल, रेलवे गाडी को हरी या लाल झंडी दिखाकर गाडी के चलने या रुकने का संकेत देना आदि। किंतु इन सभी में सबसे अधिक प्रयोग कर्ण-इंद्रिय का होता है। अपनी सामान्य बातचीत में हम इसी का प्रयोग करते हैं। वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर विचार या भाव को ग्रहण करता है। वस्तुत: विचार विनिमय के ये सभी साधन 'भाषा' हैं।

परंतु यह 'भाषा' शब्द अति व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। भाषाविज्ञान में भाषा का इतना व्यापक रूप अभिप्रेत नहीं है। भाषाविज्ञान में उसे सीमित अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है। अत: भाषा की परिभाषा करने से पहले उसके इन दोनों अर्थों को समझ लेना आवश्यक है।

1) **'भाषा' का व्यापक अर्थ :**

व्यापक अर्थ में 'भाषा' शब्द उन समस्त अभिव्यक्तियों का बोधक है, जिनसे एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपनी इच्छा, भावना, उत्तेजना या आवेश एवं प्रतिक्रिया आदि प्रकट करता है। इसके अंतर्गत शारीरिक चेष्टाएँ, संकेत, विविध प्रकार की झेंडियाँ, पुलिस की सीटी, स्काउट के 'संकेत', चोर डाकुओं की सांकेतिक अभिव्यक्ति, बच्चों के खेल व तमाशे के हेतु निर्धारित संकेत; घुमाव, ऊँचाई नीचाई, पुल, पाठशाला, रेल्वे फाटक, आदि के होने का बोध कराने यात्रियों के लिए रास्ते पर दिए गए संकेत; प्रकृति से प्राप्त मौन निमंत्रण आदि न जाने कितने ही संकेत समाविष्ट हो जाते हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाषा के व्यापक अर्थ में वे सभी माध्यम आ जाएँगे जिनके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। इन माध्यमों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - 1) स्पर्श ग्राह्य 2) नेत्र-ग्राह्य तथा 3) श्रवण-ग्राह्य।

1) **स्पर्श-ग्राह्य :** इसके अंतर्गत वे साधन आते हैं जिनके द्वारा मनुष्य विचार-विनिमय करते समय स्पर्श का सहारा लेता है, जैसे पुलिस का खतरा होने पर एक चोर दूसरे का हाथ दबाकर उसे बिना बोले ही उस खतरे का संकेत देता है। इस प्रकार स्पर्श से वे आपस में विचार-विनिमय कर लेते हैं।

2) **नेत्र-ग्राह्य :** इस वर्ग के अंतर्गत वे साधन आते हैं; जिनके द्वारा विचार-विनिमय करते समय मनुष्य संकेतों का सहारा लेता है। इन संकेतों के द्वारा एक मनुष्य दूसरे तक अपनी बात पहुँचा देता है। चूँकि, दूसरा इन संकेतों को अपने नेत्रों से ग्रहण करता है, अत: इसको नेत्र-ग्राह्य कहा गया है। स्काऊटों का परस्पर झंडियों के द्वारा विचार-विनिमय करना अथवा रेलवे-गार्ड का हरी, लाल झंडी हिलाकर गाडी के चलने व रूकने का संकेत देना आदि, विचार-विनिमय के नेत्र-ग्राह्य साधन हैं।

3) **श्रवण-ग्राह्य :** श्रवण-ग्राह्य वर्ग के अंतर्गत वे समस्त ध्वनियाँ आ जाती हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। चुटकी बजाकर किसी को बुलाना या डाक-घर के तार बाबू को 'गिर-

गिट' ध्वनि के द्‌वारा संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, विचार-विनिमय के श्रवण-ग्राह्य साधन हैं।

उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए भाषा की व्यापक परिभाषा इस प्रकार हो सकती है -

(1) 'भाषा' शब्द संस्कृत की 'भाष्' धातु से बना है। 'भाष्' धातु का अर्थ है - 'बोलना' या 'कहना'। अर्थात भाषा वह है, जिसे बोला जाए। बोलते तो संसार के सभी प्राणी हैं। प्रत्येक जिवधारी; गाय-बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया आदि परस्पर विचारों एवं भावों के आदान-प्रदान हेतु किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उनको विचार-विनिमय की भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी भाषा केवल सांकेतिक होती है, जब कि मानव की भाषा का स्वरूप केवल सांकेतिक न होकर लिखित भी है।

(2) अपने व्यापकतम रूप से ''भाषा वह साधन है, जिस के माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।'' लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा का इतना विस्तृत अर्थ नहीं हैं। उसमें हम इन सभी साधनों को नहीं लेते, जिनके द्‌वारा विचारों को व्यक्त करते हैं एवं जिनके द्‌वारा सोचते हैं।

'भाषा' का सीमित अर्थ :

भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को भाषा मानने से उसके अर्थ में अतिव्याप्ति दोष की निर्मिती हो जाती है, जो भाषा के वैज्ञानिक अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। वस्तुत: भाषा का अपना एक सीमित अर्थ है, जो उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है।

'भाषा' शब्द को हम संकीर्ण अथवा संकुचित अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से 'भाषा' पर विचार करते समय हम उन सब संकेतों और संकेत जन्य अभिव्यक्तियों को ग्रहण नहीं करते, जो मनुष्य की वाग्यंद्रियों से न निकली हो। भाषा विज्ञान में 'भाषा' शब्द से यही 'संकीर्ण' या शास्त्रीय अर्थ हम ग्रहण करते हैं।

सीमित अर्थ के अनुरुप भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा निर्धारित करने से पहले उसमें निहित मूलभूत बातों का विचार होना आवश्यक है, ये निम्नप्रकार हैं -

1. भाषा विचार-विनिमय का साधन है।
2. वह मनुष्य के उच्चारण अवयवों से नि:सृत ध्वनिप्रतीकों की व्यवस्था होती है।
3. यह ध्वनिप्रतीक सार्थक होते हैं और वे विश्लेषण करने योग्य होते हैं।
4. ये ध्वनिप्रतीक यादृच्छिक (माने हुए) होते हैं।
5. एक भाषा का प्रयोग समाज के एक वर्ग-विशेष में होता है।

भाषा के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न भारतीय तथा पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने किया है। उनकी परिभाषाओं के आधार पर भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

भाषाविज्ञान की दृष्टि से भाषा की परिभाषा :

भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा उसे कहते हैं, ''जो बोली और सुनी जाती है और बोलना भी पशु-पक्षियों का नहीं, गूँगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का ।''

भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषाएँ :

1) **पं. कामता प्रसाद गुरु :**

''भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है। और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है।''

2) **महर्षि पतंजलि :**

प्रसिद्ध वैयाकरण 'पतंजलि'ने अपने 'महाभाष्य' में भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है - 'व्यक्ता वाची वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाच:।'

अर्थात्, ''जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है, उसे भाषा कहते हैं।''

3) **डॉ. कपिल देव द्विवेदी :**

''व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, उसे भाषा कहते हैं।''

4) **डॉ. मंगलदेव शास्त्री :**

''भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।''

5) **डॉ. श्याम सुंदर दास :**

''मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त है, उसे भाषा कहते हैं।''

6) **आचार्य किशोरीदास बाजपेयी :**

''विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं।''

7) **डॉ. देवन्द्रनाथ शर्मा :**

''जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ-ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं।'' इसी परिभाषा को और भी अधिक संक्षिप्त करते हुए डॉ. शर्मा लिखते हैं ''उच्चारित ध्वनि-संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं।''

8) **डॉ. बाबूराम सक्सेना :**

''जिन ध्वनि चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं।''

9) **डॉ. पी. डी. गुणे :**

ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।

10) **सुकुमार सेन :**

'अर्थवान कण्ठ से नि:सृत (निकलनेवाली) ध्वनि-समष्टि ही भाषा है।''

11) **डॉ. राजनारायण मौर्य :**

''भाषा मानव - वाक् इंद्रियों से नि:सृत सार्थक तथा यादृच्छिक ध्वनि समूहों की वह व्यवस्था है, जिससे एक मानव समुदाय परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करता है।''

12) **डॉ. भोलानाथ तिवारी :**

''भाषा उच्चारणावयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज-विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।''

❖ **पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषाएँ :**

1) **प्लेटो :**

प्लेटों ने 'सोफिस्ट' में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि ''विचार और भाषा में थोडा ही अंतर है, 'विचार' आत्मा की 'मूक' या 'अध्वन्यात्मक' बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।

2) **स्वीट :**

''ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।''

3) **वेन्द्रिए :**

''भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे-नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं।''

4) **क्रोचे :**

"Language is articulate, limited, organised sound, employed in expression."

अर्थात ''अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को भाषा कहते हैं।''

5) **ए. एच. कार्डिनर** (A. H. Cardiner) :

"The Common defination of speech is the use of articulate sound - symbols for the expression of thought."

अर्थात "विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत (व्यवहारा में प्रयुक्त) व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं।"

6) **ब्लॉक और ट्रेगर :**

"A Language is a system of arbitrary vocal - symbols by means of which a society group co-operates."

अर्थात "भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिससे एक सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करता है।"

7) **हम्बोल्ट :**

"उच्चारित ध्वनि को भाषाभिव्यक्ति के लिए उपयोगी बनाने की चिरन्तन चेष्टा का फल है, भाषा। यह श्रवणेन्द्रीय पथ से मानव मन की अभिव्यक्ति है।"

8) **स्त्रुत्वाँ :**

"A language is system of arbitrary vocal symbols by means of which members of a social group co-operate and interact."

अर्थात "भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है, जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

9) **एडवर्ड सपीर :**

"Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols."

अर्थात "भाषा वास्तव में एक मानवीय और अस्वाभाविक पद्धति है, जिसकी सहायता से इच्छानुसार भावों, विचारों तथा इच्छाओं को प्रेषणीय बनाने के लिए श्रोतग्राह्य प्रतीकों की रचना की जाती है। ये प्रतीक मनुष्य के उच्चारणावयवों से निःसृत होते हैं।"

10) **इनसाइक्लोपिड़िया ब्रिटानिका :**

Language may be defined as an arbitrary system of volcal symbols by means of which human-beings as members of a social group and participants in culture interact and communicate.:

अर्थात "भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय के एक विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा के लोग विचारों का आदान-प्रदान करके अपना काम चलाते हैं।"

11) **भाषा विज्ञान कोश :**

"The language is a system of communication by sound through the organs of speech and hearing among human being of certain group or community using vocal symols posessing arbitrary conventionals meanings."

अर्थात, ''मानवों के वर्ग-विशेष में पारस्परिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त उन व्यक्त ध्वनि-संकेतों को भाषा कहते हैं, जिनका अर्थ पूर्व निर्धारित एवं परंपरागत होता है, तथा जिनका आदान-प्रदान जिह्वा और कान के द्वारा होता है।''

12) **जे. वैन्ड्रीज :**

''भाषा प्रतीकात्मक चिह्नों की ऐसी पद्धति है, जो मानव समाज के मध्य वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम बन सकती है। विभिन्न इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होने के कारण भाषा इन प्रतीकों की रचना कही जा सकती है।''

उपर्युक्त भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के भाषा विषयक मतों का अवलोकन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि कोई भी मत भाषा के संपूर्ण स्वरूप को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि, भाषा का आधार ध्वनी-प्रतीक हैं। ध्वनि उच्चारण अवयवों से उच्चारित होती हैं। भाषा में एक व्यवस्था होती है। एक भाषा का क्षेत्र एक समाज विशेष ही होता है। भाषा का कार्य वक्ता के भाव या विचारों को श्रोता तक पहुँचाना है। इन्ही बातों के आधार पर भाषा के संदर्भ में संक्षेप में कहा जा सकता है कि, 'भाषा, उच्चारण - अंगों से (उच्चारण-अवयवों से) नि:सृत विश्लेषण योग्य,सार्थक, यादृच्छिक, ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समाज के एक वर्ग-विशेष के लोग परस्पर विचार-विनिमय करते हैं।'' यही भाषा की सुयोग्य परिभाषा हो सकती है।

1.3.2 भाषा की विशेषताएँ :

'भाषा' शब्द का अर्थ, स्वरूप और भाषा की परिभाषाओं को समझने के पश्चात् उसकी विशेषताओं को समझना कठिन नहीं होगा। भाषा के लक्षणों को ही दूसरे शब्दों में 'भाषा की विशेषताएँ' या भाषा की प्रवृतियाँ कहा जाता है, जिनको स्पष्ट करने से अपने आप ''भाषा की प्रकृति'' स्पष्ट हो जाती है। भाषा के सहज स्वभाव को 'प्रकृति' कहते हैं और उसमें निहित गुणों को प्रवृत्तियाँ। संसार में हजारों विभिन्न भाषाएँ हैं, जिनकी अपनी-अपनी स्वतंत्र विशेषताएँ होती हैं। परंतु कुछ तत्त्व ऐसे भी होते हैं, जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। व्याकरण के नियम किसी एक भाषा-विशेष को लागू होते हैं, किंतु वे तत्त्व-जिन्हें हम भाषा की विशेषताएँ कहते हैं - सभी भाषाओं पर लागू होते हैं। इन विशेषताओं का संबंध केवल मनुष्य की भाषा से ही है। ये विशेषताएँ किसी एक भाषा पर लागू न होकर सभी भाषाओं पर लागू होती हैं। यहाँ हम उन विशेषताओं का विवेचन करेंगे-

1) भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है।

2) भाषा अर्जित संपत्ति है।

3) भाषा आद्‌यंत सामाजिक वस्तु है।

4) भाषा चिर परिवर्तनशील है।

5) भाषा का अर्जन अनुकरण द्‌वारा किया जाता है।

6) भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है।

7) भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है।

8) भाषा परंपरागत वस्तु है।

9) भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरित वस्तु है।

10) प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है।

11) प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है।

12) प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है।

13) भाषा की धारा स्वभावत: कठिनता से सरलता की ओर जाती है।

14) भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है।

15) भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है।

16) भाषा एक सहज व नैसर्गिक प्रक्रिया है।

1) **भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है –**

पिता से पुत्र को मिलनेवाली संपत्ति को पैतृक संपत्ति तथा बाप-दादा से अपने आप मिलनेवाली संपत्ति को बपौती कहा जाता है। भाषा परंपरागत होते हुए भी पैतृक संपत्ति एवं बपौती नहीं है। जिस प्रकार एक पुत्र अपनी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है, उस प्रकार भाषा का उत्तराधिकारी नहीं हो पाता, क्योंकि भाषा परंपरा द्‌वारा प्राप्त किंतु अर्जित वस्तु है। भाषा मनुष्य को पैतृक संपत्ति के रूप में जन्म से ही प्राप्त नहीं होती। इसलिए मनुष्य को अनुकरण और अभ्यास द्‌वारा भाषा सीखनी पड़ती है।

उदा, यदि किसी अंग्रेज बच्चे का लालन-पालन हिंदी भाषी माता-पिता करें तो बच्चा हिंदी भाषी होगा, क्योंकि वह जन्म से कोई भाषा नहीं जानता है। अथवा संस्कृत के किसी प्रकाण्ड पंडित का पुत्र संस्कृत से नितांत अपरिचित भी हो सकता है। हिंदी के प्रोफेसर के लड़के वैसी हिंदी नहीं भी जानते। इसका कारण यह है कि प्रत्येक भाषा का प्रयत्नपूर्वक अर्जन करना पड़ता है। यहाँ व्यक्ति के अपने प्रयत्न ही महत्त्वपूर्ण हैं। भाषा का ज्ञान विरासत में नहीं मिलता। परंपरा-प्राप्त होते हुए भी भाषा वंशानुगत नहीं है। भाषा सामाजिक परंपरा से प्राप्त होती है, कुल या वंश परंपरा से नहीं।

बच्चा बड़ों का अनुकरण करके ही भाषा सीखता है। अपने से बड़ों को देखकर बच्चा उनका अनुकरण करता है। उनके द्वारा बार-बार प्रयुक्त शब्दों को पकड़ता है, उन्हें बोलने की कोशिश करता है अत: भाषा पैतृक संपत्ति एवं बपौती नहीं है।

2) **भाषा अर्जित संपत्ति है –**

भाषा मनुष्य की अर्जित संपत्ति है, ईश्वर की देन नहीं। भाषा बच्चों को अपने माता पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, किंतु भाषा की यह संपत्ति अन्य मकान, जमीन आदि संपत्ति की तरह नहीं मिलती। मकान, जमीन आदि संपत्ति बच्चों को माँ-बाप द्वारा बिना प्रयास मिलती है, लेकिन भाषा अवगत करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। मातृभाषा माँ से बच्चे को अवश्य प्राप्त होती है, किंतु बच्चे को उसे सीखने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं।

बच्चा नाक, कान आदि की तरह भाषा लेकर नहीं जन्मता। भाषा जन्मजात वस्तु नहीं है। बच्चे में अनुकरण की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण वह भाषा सीख सकता है। उसे अपने आस-पास के व्यवहार से भाषा सीखनी पड़ती है। अकेला शिशु निर्जन स्थान में रहकर भाषा नहीं सीख सकता। व्यवहार द्वारा ही वह ध्वनियों का ठीक उच्चारण, शब्दों का प्रयोग आदि सीख सकता है। समाज में लगातार भाषा सीखने की प्रक्रिया अनजाने में ही चलती रहती है। इस सीखने में अनुकरण ही प्रधान होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। 'शिशु' के समक्ष जब माँ 'दूध' कहती है तो वह सुनता है,और धीरे-धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध युनानी दार्शनिक 'अरस्तु' कहते हैं कि 'अनुकरण मनुष्य का समसे बड़ा गुण है। वह भाषा सीखने में भी उसी गुण का उपयोग करता है।''

व्याकरण, शब्दकोश, शिक्षक आदि के द्वारा बच्चे की भाषा को स्थिर रूप प्राप्त होता है। अत: भाषा सामाजिक व्यवहार द्वारा अर्जित हुई वस्तु है।

3) **भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है –**

सामाजिक व्यवहार के लिए भाषा ही सब से बड़ा साधन है। सामाजिकता और भाषा दोनों अन्योन्याश्रित हैं। भाषा की उत्पत्ति समाज द्वारा होती है। इसका विकास भी समाज में ही होता है। उसका उपयोग ही समाज के लिए ही होता है। भाषा पूर्णत: आदि से अंत तक समाज से संबंधित है, इसलिए उसे आद्यंत सामाजिक वस्तु कहा जाता है। बच्चा जब पैदा होता है, तो उसके बाद वह परिवार से भाषा सीखता है। उसे भाषा सिखाने का प्रारंभ उसकी माँ से होता है, लेकिन आगे चलकर सारा समाज उसे भाषा सिखाता है। माँ बच्चों को जो भाषा सिखाती है, वह समाज की ही संपत्ति होती है, जो माँ ने भी अपने समाज से प्राप्त की थी। बच्चा इसलिए भाषा सीखता है, कि उसे समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना होता है। वस्तुत: सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही भाषा का निर्माण हुआ है। समाज को छोडकर भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती । भाषा का उद्भव और विकास मनुष्य की सामाजिकता के फल स्वरूप हुआ है। पारस्पारिक सहयोग संपर्क और विचार-विनिमय की आकांक्षा ने ही भाषा का विकास किया है। 'भाषा

व्यक्ति और समाज को जोड़नेवाली महत्त्वपूर्ण कड़ी है। मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा का अर्जन, संवर्धन, एवं विकास करता है, इसलिए भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है।

4) **भाषा चिर परिवर्तनशील है –**

चिर परिवर्तनशीलता भाषा का प्रधान गुण है। भाषा सदैव बदलती रहती है। भाषा का कोई रूप स्थिर या अंतिम नहीं होता है, क्योंकि आज से कुछ हजार या कुछ सौ वर्ष पहले भाषा के जिस रूप का प्रयोग होता था उसका प्रयोग अब नहीं होता, बल्कि उसमें परिवर्तन होता है। उदा, दुग्ध से दूध, पृष्ठ से पीठ, मेघ से मेह ये शब्द परिवर्तन के ही परिणाम है। उसी प्रकार संस्कृत का 'हस्त' शब्द प्राकृत में 'हात' होकर हिंदी में 'हाथ' हो गया है। संस्कृत का 'साहस' शब्द हत्या, व्यभिचार आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता था। हिंदी में उसका अर्थ अब 'हिम्मत' हो गया है।

यह परिवर्तन भाषा के सभी अंगों-ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ-में होता है। शब्दों में कुछ नई ध्वनियाँ आकर जुड़ती हैं, कुछ लुप्त हो जाती हैं, या कुछ में 'विपर्यय' हो जाता है। पद रचना में पुराने प्रत्ययों के स्थान पर ऐसे कुछ नए प्रत्यय आ जाते हैं कि, पहचानना भी कठिन होता है। वाक्यों में भी शब्दों का क्रम बदल जाता है। शब्दों के अर्थ में परिवर्तन बड़ी सहजता से और शीघ्रता से होता है, क्योंकि नए-नए अर्थ प्रकट करने के लिए हम रोज शब्दों को ढूँढ़ते रहते हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अलावा यह परिवर्तन स्थान के आधार पर भी होता रहता है। एक स्थान की भाषा दूसरे स्थान से भिन्न होती है। इस संदर्भ में एक कहावत है – 'चार कोस पर बदले पानी, आठ कोस पर बानी।' इस परिवर्तन के कारण ही एक ही भाषा परिवार की भाषा सिंधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि अनेक भाषाओं में बदल गई तथा प्रत्येक भाषा की दर्जनों बोलियाँ और उपबोलियाँ बन गई।

अनेक बार वैयाकरणों ने भाषा को व्याकरण के नियमों से बाँधने का प्रयास किया लेकिन भाषा का नियंत्रित रूप प्रयोग से दूर पड़ गया और व्यावहारिक भाषा आवश्यक परिवर्तन करती हुई गतिशील बनती रही।

5) **भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है –**

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के शब्दों में, 'अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य भाषा के सीखने में भी उसी गुण का उपयोग करता है।' अपने परिवार तथा समाज में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा मनुष्य अपने बचपन से सुनता रहता है, और अपने मुख से अनुकरण के रूप में वही भाषा बोलने लगता है। इसका अर्थ यह है कि अपने परिवार तथा समाज में जो भाषा बोली जाती है, बालक उसे अपने कानों से सुनता है, मन से समझता है और अपने उच्चारण अवयवों से उसका उच्चारण करने लगता है। प्रथमत: वह 'घोला-गाली', 'लाजा-लानी' बोलते हुए अपनी तोतली बोली में, बड़ों की भाषा का अनुकरण करने लगता है और आगे चलकर वह बड़ों के सही उच्चारण का सही अनुकरण कर के 'घोडा-गाडी, 'राजा-रानी' ऐसा सही उच्चारण करता है। इस प्रकार भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है।

6) **भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है –**

भाषा में जहाँ परिवर्तन और विविधता की प्रवृत्ति होती है, वहीं स्थिरीकरण और एकता की भी। परिवर्तन की अनिवार्य प्रवृत्ति के कारण एक काल की भाषा दूसरे काल की भाषा से भिन्न होती है, किंतु यदि इस परिवर्तन पर नियंत्रण न हो तो, एक पिढ़ी की भाषा दूसरी पिढ़ी के लिए समझना कठिन हो जाता है। व्यक्ति-व्यक्ति की भाषा अलग अलग बन जाती है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण भाषा परिवर्तन चाहती है और व्याकरण उसे स्थिर रखना चाहता है। अत: एक विद्‌वान ने व्याकरण को भाषा का 'पुलिसमैन' कहा है।

अपने व्याकरण के आधार पर भाषा परिनिष्ठित बनी रहती है। इसी परिनिष्ठित भाषा के रूप को भाषा-भाषी 'आदर्श भाषा' मानते हैं, इसलिए उसे 'मानक भाषा' भी कहते हैं। इसी 'आदर्श भाषा' या 'मानक भाषा' को अंग्रेजी में 'Standard Language' कहते हैं। भाषा के इसी मानक रूप को प्राप्त करने के लिए, सभी व्यक्ति प्रयत्न करते हैं। व्याकरण आदि के द्‌वारा हम उसी मानक रूप तक पहुँचते हैं। व्याकरण हमें भाषा के मानक या स्थिर रूप से भिन्न प्रयोग की स्वीकृति नहीं देता। प्राकृतिक नियम से भाषा परिवर्तित होना चाहती है, लेकिन आदमी उसे रोकना चाहता है, आदमी के इस प्रयत्न से भाषा का परिवर्तन रूकता नहीं, किंतु उसकी गति धीमी अवश्य पड जाती है। आदमी का यही प्रयत्न भाषा को अपेक्षित स्थिरता प्रदान करता है, और साहित्य, व्याकरण, शिक्षा शासन आदि उसे मानक रूप देते हैं।

7) **भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है –**

जो वस्तु बन-बनाकर पूर्ण हो जाती है, उसका अंतिम स्वरूप होता है पर भाषा ऐसी वस्तु नहीं है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती अर्थात् यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का यह अमुक रूप अंतिम है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह केवल जीवित भाषा के बारे में कहा जा सकता है, मृत भाषा के बार में नहीं । भाषा की मृत्यु के समय का रूप तो अवश्य अंतिम ही उसका होता है, पर जीवित भाषा में यह बात नहीं है।

एक भाषा-समाज में जो भाषा परंपरागत तथा परिवर्तनशील होती है, वह कभी खंडित या अपरिवर्तित नहीं होती। वह भाषा सदैव गतिशील बनी रहती है। जिससे उसका प्रवाह अविचलित बना रहता है। भाषा अपनी प्रचलित स्थिति में कुछ परिवर्तित भी होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। कबीर ने कहा है, 'भाषा बहता नीर।' जिस प्रकार 'नीर' याने 'पानी' भिन्न-भिन्न स्थितियों में से आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार भाषा भी एक भाषा-समाज में प्रयुक्त होकर भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में से आगे ही बढ़ती है।

अपवाद रूप में ''संस्कृत'' ही एक मात्र ऐसी भाषा है, जिसे पाणिनि के व्याकरण ने इतना स्थिर कर दिया है कि शताब्दियों की यात्रा में भी उस में कोई बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि संस्कृत एक मृत भाषा है। अत: वह एक रूढिबद्‌ध ढाँचे में बँधकर रह गई है।

परंतु ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं है। संस्कृत आज भी जीवित भाषा है। संस्कृत को छोड़कर संसार की सभी भाषाएँ दिन-प्रति-दिन परिवर्तित होती हैं। जहाँ भाषा में स्थिरता आती है, वहाँ भाषा मृत बन जाती है। परिवर्तन और अस्थैर्य ही भाषा के जीवन का द्योतक है।

8) **भाषा परंपरागत वस्तु है -**

भाषा एक सनातन (परंपानुसार आई) वस्तु है, जो हमें परंपरा से प्राप्त होती है। हम अपने परिवार में जो भाषा बोलते हैं वह हमें अपने माता-पिता से मिलती है, माता-पिता को दादा-दादी से और उन्हें अपनी पूर्ववर्ती पीढी से। यह प्रवास अनादिकाल से इसी प्रकार चला आ रहा है। समय के साथ भाषा बदलती रहती है, परंतु उसका प्रवास कभी खंडित नहीं होता। अर्थात भाषा परंपरा से चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदि तो कर सकता है, किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि कोई भाषा के जनक और जननी है तो वह है समाज और परंपरा। भाषा परंपरागत होने के कारण ही समाज को बार-बार किसी भाषा का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं रहती। समाज के लोग परंपरा के रूप में प्रचलित भाषा को अपने बचपन से अनुकरण के द्‌वारा सीखते रहते हैं और उसी के माध्यम से अपने भावों-और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इसलिए भाषा परंपरागत है।

9) **भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरित वस्तु है -**

किसी एक समाज के भिन्न-भिन्न स्तरों के भाषिक एक-सी भाषा का प्रयोग नहीं करते। उम्र की भिन्नता, बौद्‌धिक विकास की भिन्नता, शिक्षा-स्तर की भिन्नता, व्यवसाय की भिन्नता आदि के कारण यह भेद उत्पन्न होता है। बच्चे और बुढ़ो की भाषा में, शिक्षित और अशिक्षित की भाषा में स्तर-भेद हो ही जाएगा। शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक स्तर-भेद, बौद्धिक स्तर-भेद, सामाजिक स्तर-भेद, व्यावसायिक स्तर-भेद के अनुसार भाषा में भी उतने ही भेद मिलते हैं। उदा, विद्‌वानों और अनपढ़ों की भाषा में अंतर होता है। भिन्न-भिन्न व्यवसाय करनेवालों की भाषा में भी परस्पर अंतर पाया जाता है।

विभिन्न जातियों, पंड़ितों, कायस्थ, चमार, जुलाहे, आदि के भाषा प्रयोग में भी अंतर दिखाई देता है। एक दार्शनिक की भाषा और एक मजदूर की भाषा में भी निश्चय ही भेद होता है। कोर्ट-कचहरी में प्रयुक्त भाषा और पुरोहित कर्म करने वालों की भाषा में भिन्नता स्पष्ट नजर आती है।

10) **प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है -**

एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर भाषा का रूप बदलता है इसलिए कहा जाता है - ''चार कोस पर बदले पानी, आठ कोस बानी'' अर्थात् आठ कोस पर बाणी याने भाषा बदलती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा के बाहर उसका स्वरूप थोडा या अधिक परिवर्तित हो जाता है, या उस सीमा के बाहर किसी दूसरी भाषा की सीमा पूर्णत: शुरू हो जाती है। उदा. बंगला नामक भूखंड की भाषा यदि बंगाली है तो पंजाब नामक भूखंड की भाषा पंजाबी है। इसी प्रकार अंग्रेजी, रूसी, चीनी आदि भाषाओं की भी अपनी-अपनी निर्धारित भौगोलिक सीमाएँ हैं।

11) **प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है –**

प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान प्रत्येक भाषा के इतिहास का अध्ययन करता है। प्रत्येक भाषा प्रारंभ में किसी रूप में थी, बाद में बदलकर किस रूप में आई, वह किस समय से किस समय तक प्रचलित रही, इन बातों पर 'ऐतिहासिक भाषाविज्ञान' में विचार होता है। इस दृष्टि से संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं का समय निर्धारित किया गया है।

12) **प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है –**

किन्हीं भी दो भाषाओं का ढाँचा पूर्णतया एक नहीं होता है, अर्थात् प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। उसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य या अर्थ आदि किसी भी एक स्तर पर या एक से अधिक स्तरों पर 'संरचना' या 'ढाँचे' में अंतर अवश्य होता है। यही अंतर उनकी अलग या स्वतंत्र सत्ता का कारण बनता है। भाषा की रचना ध्वनियों, शब्दों (पदों) द्वारा स्पष्ट होती है। संसार की सभी भाषाओं में द्वैध संरचना मिलती है – वाक्यात्मक तथा ध्वनि अक्रियात्मक। भाषा वैज्ञानिकों के मतानुसार यह द्वैध संरचना मानव भाषाओं की विश्वव्यापी विशेषता है।

प्रत्येक भाषा किसी एक समाज में प्रचलित रहती है। इसलिए भाषा-समाज द्वारा मान्य व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना बनी रहती है। इस कारण से ही प्रत्येक भाषा एक दूसरी से अलग होती है; जैसे, हिंदी में शब्दों की रूप रचना के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों लिंगों को और एकवचन तथा बहुवचन इन दोनों वचनों को स्वीकार किया गया है, लेकिन संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इन तीनों वचनों को स्वीकार किया गया है, तो मराठी भाषा तथा गुजराती भाषा में पुल्लिग, स्त्रीलिंग, नपुसकलिंग इन तीनों लिंगों को स्वीकार किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि प्रत्येक भाषा का संरचनात्मक ढ़ाँचा स्वतंत्र होता है और वह अपने-अपने व्याकरण पर आधारित होता है। व्याकरण ही निश्चित व्यवस्था के आधार पर भाषा के संरचनात्मक ढ़ाँचे को सुरक्षित रखता है।

13) **भाषा की धारा स्वभावत: कठिनता से सरलता की ओर जाती है –**

मनुष्य स्वभाव से ही सरलताप्रिय प्राणी है। वह हर क्षेत्र में श्रम और शक्ति की बचत करना चाहता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति भाषा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहती है। (Economy of effort) प्रयत्न लाघव, मुख-सुख, श्रम की बचत या उच्चारण की सुविधा आदि के कारणों से ही भाषा में बहुत से परिवर्तन होते हैं। सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट होती है। क्योंकि मनुष्य का यह जन्मजात स्वभाव है कि वह कम से कम प्रयास में अधिक लाभ उठाना चाहता हैं।

कुछ ध्वनि संयोग के कारण शब्द के उच्चारण में और कुछ क्लिष्ट नियमों के कारण भाषा की संरचना के स्वरूप में कठिनता बनी रहती है। तब स्वाभाविक रूप से कठिनता में परिवर्तन करके सरलता को स्थान देने का प्रयत्न होता है। इस कारण से यह ''चन्द्र, अग्नि, दुग्ध, क्षेत्र रात्र'' जैसे तत्सम शब्दों के कठिन उच्चारण को सरल बनाने के लिए हिंदी में ''चन्दर, आग, दूध, खेत, रात'' ये ध्वनि परिवर्तित रूप प्रचलित हुए हैं। इसी कम प्रयास के प्रयास में वह सत्येंद्र को सतेंद्र और फिर सतेन कहने लगता है और एक अवस्था

ऐसी आ जाती है, जब वह केवल 'सति' कहकर भी काम चलाना चाहता है। उसी प्रकार 'आभ्यंतर' का 'भीतर' और 'जयरामजी की' का 'जैरामजी की' बन जाना आदि इस बात के प्रमाण है।

साथ ही साथ विभिन्न शब्दों, रूपों के लिए संस्कृत व्याकरण के समान तीन वचन-प्रकारों और तीन लिंग-प्रकारों का तथा विभक्तियों के अनेक प्रत्ययों का स्वीकार करने के बदले हिंदी भाषा के व्याकरण ने पुल्लिंग-स्त्रीलिंग इन दो लिंगो, एकवचन-बहुवचन इन दो वचनों और विभक्ति के कुछ ही प्रत्ययों को स्वीकार किया है, जिससे हिंदी भाषा व्यवहारउपयोगी, सरल रूप धारण करने में सफल हुई है। इससे स्पष्ट है कि, भाषा कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है।

14) **भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है -**

भाषा अपने आरंभिक रूप में स्थूल या अप्रौढ होती है। क्रमश: वह सूक्ष्मतर व प्रौढतर होती जाती है। मानव के विकास के साथ ही भाषा का विकास होता रहता है। मनुष्य जैसे-जैसे अपने हृदय के सूक्ष्म भावों और अपने मन के सूक्ष्म विचारों का भाषा के माध्यम से व्यक्त करने लगता है वैसे-वैसे भाषा सूक्ष्म और प्रौढ अर्थात विकसित होने लगती है। पहले 'तेल' का अर्थ 'तिल का रस' था जो कोल्हू से 'तिलों' को रगडकर अर्थात् तिलों को तकलीफ पहुँचाकर निकाला जाता था। इसी बात को ध्यान में रखकर अपने हृदय का 'क्रोध' यह सूक्ष्म भाव व्यक्त करने तथा धमकाने के सूक्ष्म विचार के लिए 'तेरा तेल निकालूँगा' ऐसा कहा जाने लगा। इससे ज्ञात होता है कि, भाषा अपने स्थूल और अप्रौढ़ (अविकसित) रूप के आधार पर ही सूक्ष्म भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सूक्ष्म और प्रौढ़ (विकसित) बनती रहती है।

आदि मानव की भाषा की तुलना में आज के मानव की भाषा अत्यंत प्रौढ और परिष्कृत है। इसी प्रकार 'शिशु' की भाषा की तुलना में परिपक्व व्यक्ति की भाषा पर्याप्त परिमार्जित होती है।

भाषा निरंतर प्रयोग से ही प्रौढ (विकसित) होती है। उदाहरण के लिए ''खड़ी बोली'' को ही लिजिए; भारतेंदु से लेकर आजतक उसमें बहुत परिष्कार होता आया है, और आगे भी होता रहेगा।

15) **भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है -**

प्रारंभ में भाषा का ढ़ाँचा संयोगावस्था में रहता है। धीरे-धीरे वह वियोगात्मक होता जाता है।

संयोगात्मकता से तात्पर्य है प्रकृति और प्रत्यय का मिला-जुला रहना और वियोगात्मकता का अर्थ है प्रकृति और प्रत्यय का अलग रहना। भाषा की संयोग अवस्था कठिनता से युक्त होती है, तो वियोग अवस्था, सरलता से युक्त होती है। भाषा स्वाभाविक रूप से कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। भाषा का प्रारंभिक रूप बहुधा संयोगावस्था में होता है, इसलिए आगे चलकर वह वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है। संस्कृत; सहित अर्थात संयोगात्मक भाषा और हिंदी; व्यवहित अर्थात वियोगात्मक भाषा है। जो संस्कृत भाषा संयोगावस्था के कारण क्लिष्ट बन गई थी, वही आगे चलकर पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से होकर अधिकाधिक सरल अर्थात वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है और हिंदी, मराठी, गुजराती आदि सरल वियोग अवस्थाप्रधान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में रुपांतरित होती है। जैसे, वाक्य का संयोगावस्था से

वियोगावस्था की ओर बढ़ना –

संयोग अवस्था	**वियोग अवस्था**	
संस्कृत	**हिंदी**	**मराठी**
राम:गच्छति।	राम जाता है।	राम जातो.
सीता गच्छति।	सीता जाती है।	सीता जाते.
विभायानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्रस निष्पति:।	विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पति होती है।	विभाव, अनुभाव आणि व्यभिचारी यांच्या संयोगाने रसाची निष्पत्ति होते.

इस प्रकार भाषा संधिप्रधान तथा समास प्रधान संयोगावस्था से वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है।

❖ **भाषा एक सहज नैसर्गिक प्रक्रिया है –**

भाषा एक सहज नैसर्गिक प्रक्रिया है और प्रकृति के अनुसार इसका सर्वदा ही विकास होता रहता है। अन्य ज्ञान उपलब्ध कराने में या वस्तुएँ सीखने में जितने कठोर श्रम हमें करने पड़ते है उतना और उतनी मात्रा में श्रम या शक्ति भाषा सीखने में खर्च नहीं करनी पड़ती। सहज का अर्थ यहाँ जन्मजात नहीं मानना चाहिए और न नैसर्गिक भी। बच्चा जन्म लेने के बाद ही भाषा को सीखता है। परंतु उसे सीखने में उसे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कम श्रम या शक्ति लगानी पड़ती है। वह भाषा को अनायास नहीं पाता, परंतु अल्पायास से प्राप्त करता है।

भाषा के उपर्युक्त लक्षणों से भाषा की विशिष्ट प्रकृति अपने आप स्पष्ट हो जाती है। ये सभी लक्षण भाषा की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।

1.3.3 भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविध वाद :

भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करनेवाले लोगों के सामने यह समस्या हमेशा ही रही है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? उसके साथ ही साथ मनुष्य ने बोलना कहाँ सीखा ? कैसे बोलना सीखा? जब बोलना सीखा तब सर्व प्रथम किस भाषा में बोलना शुरू किया? मनुष्य की आदिम भाषा का स्वरूप कौनसा था? आदि प्रश्न भाषा वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है। इन समस्याओं पर बहुत दिनों से भाषा–वैज्ञानिक विचार करते आए हैं, किंतु अभी तक कोई एक मत सर्वमान्य नहीं हो सका है।

सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी पर मनुष्य ने पहले–पहल किस प्रकार बोलना आरंभ किया, यह एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। इस संबंध में विद्वानों ने अपने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। वस्तुत: भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, वे केवल अनुमान पर ही आधारित हैं। विद्वानों ने उत्पत्ति की संभावना के संबंध में अनुमान किया है और उसे ही सिद्धांत का नाम दे दिया है।

भाषा की उत्पत्ति से संबंधित दैवी उत्तपत्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, धातु सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, मनोभावभिव्यक्ति सिद्धांत, यो-हे-हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, टा-टा सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, समन्वित रुप आदि प्रत्यक्ष मार्गों के साथ तीन परोक्ष मार्ग रुपी सिद्धांत प्रचलित हैं उनमें से हमारे पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित सिद्धांतों का ही हम यहाँ विवेचन करेंगे।

1) **दैवी उत्पत्ति सिद्धांत** (Divine Origin) :

इस सिद्धांत को दिव्य उत्पत्तिवाद या दिव्य सिद्धांत भी कहते हैं। भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में यह सबसे प्राचीन मत है। इस मत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। जैसे ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, वैसे ही उसने उसे भाषा दी। मतलब भगवान ने ही भाषा को बनाया। मनुष्य जब उत्पन्न हुआ तो अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ इस पृथ्वी पर आया था। जैसे अपने आप मनुष्य में चेतना का विकास हुआ, वैसे ही उसे अपने आप भाषा भी प्राप्त हो गई। अत: इस सिद्धांत के अनुसार भाषा का स्रष्टा (निर्माता) ईश्वर है। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है।

भारतीय पंडित वेदों को अपौरूषेय मानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास रहा है कि संस्कृत को ईश्वर ने बनया। और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की। संस्कृत को 'देवभाषा' कहने में भी उनके इसी विश्वास की ओर संकेत है। संस्कृत भाषा तथा उसके व्याकरण के मूलाधार पाणिनि के 14 सूत्र शिव के डमरू से निकले माने जाते हैं। ईश्वर निर्मित होने के कारण ही इसे सनातनी पंडित संसार की सभी भाषाओं का मूल मानते हैं। अर्थात, भारतीय हिंदू विद्वान वेदों को अपौरुषेय याने अलौकिक मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर ने संस्कृत की रचना की, फिर उसी भाषा में वेदों का निर्माण किया गया।

बौद्ध मतावलंबी 'पालि' को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते रहें हैं, और उनका विश्वास रहा है कि, 'पालि' भाषा अनादि काल से चली आ रही मूलभाषा है।

'जैन' लोग तो संस्कृत पंडितो' और बौद्धों से भी चार कदम आगे हैं, उनके नुसार तो 'अर्धमागधी' केवल मनुष्यों' की ही नहीं; पशु, पक्षियों की भी भाषा थी।

ईसाई लोग और उनमें भी प्रमुखत: कैथोलिक लोग 'हिब्रू' को (जिसमें उनका धर्म ग्रंथ "Old Testament: लिखा गया है।) संसार की सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। उनके अनुसार 'हिब्रु' आदम और हव्वा को पूर्ण विकसित भाषा के रूप में भगवान द्वारा दी गई थी। फिर बाबुल की मीनारवाली घटना के कारण उसी के अनेक रूप हो गए और इस प्रकार संसार में अनेक भाषाएँ बन गई। इसके आधार पर 'हिब्रू' के विद्वानों ने संसार की अनेक भाषाओं से उन शब्दों को इकठ्ठा किया था, जो 'हिब्रु' शब्दों से मिलते-जुलते थे, और उनसे यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यथार्थत: 'हिब्रु' सभी भाषाओं की जननी है। मुसलमान लोग 'कुरान' को खुदा का कलाम मानते हैं। फारसी धर्मवालों ने 'अवेस्ता' भाषा को ईश्वर निर्मित होने का स्वीकार किया। मिस्त्र देश के प्राचीन लोगों का अपनी भाषा के संबंध में कुछ ऐसा ही विश्वास था।

प्लेटो ने सभी चीजों के नामों को प्राकृतिक या प्रकृति-प्रदत्त कहा था। यह मत भी दैवी उत्पत्ति का ही एक रूप है। इसी मत के प्रभाव से लोगों का यह भी मत रहा कि मनुष्य जन्म से ही एक भाषा सीखकर आता है और वही भाषा ईश्वर की तथा सब से पुरानी भाषा है। इस बात की परीक्षा करने के लिए मिस्र के राजा सैमेटिक्स (Psammitichos) ने दो बच्चों को जन्म के बाद ही अलग रखा था। उनके पास जानेवालों को कुछ बोलने का निषेध था। बडे होने पर उनके मुँह से केवल 'बेकोस' (bekos) शब्द ही सुना गया। 'बकोस' (bekos) फ्रीजियन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ 'रोटी' होता है। 'रोटी' देनेवाले फ्रीजियन नौकर ने गलती से कभी इस शब्द का उच्चारण उनके सामने कर दिया था। और बच्चों ने इस शब्द का अनुकरण कर लिया।

'अकबर बादशाह (1556-1605) ने भी इस प्रकार का प्रयोग किया था। 'अकबर बादशाह' का प्रयाग सबसे सफल था और फल यह हुआ कि प्रयोग के लड़के गूँगे निकले। इस प्रकार कहना न होगा कि बच्चा माँ के पेट से कोई भाषा सीखकर नहीं आता । अर्थात ईश्वर प्रदत्त कोई भाषा नहीं है और ऐसा मानना अंधविश्वास मात्र है। आज इस मत को कोई नहीं मानता ।

❖ **आक्षेप / समीक्षा :**

1) दैवी सिद्धांत अब पूर्णत: अवैज्ञानिक समझा जाने लगा है। इस वैज्ञानिक युग में जब ईश्वर पर ही विश्वास नहीं है, तो उसके द्वारा उत्पन्न की गई भाषा पर विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2) दैवी सिद्धांत में सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि, यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त है, तो विभिन्न भाषाओं में इतने भेद क्यों है? पूरे संसार के गदहे, घोडे, भैंसे, कुत्ते आदि एक से बोलते हैं, किंतु मनुष्यों में वह एकरूपता नहीं है।

3) यदि भाषा ईश्वर-प्रदत्त होती तो कदाचित आरंभ से ही वह विकसित होती, किंतु इतिहास में इसके उल्टे प्रमाण मिलते हैं।

4) दिव्य सिद्धांत के खंडनकर्ता जर्मन भाषा वैज्ञानिक 'हर्डर' का तर्क है कि यदि भाषा ईश्वर-प्रदत्त होती तो संसार के सभी मनुष्य, पशु-पक्षी एक-सी भाषा का प्रयोग करते। उदा, पूरे संसार के गदहे, घोडे, भैंसे, कुत्ते आदि एक से बोलते थे, यदि भाषा ईश्वर-प्रदत्त होती, तो कदाचित आरंभ से ही विकसित होती किंतु बात वैसी नहीं है।

वस्तुत: यह सिद्धांत बिलकुल ही कपोल कल्पित और अवैज्ञानिक है।

2) **धातु सिद्धांत** (Root Theory) :

इस सिद्धांत को डिंग-डांग वाद (Ding Dong Theory), रणन सिद्धांत या स्वाभाविक उत्पत्तिवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत की ओर सर्व प्रथम ग्रीक विद्वान 'प्लेटो' ने संकेत किया था। किंतु इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन प्रोफेसर 'हेस' (Heyese) का है। इन्होंने भी कभी अपने किसी

व्याख्यान में इसका उल्लेख किया था, जिसे बाद में उनके शिष्य डॉ. स्टाइन्थाल' ने मुद्रित रूप में विद्वानों के समक्ष रखा । फिर 'मैक्स मूलर' ने इस मत को अपनी पुस्तक में स्थान दिया, लेकिन बाद में इसे निरर्थक कहकर छोड़ दिया।

इस सिद्धांत के अनुसार शब्द और एक प्रकार का रहस्यात्मक प्राकृतिक संबंध होता है। संसार (विश्व) की हर एक वस्तु की अपनी एक खास ध्वनि होती है। यदि हम एक लकड़ी के डंडे से एवं हथौडे से एक धातु, एक शीशे, एक पत्थर, एक ईंट, एक लकड़ी पर अलग-अलग चोट करें तो हम देखेंगे कि उनसे अलग-अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इसलिए हम सुनकर ही अनुमान लगा लेते हैं कि अमुक चीज टूट गई है।

आरंभ में आदमी के पास वाणी नहीं थी, लेकिन जब वह जगत की विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आया तो सहज ही उसके मुँह से वस्तु बोधक शब्द निकल पड़े। जैसे ही वह किसी चीज के संपर्क में आता उसके लिए उसके मुँह से एक ध्वनि निकल जाती। भाषा का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद मनुष्य की यह नैसर्गिक शक्ति अपने आप समाप्त हो गई। विभिन्न वस्तुओं की ये ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियाँ 'धातु' थीं। आरंभ में इस प्रकार से धातुओं की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन धीरे-धीरे पयार्य होने के कारण या योग्यतमावशेष सिद्धांत के कारण उनमें से बहुत-सी लुप्त हो गई और सिर्फ 400-500 धातुएँ शेष रहीं। इन्हीं धातुओं से भाषा की उत्पत्ति हुई। अर्थात् इन्हीं धातुओं से संपूर्ण भाषा का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार उन धातुओं की ध्वनि तथा उनके अर्थ में एक रहस्यात्मक संबंध (Mystic harmony) था। इस मत के समर्थकों का यह भी कहना था कि प्राचीन मनुष्य में वह शक्ति थी, किंतु भाषा बन जाने पर शक्ति की आवश्यकता नहीं रही। अत: वह धीरे-धीरे नष्ट हो गई। आज का मनुष्य इसी लिए उससे शून्य है। इस सिद्धांत को कुछ दर्शनिकों ने भी किसी रूप में माना था और इसे 'नेटिविस्टिक थ्यूरी' (Nativistic Theory) की संज्ञा दी थी।

❖ **आक्षेप / समीक्षा :**

1) धातु सिद्धांत अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि इसका आधार काल्पनिक है और यह कल्पना भी आधार रहित है। जैसे कोई जादूगर जादू की लकड़ी घुमाकर क्षण भर में कुछ का कुछ कर देता है। वैसे ही मनुष्य वस्तुओं के संपर्क में आने पर शब्द बनाता चला गया और जैसे ही सब शब्द बन गए उसकी जादू जैसी शक्ति समाप्त हो गई। इस कल्पना पर जरा-भी विश्वास नहीं किया जा सकता।

2) धातु सिद्धांत के अनुसार विभिन्न धातुओं की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति प्रारंभ में धातु से होती थी, लेकिन महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भाषा में धातुएँ बाद में आई हैं, आरंभ में नहीं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में पहले संज्ञाएँ आती हैं।

3) धातु सिद्धांत के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यह है कि, संसार के कुछ ही भाषा परिवारों में जैसे 'भारोपीय' तथा 'सिमेटिक' में ही कुछ धातुएँ हैं, परंतु अनेक भाषा परिवार ऐसे हैं जिनमें धातुओं का कोई

अस्तित्व नहीं है। अर्थात् संसार में जिन भाषाओं में धातुओं का पूर्णतया अभाव है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी? इस प्रश्न का उत्तर इस सिद्धांत के पास नही है।

4) धातु सिद्धांत शब्द और अर्थ में रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है। पर शब्द और अर्थ का सांकेतिक संबंध है, न कि स्वाभाविक।

5) जिन भाषाओं में धातुएँ हैं, उनमें वे कृत्रिम या बाद में खोजी हुई हैं। अत: उनके आधार पर भाषा की उत्पत्ति प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती।

6) भाषा केवल धातु से ही नहीं बनती एवं निर्मित होती है तो उसके लिए प्रत्यय, उपसर्ग आदि अन्य घटकों की भी आवश्यकता होती है। इन सभी आपत्तियों का समाधान धातु सिद्धांत से नहीं हो पाता। इस कारण ही प्रो. मैक्समूलर ने भी बाद में भाषा की उत्पत्ति को जानने की दृष्टि से धातु सिद्धांत को निरर्थक माना।

3) **अनुकरण सिद्धांत** (Imitative Theory) :

अनेक विद्वानों ने अनुकरण सिद्धांत का समर्थन करते हुए माना है कि भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अनुकरण की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं से उत्पन्न हानेवाली नैसर्गिक ध्वनियों पर उनके नाम दिए गए हैं। जिस वस्तु से जिस प्रकार की ध्वनि सुनाई दी उसका नाम उस ध्वनि के अनुकरण पर रख दिया गया है। अर्थात मनुष्य ने अपने आसपास के जीवों और चीजों आदि की आवाज आदि के अनुकरण पर प्रारंभ में शब्द बनाए और उसी आधार पर अपनी भाषा का महल खड़ा किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत तीन उपसिद्धांत रखे जा सकते हैं-

क) ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत

ख) अनुरणात्मक अनुकरण सिद्धांत

ग) दृश्यात्मक अनुकरण सिद्धांत।

इस संबंधी विस्तार से विचार किया है-

क) ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत :

इसके अन्य नाम अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण,मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद तथा शब्दानुकरण, भों-भों वाद, या भौं-भौं सिद्धांत'' आदि हैं। अंग्रेजी में इसे (Bow-Wow Theory, onomotopoeic या Onomotopoetic Theory या Echoic Theory आदि कहते हैं।

इस वाद के अनुसार मनुष्य ने अपने आसपास के पशुपक्षियों आदि की होनेवाली ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनाए और फिर उसी आधार पर पूरी भाषा खडी हुई। अर्थात इस वाद के अनुसार मनुष्य

ने अपने आसपास के पशुपक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण पर कुछ शब्द बनाए, और उन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति हुई।

इस वाद के अनुसार मनुष्य ने कुत्ते के भौंकने की ध्वनि का अनुकरण करके कुत्ते को पहचानने के लिए हिंदी में 'भों-भों' या 'भौं-भौं' शब्द, अंग्रेजी भाषा में Bow-Bow (बाउ-बाउ) शब्द और मराठी भाषा में 'भू-भू' शब्द बनाया।

बिल्ली की ध्वनि का अनुकरण करके हिंदी में 'म्याऊँ-म्याऊँ' शब्द, मराठी भाषा में 'म्याँव-म्याँव' शब्द, चीनी भाषा में 'मिआऊ-मिआऊ' शब्द बनाये जिससे बिल्ली का अर्थबोध होने लगा। मनुष्य ने कौवे की 'काँव-काँव' ध्वनि के अनुकरण पर उसे पहचानने के लिए हिंदी में 'काँउ काँउ' शब्द बनाया। कोयल की 'कू-कू' कूकने की ध्वनि के अनुकरण पर उसे पहचानने के लिए 'कोकिल' शब्द बनाया। उसी प्रकार 'का-का' करनेवाले को 'काक' कहा जाने लगा। मुर्गे की 'कुकडू कूँ' की ध्वनि से उसका नाम 'कुक्कुट' पड़ा।

इसप्रकार मनुष्य ने पशु और पक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण पर कुछ शब्द बनाए हैं। मैक्समूलर ने इस पद्धति से बने शब्दों की हँसी उडाते हुए हँसी में उसे 'बाउवाउ थेअरी' (Bow-wow-Theory) कहा। Bow-wow' (बाउ-वाउ) यह शब्द अंग्रेजी भाषा में 'कुत्ते' की ध्वनि के अनुकरण पर बनाया गया शब्द है।

भाषा की उत्पत्ति को जानने की दृष्टि से ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत कुछ मात्रा में निश्चित ही उपयोगी है, क्योंकि ध्वन्यात्मक अनुकरण पर स्वाभाविक रूप से कुछ सार्थक शब्द बने हैं, और बनते भी हैं। ध्वन्यात्मक अनुकरण मूलक शब्द इसलिए सार्थक होते हैं कि, उस से विशिष्ट पशु या पक्षी का बोध होता है।

❖ **आक्षेप / समीक्षा :**

1) ध्वन्यात्मक अनुकरण मूलक शब्दों की संख्या सीमित है। इसलिए इस वाद पर आरोप करते हुए 'रेनन' ने प्रश्न उठाया है कि सीमित संख्यावाले ध्वन्यात्मक अनुकरण मूलक शब्दों से भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? इस प्रश्न का निराकरण ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत से नहीं होता।

2) प्रो. रेनन (Renun) ने इस प्रकार आपत्ति की है कि यदि मनुष्य पशुपक्षी जैसे तुच्छ जीवों के शब्दों का अनुकरण करके भाषा बना सकता है, तो यह पशु-पक्षियों से निकृष्ट सिद्ध होता है।

3) हर भाषा के कुछ ही शब्दों की रचना इससे स्पष्ट होती है। यह सिद्धांत अधिक से अधिक एक प्रतिशत शब्दों का समाधान प्रस्तुत करता है। शेष 99 प्रतिशत से भी अधिक शब्दों के बारे में यह मत मौन है।

4) कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें ऐसे शब्द (ध्वन्यानुकरण शब्द) हैं ही नहीं। जैसे-उत्तरी अमेरिका की 'अथबस्कन' में इस प्रकार के ध्वन्यात्मक शब्दों का नितांत अभाव है।

5) यदि ध्वनि-अनुकरण ही आधार होता तो सभी भाषाओं में उन अर्थों के लिए समान शब्द होते। काक-कौवा, कोयल-कोकिल, झरना-निर्झर आदि का ही भेद नहीं होता अपितु अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में कौवा, मेंढ़क, बिल्ली, कुत्ता आदि के लिए सर्वथा पृथक् शब्द भी नहीं होते।

ख) अनुरणात्मक अनुकरण सिद्धांत :

इस वाद को 'अनुकरणमूलकता वाद', 'अनुरणन सिद्धांत' भी कहा जाता है। इस वाद के अनुसार मनुष्य ने निर्जीव वस्तुओं की गूँजनेवाली ध्वनियों का अनुकरण करके उन्हीं का अर्थबोध कराने के लिए हिंदी में टन-टन शब्द अंग्रेजी में 'डिंग-डिंग' शब्द बनाए हैं। ठीक इसी तरह दरवाजा खट-खटाने से या किसी निर्जीव वस्तु पर आघात करने से उत्पन्न होनेवाली ध्वनि का अनुकरण करके हिंदी में 'खट-खट', 'ठक-ठक' आदि शब्द बनाए गए हैं।

झरने से बहते पानी से निकलनेवाली ध्वनि का अनुकरण करके हिंदी में 'झर-झर', 'कल-कल' आदि शब्द बनाए गए, जिनसे झरने के बहते पानी की विशिष्ट गति का अर्थबोध हो जाता है।

संस्कृत में 'नद-नद' नाद के आधार पर ही 'नद' और 'नदी' शब्द बने हैं।

दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि इसमें धातु, काठ, पानी, आदि निर्जीव चीजों की ध्वनि का अनुकरण है। जैसे झनझनाना, तड़तड़ाना, कल-कल, छल-छल, ठक-ठक, खट-पट आदि। अंग्रेजी में murmur gazz, Thunder, Jazz आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। संस्कृत में 'नद-नद' नाद के आधार पर ही 'नद' और 'नदी' शब्द बने हैं। इस प्रकार 'पत' धातु से निर्मित 'गिरना' शब्द का आधार कदाचित पत्र का 'पत्' ध्वनि करते हुए गिरना है। इस वर्ग के भी कुछ शब्द प्राय: सभी भाषाओं में मिल जाएँगे।

❖ **आक्षेप / समीक्षा :**

अनुकरणात्मक अनुकरणवाद भी अपने सीमित रूप में भाषा की उत्पत्ति को समझने की दृष्टि से कुछ उपयोगी है, लेकिन इस प्रकार के शब्दों की संख्या मर्यादित है, तथापि 'ध्वन्यात्मक अनुकरणवाले' शब्दों को लेकर ऊपर ध्वन्यात्मक अनुकरण के संदर्भ में जो आक्षेप दिए गए हैं वे यहाँ पर भी लागू होते हैं।

ग) दृश्यात्मक अनुकरण सिद्धांत :

इस वाद के अनुसार मनुष्य ने दृश्य की विशिष्ट दशा को देखकर उसके अनुकरण के रूप में कुछ ऐसा शब्द बनाया जिससे उस दृश्य की विशिष्ट दशा का अर्थबोध हो जाता है। इस कारण ही किसी प्रकाशमान और चमकनेवाले दृश्य के अनुकरण पर 'हिंदी में' जगमग, बगबग, चकाचक, जगमगाहट, चमचमाहट आदि शब्द बनाए गए, जिनसे उस दृश्य की विशिष्ट दशा का अर्थबोध हो जाता है।

❖ **आक्षेप / समीक्षा :**

दृश्यात्मक अनुकरणवाद भी अत्यंत मर्यादित रूप में भाषा की उत्पत्ति को जानने की दृष्टि से कुछ उपयोगी है। लेकिन इस प्रकार के शब्दों की संख्या अत्यंत मर्यादित होने के कारण ऊपर (क)ध्वन्यात्मक

अनुकरण वाले शब्दों के संदर्भ में जो आक्षेप किए गए है वे यहाँ पर भी लागू होते हैं।

संक्षेप में अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन अनेक विद्वानों ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अनुकरण की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। उसके आधार पर मनुष्य ने आसपास के पशुपक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण पर कुछ शब्द बनाए, मनुष्य ने निर्जीव वस्तुओं की गुँजनेवाली ध्वनियों का अनुकरण करके उन्हीं का अर्थबोध कराने के लिए शब्द बनाए तथा मनुष्य ने दृश्य की विशिष्ट दशा को देखकर उसके अनुकरण के रूप में कुछ ऐसे शब्द बनाए जिससे उस दशा की विशिष्ट दशा का अर्थबोध हो जाता है।

4) **श्रमपरिहार सिद्धान्त –** (श्रमध्वनि सिद्धान्त, यो-हे-हो वाद)

इस सिद्धान्त को श्रमध्वनि सिद्धान्त, यो-हे-हो वाद, श्रमपरिहार मूलकतावाद आदि नामो से भी जाना जाता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक लुडविग न्वायर (Noire) है। इस सिद्धान्त के अनुसार जब मनुष्य शारीरिक परिश्रम करता है, उस समय साँस के तेजी से बाहर-भीतर आने-जाने, साथ-साथ स्वरतंत्रियों के विभिन्न रूपो में कम्पित होने एवं तदनुकूल ध्वनियाँ उच्चरित होने से कार्य करनेवाले को राहत मिलती है। श्वास-प्रश्वास बढने से माँस पेशियों और स्वरतंत्रियों में भी संकोच-विस्तार होता जाता है। प्रारंभ में मनुष्य सामुहिक शक्ति को एक साथ लगाने के लिए कुछ विशिष्ट ध्वनियों का उच्चारण करता था अथवा उसके मुँह से श्रम-परिहार के लिए कुछ ध्वनियाँ अनायास निकल पडती थी। इन्ही ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ है। श्रमजन्य होने के कारण इसे श्रमपरिहार ध्वनि कहा गया है।

कठिण परिश्रम करते समय श्रमिक लोक कुछ कहकर श्रमपरिहार करते हैं। जैसे- धोबी लोग 'हियो' या 'छियो' कहते हैं। मल्लाह लोग थकान के लिए 'यो-हे-हो' कहते हैं। क्रेन पर काम करनेवाले मजदूर लोग काम करते समय 'हो-हो' या 'हैसो' कहते हैं। भारी सामान उठाते समय मजदूर लोग 'हूँ-हूँ' या 'हैया' कहते हैं। इसी प्रकार सडक कुटनेवाले श्रमिक जब-जब दुर्मुस (हाथौडा) उठाते है तो 'हे' या 'हूं' आदि कहते हैं। लकडी फोडनेवाली कुल्हाडी चलाते समय या कुदाल से मिट्टी खोदनेवाले के मुख से 'हं' या 'ह्य' इसप्रकार की ध्वनि निसृत होती है।

इस सिद्धान्त का आधार यह है कि किसी कार्य को करते समय स्वभावतः होनेवाली ध्वनि उस क्रिया की बोधिका होती है।

समीक्षा –

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी का कहना है कि यह सिद्धान्त अन्य सभी सिद्धान्तो से गया-बीता है। क्योंकि इन शब्दों का भाषा में कोई स्थान नहीं है।
2. इन ध्वनियों से किसी भी विशिष्ट अर्थ का बोध नहीं होता है, यह ध्वनियाँ पूर्णतः निरर्थक है।
3. यह मत भाषा की उत्पत्ति के लिए सर्वथा असंतोषजनक है।

4. भाषा की उत्पत्ति के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है।

अतः यह सिद्धान्त सबसे निकृष्ट और भाषा उत्पत्ति की समस्या हल करने में सर्वथा असमर्थ है। हाँ यह अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि इस प्रकार की कुछ ध्वनियाँ आदिकाल में उपयोग में रही होगी जब भाषा नहीं थी, पर भाषा विकास में इसका कोई महत्व नहीं है।

5) **मनोभावाभिव्यंजक सिद्धान्त –** (Interjectional Theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार पहले मनुष्य दिमाग से नही दिल से सोचना था। इसका मतलब मनुष्य पहले विचार- प्रधान प्राणी न होकर अन्य पशुओं की भाँती भाव-प्रधान था। जब भी उसके मन मे भाव उत्पन्न होते थे, जैसे आनंद, दुःख, विस्मय, घृणा आदि तब उसके मुखसे ओ, छिः, आह, ओह, फाई, पूह, पिश आदि जैसे शब्द सहज निकल जाया करते थे। इन्ही शब्दोसे धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ।

इस सिद्धान्त के लिए प्रयोग होनेवाले अन्य नामः-

हिंदी मे :- मनोभावाभिव्यक्ति वाद, मनोरागव्यंजक, शब्दमूलकता वाद, आवेग सिद्धान्त, मनोभावाभिव्यक्ता वाद

अंग्रजी :- pooh-pooh (पूह-पूह वाद), यह नाम मैक्समूलर के मजाक में दिया था, Interjectional Theory.

आक्षेप/समीक्षा :-

1) दुनिया भर के कुत्ते दुःखी होनेपर लगभग एक हि प्रकार भौक कर रोते है, पर दुनिया भर के आदमी न तो दुःखी होने पर एक प्रकार से हाय करते है और न प्रसन्न होने पर एक प्रकार से वाह करते है। तो यह है कि, भिन्न-भिन्न भाषाओं मे ऐंसे शब्द एक ही रूप में नही मिलते।

2) इन शब्दों से पूरी भाषा पर प्रकाश नही पडता। किसी भाषा में इन शब्दो कि संख्या चालीस-पचास से अधिक नही होती, और इन शब्दों को पुर्णतः भाषा का अंग नही माना जा सकता।

बेनफी ने कहा है, ''जहाँ बोलना सम्भव नही होता वहाँ यह शब्द पुयक्त होते है।''

3) इन शब्दों से कुछ थोडे शब्दों की उत्पत्ति की समस्या पर प्रकाश पडता है। और शब्द जो भाषा के प्रमुख अंग है, इन शब्दों से किस प्रकार विकसित या उत्पन्न हुए इस पर प्रकाश नही पडता।

4) इस सिद्धांत के आधार पर इतना स्वीकार किया जा सकता है कि :-

   1) इस प्रकार की ध्वनियाँ आरम्भ मे अधिक होगी।

   2) इनका प्रयोग भी भाषा के अभाव मे अधिक होता होगा।

   3) इसके कारण धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास बढा होगा, जिससे भाषा के विकास मे सहायता मिली होगी।

6) **समन्वित (समन्वय) सिद्धांत :**

समन्वित सिद्धांत या समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक 'स्वीट' महोदय ने किया है। उन्होंने भाषा की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों में से उपयोगी सिद्धांतों के आधार पर समन्वय सिद्धांत की स्थापना कर भाषा की उत्पत्ति पर प्रभाव ड़ालने की कोशिश की है। 'स्वीट' के अनुसार भाषा प्रारंभिक रूप में 'भाव संकेत' या 'इंगित' और 'ध्वनि-समुदाय' (Sound-group) दोनों पर आधारित थी। ध्वनि-समुदाय के आधार पर ही शब्दों का आगे विकास हुआ। 'स्वीट' के अनुसार प्रारंभ में तीन प्रकार के शब्द समूह थे। 1) अनुकरणात्मक, 2) भावावेश-व्यंजक, 3) प्रतीकात्मक।

1) **अनुकरणात्मक शब्द :** भाषा की उत्पत्ति अनुकरणात्मक शब्दों के बनने के आधार पर आरंभ हुई। उन अनुकरणात्मक शब्दों में ध्वन्यात्मक, अनुकरणात्मक शब्दों का पहला क्रम रहा, जैसे भौं-भौं, म्याउँ-म्याउँ, कौवा आदि। फिर अनुरणात्मक अनुकरणमूलक शब्दों का दूसरा क्रम रहा, जैसे- डिंग-डाँग, खट-खट, ठक-ठक, झर-झर आदि। उसके बाद दृश्यात्मक अनुकरण मूलक शब्दों का तीसरा क्रम रहा, जैसे - जगमग, चकाचक आदि।

2) **भावावेश-व्यंजक शब्द :** भाषा के विकास क्रम की दूसरी अवस्था में भावावेश-व्यंजक या मनोभावाभिव्यंजक शब्द सहायक बन गए। भाषा-विकास क्रम की इस दूसरी अवस्था में मनुष्य ने भावावेग में अपने भीतर के भावों की अभिव्यक्ति के लिए कुछ भावव्यंजक शब्द बनाए, जैसे - वाह! वाह! ओह! आह!, धिक्, छिः आदि।

3) **प्रतीकात्मक शब्द :** भाषा के विकास क्रम की तीसरी अवस्था में मनुष्य ने भाषा के प्रौढ़ विकास के लिए प्रतीकात्मक (symbolic) शब्दों को बनाना आरंभ किया। मनुष्य ने प्रतीकात्मक शब्द बनाने के लिए 'भाव-संकेत' या 'इंगित' और 'ध्वनि-समवाय' (Sound-group) इन दोनों के महत्त्व का आधार लिया। स्वीट के अनुसार तीसरे प्रकार के अर्थात् प्रतीकात्मक शब्दों का भाषा के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उदा, बच्चा माँ-बाप के होठों का अनुकरण कर होंठ चलाने का प्रयत्न करता है, और 'म', 'ब', 'प' आदि ओष्ठ्य ध्वनियों या ध्वनि समूहों का सहज उच्चारण कर बैठता है और परिवार के लोग उन ध्वनियां का प्रयोग अपने लिए समझ लेते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों में माँ, बाप, बाबा, मामा, पापा आदि अर्थ निहित हो जाते है, एवं उनके लिए प्रतीकात्मक शब्दों का निर्माण हो जाता है।

कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दो वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उदा, 'हर्ष' शब्द भाव-व्यंजक होते हुए भी अंशतः प्रतीकात्मक है। इस प्रकार आरंभ में बहुत सारे शब्द बने होंगे, किंतु योग्यतमावशेष (Survival of the fittest) का सिद्धांत शब्दों पर भी लागू होता है। इस कारण बोलने, सुनने और अर्थ को व्यंजित करनेवाले शब्द ही अवशिष्ट (शेष) रह गए और आवश्यकतानुसार नए शब्द सादृश्य आदि के आधार पर निर्माण होते रहे।

इस प्रकार स्वीट के अनुसार भाषा अनुकरणात्मक भाव-व्यंजक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से आरंभ हुई। धीरे-धीरे शब्दों का अर्थ विकसित होता गया और नवीन शब्दों का निर्माण होता गया।

संक्षेप में कहा जाता है कि भाषा की उत्पत्ति के कुछ सिद्‌धांतों में तो कोई तथ्य ही नहीं है और कुछ में अंशिक सत्य है। यह देखकर समन्वय सिद्‌धांत की कल्पना की गई है। इसके अनुसार भाषा की उत्पत्ति किसी एक सिद्‌धांत के आधार पर नहीं हुई है बल्कि सभी सिद्‌धांतों के मेल से हुई है। सभी सिद्‌धांतों में से प्राप्त सत्यांश को लेकर समन्वय सिद्‌धांत का निर्माण किया गया है।

❖ **आक्षेप / समीक्षा :**

1) 'स्वीट' द्‌वारा प्रतिपादित 'समन्वय सिद्‌धांत' अनेक सिद्‌धांतों का मिश्रित रुप है। इस सिद्‌धांत में सब से आपत्ति जनक बात यह है कि यह सिद्‌धांत जिन सिद्‌धांतों पर आधारीत है वे सभी सिद्‌धांत इस बात को मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य 'मूक' था इस मान्यता को किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता अत: समन्वय सिद्‌धांत मान्य नहीं हो सकता।

2) सभी सिद्‌धांतों का समन्वय कर देने पर भी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न पूर्ण रूप से हल नहीं हो सकता, एवं पूर्ण रूप से सुलझाया नहीं जा सकता। शेष, हजारों, लाखों शब्दों की समस्या वैसी ही बनी रहती है।

इस सिद्‌धांत के पक्ष के संबंध में कहा जा सकता है कि यह सिद्‌धांत एक व्यापक सिद्‌धांत है। इससे भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश न पड़कर भाषा में प्रयुक्त शब्दों का विकास स्पष्ट होता है। अन्य सिद्‌धांतों की अपेक्षा यह अधिक तर्क संगत एवं उपयोगी है, अत: 'स्वीट' का समन्वयवाद भाषा की उत्पत्ति को जानने की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण सिद्‌धांत है।

1.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न।

अ) निम्नलिखित वाक्यों के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1) भाषा शब्द संस्कृत के .... धातु से बना है।

क) भास्   ख) भाषा   ग) भाष्   घ) लोच्

2) भाषा शब्द .... भाषा की भाष् धातु से बना है।

क) अंग्रेजी   ख) कन्नड   ग) पालि   घ) संस्कृत

3) भाष् धातु का अर्थ है, ... या कहना ।

क) सुनना   ख) लिखना   ग) बोलना   घ) गाना

4) ''जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है, उसे भाषा कहते हैं'' .... ने कहा है।

क) पाणिनि   ख) पतंजलि   ग) भामह   घ) वामन

5) प्लेटो ने .... में विचार और भाषा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

क) सोफिस्ट   ख) सॉफिस्ट   ग) नाट्यशास्त्र   घ) तर्कशास्त्र

6) वेंद्रिए के अनुसार 'भाषा एक तरह का .... है।

क) दृश्य ख) संकेत ग) प्रतीक घ) सिद्धांत

7) भाषा मानव-उच्चारणावयवों से उच्चारित .... ध्वनि-प्रतीकों की व्यवस्था है।

क) स्वर ख) व्यंजन ग) मानक घ) यादृच्छिक

8) भाषा में प्रयुक्त ध्वनि-समष्टियाँ .... होती हैं।

क) सार्थक ख) निरर्थक ग) स्वाभाविक घ) तर्कपूर्ण

9) .... के अनुसार 'ध्वन्यात्मक' शब्दों द्वारा 'विचारों' को प्रकट करना ही भाषा है।

क) प्लेटो ख) स्वीट ग) वेन्द्रिय घ) सपीर

10) वस्तुत: भाषा की दृष्टि से .... प्रतीक सर्वश्रेष्ठ हैं।

क) कर्णग्राह्य ख) नेत्रग्राह्य ग) स्पर्शग्राह्य घ) संकेतग्राह्य

11) भाषा वक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुँचाती है, अर्थात वह .... का साधन है।

क) उच्चारण ख) विचार-विनिमय ग) ध्वनि-प्रतीकों घ) शब्द परिवर्तन

12) .... का अर्थ है, 'जैसी इच्छा हो' या 'माना हुआ' ।

क) सृजनात्मक ख) यादृच्छिक ग) अंतरणता घ) द्वैतता

13) भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के .... से नि:सृत ध्वनि समष्टि होती है।

क) उच्चारण अवयवोंख) मन ग) मस्तिष्क घ) कान

14) मानव-भाषा .... नहीं होती है।

क) परिवर्तनशील ख) अनुवंशिक ग) अर्जित संपत्ति घ) सामाजिक वस्तु

15) भाषा .... संपत्ति नहीं है।

क) अर्जित ख) चल ग) अचल घ) पैतृक

16) भाषा .... संपत्ति है।

क) अर्जित ख) पैतृक ग) चल घ) अचल

17) भाषा का कोई .... स्वरूप नहीं होता।

क) स्थायी ख) अस्थायी ग) अंतिम घ) चिरंतन

18) भाषा .... से सीखी जाती है।

क) अनुकरण ख) गाने ग) देखने घ) नाचने

19) भाषा आद्यंत .... वस्तु है।

अ) अर्जित ख) सामाजिक ग) पैतृक घ) धार्मिक

20) भारतीय पंडित .... को अपौरुषय मानते हैं।

क) वेदों ख) रामायण ग) महाभारत घ) गीता

21) संस्कृत भाषा के व्याकरण के मूलाधार .... के 14 सूत्र शिव के डमरु से निकले, ऐसा माना जाता है।

क) प्लेटो ख) पाणिनि ग) वामन घ) विश्वनाथ

22) .... को देवभाषा कहा जाता है।

क) पालि ख) प्राकृत ग) संस्कृत घ) अंग्रेजी

23) भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में .... सिद्धांत सबसे प्राचीन है।

क) दैवी उत्पत्ति ख) अनुकरण ग) संपर्क घ) समन्वय

24) अनुकरण सिद्धांत का विरोध .... ने किया।

क) रेणन ख) मेनन ग) रुसो घ) हेस

25) धातु सिद्धांत को .... भी कहते हैं।

क) डिंग-डाँग वाद ख) समन्वय सिद्धांत ग) संपर्क सिद्धांत घ) अनुकरण सिद्धांत

26) अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत .... उपसिद्धांत रखे जाते हैं।

क) दो ख) तीन ग) चार घ) पाँच

27) श्रमपरिहार सिद्धांत का प्रतिपादन .... ने किया है।

क) लुडविग न्यायार ख) प्रो. हेस ग) स्वीट घ) प्लेटो

28) समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन .... ने किया है।

क) स्वीट ख) प्रो. हेस ग) प्रा. जी. रेवेज घ) मैक्समूलर

आ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए।

1) 'भाष्' धातु का अर्थ क्या है?

2) प्लेटो ने भाषा संबंधी अपने विचार कौन से ग्रंथ में व्यक्त किए हैं?

3) 'ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है' ऐसा किसने कहा है ?

4) भाषा की दृष्टि से कौन-सा प्रतीक सर्वश्रेष्ठ है ?

5) कौनसे सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है?

6) कौनसी भाषा को देवभाषा कहते हैं?

7) बौद्ध लोग कौन-सी भाषा को मूल भाषा मानते हैं ?

8) जैन लोग कौन-सी भाषा को मूल भाषा मानते हैं?

9) धातु सिद्धांत की ओर प्रथमत: कौन से विद्वान ने संकेत किया था ?

10) धातु सिद्धांत को कौन से विद्वान ने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है?

11) धातु सिद्धांत को कौन से विद्वान ने मुद्रित रूप में विद्वानों के सामने रखा ?

12) अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत कौन-से तीन उपसिद्धांत का समावेश है?

13) किसने सभी चीजों को प्रकृति प्रदत्त माना है ?

14) समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है ?

15) श्रमपरिहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है ?

16) मनोभावाभिव्यंजकवाद को पूह-पूह वाद किसने कहा?

1.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ :

धातु - क्रिया का मूल रूप, क्रिया जिस ध्वनिसमुदाय से बनी है।

बपौती - पैतृक

व्यवहृत - व्यवहार में लाया गया, प्रचलित

बेकोस (bekos) - रोटी

अर्जित - अर्जन करना, सीखना

यादृच्छिक - इच्छा के अनुसार, माना हुआ

मानक - परिनिष्ठित, Standard

आत्माभिव्यक्ति - स्वयं को अभिव्यक्त करना

चेष्टा - प्रयत्न, प्रयास, कोशिश

गूँगा - मूक व्यक्ति, जो बोल नहीं सकता

सीमित -मर्यादित

प्रणाली - पद्धति

निसृत - निकलनेवाली, व्यक्त

सार्थक - अर्थपूर्ण

प्रेषणीय - संप्रेषण योग्य

पैतृक संपत्ति - पिता की संपत्ति अनायास जब पुत्र को मिलती है, उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है।

बपौती - बाप-दादा से मिलने वाली संपत्ति

1.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर :

1) भाष्	2) संस्कृत	3) बोलना
4) पतंजलि	5) सोफिस्ट	6) संकेत
7) यादृच्छिक	8) सार्थक	9) स्वीट
10) कर्णग्राह्य	11) विचार-विनिमय	12) यादृच्छिक
13) उच्चारणावयवों	14) अनुवंशिक	15) पैतृक
16) अर्जित	17) अंतिम	18) अनुकरण
19) सामाजिक	20) वेदों	21) पाणिनि
22) संस्कृत	23) दैवी उत्पत्ति	24) रेणन
25) डिंग-डाँग वाद	26) तीन	27) लुडविग न्यायार
28) स्वीट		

आ) 1) 'भाष्' धातु का अर्थ बोलना या कहना है।

2) प्लेटो ने भाषा संबंधी विचार अपने सोफिस्ट ग्रंथ में व्यक्त किए हैं।

3) 'ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को व्यक्त करना ही भाषा है' ऐसा प्लेटो ने कहा है।

4) भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह्य प्रतीक सर्वश्रेष्ठ हैं।

5) 'दैवी उत्पत्ति सिद्धांत' के अनुसार भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है।

6) संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं।

7) बौद्ध लोग 'पालि' भाषा को मूल भाषा मानते हैं।

8) जैन लोन 'अर्धमागधी' भाषा को मूल भाषा मानते हैं।

9) 'धातु सिद्धांत' की ओर प्रथमत: 'प्लेटो' ने संकेत किया था।

10) 'धातु सिद्धांत' को जर्मन प्रोफेसर हेस ने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है।

11) धातु सिद्धांत को प्रोफेसर हेस के शिष्य डॉ. स्टाइन्थाल ने मुद्रित रूप में - विद्वानों के सामने रखा।

12) अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत ध्वन्यात्मक अनुकरण, अनुरणात्मक अनुकरण और दृश्यात्मक अनुकरण इन तीन उपसिद्धांतों का समावेश है।

13) प्लेटो ने सभी चीजों को प्रकृति प्रदत्त माना है।

14) समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन 'स्वीट' ने किया है।

15) श्रमपरिहार सिद्धांत का प्रतिपादन लुडविग न्यायार ने किया है।

16) मनोभाविभिव्यंजक वाद को मैक्समूलर ने पूह-पूह वाद कहा है।

1.7 सारांश :

1) मनुष्य के विचार-विनिमय के तीन प्रमुख साधन हैं - स्पर्श-ग्राह्य, नेत्र-ग्राह्य और श्रवण-ग्राह्य। भाषा की दृष्टि से श्रवण-ग्राह्य प्रतीक ही सर्व श्रेष्ठ हैं।

2) अपने व्यापकतम रुप से भाषा वह साधन है, जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।

3) 'भाषा' शब्द को हम संकीर्ण अथवा संकुचित अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से 'भाषा' पर विचार करते समय हम उन सब संकेतों और संकेतजन्य अभिव्यक्तियों को ग्रहण नहीं करते, जो मनुष्य की वागिंद्रियों से न निकली हो।

4) भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा उसे कहते हैं, जो बोली और सुनी जाती है और बोलना भी पशु-पक्षियों का नहीं, गूँगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकनेवाले मनुष्यों का होता है ।

5) भाषा को परिभाषित करने की कोशिश अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने की है। लेकिन इनमें से कोई भी परिभाषा परिपूर्ण नहीं है। केवल डॉ. भोलानाथ तिवारी की परिभाषा अधिक व्यापक है।

6) अलग-अलग जन समुदायों की भाषाएँ अलग-अलग होती हैं, किंतु कुछ ऐसे सामान्य तत्त्व

हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें भाषा की विशेषताएँ कहा जाता है। ये विशेषताएँ किसी एक भाषा पर लागू न होकर सभी भाषाओं पर लागू होती हैं। ये इस प्रकार है। (1) भाषा पैतृतक संपत्ति नहीं है। (2) वह अर्जित संपत्ति है। (3) भाषा आद्यन्त सामाजिक वस्तु है। (4) भाषा चिरपरिवर्तनशील है। (5) उसका अर्जन अनुकरणद्वारा होता है। (6) भाषा का एक स्थिर व मानक रूप होता है। (7) भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। (8) वह परंपरागत वस्तु है। (9) वह सामाजिक दृष्टि से स्तरित वस्तु है। (10) भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। (11) उसकी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। (12) प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। (13) भाषा की धारा कठिणता से सरलता की ओर जाती है। (14) भाषा स्थूलता से सुक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। (15) वह संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है आदि।

7) भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने प्रत्यक्ष मार्ग के रूप में बारह और परोक्ष मार्ग तीन ऐसे कूल पंद्रह सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वे केवल अनुमान पर ही आधारित हैं। विद्वानों ने उत्पत्ति की संभावना के संबंध में अनुमान किया है और उसे ही सिद्धांत का नाम दे दिया है। प्रचलित सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति को जानने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से 'समन्वय सिद्धांत' महत्त्वपूर्ण है।

1.8 स्वाध्याय :

अ) दीर्घोत्तरी प्रश्न

1) भाषा की परिभाषा देकर भाषा की विशेषताओं का विवेचन कीजिए।

2) भाषा की विशषषताओं को स्पष्ट कीजिए।

3) भाषा उत्पत्ति के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत का विवेचन कीजिए।

4) भाषा उत्पत्ति के धातु सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत पर प्रकाश डालिए।

5) भाषा उत्पत्ति के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत और धातु सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।

6) भाषा उत्पत्ति के अनुकरण सिद्धांत और श्रमपरिहार सिद्धांत का विवेचन कीजिए।

7) भाषा उत्पत्ति के मनोभावाभिव्यंजक सिद्धांत और समन्वय सिद्धांत का विवेचन कीजिए।

आ) टिप्पणियाँ।

1) दैवी उत्पत्ति सिद्धांत

2) धातु सिद्धांत

3) अनुकरण सिद्धांत

4) श्रमपरिहार सिद्धांत

5) मनोभावाभिव्यंजक सिद्धांत

6) समन्वित (समन्वय) सिद्धांत

7) भाषा की परिभाषा

1.9 क्षेत्रीय कार्य :

1) भाषा की भारतीय एवं पाश्चात्य परिभाषाओं का अलग-अलग संकलन कीजिए।

2) भारतीय एवं पाश्चात्य भाषावैज्ञानिकों के नामों की सूची तैयार कीजिए।

3) समाज के भिन्न-भिन्न स्तरों के भाषकों की भाषा का निरीक्षण कर भाषा-स्तर भेद की सूची तैयार कीजिए।

4) बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया का निरीक्षण कीजिए।

5) पाठ्यक्रम में निर्धारित भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य सिद्धांतों का भी अध्ययन कीजिए।

1.10 अतिरिक्त अध्यय के लिए।

1) भाषा विज्ञान : डॉ. भोलानाथ तिवारी

2) भाषा विज्ञान के सिद्धांत और हिंदी भाषा : डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना

3) भाषा विज्ञान : डॉ. सुधाकर कलावडे

4) हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान : डॉ. ज्ञानराज गायकवाड

5) भाषा विज्ञान की भूमिका : डॉ. देवेंद्रनाथ शर्मा

6) हिंदी भाषा और विज्ञान : डॉ. अशोक के. शाह 'प्रतीक' प्रथम संस्करण : २००८

7) भाषा विज्ञान : डॉ. हणमंतराव पाटील

8) भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र : डॉ. कपिलदेव द्विवेदी

9) भाषा और भाषा विज्ञान : डॉ. तेजपाल चौधरी

10) भाषा विज्ञान के तत्त्व : डॉ. राजनारायण मौर्य

❖❖❖

इकाई – 2

1) भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण।
2) भाषा के विविध रूप : बोली और परिनिष्ठित भाषा।
3) बोलियों के बनने के कारण।
4) बोली और भाषा में अंतर ।

2.1 उद्देश्य।

2.2 प्रस्तावना।

2.3 विषय विवेचन।

2.3.1 भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण।

2.3.1.1 आंतरिक या अभ्यंतर कारण।

2.3.1.2 बाहरी या बाह्य कारण।

2.3.2 भाषा के विविध रूप।

2.3.2.1 बोली।

2.3.2.2 परिनिष्ठित भाषा।

2.3.3 बोलियों के बनने के कारण।

2.3.4 बोली और भाषा में अंतर।

2.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न।

2.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ।

2.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर।

2.7 सारांश।

2.8 स्वाध्याय।

2.9 क्षेत्रीय कार्य।

2.10 अतिरिक्त अध्ययन।

2.1 उद्‌देश्य :

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

1. भाषा की परिवर्तनशीलता से परिचित होंगे।
2. भाषा परिवर्तन (विकास) के आंतरिक और बाह्य कारण जान सकेंगे।
3. भाषा के मूलाधार तत्त्वों से परिचित होंगे।
4. भाषा के बोली और परिनिष्ठित भाषा इन रुपों से अवगत होंगे।
5. बोलियों के बनने के कारणों को समझ सकेंगे।

6 भाषा और बोली के अंतर से अवगत होंगे।

2.2 प्रस्तावना :

जीवित भाषा का यह अनिवार्य लक्षण है कि वह हमेशा परिवर्तनशील होती है। यह बात सही है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है और अर्जित संपति होने के कारण वह परंपरागत भी है। पर इसके साथ यह भी तथ्य कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि अपनी ऐतिहासिक सीमा के भीतर वह निरंतर प्रवाहमान रहती है। यह कारण है कि किसी जीवित भाषा का अपना कोई अंतिम या पूर्ण रूप नहीं होता। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक जीवित भाषा का अपना प्रयोक्ता होता है, जो मातृभाषा के रूप में उसका प्रयोग करता है। जिस भाषा का अपना कोई मातृभाषाभाषी वर्ग नहीं होता, वह न तो परिवर्तनशील होती है, और न ही जीवित। ऐसी भाषाओं का अपना अंतिम स्वरूप हो सकता है। उसके बारे में यह निर्देश देना संभव है कि उसका व्याकरण या उसकी संरचना अपरिवर्तनशील होती है। पर जिस भाषा का मातृभाषाभाषी समुदाय होता है वह भाषा 'भूत' और 'भविष्य' दोनों के दबाव से प्रभावित होती है, क्योंकि भाषा प्रयोक्ता एक ओर परंपरा से भाषा का अर्जन करता है और दूसरी तरफ सामाजिक वस्तु के रुप में उस भाषा में परिवर्तन का कारण भी बनता है। वास्तव में भाषा की चिरपरिवर्तनशीलता भाषा का विकास है। उसके पाँचो ही अंगो - ध्वनि, शब्द, रुप, अर्थ और वाक्य में यह परिवर्तन होता है। भाषा विद्वानों ने भाषा के अलग-अलग आधारों पर विभिन्न रुप स्वीकार किए हैं, परन्तु यहाँ हम केवल 'बोली' और 'परिनिष्ठित भाषा' इन्हीं दो महत्त्वपूर्ण रूपों का ही परिचय कर लेंगे। अत: हम भाषा परिवर्तनशीलता के क्या कारण है? भाषा के विविध रुप कौनसे हैं? बोली और परिनिष्ठित भाषा का क्या मतलब है? तथा उनमें क्या अंतर है? आदि प्रश्नों के संदर्भ में इस इकाई में अध्ययन करेंगे।

2.3 विषय विवेचन :

भाषा चिरपरिवर्तनशील होती है। समाजविकास के साथ उसका भी विकास होता है। यह विकास भाषा के सारे अंगों-ध्वनि शब्द, अर्थ, रूप, वाक्य में होता है। इसके कई कारण हैं, यहाँ हम भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण और भाषा के विविध रूपों का क्रमश: अध्ययन करेंगे।

2.3.1 भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण :

भाषा की परिवर्तनशीलता का मतलब ही भाषा विकास है। परिवर्तन यह सृष्टि का नियम है। यहाँ की हर वस्तु परिवर्तित होती है। भाषा भी उसे अपवाद नहीं है। भाषा का प्रयोक्ता और समाज परिवर्तित होता रहता है और उनके साथ-साथ भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। भाषा के इस परिवर्तन को 'विकार' विकृति या 'विकास' आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। भाषा का परिवर्तन ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ इन पाँचों ही अंगो में होता है, जिन्हें हम क्रमश: ध्वनि-परिवर्तन, शब्द-परिवर्तन रुप परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन तथा अर्थ-परिवर्तन कहते हैं।

भाषा परिवर्तन या विकास पर बहुत पहले से किसी-न-किसी प्रकार से विचार हो रहा है। शब्दशास्त्र पर विचार प्रकट करनेवाले भारतीय आचार्यों में कात्यायन, पतंजलि, कैयट तथा काशिकाकार जयादित्य और वामन ये नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं। यूरोप में इस विषय पर गंभीरता से और व्यवस्थित रुप से विचार प्रकट करनेवाले प्रथम व्यक्ति डैनिश विद्‌वान जे. एच्. ब्रेडसडॉर्फ हैं । इन्होंने ध्वनि परिवर्तन पर विचार करते समय भाषा परिवर्तन के कारण भी गिनाये थे। साथ-ही पाल, येस्पर्सन आदि विद्‌वानों ने भी भाषा परिवर्तन के कारणों को मुख्यत: दो वर्गों मे विभाजित किया है-

1) आंतरिक या अभ्यंतर कारण, 2) बाहरी या बाह्य कारण

2.3.1.1 आंतरिक या अभ्यंतर कारण :

परिवर्तन के कुछ कारण तो स्वयं भाषा में ही विद्‌यमान रहते हैं, जिन्हे 'अंतर्निहित' या 'अभ्यंतर' या भीतरी कारण भी कहा जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत भाषा की अपनी स्वाभाविक गति के साथ-साथ अन्य कारण भी सम्मिलित होते हैं, जो प्रयोक्ता की शारीरिक क्षमता, अनुकरण की क्षमता, उच्चारण की प्रक्रिया, मानसिक स्तर, अर्थबोध की योग्यता आदि संबंधि स्थिति से संबंध रखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो कारण भाषा की प्रकृति या स्वरूप से सम्बद्‌ध हैं, उन्हें 'आंतरिक' या 'अभ्यंतर' कहा जा सकता है। इस वर्ग के अंतर्गत आनेवाले कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं -

1) प्रयत्न-लाघव :

भाषा में परिवर्तन करने वाले अभ्यंतर कारणों में से प्रयत्न लाघव को सब से महत्त्वपूर्ण माना जाता है। प्रयत्न लाघव का सीधा अर्थ है - 'श्रम की अल्पता' या 'मुख-सुख'। अर्थात अधिक श्रम न करना तथा कम-से-कम श्रम से अधिक-से-अधिक लाभ उठाना। मनुष्य की यह सहज प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति उसके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। काम पर देर से पहूँचने के बहुत से उदाहरण मिलते हैं, लेकिन काम खत्म करने में समय निष्ठा का बडी तत्परता से पालन किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य हमेशा यह चाहता है कि, अल्प श्रम में अधिक-से-अधिक लाभ हो। यही भावना भाषा के प्रयोग में भी काम करती है। और इसी कारण भाषा में बहुत हेर-फेर होता है। प्रयत्न लाघव में शब्दों को सरल बनाया जाता है, या सरलता के लिए कभी बड़ा, कभी छोटा बनाया जाता है। कभी-कभी कठिन संयुक्त व्यंजनों आदि

को सरल किया जाता है, जैसे कृष्ण का कन्हैया, कान्हा का किशन, भक्त का भगत, स्टेशन का टेसन, धर्म का धरम आदि सरल करके बोलने के प्रयास के फल है। अंग्रेजी में 'क्नो' (know) का उच्चारण 'नो' क्नाइफ (knife) का नाईफ, टाल्क (Talk) का टाक तथा एन.सी.सी., यू.एन.ओ. यु.एस.ए., यू.के. आदि संक्षिप्त रुप प्रयत्न लाघव के ही उदाहरण हैं।

भाषा में प्रयत्न लाघव या मुख-सुख कई प्रकार से लाया जाता है, जिनमें स्वर-लोप (जैसे अनाज से नाज, एकादश से ग्यारह), व्यंजन-लोप (जैसे स्थाली से थाली, जेष्ठ से जेठ, स्थल से थल, दुग्ध से दूध) आदि इसी का परिणाम है। स्वरागम (स्काऊट से इस्काउट, कर्म से करम, धर्म से धरम), व्यंजनागम (अस्थि से हड्डी) तथा कुछ अन्य (वधू से बहू) आदि सभी उदाहरण प्रयत्न लाघव के ही हैं कभी कभार सरलता के लिए कुछ शब्द छोटे कर लिए जाते हैं; जैसे उपाध्याय से ओझा और फिर केवल झा, पंडित जी से पंडी जी आदि। व्याकरण के संक्षेप चिन्ह का प्रयोग प्रयत्न लाघव की दृष्टि से ही किया जाता है।

2) बल (बलाघात) :

भाषा परिवर्तन में बल कई प्रकार से काम करता है। ध्वनि के क्षेत्र में प्राय: ऐसा होता है कि जिस ध्वनि या अक्षर पर बलाघात होता है, वह तो स्पष्ट और पूरी तरह उच्चारित होता है, किंतु आसपास की ध्वनियों पर बल कम हो जाता है, अत: कभी तो वह ह्स्व हो जाती है, कभी अस्पष्ट और अंतत: कभी-कभी लुप्त भी हो जाती है। जो लोग बाजार, साहित्य, बारुद जैसे शब्दों में जा, हि, रू के उच्चारण पर अधिक बल देते हैं, उनके उच्चारण में यह शब्द क्रमश: बजार, सहित्य, बरुद हो जाते हैं। 'अभ्यंतर' से 'भीतर' के विकास में 'अ' का लोप; 'भ्यं' पर बल पडने से ही हुआ है।

3) अज्ञान / अशिक्षा :

बोलने वालों का अज्ञान भी कई रुपों में भाषा को प्रभावित करता है। विदेशी शब्दों का उच्चारण कुछ का कुछ हो जाता है। हर व्यक्ति उन शब्दों का ठीक उच्चारण तो जानता नहीं, अत: शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे-कलेक्टर का कलट्टर, टाईम का टेम या टैम, डझन का दर्जन, आगस्त का अगस्त, ट्रेझरी का तिजोरी आदि शब्द इसी का परिणाम है। तथा ईराणी शब्द 'हिन्दीक' (हिंदी) का परिवर्तन होते होते इंदिका, इंदिया, इंडिया हो गया। वस्तुत: इस प्रकार के परिवर्तन का आधार अनुकरण की अपूर्णता है किंतु अनुकरण की अपूर्णता भी वही होती है, जहाँ अज्ञान होता है। भाषा में अनपढ़ या अशिक्षित लोगों द्वारा मनसा, वाचा, कर्मना से पांडित्य सौंदर्यता जैसे शब्दों का प्रयोग भी अज्ञान-जनिक ही माना जाता है।

4) जान-बूझकर परिवर्तन :

कुछ वक्ता या भाषा-प्रयोक्ता, किसी शब्द को भाषा विशेष के अनुरूप या अपनी अभिव्यक्ति को वैयक्तिकता देने के लिए भाषा में विभिन्न स्तरों पर जान-बुझकर परिवर्तन कर देते हैं। मैक्स मूलर संस्कृत के प्रसंग में अपने आप को 'मोक्षमूलर' कहा करते थे। जयशंकर प्रसाद ने 'अलैक्जेंडर' का 'अलक्षेंद्र' कर दिया है। भाषा में यह परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है। कभी-कभी उपयुक्त शब्द न मिलने पर लोग जान-बूझकर

किसी मिलते-जुलते शब्द का नए अर्थ में प्रयोग कर देते हैं। जैसे - Tragedy का त्रासदी, Comedy का कामदी, Academy का अकादमी, Nitrogen का नेत्रजन आदि परिवर्तन जान-बूझकर किए गए परिवर्तन हैं। ये परिवर्तन प्राय: शब्दों की ध्वनियों में किए जाते हैं। कभी-कभी वाक्य में भी जान-बूझकर किए गए परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। रूपों में भी नए-नए प्रयोग होते दिखाई देते हैं। स्वीकारना, नकारना, बतियाना आदि क्रिया रूप इसी प्रवृत्ति के परिणाम हैं। हिंदी में मात्र शब्द का प्रयोग पहले शब्दों के बाद होता था, अब पहले किया जाने लगा है; जैसे कि 'विरोध मात्र' का 'मात्र विरोध'।

5) **सहज विकास (स्वयंभू परिवर्तन) :**

प्रयोग होते-होते हर वस्तु परिवर्तित होती है। यह प्रक्रिया अत्यंत सहज है। इसी कारण उपर्युक्त कारणों में से किसी के भी न होने पर भी भाषा विकसित या परिवर्तित होती रहती है। इसे 'स्वयंभू' परिवर्तन भी कहते हैं। यह परिवर्तन ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ सभी में होते रहते हैं। बहुत प्रयोग से शब्दों की आर्थिक शक्ति क्षीण हो जाती है। और अतिरिक्त शब्दों की आवश्यकता पडती है। कभी एक बार 'बढ़िया' शब्द पर्याप्त था। अब 'बहुत बढ़िया' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह 'अति परिचय से अवज्ञा' वाली बात है। इसीलिए कलाकार पुराणे घिसे-पिटे शब्दों को छोडकर; या तो पुराणे साहित्य से शब्द लेते हैं या कभी-कभी नए शब्द गढ़ लेते हैं। सत्य का सच, गर्दभ का गधा, महिषी का भैंस जैसे उदाहरणों में कुछ परिवर्तन तो सकारण है तथा कुछ परिवर्तन इस प्रकार के सहज या स्वयंभू हैं।

6) **सादृश्य :**

यह कारण आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी। किसी दूसरी भाषा के सादृश्य पर परिवर्तन बाह्य कारण है, तो भाषा में किसी एक शब्द के आधार पर दूसरे में परिवर्तन आंतरिक कारण है। एक ही भाषा भाषी जब दूसरी भाषा सीखकर बोलता या लिखता है तो प्राय: उसकी मातृभाषा उसकी नवभाषा अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। जैसे शहर से शहराती (देहाती का सादृश्य) आधा से अधूरा (पूरा का सादृश्य), कर से करा (पढ़ा, लिखा, बोला, चला आदि का सादृश्य) पर आधारित है।

ध्वनि के क्षेत्र में भी सादृश्य के कारण परिवर्तन होते हैं। यहाँ सादृश्य कभी-कभी लौकिक व्युत्पति के रूप में काम करता है। 'रायबरेली' से सादृश्य देख कर बहुत से अनपढ़ लोग लायब्रेरी को 'लायबरेली' कहते हैं। ऐसे ही स्वर्ग के सादृश्य पर नरक को लोग 'नर्क' कहते हैं। कबीर ने निर्गुण के आधार पर सगुण का सर्गुण और पिंगला के आधारपर इडा का 'इंगला' कर दिया है। दु:ख के सादृश्य पर आधारित प्राचीन साहित्य में 'सुक्ख' शब्द मिलता है। संस्कृत में मूल शब्द 'एकदशा' था, लेकिन द्वादश के सादृश्य पर एकादश हो गया। इस प्रकार सादृश्य के कारण भाषा में परिवर्तन होता है।

7) **भावातिरेक :**

मनुष्य एक समाजशील प्राणी है। समाज में रहते समय वह हमेशा अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है। विचारों के साथ उनमें भावुकता भी दिखाई देती है। इसी कारण अपना जीवन यापन करते समय

विशेष परिस्थिति में वह भावुक होता है। इसी कारण इसे 'भावावेश' भी कहा जाता है। भावातिरेक या भावावेश की यह स्थिति उसके द्‌वारा प्रयुक्त भाषा पर प्रभाव निर्माण करती है, जिससे भाषा में परिवर्तन होता है। मनुष्य में प्रेम, क्रोध, शोक, भय, जुगुप्सा, विस्मय आदि भावों के अतिरेक (अधिक्य) से शब्दों का रुप बदल जाता है। जैसे बाबू का बबुआ, बच्चा का बचवा, राजा का राजू या बेटी का बिटिया आदि रुपांतर भावातिरेक या भावावेश के कारण ही हो जाते हैं।

8) **मानसिक स्तर :**

मनुष्य जिस समाज में रहता है, उस समाज के भी अलग-अलग स्तर हमें दिखाई देते हैं। इस सामाजिक स्तर की तरह मनुष्य के विभिन्न मानसिक स्तर भी होते हैं। इसी मानसिक स्तर की विभिन्नता का प्रभाव उसके द्‌वारा प्रयुक्त भाषा पर दिखाई देता है। बोलने वालों के मानसिक स्तर में परिवर्तन होने से विचारों में भी परिवर्तन होता है, तो उसे प्रयुक्त करने के ढंग में भी परिवर्तन होता है। स्वाभाविक रूप से उसका असर भाषा पर भी पडता है। जिस तरह सब की आकृति एक नहीं होती, उसी तरह प्रकृति भी एक जैसी नहीं होती। जैसे; कोई तीव्र बुद्‌धि का होता है तो कोई मंद बुद्‌धि का। इसी कारण भाषा पर मानसिक स्तर का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे भाषा परिवर्तित होती है।

9) **जातीय मनोवृत्ति :**

भाषा परिवर्तन के जैसे अन्य कारण बताएँ जाते हैं, उसी तरह कुछ विद्‌वानों ने जातीय मनोवृत्ति को भी एक कारण माना है। विद्‌वानों के मतानुसार प्रत्येक जाति की विशिष्ट मनोवृत्ति होती है। वह एक-दूसरे से भिन्न होती है। समाज में कोई जाति श्रेष्ठ कहलाई जाती है, तो कोई दूसरी जातियों से हीन। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी जातियों की सांस्कृतिक, बौद्‌धिक और साहित्यिक उपलब्धियाँ एक जैसी होती। काव्य, तत्वज्ञान, संगीत, कला आदि का समान विकास सभी जातियों में नहीं हुआ है। इसका कारण है जातियों की मनोवृत्ति या मानसिक अवस्था का भेद। यह मनोवृत्ति भाषा में भी अभिव्यक्त होती है। जो जाति जैसे रहती है, वैसे उनकी भाषा बन जाती है। जिन जातियों में कोमलता और स्निग्धता है, उनकी भाषा मधुर होती है और जिन जातियों में इन गुणों का अभाव होता है, उनकी भाषा कठोर होती है। जैसे, जर्मन जाति की कठोरता और सबलता का प्रमाण उनकी भाषा में प्रतिबिंबित है। इसी तरह फ्रांसीसियों की कोमलता और कलाप्रियता के कारण उनकी भाषा मधुर बन गई है।

कुछ विद्‌वान इस बात को नहीं मानते हैं कि जातीय मनोवृत्ति के कारण भाषा में परिवर्तन होता है। उनका तर्क है कि प्राकृतिक रुप से मनुष्य की मनोवृत्ति में कोई भेद नहीं होता है और न ही कोई जाति मानसिक दृष्टि से श्रेष्ठ होती है, न हीन। बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से किसी जाति की प्रगति होती है, किसी की नहीं। यही कारण है कि एक भाषा दो या अधिक जातियों में प्रचलित होकर भी वह दो या अधिक प्रकार से विकसित होती है।

10) **अधूरा अनुकरण :**

किन्हीं दो व्यक्तियों का शारीरिक संगठन एक जैसा नहीं होता। यही भिन्नता जैसे बाहर होती है, वैसे

ही भीतर भी होती है। किसी व्यक्ति की आवाज सुरीली होती है, किसी की कर्कश। आवाज की इस भिन्नता का कारण है, वागेंद्रियों की भिन्नता। इसी भिन्नता के कारण शब्दों के उच्चारण या अनुकरण में भिन्नता आ जाती है। इसलिए भाषा में परिवर्तन होता है। कुछ लोग दूसरों का अधूरा अनुकरण कर लेते हैं। शारीरिक भिन्नता, ध्यान की कमी तथा अज्ञान एवं अशिक्षा के कारण अनुकरण अधूरा रह जाता है। जैसे-रेल्वे गार्ड को 'गाड' और पोस्ट कार्ड को पोस्ट कारद कहते हैं। लॉर्ड साहब का 'लाटसाहब' रिपोर्ट का 'रपट', प्लाटून का 'पलटन' ये सभी अधूरे अनुकरण के उदाहरण हैं। इनमें ध्वनियों का सम्यक अनुकरण नहीं होता. जिससे भाषा में परिवर्तन होता है। अनुकरण की यह अपूर्णता क्रमश: एक पीढ़ी से दूसरी पिढ़ी में बढ़ती जाती है। इसी कारण कई पीढ़ियों के बाद भाषा में परिवर्तन दिखाई देने लगता है।

2.3.1.2 **बाहरी या बाह्य कारण :**

जो कारण भाषा को बाहर से प्रभावित करते हैं, उन्हें बाहरी या बाह्य कारण कहा जाता है। ये कारण वातावरण सापेक्ष होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत आनेवाले मुख्य कारण इस प्रकार हैं -

1) **भौगोलिक प्रभाव :**

भाषा किसी विशेष भू-भाग में बोली जाती है और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अनेक प्रकार से उसे प्रभावित करती हैं, या उसके विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके पक्ष में या विपक्ष में काम करती हैं। कोई प्रदेश आक्रमण करने योग्य या सांस्कृतिक, व्यापारिक, धार्मिक संपर्क स्थापित करने योग्य है या नहीं यह बहुत कुछ उसकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। उसकी संपन्नता-असंपन्नता उसी पर आधारित होती है और भाषा का भी इनसे काफी संबंध होता है। बाह्य संपर्क से भाषा सभी क्षेत्रों में अन्य भाषाओं से प्रभावित हो सकती है और भौगोलिक वातावरण के अनुसार ही किसी भाषा का शब्द-समूह निश्चित होता है। हिंदी की बोलियाँ कृषि विषयक शब्दावली से बहुत सम्पन्न हैं। इस के विपरित इंग्लैंड की भाषा में इस विषय की संपन्नता संभव नहीं है।

आर्य जब रेगिस्तानी भाषा से परिचित नहीं थे, तब उष्ट्र का प्रयोग विशेष प्रकार के भैंसे के लिए होता था, किंतु रेगिस्तानी से परिचित होने के बाद इसका अर्थ ऊँट हो गया। अंग्रेजी में 'कॉर्न' का सामान्य अर्थ गल्ला है, किंतु यह शब्द जब अंग्रेजों के साथ अमेरिका पहुँचा। वहाँ 'मक्का' की पैदावार विशेष होती थी। अब इस शब्द के अर्थ में थोडा परिवर्तन हुआ और 'कॉर्न' शब्द 'मक्का' का वाचक हो गया। मैदानी प्रदेशों में भाषा दूर-दूर तक एक ही रहती है, किंतु पहाडी भागों में आवागमन की असुविधा के कारण भाषा के छोटे-छोटे रूप विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार भाषा परिवर्तन में भौगोलिक प्रभाव कारण बन जाता है।

2) **ऐतिहासिक प्रभाव :**

इतिहास की घटनाएँ भी भाषा को प्रभावित करती हैं। जब मध्ययुगीन कालखंड में मुसलमान भारत में आए और बस गए; इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषाओं का शब्द-समूह बहुत परिवर्तित हो गया। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तों शब्दों की संख्या लगभग 6000 से अधिक है। इसी प्रकार युरोपियों

ने हमारे इतिहास को प्रभावित किया और उनके संपर्क से भाषाएँ भी प्रभावित हो गई। हिंदी में अंग्रेजी के लगभग 3000 से अधिक शब्द हैं। शब्द-समूह के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी यह प्रभाव पडता है। हिंदी ने इन्हीं ऐतिहासिक कारणों से क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ऑ इन छ: नई ध्वनियों को ग्रहण किया है। उसकी वाक्य रचना भी फारसी तथा अंग्रेजी से काफी प्रभावित है। फारसी ने तो एक सीमा तक रूप रचना को भी प्रभावित किया है। जैसे, मकान से मकानात, कागज से कागजात आदि। जब आर्य भारत में आए और द्रविड तथा मुंडा लोगों से उनका संपर्क हुआ, तब ध्वनि, रुप-रचना, शब्द-समूह, तथा वाक्य गठन के क्षेत्र में एक ओर संस्कृत तथा उससे विकसित भाषाएँ प्रभावित होकर परिवर्तित हुई और दूसरी ओर द्रविड तथा मुंडा भाषाएँ प्रभावित होकर परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकीं। इसी प्रकार इतिहास भी भाषा को प्रभावित करता है।

3) **सांस्कृतिक प्रभाव :**

दो भाषा-भाषियों में सांस्कृतिक संबंध के कारण भी उनकी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव प्राय: शब्द-भंडार के क्षेत्र में पडता है, जिससे भाषा का शब्द-समूह परिवर्तित होता है। समय-समय पर भारत का अरबी, चीनी, जापानी, ईरानी तथा पूर्वी एशिया के लोगों से सांस्कृतिक संबंध रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शब्दों का आना-जाना चलता रहा। सांस्कृतिक संबंधों में प्राय: वही भाषा अधिक प्रभावित करती है, जिसके बोलने वाले सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। यही कारण है कि उपर्युक्त लोगों की भाषाएँ संस्कृत को प्रभावित करने की तुलना में संस्कृत से अधिक प्रभावित हुई। इंदोनेशिया तथा मलेशिया आदि देशों में संस्कृत के अनेकानेक शब्द आज भी तद्‌भव रुप में प्रयुक्त हो रहे हैं।

सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही स्वयं भाषा-भाषियों की अपनी संस्कृति और सभ्यता भी समय के साथ बदलती रहती है। और भाषा भी उसके साथ परिवर्तन के पथ पर बढ़ती जाती है। खान-पान, खेल-कूद, चिकित्सा, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी इस प्रकार के अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिनका प्रभाव भाषा के शब्द-समूह पर पड़ा है। बहुत प्रयोग के बाद कुछ विशेष प्रकार के शब्द सभ्य और संस्कृत समाज के लिए अप्रयोग्य माने जाने लगते हैं। अंग्रेजी में 'लैट्रिन-युरिनल' के स्थान पर 'बाथरूम' शब्द आया, अब वह भी गया और 'ट्वायलेट' शब्द आया। आज इसका भी परिवर्तन होकर यह शब्द 'वाश-रुम' के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। वस्तुत: बोलने वालों की सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ उनकी भाषा का भी विकास होता है।

4) **साहित्यिक प्रभाव :**

साहित्यिक कारणों से भी भाषा में परिवर्तन होता है। छायावाद ने तत्कालीन साहित्यिक भाषा के शब्द-समूह को संस्कृतनिष्ठ बना दिया। बाद में प्रगतिवादी आंदोलन ने हिंदी भाषा को पुन: धरती की ओर मोडा और शब्द-समूह में संस्कृत शब्द कम होते गए तथा दैनिक जीवन में शब्दों का व्यवहार बढ़ता गया। यूरोपीय साहित्य के संपर्क ने सन् 1640 ई. के बाद हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को विशेषत: काव्य क्षेत्र को अधिक प्रभावित किया। प्रयोगवादी तथा नई कविता इसका प्रमाण है। नए प्रतीक, नई अभिव्यंजना,

भाव-भंगिमा ने भाषा को इतना प्रभावित किया है कि वह बहुत दिनों के लिए अबोधगम्य बन गई है। कुंठा, झेला हुआ यथार्थ, भोगा हुआ सत्य जैसे बहुत-से प्रयोगों की आवृत्ति बढ़ गई है। जापानी काव्य 'हायकू' के प्रभाव से भारतीय काव्य साहित्य में हायकू की प्रवृत्ति निर्माण हो रही है। छायावादी काव्य ने खडीबोली की रूक्षता को दूर करते हुए पेशलता और मधुरता को प्रतिष्ठित करने का और ब्रजभाषा के समकक्ष खडीबोली को काव्यभाषा बनाने का काम किया है।

5) **सामाजिक प्रभाव :**

समाज परिवर्तन भी भाषा को प्रभावित करता है। जापान के सामंती युग में आदर-अनादर आदि के आधार पर क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि के कई स्तरों के प्रयोग चलते थे। राजा के लिए प्रयुक्त भाषा या राजा द्वारा प्रयुक्त भाषा और ही होती थी। अब यह अंतर धीर-धीरे लुप्त हो रहा है। हिंदी प्रदेश में भी जहाँपनाह, अन्नदाता, हुजूर, सरकार आदि शब्दों का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता था। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने से अब ये बहुत कम हो गए हैं। सामाजिक परंपराओं के समाप्त होने से दंडवत, साष्टांग प्रणाम जैसे प्रयोगों का स्थान नमस्कार, नमस्ते लेते जा रहे हैं। वस्तुत: भाषा समाज में उत्पन्न हुई है और समाज में प्रयुक्त होती है। अत: समाज में परिवर्तन के साथ उसमें परिवर्तन सहज ही है। इसीलिए भाषा विज्ञान की समाज भाषा विज्ञान नामक एक नई शाखा विकसित हो गई है। जिसमें समाज और भाषा के संबंध तथा तद्नुरुप परिवर्तन आदि बातों पर गहराई से विचार किया जाता है।

6) **राजनीतिक प्रभाव :**

समाज में रहता हुआ मनुष्य उसमें घटित होनेवाली हर एक घटना से प्रभावित होता है। राजनीति के कारण शासन, समाज आदि में परिवर्तन के साथ-साथ भाषा में भी परिवर्तन होता है। प्राय: यह देखा गया है कि जब आक्रमणकारी किसी स्थान-विशेष पर आक्रमण करते हैं, तो उस स्थान-विशेष की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ-साथ भाषा को भी प्रभावित करते हैं। आक्रमणकारियों की भाषा से उस स्थान की भाषा प्रभावित होकर परिवर्तित होती है। आक्रमण के समय शब्दों का यह आदान-प्रदान एकांगी नहीं होता, तो दोनों भाषाएँ एक-दूसरे से प्रभावित होती है। भारत में संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के समय जब हुण आदि जातियों का भारत में आगमन हुआ और यहाँ की राज्य-सत्ता इनके हाथों में आ गई तब संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन होने लगा। उदा. धर्म, कर्म, हस्ति जैसे शब्द 'धम्म', 'कम्म', हस्थि इन रूपों में परिवर्तित हो गए। जब मुसलमान आक्रमणकारियों के हाथों में राज्य-सत्ता आई तो उनके कारण भी हिंदी भाषा में परिवर्तन हुआ। जैसे-चंद्र को 'चन्दर' प्रसाद को परसाद 'रत्न को रतन' यह परिवर्तन राजनीतिक प्रभाव का द्योतक है।

7) **धार्मिक प्रभाव :**

जब एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मानुयायियों के संपर्क में आते हैं तब उन दोनों में धार्मिक विचारों का आदान-प्रदान होता है। साथ में वे एक-दूसरे के धार्मिक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। इस प्रकार एक भाषा के द्वारा दूसरे भाषा-भाषियों के धार्मिक शब्दों को अपनाने के कारण उसमें परिवर्तन आ जाता

है। जब वैदिक धर्म मानने वाले आर्यों का संपर्क यूनानियों से हुआ, तो यूनान देश के लोगों ने वैदिक देवताओं के नाम ग्रहण किए; जैसे, 'देव' को 'थेओस' 'असुरमेघस', 'अहुरमज्द' कहा जाने लगा। इसी तरह संस्कृत के शब्दों को जब अवेस्ता भाषा ने ग्रहण किया तब 'असूर' का 'अहूर', 'सोम' का 'होम', 'सिन्धु' का 'हिन्दु' जैसे परिवर्तन आ गए। हिंदी भाषा इस्लाम, ईसाई धर्म प्रचारकों के संपर्क में आई तो हिंदी में 'अल्लाह', 'मस्जिद', गिरजा' शब्दों का समावेश हुआ। इस प्रकार धार्मिक प्रभाव के कारण भाषा में परिवर्तन आता है।

8) वैयक्तिक प्रभाव :

भाषा के विकास में समाज का तो महत्त्व है ही किंतु भाषा पर व्यक्ति का प्रभाव भी पड़ता है। कभी-कभी ऐसे युगपुरुष उत्पन्न होते हैं, जो अपने व्यक्तित्व से भाषा की गतिविधियों को बहुत दूर तक प्रभावित कर देते हैं। तुलसी ने अपनी रचनाओं में संस्कृत शब्दों का प्रयोग बहुत किया। जिसकी देखा-देखी तत्कालीन अन्य कई कवियों की शब्दावली संस्कृतनिष्ठ हो गई। हिंदी की हिंदुस्थानी शैली को स्पष्ट रूप से विकसित करने का श्रेय महात्मा गांधीजी को दिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज द्वारा ऐसी जागृति पैदा की थी कि, जहाँ-जहाँ आर्य समाज का प्रचार बढ़ता रहा, वहाँ संस्कृत ने सामान्य भाषा को प्रभावित किया। मुख्यत: शब्द-समूह के संदर्भ में, व्यक्ति नामों के क्षेत्र में ओमप्रकाश, ओमवती, वेदप्रकाश, वेद, वेदवृत्त जैसे नामों के बहुप्रचार का श्रेय उन्ही को दिया जाता है। सन् 1600 ई. से सन् 1620 ई. के बीच आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को अधिक प्रभावित किया। तत्त्वत: उसे अव्यवस्था के दलदल से निकाल कर व्यवस्था के मार्ग पर आसीन करने का श्रेय आचार्य द्विवेदी को ही दिया जाता है। इस प्रकार भाषा के विकास में महान व्यक्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

9) वैज्ञानिक प्रभाव :

विज्ञान की विविध शाखाओं ने विगत दो शताब्दियों से बहुत प्रगति की है, जिसके कारण असंख्य नई वस्तुओं और नए तत्त्वों का आविष्कार हुआ है। उन वस्तुओं और तत्त्वों के नामकरण की आवश्यकता से हजारों नए शब्द गढ़ने पडे हैं। जिनसे भाषा में परिवर्तन भी हुआ और वह अधिक समृद्ध हो गई है। यह वैज्ञानिक शब्दावली आधुनिक युग की और विज्ञान की देन है। विज्ञान ने मनुष्य को ही नहीं, बल्कि भाषा को भी रूपांतरीत कर दिया है। अत: भाषा संबंधी परिवर्तन के कारणों पर विचार करते समय विज्ञान की उपेक्षा उचित नहीं है। सामान्यत: जितने शब्द शताब्दियों से नहीं बन पाते, उतने वर्षों में बन गए हैं। अत: हिंदी भाषा ने भी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया है। जैसे- 'एटम' का 'परमाणु', 'कंपाउंड' का 'यौगिक', 'वेपर' का 'बाष्प' आदि।

अत: हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रभाव की मात्रा सदा एक ही नहीं होती; कभी वह लक्षित होती है और कभी अलक्षित भाव से भाषा को प्रभावित करती है किंतु वह भाषा को अवश्य प्रभावित करती

है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तत्काल वह परिवर्तन नहीं दिखाई देता किंतु समय पाकर वह भाषा परिवर्तन दिखाई पडता है। इस प्रकार भाषा परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य मुख्य प्रयोजक कारण है। जिनसे भाषा परिवर्तन (विकास) हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पडता है।

2.3.2 भाषा के विविध रुप :

- **प्रस्तावना :**

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में रहता है और सामाजिक संरचना के अनुसार वह अपने आपको ढालता रहता है। गाँव का रहनेवाला आदमी जब तक वहाँ रहता है, तब तक वहाँ के रंग-ढ़ंग का अनुकरण करता है और जब वही आदमी शहर जाता है, तब वही शहरी वातावरण से प्रभावित होकर वहाँ के अनुसार अपने आप को ढ़ाल लेता है। इसी तरह भाषा के विविध रुपों की कल्पना भी विभिन्न परिस्थितियों तथा परिवेशों में मनुष्य के द्वारा धारण किए गए उन्हीं रुपों से की जा सकती है। जैसे, एक ही आदमी पढ़ाते समय अध्यापक, गाना गाते समय गायक, गीत लिखते समय गीतकार, कविता करते समय कवि, खेत में काम करते समय कृषक, खेलते समय खिलाडी, नाव चलाते समय मल्लाह, रोगियों का उपचार करते समय डॉक्टर, इसी तरह नाई, धोबी, कहार, मोची, बनिया आदि नामों से जाना जाता है। उसी तरह हिंदी ने भी संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से गुजरने के पश्चात अपनी एक पहचान बना ली है। वह अपने गुणों एवं विशेषताओं के कारण अनेक नामों से जानी-पहचानी जाती है। संसार में भाषा के विविध रूप या विभिन्न प्रकार मुख्यत: निम्नांकित आधारों पर बनते हैं -

- **भाषा भेद के मूलाधार तत्त्व :**

भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा-भेद के जो मूलाधार तत्त्व बताए हैं, वे निम्न प्रकार हैं -

1) **इतिहास के आधार पर :**

इतिहास के आधार पर मूल भाषा (जैसे-भारोपीय), प्राचीन भाषा (जैसे-संस्कृत, ग्रीक आदि), मध्ययुगीन भाषा (जैसे-पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि) तथा आर्वाचीन या आधुनिक भाषा (जैसे-मराठी, हिंदी, अंग्रेजी) आदि भेदों का उल्लेख किया जाता है।

2) **भूगोल के आधार पर :**

व्यक्तिबोली, स्थानीय बोली, उपबोली, बोली भाषा, आदि रुपों का आधार भूगोल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शहरों की भाषा; जैसे कि बनारसी, विभिन्न क्षेत्रों की भाषा; जैसे कि ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि; किसी देश के विभिन्न प्रदेशों की भाषा; जैसे कि पंजाबी, गुजराती, बंगाली, असमी आदि; विभिन्न देशों की भाषा; जैसे कि चीनी, जपानी, अरबी, फ्रांसीसी आदि; इसी प्रकार द्वीप, तहसील, जिला तथा अन्य भौगोलिक इकाइयों के आधार पर भाषा के रूप हो सकते हैं।

3) **निर्माता के आधार पर :**

निर्माता के आधार पर भाषा के सहज भाषा, बोलचाल की भाषा (जैसे-मराठी, हिंदी, अंग्रेजी आदि

भाषाएँ) तथा कृत्रिम भाषा आदि भेद किए जाते हैं । (जैसे-एस्पेरैंतो या इडों आदि, जिसे एक या कई लोगों ने मिलकर कृत्रिम रूप से बनाया हो)। कृत्रिम भाषा के दो उपभेद हैं - सामान्य भाषा - (जैसे-एस्पेरैंतो) और गुप्त भाषा (चोरों, डाकुओं, दलालों, सेना, मित्र-मंडली की भाषा)।

4) प्रयोग के आधार पर :

प्रयोग के आधार पर भाषा के कई रूप होते हैं; जैसे - राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा, व्यावसायिक भाषा, जातीय भाषा, बोलचाल की भाषा आदि।

5) **मानकता या शुद्धता के आधार पर :**

मानकता या शुद्धता के आधार पर भाषा का विविध रूपों में विभाजन किया जाता है। जैसे - शुद्ध भाषा, अशुद्ध भाषा, मानक या परिनिष्ठित भाषा, अमानक भाषा, अपभाषा आदि।

6) **श्लीलता के आधार पर :**

श्लीलता के आधार पर भाषा के श्लील भाषा, अश्लील भाषा आदि रूप किए जाते हैं।

7) **प्रचलन के आधार पर :**

प्रचलन के आधार पर मृतभाषा, जीवित भाषा, प्रचलित भाषा, अप्रचलित भाषा, अल्पप्रचलित भाषा आदि रूपों में विभाजन किया जाता है।

8) **मिश्रण के आधार पर :**

मिश्रण के आधार पर मिश्रित भाषा और अमिश्रित भाषा ऐसे दो रूपों में विभाजन किया जाता है।

9) **बोधगम्यता के आधार पर :**

बोधगम्यता के आधार पर भाषा को चार रूपों में विभाजित किया जाता है। जैसे - क्लिष्ट भाषा, सरल भाषा, कुट भाषा, गुप्त भाषा आदि।

10) **श्रवण के आधार पर :**

श्रवण के आधार पर भाषा का मधुर भाषा और कर्कश भाषा तथा कर्ण कटु भाषा आदि रूपों में विभाजन किया जाता है।

11) **रचना के आधार पर :**

रचना के आधार पर भाषा का अयोगात्मक भाषा और संयोगात्मक भाषा इन दो रूपों में विभाजन किया जाता है।

इस प्रकार भिन्न भिन्न आधारों पर भाषा के विविध रूप देखने मिलते हैं, तथापि यहां केवल 'बोली'

और 'परिनिष्ठित भाषा' इन दो ही रूपों का सामान्य परिचय किया जा रहा है।

2.3.2.1 बोली (Dialect) :

बोली भाषा की लघुतम इकाई है। बोली शब्द की व्युत्पत्ति 'बोलना' धातु से हुई है। बोली शब्द अंग्रेजी Dialect (डायलेक्ट) का प्रतिशब्द है। भाषा विज्ञानविद बोली के लिए 'विभाषा' या 'उपभाषा' शब्द का भी प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति की भाषा को 'व्यक्तिबोली' कहा जाता है। इसी तरह बहुत-सी बोलियों का सामूहिक रूप 'उपबोली' या 'स्थानीय बोली' (Sub-Dialect or Local Dialect) कहलाता है। जिसे हम बोली कहते हैं, वह बहुत-सी मिलती-जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप है और बोलियों का मिलता-जुलता सामूहिक रूप 'भाषा' कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि, एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियाँ होती हैं। जैसे हिंदी के क्षेत्र में खडीबोली, अवधी, ब्रज आदि बोलियाँ हैं और एक बोली में कई उपबोलियाँ होती हैं। जैसे-बुन्देली बोली के अंतर्गत लोधान्ती, राठौरी तथा पँवारी आदि। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिक बोली के लिए 'विभाषा', 'उपभाषा' या 'प्रांतीय भाषा' शब्द का प्रयोग करते हैं।

बोली का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है तथा उसमें साहित्यिकता का अभाव होता है; इसी कारण 'भाषा विज्ञान कोश' में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है-

"Popular Speech, mainly that of the illiterate classes, Specially local dialect of the lower social status."

जिसका अर्थ है - ''निम्न सामाजिक स्तर के मुख्य रूप से अशिक्षित वर्गों द्वारा प्रयुक्त एक स्थान विशेष की भाषा को बोली कहते हैं।''

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार - ''बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरें आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रुपों से भिन्न होता है किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलनेवाले उसे समझ न सके। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरें आदि में बहुत स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती।'' इस परिभाषा द्वारा तिवारी जी ने भाषा आर बोली में विशेष अंतर नहीं किया है।

अत: हम कह सकते हैं कि ''एक भाषा के अंतर्गत जब अलग-अलग कई रूप विकसित हो जाते हैं, तो उन्हें 'बोली' कहा जाता है। भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग-भेद में जो अंतर पडता है, उसी के आधार पर बोलियों का निर्माण होता है। जब तक बोलियों को साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीति के कारण महत्त्व न प्राप्त हो या जब तक पडोसी बोलियों से उसे भिन्नता करनेवाली उसकी विशेषताएँ इतनी न विकसित हो जाए कि पडोसी बोलियों को बोलनेवाले उसे समझ न सके, तबतक कोई बोली 'भाषा' नहीं बन पाती। निष्कर्षत: बोली, भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम या मण्डल से होता है। इसमें व्यक्तिगत बोली

की प्रधानता रहती है और देशज शब्दों तथा ग्रामीण शब्दावली की प्रधानता होती है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसमें साहित्यिक रचनाओं का प्राय: अभाव रहता है। व्याकरण की दृष्टि से इनमें असाधुता होती है।

2.3.2.2 परिनिष्ठित भाषा (Standard Language) :

भाषा का आदर्श रुप वह है, जो एक विशाल समुदाय के विचार विनिमय का माध्यम बनता है, अर्थात उसका प्रयोग शासन, शिक्षा और साहित्यिक रचना के लिए होता है। भाषा के इस रूप को 'मानक', 'परिनिष्ठित', 'आदर्श', 'परिष्कृत', 'परिमार्जित', 'स्तरीय', 'टकसाली' और 'शुद्‌ध भाषा' आदि कई नामों से संबोधित किया जाता है। वास्तविक अंग्रेजी शब्द 'Standard' के प्रतिशब्द के रुप में 'मानक' शब्द के स्थिरीकरण के बाद 'Standard Language' के अनुवाद के रूप में 'मानक भाषा' शब्द का प्रयोग होने लगा। जैसे-आज हिंदी, अंग्रेजी, रुसी, फ्रांसीसी इस श्रेणी की भाषाएँ हैं।

भाषाविज्ञान कोश के अनुसार - ''किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, जो अन्य भाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है। और उन विभाषाओं को बोलनेवाले उस भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं।'' श्यामसुंदर दास के मतानुसार - ''कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट-परिगृहीत विभाषा ही (राष्ट्रीय भाषा अथवा टकसाली भाषा) कहलाती है।''

कोई भी भाषा पहले बोली के रूप में जन्म लेती है। उसका प्रारंभिक रूप काफी अनगढ़ होता है। उसका प्रयोग लोग अपने घर परिवार में करते हैं। बाद में सभ्यता के विकसित होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि भाषा क्षेत्र की कोई एक बोली मानक मान ली जाए और पूरे क्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए उसका ही प्रयोग हो, उस भाषा को 'परिनिष्ठित भाषा' कहा जाता है। जब एक बोली, मानक भाषा बनती है और प्रतिनिधि हो जाती है, तो आसपास की बोलियों पर उसका काफी प्रभाव पडता है। आज की खडी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी को प्रभावित किया है।

परिनिष्ठित भाषा विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त और व्याकरण से नियंत्रित होती है। वह पूरे क्षेत्र के शिक्षित लोगों की शिक्षा, समाचार-पत्र, पत्र-व्यवहार की भाषा होती है। पत्र-पत्रिकाएँ पाठ्य-पुस्तकों में भी इसी भाषा का प्रयोग होता है। इसके अलावा साहित्यिक गोष्ठियाँ, राजनीति, चुनाव-प्रचारों, सामाजिक परिसंवादों में भी मानक-भाषा में विचार विनिमय होता है। सिनेमा, दूरदर्शन, रेडियो आदि में भी इस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग होता है। न्यायालय, शासन व्यवस्था, साहित्य में भी इसी भाषा को उपयोग में लाया जाता है।

मानक भाषा का रूप पूरे क्षेत्र में एक ही नहीं होता प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव भी उस पर पडता है। यह प्रभाव व्याकरण, शब्द-समूह और उच्चारण पर भी दिखाई देता है। भाजेपुरी लोग 'दिखाई दे रहा है' के स्थान पर 'लौक रहा है' 'हमने काम किया' के स्थान पर 'हम काम किये' का प्रयोग करते हैं। मानक भाषा के प्रादेशिक रूपों के अतिरिक्त लिखित और मौखिक ऐसे दो रूप होते हैं। सभी मौखिक भाषाएँ अपने

लिखित रूप से प्राय: भिन्न होती हैं। मौखिक रूप स्वाभाविक होता है, तो लिखित रूप कृत्रिम होता है।

2.3.3 **बोलियों के बनने के कारण :**

बोलियाँ बनने के कारणों में प्रमुखत: भौगोलिक कारण दिखाई देते हैं।

1) किसी भाषा की एक शाखा का अन्य शाखाओं से संबंध विच्छेद होना या अलग होना बोलियों के बनने का प्रमुख कारण है।

2) यदि कोई भाषा बहुत दिनों से एक बडे क्षेत्र में बोली जा रही है और उस क्षेत्र में एक उपक्षेत्र के लोग दूरी के कारण दूसरे उपक्षेत्र के लोगों से नहीं मिल पातें, तो उन दोनों उपक्षेत्रों में अलग-अलग बोलियाँ विकसित हो जाती हैं। जैसे-हिंदी में अवधी, ब्रज इसी प्रकार से विकसित हो गईं हैं।

3) किसी क्षेत्र में भूकंप, जलप्लावन या बडी नैसर्गिक आपत्ति की परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं। किसी एक क्षेत्र के बीच व्यवधान आ जाए तथा लोग एक दूसरे के संपर्क में न आ पाए तो बोलियाँ विकसित हो जाती हैं।

4) किसी बडी नदी के दोनों ओर की बस्तियाँ भाषा की दृष्टि से कुछ अंतर रखती हैं, तो वहाँ उन लोगों की नई बोली विकसित हो जाती है।

5) कभी-कभी राजनीतिक या आर्थिक कारणों से लोग अपनी भाषा के क्षेत्र से बहुत दूर जाकर बस जाते हैं, तो वहाँ नई बोली निर्माण होती है।

6) कभी असापास की भाषाओं या दूर की भाषाओं के प्रभाव के कारण एक भाषा में एक क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाता है और वह भी बोली का रूप धारण कर लेता है।

2.3.4 **बोली और भाषा में अंतर :**

प्रस्तावना :

बोली और भाषा में वैज्ञानिक स्तर पर स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना बहुत कठिन काम है। वस्तुत: यह केवल अलग-अलग नाम हैं, जो भाषा के वैज्ञानिक विवेचन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। बोली और भाषा के बीच अंतर तात्त्विक न होकर व्यवहारिक है। इस बात को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। जब कोई बोली किन्ही कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है, तो वह 'भाषा' कहलाने लगती है। इसलिए बोली और भाषा का अंतर प्रकार का नहीं, केवल मात्रा का है। फिर भी सामान्यत: बोली और भाषा के बारे में कुछ बातें कही जा सकती हैं। जो निम्नांकित हैं -

1) भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बडा होता है और बोली का छोटा। अर्थात भाषा का व्यवहार अधिक दूर तक होता है और बोली का अपेक्षाकृत कम दूरी तक होता है। जैसे - हिंदी भाषा का क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तक फैला हुआ है, किंतु

हिंदी की सबसे बडी बोली खडीबोली या कौरवी केवल दस जिलों में सीमित रुप में बोली जाती है।

2) एक भाषा के अंतर्गत एक या एक से अधिक बोलियाँ हो सकती हैं। इसके विपरित भाषा, बोली के अंतर्गत नहीं होती, अर्थात किसी बोली में भाषाएँ नहीं हो सकती।

3) एक भाषा की विभिन्न बोलियाँ बोलने वाले लोग परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, परंन्तु विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले लोग एक-दूसरे को नहीं समझ सकते। अर्थात एक भाषा की दो बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है, जब की दो भाषाओं में यह बोधगम्यता नहीं होती है।

4) बोली किसी भाषा का अंग होती है। भाषा बोली से उत्पन्न नहीं होती । अत: भाषा और बोली में माँ-बेटी का संबंध होता है।

5) भाषा प्राय: साहित्य, शिक्षा तथा शासन के कार्यों में प्रयुक्त होती है, किंतु बोली लोकसाहित्य एवं बोलचाल के लिए प्रयुक्त होती है। साहित्य के क्षेत्र में इसके अपवाद भी मिलते हैं। जैसे - आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अधिकतर साहित्य अवधी, राजस्थानी, ब्रज, मैथिली आदि बोलियों में ही लिखा गया है और आज भी कुछ बोलियों में साहित्य निर्माण हो रहा है।

6) भाषा स्वायत्त होती है, किंतु बोली स्वायत्त नहीं होती। किसी भाषा का परिचय स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। किंतु बोली के परिचय में यह कहना आवश्यक होता है कि वह किस भाषा से उत्पन्न है।

7) भाषा का एक मानक या परिनिष्ठित रूप होता है, किंतु बोली का कोई मानक रूप नहीं होता।

8) भाषा व्याकरण सम्मत होती है, जब कि बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। उसके बहुत से प्रयोग में व्याकरण का अभाव देखा जा सकता है।

9) भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में भी एकरूपता एवं समानता होती है। उसमें जो शब्द-रूप उच्चारित किया जाता है, उसकी वर्तनी भी व्याकरणिक नियमों के अनुसार निश्चित होती है, जब कि बोली अधिकतर मौखिक रूप में प्रयुक्त होती है। अत: उसके कुछ मौखिक और लिखित रूपों में एकरुपता भी नहीं होती है।

10) भाषा में स्वायत्तता, मानकीकरण, ऐतिहासिकता और जीवंतता ये चारों विशेषताएँ अनिवार्य रूप से विद्‌यमान रहती हैं। जबकि बोली में ऐतिहासिकता और जीवंतता तो होती है, किंतु मानकता और स्वायत्तता गुण नहीं पाए जाते। हालांकि हिंदी की कुछ बोलियों को मानकीकृत करने के प्रयत्न भी हुए हैं किंतु फिर भी इन्हें भाषा नहीं कह सकतें।

11) भाषा की शब्दावली, वाक्य-रचना, उच्चारण आदि की एकरुपता और समानता बनाएँ रखने के लिए प्रयोक्ता सचेत रहते हैं। जबकि बोली में इस प्रकार की एकरुपता नहीं होती । वह अपने क्षेत्रों के प्रयोक्ताओं द्‌वारा प्रयुक्त होती है।

इस प्रकार बोली और भाषा के बीच गहरा अन्त: संबंध होता है। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से भाषा

और बोली की भाषिक संरचना में कोई अंतर नहीं होता। जब कोई बोली साहित्य, शिक्षा, शासन आदि के कार्यों में व्यवहृत होने लगती है, तो उसे 'भाषा' कहा जाता है। बोली अनुकूल परिस्थिति पाकर 'भाषा' बन जाती है, और भाषा भी किसी देश की राजधानी के शिक्षित या उच्चवर्ग के लोगों की बोली हुआ करती है। इसलिए भाषा और बोली का अंतर तात्विक न होकर व्यावहारिक माना जाता है। प्रत्येक भाषा का आरंभिक रूप उसकी बोली में ही निहित होता है। अत: बोली और भाषा में शुद्ध भाषा वैज्ञानिक स्तर पर स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना कठिन है।

2.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न.

अ) निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायों में से सही पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1) जीवित भाषा का अनिवार्य लक्षण है कि वह हमेशा .... होती है।

क) स्थिर ख) अस्थिर ग) परिवर्तनशील घ) अपरिवर्तनशील

2) भाषा की परिवर्तनशीलता का मतलब है .... ।

क) भाषा विकास ख) भाषा सुधार ग) भाषा की उँचाई घ) स्थिर भाषा

3) परिवर्तन .... का नियम है।

क) मनुष्य ख) बच्चों ग) सृष्टि घ) समाज

4) भाषा कठिनता से .... की ओर जाती है।

क) सूक्ष्मता ख) स्थूलता ग) सरलता घ) ऊँचाई

5) यूरोप में भाषा विकास पर विचार करनेवाले प्रथम व्यक्ति .... है।

क) पाल ख) येस्पर्सन ग) स्टुटवेंट घ) जे.एच. ब्रेडसडार्फ

6) विद्वानों ने भाषा परिवर्तन के कारणों को .... वर्गों में विभाजित किया है।

क) दो ख) तीन ग) चार घ) पाँच

7) प्रयत्न-लाघव का सीधा अर्थ है ....।

क) स्वरागात ख) बलाघात ग) सादृश्य घ) श्रम की अल्पता

8) बल के कारण 'अभ्यंतर' शब्द .... में परिवर्तित हुआ।

क) भीतर ख) अंतर ग) भ्यंतर घ) आभ्यंतर

9) अंग्रेजी शब्द Tragedy का त्रासदी में परिवर्तन .... का उदाहरण है।

क) सादृश्य ख) अधूरा अनुकरण ग) जान-बूझकर परिवर्तन घ) बल

10) संक्षेप का प्रयोग .... दृष्टि से किया जाता है।

क) बलाघात ख) सादृश्य ग) मानावेश घ) प्रयत्न-लाघव

11) .... के कारण हिंदुस्थानी शैली को काफी बल मिला।

क) निराला ख) तुलसी ग) गांधी घ)प्रसाद

12) अंग्रेजी शब्द Academy का अकादमी यह .... का उदाहरण है।

अ) जान-बूझकर परिवर्तन ख) बल ग) सादृश्य घ) भावातिरेक

13) कबीर ने 'पिंगला' के सादृश्य पर इडा को .... कहा है।

क) पीडा ख) इंगला ग) पिघला घ) दु:ख

14) बच्चा का बचवा .... भाषा परिवर्तन का उदाहरण है।

क) मानसिक स्तर ख) भावातिरेक ग) सादृश्य घ) सहज विकास

15) .... भाषा कोमलता और कलाप्रियता के कारण मधुर बन गई है।

क) जर्मन ख) फ्रेंच ग) रुसी घ) जापानी

16) जो कारण भाषा को बाहर से प्रभावित करते हैं उन्हें .... कारण कहा जाता है।

क) अंतर्गत ख) अभ्यंतर ग) बाह्य घ) प्रभावशाली

17) 'मकान' से 'मकानात' यह .... प्रभाव का उदाहरण है।

क) ऐतिहासिक ख) भौगोलिक ग) सांस्कृतिक घ) साहित्यिक

18) 'हायकू' .... देश का काव्य प्रकार है।

क) चीन ख) जापान ग) फ्रान्स घ) भारत

19) .... ने आर्य समाज द्वारा जागृति पैदा की।

क) स्वामी दयानंद सरस्वती ख) स्वामी विवेकानंद
ग) न्या. रानडे घ) महात्मा फूले

20) भाषा का संकीर्णतम् या लघुरूप .... है।

क) स्थानीय बोली ख) व्यक्तिबोली ग) उपबोली घ) बोली

21) भाषा का क्षेत्र बोली की तुलना में अपेक्षाकृत .... होता है।

क) सीमित ख) छोटा ग) मर्यादित घ) व्यापक

22) बोली शब्द अंग्रेजी के .... शब्द का प्रतिशब्द है।

क) Dialect ख) Dielect ग) Diolect घ) Daylect

23) बोली के लिए .... शब्द का भी प्रयोग किया जाता है।

क) भाषा ख) विभाषा ग) उपबोली ग) स्थानीय बाली

24) राठौरी उपबोली .... बोली के अंतर्गत आती है।

क) राजस्थानी ख) मेवाती ग) अवधी घ) बुंदेली

25) परिनिष्ठित भाषा विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त और व्याकरण से .... होती है।

क) परिपूर्ण ख) नियंत्रित ग) समृद्ध घ) श्रेष्ठ

26) बोली और भाषा में अंतर तात्त्विक न होकर .... है।

क) सैद्धांतिक ख) व्यावहारिक ग) सीमित घ) अतात्त्विक

आ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए –

1) विद्वानों ने भाषा परिवर्तन के कारणों के कौन से दो वर्ग किए हैं?
2) भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण किसे कहते हैं?
3) प्रयत्न लघव के लिए पर्यायवाची शब्द कौनसा है?
4) जीवित भाषा का अनिवार्य लक्षण कौनसा है ?
5) कौनसी भाषाओं का अंतिम स्वरूप नहीं होता ?
6) भाषा की परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है ?
7) शब्दशास्त्र पर विचार प्रकट करनेवाले भारतीय आचार्यों के नाम बनाइए।
8) अभ्यंतर कारण किसे कहते हैं ?
9) बोली शब्द की व्युत्पत्ति कौनसे धातु से हुई है ?
10) व्यक्तिबोली किसे कहते हैं ?
11) स्थानीय बोली किसे कहते हैं ?
12) परिनिष्ठित भाषा के लिए कौन-कौनसे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं ?
13) बोली के लिए कौन-कौनसे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं ?
14) परिनिष्ठित शब्द कौनसे अंग्रेजी शब्द का रुपांतर हैं ?
15) इतिहास के आधार पर भाषा के कौन-कौनसे भेद किए जाते हैं ?

16) हिंदुस्तानी शैली को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है ?

17) भावातिरेक के लिए कौनसा शब्द प्रयुक्त किया जाता है ?

18) बोली कब भाषा कहलाने लगती है ?

19) अनुकूल परिस्थिति पाने पर बोली किसमें रूपांतरित होती है ?

20) बोली किससे उत्पन्न होती है ?

2.5 **पारिभाषिक शब्द और उनका अर्थ :**

प्रयोक्ता - प्रयोग कर्ता (भाषा का मौखिक प्रयोग करनेवाला)

प्रयत्न लाघव - प्रयत्न की लघुता

मानक - प्रमाण, आदर्श

पृथक - अलग

सादृश्य - एक जैसा, समान

व्यवहृत - प्रचलित

अभ्यंतर - भीतर, अंदर या बीच का स्थान

बलाघात - किसी व्यंजन, शब्द या शब्दांश पर बोलते समय अधिक बल देना।

स्वराघात - बोलते समय स्वर पर अधिक बल देना।

हायकू - वेदनामय काव्य प्रकार।

2.6 **स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर :**

अ)

1) परिवर्तनशील	2) भाषा विकास	3) सृष्टि
4) सरलता	5) जे. एच्. ब्रेड़सडार्फ	6) दो
7) श्रम की अल्पता	8) भीतर	9) जान-बूझकर परिवर्तन
10) प्रयत्न लाघव	11) गांधी	12) जान-बूझकर परिवर्तन
13) इंगला	14) भावातिरेक	15) फ्रेंच
16) बाह्य	17) ऐतिहासिक	18) जापान
19) स्वामी दयानंद सरस्वती	20) व्यक्तिबोली	21) व्यापक
22) Dialect	23) विभाषा	24) बुंदेली
25) नियंत्रित	26) व्यावहारिक	

आ) 1) विद्‌वानों ने भाषा परिवर्तन के कारणों के आंतरिक (अभ्यंतर) और बाह्य (बाहरी) कारण ऐसे दो वर्ग किए हैं।

2) भाषा को बाहर से प्रभावित कनेवाले कारणों को बाह्य या बाहरी कारण कहते हैं।

3) प्रयत्न लाघव के लिए पर्यायवाची शब्द है - श्रम की अल्पता या मुख-सुख।

4) सतत परिवर्तनशीलता यह जीवित भाषा का अनिवार्य लक्षण है।

5) जीवित भाषाओं का अंतिम स्वरूप नहीं होता है।

6) भाषा की परिवर्तनशीलता का मतलब है - भाषा विकास।

7) शब्दशास्त्र पर विचार प्रकट करनेवाले भारतीय आचार्यों का नाम हैं - कात्यायन, पतंजलि, कैयट, जयादित्य और वामन।

8) परिवर्तन के कुछ कारण स्वयं भाषा में ही विद्यमान रहते हैं। उन्हें अभ्यंतर या भीतरी कारण कहते हैं।

9) 'बोलना' धातु से बोली शब्द की व्युत्पत्ति हुई।

10) एक व्यक्ति की बोली को व्यक्तिबोली कहा जाता है।

11) बहुत-सी व्यक्ति बोलियों के सामूहिक रुप को 'स्थानीय बोली' या 'उपबोली' कहते हैं।

12) परिनिष्ठित भाषा के लिए 'मानक', 'आदर्श', 'परिष्कृत', 'परिमार्जित', 'स्तरीय', 'टकसाली', 'शुद्ध भाषा' आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं।

13) बोली के लिए 'विभाषा', 'उपभाषा' या 'प्रांतीय भाषा' आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं।

14) परिनिष्ठित शब्द अंग्रेजी के स्टैंडर्ड (Standard) शब्द का रुपांतर है।

15) इतिहास के आधार पर भाषा के मूल भाषा, प्राचीन भाषा, मध्ययुगीन भाषा तथा अर्वाचीन या आधुनिक भाषा आदि भेद किए जाते हैं।

16) हिंदुस्थानी शैली को विकसित करने का श्रेय महात्मा गांधी जी को दिया जाता है।

17) भावातिरेक के लिए भावावेश शब्द प्रयुक्त किया जाता है।

18) जब बोली किन्हीं कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है, तब वह 'भाषा' कहलाने लगती है।

19) अनुकूल परिस्थिति पाकर बोली भाषा में रूपांतरित होती है।

20) बोली भाषा से उत्पन्न होती है।

2.7 **सारांश :**

1) भाषा सामाजिक संपत्ति है। वैसे ही भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा की परिवर्तनशीलता भाषा

विकास है। शब्दशास्त्र पर विचार प्रकट करनेवाले कात्यायन, पतंजलि, कैयट, जयादित्य और वामन ये सभी भारतीय आचार्य हैं। यूरोप में इस विषय पर व्यवस्थित रूप से विचार करनेवाले प्रथम व्यक्ति डैनिश विद्वान जे. एच्. ब्रेडसडार्फ हैं। साथ ही पाल, येस्पर्सन आदि विद्वानों ने भी भाषा परिवर्तन विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

2) भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा परिवर्तन के कारणों को मुख्यत: दो वर्गों में विभाजित किया है। (1) आंतरिक या अभ्यंतर कारण (2) बाह्य या बाहरी कारण।

3) अभ्यंतर कारणों के अंतर्गत प्रयत्न-लाघव, बल, अज्ञान, या अशिक्षा, जान बूझकर परिवर्तन, सहज विकास, सादृश्य, भावातिरेक या भावावेश, मानसिक स्तर, जातीय मनोवृत्ति और अधूरा अनुकरण आदि कारण आते हैं।

4) बाह्य या बाहरी कारणों के अंतर्गत भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैयक्तिक और वैज्ञानिक प्रभाव आदि कारण आते हैं।

5) भाषा के विविध रुपों के आधार तत्त्व हैं - इतिहास, भूगोल, निर्माता, प्रायोगिकता, मानवता या शुद्धता, श्लीलता, प्रचलन, मिश्रण, बोधगम्यता, श्रवण और रचना।

6) बोली शब्द की व्युत्पत्ति 'बोलना' धातु से हुई। बोली का संकीर्णतम् या लघुरूप है- व्यक्तिबोली। एक व्यक्ति की बोली को व्यक्तिबोली कहा जाता है, तो बहुत-सी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप 'उपबोली' या 'स्थानीय बोली' कहलाता है। बहुत-सी मिलती जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप 'बोली' है, तो बोलियों के सामूहिक रूप को 'भाषा' कहा जाता है। भाषा का एक आदर्श रूप जो एक विशाल समुदाय का माध्यम बनता है अर्थात उसका प्रयोग, शासन, शिक्षा, साहित्यिक रचना के लिए होता है, उसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है।

7) बोलियों के बनने के कारण - प्रमुखता भौगोलिक हैं। जब कोई बोली साहित्य, धर्म, राजनीति, शिक्षा, धर्म, व्यापार, या अन्य प्राकृतिक कारणों से महत्त्व प्राप्त करती है, तो वह 'भाषा' कहलाने लगती है।

8) बोली और भाषा में स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना कठिन है। बोली और भाषा के बीच अंतर तात्त्विक न होकर व्यावहारिक है। बोली अनुकूल परिस्थिति पाकर 'भाषा' बन जाती है। भाषा में स्वायत्तता, मानकीकरण, ऐतिहासिकता और जीवंतता ये चारों विशेषताएँ विद्यमान रहती हैं, किंतु बोली में स्वायतत्ता, मानकीकरण गुण नहीं पाए जाते हैं।

2.8 स्वाध्याय :

अ) दीर्घोत्तरी प्रश्न.

1) भाषा की परिवर्तनशीलता के कारणों को स्पष्ट कीजिए।

2) भाषा की परिवर्तनशीलता के अभ्यंतर कारणों को स्पष्ट कीजिए।

3) भाषा की परिवर्तनशीलता के बाह्य कारणों की चर्चा कीजिए।

4) भाषा के विविध रूपों को स्पष्ट करते हुए, बोली को स्पष्ट कीजिए।

5) भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालते हुए परिनिष्ठित भाषा को स्पष्ट कीजिए।

6) भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट करते हुए बोलियों के बनने के कारणों पर प्रकाश डालिए।

आ) टिप्पणियाँ ।

1) बोली।
2) परिनिष्ठित भाषा।
3) भाषा के विविध रूप।
4) बोलियों के बनने के कारण।
5) बेली और भाषा में अंतर ।
6) भाषा परिवर्तन के दो अभ्यंतर कारण।
7) भाषा परिवर्तन के दो बाह्य कारण।

2.9 **क्षेत्रीय कार्य :**

1) भाषा परिवर्तन के कारण परिवर्तित सौ शब्दों का संग्रह कीजिए।

2) मराठी और अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्दों को संग्रहित कीजिए।

3) अपनी मातृभाषा की विविध बोलियों का परिचय प्राप्त कीजिए।

2.10 **अतिरिक्त अध्ययन :**

1) भाषाविज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी

2) भाषाविज्ञान की भूमिका - आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा

3) भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा का विकास - डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय

4) भाषाविज्ञान : सैद्धांतिक चिंतन - डॉ. रविंद्रनाथ श्रीवास्तव

5) हिंदी भाषा एवं व्याकरण - डॉ. मायाप्रसाद पाण्डेय

6) भाषा और भाषाविज्ञान - डा. तेजपाल चौधरी

7) भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा - डॉ. हणमंतराव पाटील

8) भाषाविज्ञान के सिद्धांत और हिंदी भाषा - डॉ. द्वारिकाप्रसाद सक्सेना.

❖❖❖

इकाई – 3

1) हिंदी भाषा का उद्‌भव और विकास।
2) हिंदी का शब्द समूह।
3) हिंदी भाषा के विविध रूप (राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा)।

3.1 उद्‌देश्य।

3.2 प्रस्तावना।

3.3 विषय विवेचन।

- 3.3.1 हिंदी भाषा का उद्‌भव और विकास।
- 3.3.2 हिंदी का शब्द समूह।
- 3.3.3 हिंदी भाषा के विविध रूप (राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा)।
- 3.3.4 विश्वभाषा के रूप में हिंदी।

3.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न।

3.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ।

3.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर।

3.7 सारांश।

3.8 स्वाध्याय।

3.9 क्षेत्रीय कार्य।

3.10 अतिरिक्त अध्ययन।

3.1 उद्‌देश्य :

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के उपरांत आप –

1. हिंदी भाषा के उद्‌भव और विकास को जान सकेंगे।
2. हिंदी के शब्द समूह से परिचित हो जाएंगे।

3. हिंदी भाषा के - राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा आदि रूपों से परिचित हो जाएँगे।

4. विश्वभाषा के रूप में हिंदी को समझ सकेंगे।

3.2 प्रस्तावना :

'हिंदी' शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता था; व्यापक, सामान्य भाषा परक और विशेष भाषा परक। 19 वी शताब्दी में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग विशेष भाषापरक अर्थ में होने लगा। उत्तर प्रदेश में दिल्ली के आसपास बोली जानेवाली जो भाषा थी उसे हिंदी कहा जाने लगा। आज वह हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में पहचानी जाती है। आज यही हिंदी विश्वपटल पर छा गई है। विश्व की अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाकर दिन-ब-दिन वह सम्पन्न होती जा रह है। उसका शब्द भंडार बढ़ता जा रहा है। भाषा-विशेष के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हुए स्वभावत: कुछ सवाल खडे होते हैं कि हिंदी भाषा का उद्‌भव कब हुआ? इसका विकास कैसे होता रहा? आज उसके कितने रूप हैं? हिंदी का शब्दसमूह कैसा है? वैश्विक स्तर पर उसकी कैसी स्थिति है? आदि सवालों के संदर्भ में हम प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करेंगे।

3.3 विषय विवेचन :

3.3.1 हिंदी भाषा का उद्‌भव और विकास :

वैदिक संस्कृत काल में आर्य भाषा प्रदेश में मुख्य रूप से तीन स्थानीय बोलियों का प्रचलन था। 1) पश्चिमोत्तरी, 2) मध्यवर्ती, 3) पूर्वी। किंतु पाली काल में दक्षिणी नामक बोली का विकास हो गया। अत: कुल स्थानीय बोलियों की संख्या चार हो गई थी। प्राकृत काल में इनकी संख्या सात तक पहुँची-ब्राचड, केकेय, टक्क, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी तथा मागधी। इन्हीं से ही अपभ्रंश काल में छ:सात बोलियों का विकास हुआ। जिन्हें प्राकृतों के नामों से पुकारा जाता है। इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ उद्‌भुत हुई। अपभ्रंश भाषाओं का काल 500 ई. से 1000 ई. तक माना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में ब्राचड से सिंधी, केकय से लहँदा; टक्क से पंजाबी; महाराष्ट्री से मराठी, शौरसेनी से गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाडी; अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी; मागधी से बिहारी, बंगला, असमी, उडिया आदि भाषाओं का विकास हुआ है।

इस तरह आज जिसे हम हिंदी कहते हैं वह शौरसेनी अपभ्रंश का विकसित रूप है। जो पाँच उपभाषाओं अथवा बोली समूहों (पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाडी, बिहारी का सामूहिक नाम है। वर्तमान हिंदी पश्चिमी हिंदी की खडी बोली का विकसित रूप है अर्थात परिनिष्ठित रूप है। यह आज सर्वाधिक प्रचलित एवं राष्ट्रभाषा के गौरव को प्राप्त है। किसी भी भाषा के जन्म से ही वह साहित्य में नहीं आ सकती। उसमें प्रौढ़ता आने पर ही वह धीरे-धी साहित्य में प्रवेश करती है। इसी के आधार पर हिंदी भाषा का विकास देखा जा सकता है। उसके विकास अथवा इतिहास के 1000 वर्षों को तीन कालों में विभाजित करके देखा जा सकता है।

1) प्राचीन काल/प्रारंभिक काल/आदि काल - (1000 ई. से 1500 ई. तक)

2) मध्यकाल - (1500 ई. से 1800 ई. तक)

3) आधुनिक काल - (1800 ई. से अब तक)

उपर्युक्त तीन कालों में वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का अध्ययन करना आवश्यक है। तभी उसके विकास या इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन होगा। जिसके लिए उसका ध्वनि, व्याकरण, शब्दसमूह तथा साहित्य आदि दृष्टि से अध्ययन आवश्यक है।

1) **प्राचीन काल/प्रारंभिक काल/आदिकाल** (1000 ई. से 1500 ई. तक)

इस काल में अपभ्रंश और हिंदी साथ-साथ चल रही थी। इस हिंदी की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-

ध्वनि : (आदिकालीन हिंदी में प्रयुक्त ध्वनियाँ अपभ्रंश की ही थीं।)

1) आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश के मूल आठ स्वर थे। (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए और ओ किंतु आदिकाल में नए दो स्वर विकसित हुए 'ऐ' और 'औ' जो संयुक्त थे।

2) संस्कृत, प्राकृत, पालि के च, छ, ज, झ अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे किंतु अदिकाल में वे स्पर्श संघर्षी हो गए।

3) संस्कृत, प्राकृत पालि के न, ल, स दन्त्य ध्वनियाँ आदिकालीन हिंदी में वर्त्स्य हो गई।

4) अपभ्रंश में ड़, ढ़ व्यंजन नहीं थे। जिनका विकास आदिकालीन हिंदी में हुआ।

5) न्ह, म्ह, ल्ह आदि संयुक्त व्यंजन हिंदी में न, म, ल महाप्राण मूल व्यंजन हो गए।

6) आदिकालीन हिंदी में संस्कृत और फारसी से कुछ नए व्यंजन आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे।

❖ **व्याकरण :**

आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1100 ई. तक अपभ्रंश के काफी निकट था, अर्थात काफी रूप अपभ्रंश के थे किंतु बाद में धीरे-धीरे अपभ्रंश के रूप कम होकर हिंदी के अपने व्याकरणिक रूप विकसित होने लगे थे। हिंदी का व्याकरण और अपभ्रंश का व्याकरण दोनों में निम्न अंतर था -

i) अपभ्रंश संयोगात्मक भाषा थी तो आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य बढ़ने लगा था।

ii) अपभ्रंश की तरह हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं था।

iii) अपभ्रंश की अपेक्षा आदिकालीन हिंदी की वाक्य रचना में शब्द क्रम निश्चित होने लगा था।

❖ **शब्द समूह :**

आदिकालीन हिंदी में अधिकांश शब्द अपभ्रंश के ही थे। भक्ति आंदोलन की वजह से तत्सम शब्द

हिंदी में बढ़ने लगे थे। इसके साथ ही मुसलमानों के आगमन से पश्तो, फारसी, अरबी और तुर्की के शब्दों की संख्या बढ़कर अपभ्रंश के अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न के बराबर हो गया था।

❖ **साहित्य :**

आदिकालीन हिंदी में गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल्ह, चन्दबरदाई, ख्वाजा बंदानेवाज तथा शाह मीराजी आदि साहित्यकार ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इस काल के साहित्य में डिंगल, मैथिली, दक्खिनी अवधी तथा ब्रज मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है।

2) **मध्यकाल** (1500 ई. से 1800 इ. तक)

इस युग के आरंभ में भक्तिधारा का प्राबल्य रहा। इसी कारण आदिकालीन हिंदी की अपेक्षा मध्यकालीन हिंदी काफी परिवर्तित हो चुकी थी, वह परिवर्तन निम्ननुसार है-

- **ध्वनि :**

i) फारसी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था और दरबार में फारसी के प्रभाव के कारण उच्चवर्गीय लोगों की हिंदी में क़, ख़, ग़, ज़, फ़ ये नए अल्प व्यंजन आ गए थे।

ii) शब्द के अंत का 'अ' मूल व्यंजन के कारण लुप्त हो गया था। 'राम' का उच्चारण 'राम्' होने लगा। कहीं कहीं अक्षरान्त 'अ' का भी लोप हुआ जैसे अदिकालीन 'जपता' का उच्चारण 'जप्ता' हो गया।

❖ **व्याकरण :**

ध्वनि की तरह मध्यकालीन हिंदी के व्याकरण में भी परिवर्तन दिखाई देता है।

i) मध्यकालीन हिंदी भाषा में अपभ्रंश के आवश्यक रूप ही बचे थे। आदिकालीन की अपेक्षा मध्यकाल में हिंदी भाषा का व्याकरण अपने पैरों पर खड़ा था।

ii) आदिकालीन संयोगात्मक हिंदी की तुलना में मध्यकालीन हिंदी पूर्ण रूप से वियोगात्मक बन गई थी।

iii) उच्च वर्ग में फारसी भाषा का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी वाक्य रचना से प्रभावित होने लगी थी।

❖ **शब्दसमूह :**

शब्द-समूह की दृष्टि से देखा तो मध्यकालीन हिंदी में विदेशी भाषा के अधिकांश शब्द समाविष्ट हो गए थे। जो इस प्रकार हैं -

i) फारसी से लगभग 3500, अरबी से 2500, पश्तो से 50, तुर्की से 125 तक शब्द मध्यकालीन हिंदी में आए थे, इस तरह कुल आगत शब्दों की संख्या लगभग 6000 से अधिक हो गई थी।

ii) भक्ति आंदोलन की चरम सीमा के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात बढ़ गया था।

iii) मध्यकाल में यूरोप से सम्पर्क बढ़ने की वजह से पुर्तगाली, स्पेनीस, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द इस काल के परवर्ती चरण में हिंदी में आ गए थे।

❖ **साहित्य :**

मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप ब्रज और अवधी भाषा में प्रचुर साहित्य लिखा गया। अर्थात धर्म भावना की प्रधानता के कारण राम स्थान (अयोध्या) की भाषा के साहित्य में अवधी और कृष्ण स्थान (मथुरा) का साहित्य ब्रज में रचा गया था। जो गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक था। दक्खिनी, डिंगल, मैथिली, और खडीबोली में भी साहित्य लिखा गया था। मध्यकालीन साहित्यकारों में जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, केशव, बिहारी, भूषण, देव, बुरहानुद्दीन, नुसरती, कुली कुतुबशाह, वजही तथा वली आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

❖ **आधुनिक काल** (1800 ई. से अब तक)

आधुनिक कालीन हिंदी में पूर्ववर्ती दो कालों की तुलना में काफी परिवर्तन दिखाई देता है। जो निम्ननुसार है -

❖ **ध्वनि :**

i) आधुनिक काल में शिक्षा व्यवस्था के कारण कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण 'क़, ख़, ग़, ज़,ह्फ़ का प्रसार सुशिक्षित लोगों तक हुआ किंतु आजादी के बाद अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से 'क़, ख़, ग़' के प्रयोग में कमी आयी।

ii) अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में 'ऑ' ध्वनि प्रयुक्त हुई, उदा. डॉक्टर, वॉटर, कॉटन, कॉमर्स आदि। अन्यत्र 'आ' का ही प्रयोग होता है।

iii) अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप हिंदी में 'ड्र' स्वर बढ़ गया।

iv) आदिकालीन हिंदी में 'ऐ' 'औ' का उच्चारण 'अए' 'अओ' था। बल्कि आधुनिक काल में इनकी स्थिति भिन्न हुई।

क) पश्चिमी क्षेत्र में आज मूल स्वर के रूप में उच्चारित होते हैं।

ख) पूर्वी हिंदी क्षेत्र में 'ऐ' 'औ' का उच्चारण संयुक्त स्वर अइ, अउ रूप में होता है।

ग) नैया, वैयाकरण, कौआ जैसे शब्दों में पश्चिमी तथा पूर्वी में 'ऐ', 'औ' का उच्चारण अइ, अउ संयुक्त स्वर के रूप में होता है।

v) आधुनिक काल में कोई शब्द अकारांत नहीं रहा।

vi) आदिकालीन और मध्यकालीन 'व' ध्वनि की दंतोष्ठता कम हो गई थी।

❖ **व्याकरण :**

i) हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरण की स्थिति अलग-अलग सी हो गई थी। सूर, बिहारी, देव की ब्रजभाषा और जायसी, तुलसी की अवधी आदि इस बात का प्रमाण है। इन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त हुई तो पृथक भाषा की संज्ञा प्राप्त होने की संभावना पैदा हुई।

ii) इस काल में हिंदी पूर्णत: वियोगात्मक बन गई थी।

iii) प्रेस, रेडियो एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार से और महावीर प्रसाद द्‌विवेदी के सहयोग से हिंदी का व्याकरण स्थिर हुआ है।

iv) आधुनिक काल के प्रचार-प्रसार के माध्यम तथा अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी भाषा वाक्य रचना मुहावरा, तथा लोकोक्ति के क्षेत्र में प्रभावित हुई थी। विरामचिह्नों के माध्यम से भी वह अंग्रेजी से प्रभावित हुई।

v) आधुनिक काल में हिंदी भाषा रूप-रचना तथा वाक्य रचना क्षेत्र में परिवर्तित हो रही है। उदा. 'कीजिए' के लिए 'करिए', 'मुझे' के लिए 'मेरे को', 'मुझको' के लिए 'मेरे' से 'नहीं जाता है' के स्थान पर 'नहीं जाता', 'न जा रहा', 'नहीं जा रहा है' आदि नए रूप आ रहे हैं।

❖ **शब्द समूह :**

शब्द भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो 1850 ई. तक मध्यकाल का ही शब्द भंडार था, किंतु उसके पश्चात् अंग्रेजी के शब्द आने लगे थे। साथ ही आर्य समाज के प्रचार-प्रसार से तत्सम शब्दों की संख्या बढ़कर तद्‌भव शब्द हिंदी से निकल गए थे। 1900 ई. के बाद प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा आदि साहित्यकारों के साहित्य में तत्सम शब्दों की अधिकता दिखाई देने लगी थी। द्‌विवेदी और छायावादी काल के बाद प्रगतिवाद में तद्‌भव शब्दों में वृद्‌धि हुई और तत्सम शब्दों का प्रयोग कम मात्रा में होने लगा था। 1947 ई. के बाद पुराने शब्दों का प्रयोग नए अर्थ में होने लगा था। जैसे 'सदन' शब्द का प्रयोग राजसभा तथा लोकसभा के लिए होने लगा। नाटक, उपन्यास कहानी तथा कविता में बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होने लगी उसमें अरबी, फारसी, तथा अंग्रेजी के जनप्रचलित शब्दों का प्रयोग होने लगा। आलोचना की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ गया। हिंदी में पारिभाषिक शब्दों की संख्या बढ़ने लगी है। आज वह लगभग डेढ़ लाख तक पहुँच गई है। अर्थात हिंदी नए शब्दों से समृद्‌ध होते हुए दिन-ब-दिन समृद्‌ध होती जा रही है।

❖ **साहित्य :**

आधुनिक काल में भारतेन्दुकाल से मुख्य रूप से हिंदी साहित्य का विकास होता गया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साथ भारतेन्दु मंडली के रचनाकार, द्‌विवेदी, छायावादी, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी काल के रचनाकारों द्‌वारा गद्‌य-पद्‌य में प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया। वर्तमान में भी काफी मात्रा में लेखन हो रहा है। मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, सुदर्शन, जैनेंद्र,

यशपाल, अज्ञेय, बच्चन, महादेवी वर्मा तथा नागार्जुन जैसे रचनाकारों की रचनाओं से हिंदी भाषा शिखर तक पहुँचने लगी है। उत्तरोत्तर साहित्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ने लगा है।

संक्षेप में शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से निकाली हिंदी का आज दिन-ब-दिन विकास होता जा रहा है। वर्तमानकाल में साहित्य के माध्यम से व्यवहृत खडीबोली हिंदी सार्वदेशिक होती जा रही है। यह सभी भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करते करते अपने कोमल स्वभाव से ऊँचाई की ओर बढ़ने लगी है।

3.3.2 हिंदी का शब्दसमूह :

सार्थक ध्वनिसमूह को प्राय: शब्द की संज्ञा दी जाती है। किसी भी भाषा में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना शब्द-समूह होता है। भोलानाथ तिवारी ने 'हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास' पुस्तक में लिखा है - ''किसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनके समूह को उस भाषा का शब्द-भंडार या शब्द-समूह कहते हैं।''

आज हिंदी शब्द समूह पर जब हम विचार करते हैं तब स्पष्ट होता है कि हिंदी ने बहुतांश शब्द तो प्राचीन एवं मध्यकालीन आर्यभाषाओं से लिए हैं, उनमें कई आगत विदेशी शब्द हैं, उसमें देशज शब्द भी हैं, तथा हिंदी में आज अनेक ऐसे शब्द हैं, जो विज्ञान, विधि, वाणिज्य, भूगोल, तकनीकी प्रविधि आदि में प्रचलित हैं। इन सभी प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण निम्ननुसार किया जा सकता है।

1) **तत्सम शब्द :**

'तत्सम' में 'तत्' का अर्थ 'वह' अर्थात 'संस्कृत' और सम का अर्थ है 'समान'। इन्हें भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। जिसमें प्राकृत पाली, अपभ्रंश से आए शब्द, संस्कृत से सीधे हिंदी में आए शब्द, संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी काल में निर्मित तत्सम शब्द और अन्य भाषाओं से आए तत्सम शब्द आदि।

तत्सम शब्द वे होते हैं, जो किसी प्राचीन या भूतपूर्व भाषा से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं याने किसी भी भाषा के मूल स्रोत के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। साहित्यक हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों का प्रयोग बहुतायत से होता है। हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के रूप में मिलते हैं। हिंदी में तत्सम शब्द चार प्रकार के हैं -

i) प्राकृतों (पालि, प्राकृत, अपभ्रंश) से होते हुए आए शब्द जैसे अचल, अध, अचला, काल, कुसूम, जन्तु, दण्ड, दम आदि, ऐसे शब्दों की संख्या अधिक हैं।

ii) दूसरे वे हैं; जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं - जैसे फल, पुस्तक, पुष्प, मुन, हरि, शिव, कर्म, विद्या, ज्ञान, क्षेत्र, कृष्ण, मार्ग, मत्स्य, मद्य, मृग, कुशल आदि। ये भक्ति, रीति तथा आधुनिक कालों में लिए गए हैं। ऐसे शब्दों की संख्या प्रथम वर्ग की तुलना में अधिक है।

iii) संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी काल में निर्मित तत्सम शब्द-जलवायु, वायुयान, रेखाचित्र, निर्देशक, अभियंता, प्राध्यापक, संस्तुति, प्रतिवेदन, प्रभाग, संपादकीय नगरपालिका, समाचार-पत्र, पत्राचार आदि। इस प्रकार के अधिकांश शब्द आधुनिक काल में शब्दों की कमी की पूर्ति के लिए बनाए जा रहे हैं।

iv) अन्य भाषाओं से आए तत्सम शब्द - जैसे मराठी से प्रगति, वाङ्मय, बाडा, गोठ, पड़ाव, श्रीखंड; गुजराती से हडताल, दा (दादा), पटेल, बापू; पंजाबी से खालसा, भाँगडा, कुडी, इत्थे, चंगा; बंगाली से उपन्यास, गल्फ, कविराज, तत्त्वावधान, आपत्ति, संभ्रात, सन्देश आदि।

2) **तद्‌भव शब्द :**

''तद्‌भव'' में तत् का अर्थ 'वह' अर्थात संस्कृत और 'भव' का अर्थ है 'उत्पन्न'। अर्थात, तद्‌भव वे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए और प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। दूसरे शब्दों में ये संस्कृत या तत्सम शब्दों (ध्वनि की दृष्टि से) विकसित; परिवर्तित अथवा विकृत रूप हैं। इनके मूलरूप में परिवर्तन हो जाता है। किंतु अर्थ वही रहता है। उदा. कान्ह (तत्सम-कृष्ण), घर (तत्सम-गृह), काम (तत्सम-कर्म), हाथ (तत्सम-हस्त), घडा (तत्सम-घट), घोडा (तत्सम-घोटक) हिंदी शब्दावली में इन तद्‌भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। बोली में तद्‌भव शब्द अधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं। संक्षेप में मूल तत्सम शब्दों का विकृत, परिवर्तित या विकसित रूप ही तद्‌भव शब्द है। जैसे -

तत्सम (संस्कृत)		तद्‌भव	तत्सम (संस्कृत)		तद्‌भव
कृष्ण	-	कान्ह	पुछ	-	पूँछ
अग्नि	-	आग	कार्य	-	काज
अर्ध	-	आधा	दधि	-	दही
गृह	-	घर	पुस्तिका	-	पोथी
सर्प	-	साँप	कटक	-	कीडा
मुख	-	मुँह	वधू	-	बहू
भ्रमर	-	भौरा	विशति	-	बीस
उष्ट्र	-	ऊंट	सप्त	-	सात
जिव्हा	-	जीभ	गर्दभ	-	गधा

3) **देशज शब्द / देशी शब्द :**

देशज का अर्थ है (देश+ज) जो देश में ही जन्में हों। अर्थात जो शब्द न संस्कृत के हैं न संस्कृत से

बने हैं, न विदेश की किसी भाषा से आए हैं; ऐसे शब्द देशज या देशी कहलाते हैं। इन शब्दों का मूलरूप और व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। पर जो लोक जीवन में व्यवहृत हैं। इनके दो वर्ग हैं -

अ) अज्ञात व्युत्पत्तिक (ब) अनुकरणात्मक

अ) अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द :

जिनकी व्युत्पत्ति का पता न हो जैसे -टट्टू, तेंदुआ, कबड्डी, गडबड, घपला, चूहा, झंझट, झगडा, टीस, थोथा, धब्बा, पेड, आटा, भूसा, कद्दू, चोंगा, ठेस, बैंगन, भुर्ता, टीला आदि।

ब) अनुकरणात्मक शब्द :

जो शब्द ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बने हुए हैं अत: ये ध्वन्यात्मक होते हैं। इस प्रकार के शब्द तत्सम, तद्भव या विदेशी नहीं होते; जैसे, खड़खड़, भड़भड़, खटखट, धमधम, हड़हड़, घड़घड़, चटचट, टर्राना, फटफटिया, खचाखच, छनछनाहट, चिड़चिड़ आदि।

4) **अर्धतत्सम शब्द :**

अर्धतत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, जो पूरी तरह तत्सम नहीं होते। केवल हिंदी काल में संस्कृत से मूलत: तत्सम रूप में लिए गए हैं और जिनमें हिंदी में ही कुछ परिवर्तन हो गए हैं। उन्हें स्पष्ट करने के लिए नीचे तत्सम तद्भव और अर्धतत्सम शब्द दिए हैं।

तत्सम	**तद्भव**	**अर्धतत्सम**
चन्द्र	चाँद	चन्दर
कर्म	काम	करम
कृष्ण	कान्ह	किशन-किश्नु
कार्य	काज	कारज
अक्षर	आखर	अच्छर

अर्धतत्सम, तद्भव और तत्सम शब्द का अर्थ वही होता है जो मूलत: तत्सम में होता है। फर्क इतना ही है कि तद्भव की भाँति इनके रूप में विकार आता है।

5) **विदेशी शब्द :**

'विदेशी शब्द' का मूल अर्थ है ''अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द।'' भारतीय व्यापारी जब व्यापार के बहाने विदेश चले गए तब उनके साथ विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द हिंदी में आ गए। साथ ही भारत पर लगभग एक हजार वर्षों तक विभिन्न विदेशी सत्ताओं का शासन रहा-अरबी, तुर्की, इरानी, पठान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल तथा अंग्रेज आदि लोगों की भाषाओं से बहुत से शब्द हिंदी में आए

और हिंदी के बनकर रह गए। ऐसे शब्दों को आगत या गृहित शब्द कहा जाता है। जो निम्ननुसार हैं –

अरबी से आए शब्द – अल्लाह, असर, अदालत, आईना, आखिर, ईमान, आफत, आशिक, इमारत, इबादत, कल, हकीम, मरीज, इन्साफ, एहसास, नुस्खा, फैसला आदि।

फारसी से आए शब्द – अंजाम, आबाद, आबरू, आवारा, कश्ती, किनारा, दवा, दीवार, मकान, कस्बा, बरफी, सेब, खरबूजा, खजांची, बरामदा, सरकार, वकील, चपरासी, जिला, जिन्दगी, चालाकी, गन्दगी, बदनामी, खुशी आदि।

अरबी और फारसी के लगभग छ:हजार शब्द हिंदी में आए हैं। इन्हें ठीक तरह से पहचानकर अलग करना मुश्किल है।

पुर्तगाली – पुर्तगाली से लगभग डेढ़ सौ के आसपास शब्द हिंदी में आए हैं; उदा. कप्तान, अलमारी, आलपिन, इस्त्री, इस्पात, कर्नल, काफी, तम्बाकू, गमला, गोदाम, चाबी, चाय, तौलिया, नीलाम, पिस्तौल, फीता, बाल्टी, बिस्कुट, संतरा, पगार आदि।

अंग्रेजी – अंग्रेजी से लगभग साडेतीन हजार शब्द हिंदी में आ गए हैं, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या अगणित हो गई है, जैसे – शर्ट, पेन्ट, टाई, स्वेटर, कोट, सूट, बूट, सैण्डल, स्लीप, अण्डरवेअर, ब्लाऊज, फ्रॉक, पेटीकोट, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, ट्रॉफी, हॉल, रुम, कीचन, गॅलरी, बाल्कनी, बाथरूम, प्लंबर, कंडक्टर, क्लर्क, मशीन, रेडियो, टेलीफोन, कैमरा, फिल्म, स्कूल, सिनेमा, शो, क्रेन, क्लास, बोर्ड, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, ग्लास, डस्टर, नोटिस, डॉक्टर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, इंजेक्शन, सर्जन, पेन, पेन्सिल, मनिऑर्डर, स्टेशनरी, सिग्नल, टिकट, स्टेशन, स्टॅन्ड, गार्ड, एक्सप्रेस, व्हिस्की, ब्रांडी, ब्रश, वॉटर, सेंट, लिपस्टिक, क्वार्टर, फोटो, कोर्ट, जज, अपील, पुलिस, जेल, जेलर, सिगरेट, माचिस, सोडा आदि।

तुर्की : तुर्की से डेढ़ सौ तक शब्द हिंदी में आए हैं, जैसे – बाबू, कुली, कैंची, खच्चर, खाँ, गलीचा, गनीमत, चम्मच, चाकू, चेचक, तोप, दारोगा, बाबा, बारूद, बीबी, बोगस, मुग़ल, लाश, सराय, सुरंग, आका, उर्दू, बहादुर, सौगात, तुर्क, मुचलका आदि।

पश्तो : मुण्डा, पठाण, आखरोट, पटाखा, डेरा, नगाडा, कलूटा, अचार, डंगर, हमजोली, खर्राटा आदि।

फ्रांसीसी – एडवोकेट, कूपन, कप, कालर, मार्शल, मेम, मेयर, वारंट, पिकनिक, टेबूल आदि।

इनके अलावा अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में बहुत कम हैं कुछ उदाहरण यों हैं –

डच – तुरुप (ताश में), बम (गाडी का), स्क्रूप आदि।

जर्मनी – डैक, बैंगन, ट्रेन, सेमिनार, डॉक, आदि।

चीनी – सिंदूर, चीनांशुक, मुसार, लीजी, चीनी आदि।

मिस्त्री – मुद्रा, मुद्रिका, मिश्री आदि।

इरानी – मिहिर, तीर, मग, गंज, सिक्का आदि।

जापनी – रिक्शा, सायोनारा, हाइके, कराटे आदि।

स्पेनी – सिगार, पिउन, सिगरेट आदि।

लैटिन – दीनार, रोमन आदि।

रूसी – रुबल, टैगा, मैट्रो, बोदका, स्पुतनिक आदि।

इटैलियन – लाटरी, कन्सर्ट, वायलिंग, आथेरा, कार्टून आदि।

6) **संकर शब्द :**

भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों को जोडकर बनाए गए शब्द संकर कहलाते हैं। अर्थात जो दो भाषाओं के योग से बने हैं। इन यौगिक शब्दों का निर्माण प्रत्यय उपसर्ग से भी होता है। उदा.

रेलगाडी - 'रेल' अंग्रेजी का शब्द है, 'गाडी' हिंदी शब्द है।

मालगाडी - माल - (अरबी) + गाडी -)हिंदी)

नाकाबंदी नाका - (अरबी) + बंदी - (फारसी)

जेबघडी जेब - (फारसी) + घडी - (हिंदी)

रेलयात्रा रेल - (अंग्रेजी) + यात्रा - (हिंदी)

विज्ञापन बाजी विज्ञापन - (हिंदी) + बाजी - (फारसी)

दादागीरी दादा - (हिंदी) + गीरी - (अरबी)

पावरोटी पाव - (पोर्तुगाली) + रोटी - (हिंदी)

अंग्रेजियत अंग्रेज - (फ्रांसीसी) + इयत - (अरबी प्रत्यय है।)

प्रोफेसरी प्रोफेसर - (अंग्रेजी) + ई - (हिंदी प्रत्यय है।)

इन शब्दों के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द हिंदी में मिलते हैं - द्रविड परिवार की जो भाषाएँ हैं उनमें कन्नड, तमिल, तेलगु, मलयालम आदि से आए शब्द पिल्ला, इडली, डोसा, सांबर, उखल, कज्जल, कुटि, कोण, ताला, नीर आदि।

संक्षेप में हिंदी शब्द समूह में आर्य द्रविड और विदेशी शब्दों का समावेश है। आज अपने विशाल शब्दसमूह और आनेवाले नए-नए शब्दों का स्वीकार करके यह विश्व की समृद्ध भाषा बनती जा रही है।

3.3.3 हिंदी भाषा के विविध रूप (राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा) :

भारत वर्ष में अन्य भाषा क्षेत्रों की तुलना में हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हिंदी सदियों से कई रूपों में व्यवहृत होती रही है। हिंदी प्रदेशों में विविध बोलियों के रूप में तो है ही, साथ ही अपने क्षेत्र तथा अन्य भाषा क्षेत्र में सम्पर्क भाषा के रूप में भी वह व्यवहृत है इसी वजह से स्वाधीनता के बाद राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में भी वह प्रचलित है। आज तो विश्व में इसका महत्त्व बढ़ता जा रहा है।

❖ राष्ट्रभाषा :

जब कोई बोली आदर्श भाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद उन्नत होकर और भी महत्त्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र में भी उसका सार्वजनिक कार्यों आदि में प्रयोग होने लगता है, तब वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है।

राष्ट्रभाषा के बारे में आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी कहते हैं, ''उसी भाषा का गौरव सब से अधिक हो सकता है, और वही राष्ट्रभाषा कहला सकती है, जिसको सब जनता समझती हो और जिनका अस्तित्व सार्वजनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो।''

राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भावात्मक एकता को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है, इसके द्वारा पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना प्रतिभासित होती है, यह सर्वाधिक बोली और समझी जानेवाली भाषा होती है। इसी कारण हर विकसित स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश अपने लिए एक राष्ट्रभाषा निर्धारित करता है। भारत में मध्य देश की भाषाएँ राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो चुकी हैं। जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, फारसी और आज की हिंदी।

भारत में हिंदी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जनगणना के अनुसार भारत में 20.85 करोड लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के बाद हिंदी का विकास तेज गति से होता गया। वास्तव में आजादी के पूर्व हिंदी को भी राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ था। हिंदू-मुसलमान, आर्य, अनार्य, उत्तर-दक्षिण, शैव-वैष्णव आदर्श को लोगों ने अपने सिद्धांतो और मान्यताओं के आधार पर हिंदी में व्याख्यायित किया। सभी सन्त, मनीषी, चिन्तक एवं महानुभावों ने अपने आदर्शों को हिन्दी में प्रकट किया। सूफी संत, जायसी, कुतूबन, मंजन, दाऊद आदि ने सूफी दर्शन और इस्लाम के स्वरूप को इसी भाषा में प्रस्तुत किया। मध्यकालीन सन्तो ने निर्गुण-सगुण वादियों ने हिंदी भाषा को अपनाया। अंग्रेजी के राज्य में भले ही अंग्रेजी राजकाज की भाषा रही होगी, मगर जनता का भाषा के रूप में हिंदी अपनी स्वाभाविक गति से राष्ट्रभाषा अर्थात समग्र देश की भाषा बनती गई।

भारत बहुभाषा-भाषी देश है। भारत में बंगाली, तेलगु, मराठी, तमिल, ऊर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड, उडिया, पंजाबी, कश्मिरी, सिंधी, संस्कृत तथा हिंदी भाषाएँ प्रयुक्त हैं। मगर इन सब में हिंदी बोलने, समझने और लिखने वालों की तादाद बडी है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के जो लक्षण बताए थे - i) वह सरल, सहज होनी चाहिए, ii) उसके द्वारा आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो जाने

चाहिए। iii) बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो। ये सारे लक्षण हिंदी में दिखाई देते हैं। वास्तव में विवेचित सारी भाषाएँ राष्ट्रभाषाएँ हैं मगर उन सब में हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है। उसके पास लंबा इतिहास, समृद्ध साहित्य, सबको पचा सकने की क्षमता, कोमलता, विशाल क्षेत्र, व्याकरण है, साथ ही जाँत-पाँत, धर्म, क्षेत्रियता अथवा प्रान्तीयता के समस्त बंधनों को उसने तोड़ दिया है। अर्थात खुद वह राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी बन गई है। आज पूरे विश्व को विदित है कि भारत की राष्ट्रवाणी हिंदी है। अर्थात वह अपने समस्त सुलक्षणों से परिपूर्ण है और वह सभी जिम्मेदारियों का वहन कर रही है। हिंदी राष्ट्रीय एकात्मता की पहचान बन गई है।

❖ राजभाषा :

राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा के रूप में तथा प्रांतीय भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करती है, तो राजभाषा राज-काज अर्थात केंद्रीय सत्ता की भाषा होती है। राजभाषा का सीधा अर्थ है - राजा अथवा शासक की भाषा, जिसका उपयोग राजकाज के लिए किया जाता है। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के द्वारा पत्र-व्यवहर, राजकार्य, और सरकारी लिखा-पढ़ी के कामों में इसी भाषा का व्यवहार किया जाता है। संविधान के प्रावधान के अनुसार राजभाषा का प्रयोग मुख्यत: चार क्षेत्रों में आवश्यक है। i) शासन, ii) विधान, iii) न्यायपालिका, iv) कार्यपालिका। अर्थात राजभाषा अन्तर्प्रादेशिक मध्यवर्तिनी भाषा होती है।

भारत में सम्राट अशोक के काल में पाली राजभाषा थी। मुस्लिम शासन काल में अकबर ने सरकारी दस्तावेज फारसी में किए। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उच्च स्तर पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाई। आजादी के बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास होने पर हिंदी को 14 सितम्बर, 1949 ई. से संविधान में राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। भारतीय संविधान के 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंको का अन्तरर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया है।

हिंदी 'संघभाषा' (Official language), 'कार्यालयी भाषा' (Official Language) तथा राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास 15 अगस्त, 1947 के पूर्व से ही शुरू था। संविधान सभा की नियत समिती 1946 इ. से डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कार्यरत थी। उन्होंने निर्णय लिया था कि संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी (हिंदुस्तानी) या अंग्रेजी में होगी। अंत में मूल अधिकार समिती ने सर्वसम्मति से राजभाषा के रूप में हिंदी को और लिपि के रुप में देवनागरी को और आंकों के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों को तथा 15 वर्षो तक अतिरिक्त राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकृत किया। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि 15 वर्षां के बाद भी संघ की राजभाषा समिती अंग्रेजी भाषा को राजभाषा पद से हटाने के पक्ष में नहीं थी। हिंदी को बढ़ावा, देने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा उसकी प्रगति के लिए सरकार द्वारा उसके मानकीकरण के प्रयास किए गए है। मगर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३४३(२) के द्वारा प्राप्त अधिकार के अनुसार अंग्रेजी के साथ हिंदी को प्राधिकृत किया।

राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के अनुसार सूचित किया कि 'केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण के किसी निगम, कंपनी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम, कंपनी या कार्यालय के बीच प्रयोग में लाई जाती है, वहाँ उस तारीख तक, जब पूर्वोक्त संबन्धित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, निगम या कंपनी का कर्मचारी वृन्द हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है, आज भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा सहभाषा के रूप में राजभाषा पद पर आसीन है।

भारत की शासन व्यवस्था केंद्रीय और प्रांतीय है। केंद्रीय शासन की राजभाषा हिंदी है। हिंदीतर प्रांतो में उनकी अपनी अपनी राज्य भाषाएँ राजभाषाओं के रूप में कार्यरत हैं, इस अवस्था में इन राज्यों को केंद्र के साथ संपर्क करने हिंदी का प्रयोग करना पड़ता है। किंतु हिंदी प्रदेशों में हिंदी ही राजभाषा और राज्यभाषा दोनों पदों पर प्रतिष्ठित हैं। इस तरह हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा है केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंको में राजभाषा के रूप में उसका प्रयोग बढ़ रहा है, भारत सरकार के सभी कानून, संकल्प, निविदा, प्रेसनोट, विज्ञापन, निर्णय, अंग्रेजी के साथ होते हुए भी राजभाषा हिंदी में प्रकाशित होते हैं।

❖ संपर्क भाषा :

संपर्क भाषा का आशय है, जनभाषा। जिस भाषा के माध्यम से किसी भूप्रदेश में रहनेवाले लोग सहजता से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, उसे जनभाषा या संपर्क भाषा कहते हैं। जो किसी क्षेत्र, राष्ट्र, अथवा वर्ग में परस्पर वैचारिक आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में कार्यरत रहती हो। संपर्क भाषा शासन तथा राज्याश्रय से उपेक्षित रहने पर भी जनमानस में बराबर अपनी जडे मजबूत करती रहती है। उसकी पहचान राष्ट्र के सभी लोगों में होती है। राष्ट्र या देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने पर जनता केवल उसी जनभाषा में संपर्क स्थापित करती है।

भारतीय संविधान द्वारा कुल 22 भाषाएँ स्वीकृत हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार बारह सौ भाषाएँ बोली जाती हैं ऐसी अवस्था में यहाँ के लोगों को परस्पर व्यवहार के लिए संपर्क भाषा की जरूरत होती है।

भारत जैसे विशाल देश में प्राचीन काल में मध्य देश की भाषा संपर्क भाषा के रूप में शीर्षस्थ रही है। मध्य देश में हिंदी बड़े पैमाने पर बोली जाती है भले ही उसकी बोलियाँ अलग-अलग हो सकती है मगर उनमें परस्पर बोधगम्यता है। प्राचीन काल में शंकराचार्य ने अपनी मलयालम भाषा छोड़कर संस्कृत को अपनाया था। बौद्ध काल में भगवान बुद्ध ने उपदेश के लिए जनभाषा को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया। जो मध्य देश की पालि भाषा थी। अत: संस्कृत, पालि, शौरसेनी, प्राकृत, नागर, अपभ्रंश और कालांतर में पश्चिमी हिंदी राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई। स्वयं महात्मा गांधी जी ने अपनी मातृभाषा गुजराती को छोड़कर हिंदी को पूरे देश की राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा बनाने को प्रोत्साहित किया।

यदि सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट है, प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल में जनभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। 'उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समस्त भारत में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा रही है जिसे बोलने या समझनेवाले आसानी से मिलते हैं। इसीलिए हिन्दी को ही संपर्क भाषा की मान्यता प्राप्त होती है। इसकी सातवीं शती से सिद्धों, नाथों, संतों, भक्तों आदि ने हिंदी को अपनाया था, अर्थात हिंदी संपर्क की भाषा थी। स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था "एक राज्य से दूसरे राज्य को पत्रव्यवहार अथवा बोलचाल के लिए एक ही भाषा अपेक्षित है, वह है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा ही उपयुक्त और उचित संपर्क भाषा बन सकती है।"

आज राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के सामने कई व्यवधान हैं मगर जनभाषा, संपर्क भाषा के रूप में वह खुले साँस की अधिकारिनी है। संपर्क भाषा के रूप में उसे कोई बाधा नहीं है। हिंदी का समृद्ध साहित्य, कोमलता, हिंदी फिल्में आदि ने इसके संपर्क के रूप को अक्षुण्ण बना रखा है। आज पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही कार्यरत है।

संक्षेप में, मध्य देश की भाषा हिंदी अपने हजारों वर्षो की अनवरत यात्रा से आगे बढ़ते-बढ़ते विकास के चरम उत्कर्ष तक पहुँच गई है। इसी बीच कई व्यवधानों को पार कर, उपेक्षित रहकर भी उसने भारत भूमि में अपनी जड़े अतल गहराई तक जमा दी हैं। उसने आज राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में अपनी पहचान बना दी है। इसके अलावा मातृभाषा, संचारभाषा एवं माध्यम भाषा के रूप में भी वह सफल रुप में व्यवहृत है।

3.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न ।

अ) निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1) शौरसेनी अपभ्रंश से .... भाषा का विकास हुआ ।

   क) पश्चिमी हिंदी ख) अर्धमागधी ग) बिहारी घ) महाराष्ट्री

2) पश्चिमी हिंदी की .... बोली है।

   क) खडीबोली ख) जयपुरी ग) भोजपुरी घ) बघेली

3) हिंदी भाषा का .... वर्षों का इतिहास है।

   क) 1000 ख) 1500 ग) 500 घ) 1200

4) आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश के .... स्वर थे।

   अ) आठ ख) सात ग) पाँच घ) छः

5) आदिकालीन हिंदी में अधिकांश स्वर .... भाषा के थे।

अ) पालि　　ख) संस्कृत　　ग) अपभ्रंश　　घ) प्राकृत

6) .... आदिकालीन साहित्यकार हैं।

क) नुसरती　　ख) कुली　　ग) शाह मीराजी　　घ) जायसी

7) मध्यकालीन हिंदी पर .... भाषा का अधिक प्रभाव था।

अ) फारसी　　ख) तुर्की　　ग) उर्दू　　घ) स्पेनी

8) आधुनिक कालीन हिंदी में अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप .... ध्वनि प्रयुक्त है।

अ) औ　　ख) ऑ　　ग) ड　　घ) ऐ

9) आधुनिक काल में .... के कारण हिंदी का व्याकरण स्थिर हुआ।

क) महावीर प्रसाद द्विवेदी　　ख) हजारीप्रसाद द्विवेदी
ग) जयशंकर प्रसाद　　घ) कामता प्रसाद

10) .... शब्द तत्सम है।

क) कृष्ण　　ख) कान्ह　　ग) किशन　　घ) किशुन

11) .... शब्द तद्भव है।

क) चाँद　　ख) चन्दर　　ग) चंद्र　　घ) चन्द्रमा

12) 'कबड्डी' शब्द .... है।

क) तत्सम　　ख) तद्भव　　ग) देशज　　घ) अर्धतत्सम

13) जो शब्द पूरी तरह तत्सम नहीं होते वे .... कहलाते हैं।

क) अर्धतत्सम　　ख) तद्भव　　ग) देशज　　घ) विदेशी

14) 'कराटे' शब्द .... भाषा का है।

क) स्पेनी　　ख) जापानी　　ग) जर्मनी　　घ) तुर्की

15) 'रेल' शब्द .... भाषा का है।

क) पुर्तगाली　　ख) फ्रांसीसी　　ग) अंग्रेजी　　घ) अरबी

16) राष्ट्र की भावनात्मक एकता को अभिव्यक्त करने का माध्यम .... भाषा होती है।

क) मातृभाषा　　ख) राजभाषा　　ग) कृत्रिम भाषा　　घ) राष्ट्रभाषा

17) भारत की राष्ट्रभाषा .... है।

क) हिंदी ख) अंग्रेजी ग) उर्दू घ) गुजराती

18) .... राज्य में हिंदी राज्यभाषा और राजभाषा के रुप में व्यवहृत है।

क) तमिलनाडू ख) महाराष्ट्र ग) गुजरात घ) उत्तर प्रदेश

19) हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए महात्मा गांधीजी ने .... भाषा का त्याग कर दिया था।

क) उर्दू ख) संसकृत ग) गुजराती घ) अंग्रेजी

20) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने पर जनता .... भाषा का प्रयोग करती है।

क) राजभाषा ख) राज्यभाषा ग) मातृभाषा घ) संपर्क

21) .... में कबीर पंथियों का बड़ा समूह है।

क) सूरीनाम ख) गुयाना ग) त्रिनिदाद घ) म्यांमार

22) .... देश में हिंदी मातृभाषियों की संख्या एक लाख के ऊपर है।

क) गुयाना ख) दक्षिण अफ्रिका ग) इटली घ) सूरीनाम

आ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए।

1) हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएँ हैं?

2) हिंदी भाषा के विकास का मध्यकाल कहाँ से कहाँ तक माना गया है ?

3) मध्यकाल में किस आंदोलन के कारण अधिक मात्रा में साहित्य लिखा गया ?

4) आधुनिककालीन हिंदी में राजसभा तथा लोकसभा के लिए किस शब्द का प्रयोग होने लगा?

5) किसी प्राचीन या भूतपूर्व भाषा से ज्यों के त्यों ग्रहण किए शब्द किस नाम से पहचाने जाते हैं?

6) अंग्रेजी से लगभग कितने शब्द हिंदी भाषा में आए हैं?

7) दो भाषाओं के योग से किस प्रकार के शब्द बनते हैं ?

8) स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश अपने लिए किस भाषा का निर्धारण करता है?

9) राजकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है ?

10) भारतीय संविधान की किस धारा से हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है?

11) हिंदी भाषा कब से राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई है ?

12) संपर्क भाषा का आशय किस भाषा रुप से है ?

13) 1961 ई. की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं?

14) भारत में प्राचीन काल से किस देश की भाषा संपर्क भाषा रही है ?

15) पूर्वी देशों से भारत का संबंध किस कारण बढ़ा है ?

3.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ :

अधिनियम (ऐक्ट) - विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधी।

व्यवहृत - प्रचलित, अनुष्ठित, व्यवहार या प्रयोग में लाया हुआ।

व्यवधान - बीच में पडनेवाली वस्तु, बाधा।

अपभ्रंश - नीचे गिरना, पतन; बिगाड; शब्द का विकृत रूप प्राकृत भाषाओं का परवर्ती रूप जिनसे उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है।

चीनांशुक - रेशमी कपडा; चीन में बननेवाला या चीन से आनेवाला रेशमी कपड़ा।

तुरुप - ताश का एक खेल जिसमें प्रधान माने हुए रंग का छोटे से छोटा पत्ता अन्य रंग के बड़े से बड़े पत्ते को काट सकता है, सेना का दस्ता।

प्रतिवेदन (रिपोर्ट) - किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन।

संविधिक - विधानसभा द्वारा स्वीकृत वह लिखित विधान जो स्थायी विधि (कानून) के रूप में हो।

अक्षुण्ण - अखंडित, अभग्न।

प्रावधान - किसी कानून के साथ कोई शर्त रख देने का कार्य, उपबंध प्रयोजन।

इतावली - इटली देश संबंधी।

3.6 **स्वयं-अध्ययन प्रश्नों के उत्तर**

अ) 1) (क) - पश्चिमी हिंदी

2) (क) - खडीबोली

3) (क) 1000

4) (क) आठ

5) (ग) अपभ्रंश

6) (ग) शाह मीराजी

7) (क) फारसी

8) (ख) ऑ

9) (क) महावीर प्रसाद द्विवेदी

10) (क) कृष्ण

11) (क) चाँद

12) (ग) देशज

13) क) अर्धतत्सम

14) (ख) जापानी

15) (ग) अंग्रेजी

16) (घ) उत्तर प्रदेश

17) (क) हिंदी

18) (घ) उत्तर प्रदेश

19) (ग) गुजराती

20) (घ) संपर्क भाषा

21) (ग) त्रिनिदाद

22) (ख) दक्षिण अफ्रिका

आ) 1) हिंदी भाषा की पाँच उपभाषाएँ हैं।

2) हिंदी भाषा के विकास का मध्यकाल 1500 ई. से 1800 इ. तक है।

3) मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के कारण अधिक मात्रा में साहित्य लिखा गया।

4) आधुनिक काल में राजसभा तथा लोकसभा के लिए 'सदन' शब्द का प्रयोग होने लगा।

5) किसी प्राचीन या भूतपूर्व भाषा से ज्यों के त्यों ग्रहण किए गए शब्द तत्सम नाम से पहचाने जाते हैं।

6) अंग्रेजी के लगभग 3500 शब्द हिंदी भाषा में आए हैं।

7) दो भाषाओं के योग से संकर प्रकार के शब्द बनते हैं।

8) स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश अपने लिए राष्ट्रभाषा का निर्धारण करता है।

9) राजकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग किया जाता है।

10) भारतीय संविधान की 343(1) धारा से हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है।

11) हिंदी भाषा 14 सितम्बर, 1949 ई. से राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई है।

12) संपर्क भाषा का आशय जनभाषा से है।

13) 1961 ई. की जनगणना के अनुसार भारत में बारह सौ भाषाएँ बोली जाती हैं।

14) प्राचीन काल में मध्यदेश की भाषा संपर्क भाषा रही है।

15) धर्म और संस्कृति के कारण भारत का संबंध पूर्वी देशों से बढ़ा है।

3.7 सारांश :

1) हिंदी भाषा का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। 'हिंदी' पाँच उप-भाषाओं अथवा बोली समूहों (पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी) का सामूहिक नाम है। वर्तमान हिंदी पश्चिमी हिंदी की एक बोली खडी बोली है।

2) हिंदी भाषा की विकास यात्रा को तीन कालों में विभाजित किया गया है। (1) आदिकाल 1000 ई. से 1500 ई. तक (2) मध्यकाल (1500 ई. से 1800 ई. तक) (3) आधुनिक काल 1800 ई. से अब तक)

3) हिंदी भाषा के शब्द समूह में तत्सम, तद्भव, देशज, अर्धतत्सम, संकर और विदेशी शब्द प्राप्त होते हैं इसी कारण हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि हो गई है अर्थात आज हिंदी एक संपन्न भाषा बन गई है। आज वाक्यरचना, मुहावरा तथा लोकोक्ति के क्षेत्र में वह प्रभावशाली भाषा है।

4) हिंदी के राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, आदि रुप हैं। मगर आज 'विश्वभाषा' के रूप में वह ऊँचाई पर पहुँच गई है।

3.8 स्वाध्याय :

अ) लघुत्तरी प्रश्न ।

1) हिंदी भाषा के आदिकाल का सामान्य परिचय दीजिए।

2) हिंदी भाषा के मध्यकाल का सामान्य परिचय दीजिए।

3) हिंदी भाषा के आधुनिक काल का सामान्य परिचय दीजिए।

4) हिंदी के तत्सम शब्दों पर प्रकाश डालिए।

5) हिंदी के शब्द समूह पर प्रकाश डालिए।

6) हिंदी के विदेशी शब्दों पर प्रकाश डालिए।

आ) टिप्पणियाँ –

1) हिंदी भाषा का उद्भव।

2) हिंदी भाषा के विकास का मध्यकाल।

3) हिंदी भाषा का आधुनिक काल।

4) हिंदी के तद्भव शब्द।

5) हिंदी के तत्सम शब्द

6) देशज शब्द समूह।

7) राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी।

8) राजभाषा हिंदी।

9) संपर्क भाषा हिंदी

3.9 क्षेत्रीय कार्य :

1) हिंदी भाषा की विविध बोलियों की जानकारी प्राप्त कीजिए।
2) हिंदी भाषा के अन्य सभी रुपों का परिचय प्राप्त कीजिए।
3) अन्य विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों की सूची बनाइए।
4) विश्व में अमेरिका, जर्मनी एवं जापान को छोडकर अन्य देशों के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा में अध्ययन अध्यापन किया जाता है, सूची बनाइए।
5) विज्ञापन में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों की सूची बनाइए।
6) महाराष्ट्र में मराठी की कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? सूची बनाइए।

3.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

1) हिंदी भाषा और भाषाविज्ञान - डॉ. अशोक के शाह 'प्रतीक'
2) 'गंगनांचल' : नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितम्बर 2012 जोहान्सबर्ग।
3) हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण - डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया।
4) हिंदी भाषा का उद्‌भव और विकास - उदयनारायण तिवारी
5) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक निबंध - डॉ. कैलाशनाथ द्‌विवेदी।
6) भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी
7) भाषाविज्ञान और हिंदी भाषा - डॉ. सुधाकर कलावडे

❖❖❖

इकाई – 4

1) हिंदी की बोलियाँ (अवधी, ब्रज, खडीबोली, भोजपुरी)
2) लिपि विकास का सामान्य परिचय।
3) देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता।

4.1 उद्देश्य।

4.2 प्रस्तावना।

4.3 विषय विवेचन।

4.3.1 हिंदी की बोलियाँ।

4.3.2 लिपि विकास का सामान्य परिचय।

4.3.3 देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता।

4.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न।

4.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ।

4.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर।

4.7 सारांश।

4.8 स्वाध्याय।

4.9 क्षेत्रीय कार्य।

4.10 अतिरिक्त अध्ययन।

4.1 उद्देश्य :

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

1. बोली शब्द का अर्थ समझ सकेंगे।
2. अवधी बोली का क्षेत्र, अवधी का साहित्य एवं उसकी भाषावैज्ञानिक विशेषताओं से परिचित होंगे।
3. ब्रज बोली का क्षेत्र, ब्रज का साहित्य एवं ब्रज बोली की भाषा वैज्ञानिक विशषताओं से परिचित होंगे।
4. खडीबोली का क्षेत्र, खडीबोली का साहित्य एवं उसकी भाषावैज्ञानिक विशेषताओं से परिचित होंगे।
5. भोजपुरी का क्षेत्र, भोजपुरी का साहित्य एवं उसकी भाषावैज्ञानिक विशेषताओं से परिचित होंगे।

6. दक्खीनी बोली का क्षेत्र एवं उसकी भाषावैज्ञानिक विशेषताओं से परिचित होंगे।

7. लिपि का विकास तथा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को समझ सकेंगे।

4.2 प्रस्तावना :

हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इस विस्तृत क्षेत्र में भाषा का एक रूप मिलना असंभव है। हिंदी में एक कहावत है – 'चार कोस पर बदले पानी आठ कोस पर बानी'। इस कहावत के अनुसार हिंदी भी इसका अपवाद नहीं। भाषा जगह-जगह अलग-अलग रुप धारण करती है। हिंदी नौ प्रदेशों की मातृभाषा है। अत: उसके कई रूप दृष्टिगोचर होते हैं। आज संपूर्ण हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्र में हिंदी की लगभग सत्रह बोलियाँ बोली जाती हैं। संख्या के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुल मिलाकर हिंदी भाषा के पांच बोली वर्ग हैं जिन्हें हिंदी की उपभाषाएँ कहा जाता है। इन पांच बोली वर्गो के अंतर्गत कुल सत्रह बोलियाँ आती हैं। बोली के पश्चात, लिपि भाषा के अध्ययन का आधार है। क्योंकि ध्वनियों को रेखाओं में व्यक्त करने की कला ही लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी लिपि का हम वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है क्योंकि इसमें संसार की लगभग सभी भाषओं की ध्वनियों को उच्चारित करनेवाले लिपि चिह्न मौजूद हैं।

प्रस्तुत इकाई में हम हिंदी की अवधी, ब्रज, खडीबोली, भोजपुरी, दक्खीनी का क्षेत्र उसका साहित्य एवं भाषावैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। लिपि के विकास का अध्ययन करेंगे और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का भी अध्ययन करेंगे।

4.3 विषय विवेचन :

4.3.1 हिंदी की बोलियाँ (अवधी, ब्रज, खडीबोली, भोजपुरी) :

बोलियों की दृष्टि से हिंदी भाषा का विशेष महत्त्व है। इसकी बोलियों की संख्या भारत की ही नहीं विश्‍व की सभी भाषाओं से अधिक है, क्योंकि यह एक बृहत्तर क्षेत्र की भाषा है। हिंदी बोलियों की सबसे बडी विशेषता यह है कि उनकी संख्या अत्यधिक होने पर भी उनमें परस्पर बहुत साम्य मिलता है। विश्‍व की शायद ही ऐसी कोई भाषा हो, जिसमें इतनी अधिक बोलियाँ होते हुए भी उनमें काफी साम्य दिखाई देता है। ये बोलियाँ अपनी सीमा रेखा में नहीं हैं, वरन् दूसरी बोली में भी प्रविष्ट होती चली गयी हैं, जिनसे पारस्पारिक साम्य के कारण विभाजन रेखा खींचना कठिन हो जाता है। ध्वनि, व्याकरण, शब्दकोश आदि की दृष्टि से इन सभी बोलियों में साम्य की स्थिति देखकर आश्‍चर्य प्रतीत होता है। ये सारी बोलियाँ अलग-अलग होते हुए भी संपूर्ण हिंदी प्रदेश के लोगों द्वारा शत- प्रतिशत् समझी जाती हैं।

हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाना, राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा बिहार है। जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। पूरे क्षेत्र में हिंदी की पांच उपभाषाएँ हैं, जिनके अंतर्गत मुख्य 17 बोलियाँ हैं, इनके अतिरिक्त हिंदी का एक 'दक्खिनी हिंदी' नामक रूप भी प्रचलित पाया जाता है।

हिंदी भाषा

- 1) पश्चिमी हिंदी
  - 1) खडी बोली (कौरवी)
  - 2) बांगरु (हरियाणवी)
  - 3) ब्रज
  - 4) बुंदेली
  - 5) कनौजी
- 2) राजस्थानी हिंदी
  - 6) मारवाडी
  - 7) जयपुरी
  - 8) मेवाती
  - 9) मालवी
- 3) पूर्वी हिंदी
  - 10) अवधी
  - 11) बघेली
  - 12) छत्तीसगढी
- 4) बिहारी हिंदी
  - 13) भोजपुरी
  - 14) मगही
  - 15) मैथिली
- 5) पहाडी हिंदी
  - 16) पश्चिमी पहाडी
  - 17) मध्यवर्ती पहाडी (कुमायूँनी, गढ़वाली)

उपरोक्त तालिका में हिंदी भाषा को पांच वर्गों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ, राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियाँ, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ, बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ, पहाडी हिंदी में 2 बोलियाँ मिलती हैं। यहाँ अवधी, ब्रज, खड़ीबोली, भोजपुरी, तथा दक्खिनी हिंदी का सामान्य परिचय कर लेंगे।

1) **अवधी :**

यह पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की बोली है। अवध का प्राचीन नाम 'कोसल' था। अतएव इसे 'कोसली' भी कहते हैं।

इसके विकास के संबंध में विद्वानों में एकमत नहीं है। जार्ज ग्रियर्सन इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी से मानते हैं। डॉ. बाबूराम सक्सेना के अनुसार इसका संबंध 'पालि' से अधिक है। डॉ. उदयनारायण तिवारी अवधी की उत्पत्ति किसी बोलचाल की भाषा से मानते हैं। इन तीनों मतों में अंतिम मत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। खडीबोली की भाँति अवधी का विकास भी कोसल प्रदेश में बोली जानेवाली मध्यकालीन किसी जनभाषा से जुडा हुआ है।

i) **क्षेत्र :**

अवधी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। यह लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा बाराबंकी में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त गंगा के पार इलाहाबाद, फत्तेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर, एवं जौनपुर जिलों के कुछ भागों में अवधी बोली जाती है।

ii) **अवधी के क्षेत्रीय रुप :**

डॉ. बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधी के निम्न तीन रूप हैं-

1) **पश्चिमी अवधी :** इसमें खीरी (लखीमपुर), सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव तथा फतेहपुर की अवधी आती है।

2) **केंद्रीय अवधी :** इसमें बहराइच, बारबंकी, एवं रायबरेली की अवधी आती है।

3) **पूर्वी अवधी :** पूर्वी अवधी के अंतर्गत गोण्डा, फैजाबाद, सुलतानपुर, इलाहाबाद, जैनापुर, तथा मिर्जापुर की अवधी का समावेश है।

iii) **साहित्य :**

अवधी में तीन धाराओं का साहित्य मिलता है। 1) संतकाव्य, 2) प्रेमकाव्य, 3) रामकाव्य।

1) **संतकाव्य :** संतकाव्य परंपरा के उन कवियों के - जिन्होंने अवधी को अपने काव्य का माध्यम बनाया है - मलूकदास, मथुरादास, धरनीदास, संतचरणदास, दयाबाई, सहजो बाई आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

2) **प्रेमकाव्य :** प्रेमकाव्य के अधिकांश कवियों का निवासस्थान अवध प्रदेश होने के कारण उनके काव्य में 'अवधी' भाषा का प्रयोग होना स्वाभाविक है। प्रेमकाव्य के अवधी भाषा के कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका 'पद्मावत' अवधी भाषा का उत्कृष्ट ग्रंथ है।

3) **रामकाव्य :** रामभक्तिशाखा के मूर्धन्य कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनका 'रामचरितमानस'

अवधी भाषा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। गोस्वामी जी की रचनाएँ, शुद्ध, परमार्जित तथा व्याकरणसम्मत हैं।

iv) **विशषेताएँ :**

1) अवधी में 'ण' के स्थान पर 'न' का प्रयोग प्रचलित हुआ।

2) इसमें 'ऐ' को 'अई' तथा 'औ' को 'अऊ' कहा जाता है; जैसे कि जैसे-जइसे, और-अउरत

3) 'श', 'स' का उच्चारण 'स' किया जाता है; जैसे कि विश्वास-विस्वास, भूषण-भूसन।

4) व्यक्तिवाचक तथा विदेशी शब्दों में 'वा', 'इवा' लगाया जाते हैं; जैसे कि जगदीसवा, रजिस्टरवा।

5) बहुवचन के लिए कहीं-कहीं एकवचन का प्रयोग होता है; जैसे कि तोहार (तुम के लिए)

6) 'न', 'न्ह', 'नि', 'न्हि' लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं; जैसे लोगन, लरिकन।

२) ब्रज :

ब्रज का पुराना अर्थ 'पशुओं' या 'गौओं का समूह' या 'चरागाह' आदि है। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र कदाचित ब्रज कहलाता है और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज कहलाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है।

i) **क्षेत्र :**

इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बुलन्द शहर, एटा, मैनपुरी, बदायूँ, रायबरेली तथा हरियाणा के पास गुड़गाँव जिले का पूर्वी भाग, मध्यप्रदेश में ग्वालियर जिले का पश्चिमी भाग अदि क्षेत्र में ब्रज व्यवहृत है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फार्रूखाबाद, हरदोई, इटावा तथा कानपुर के जिलों में भी ब्रज ही बोली जाती है। किंतु ब्रजभाषा का प्रमुख क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़ तथा आगरा ही है।

ii) **साहित्य :**

ब्रजभाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध एवं विकसित है। विश्व की अनेक प्रतिष्ठित भाषाओं से कई अधिक साहित्य रचना इसमें उपलब्ध हैं। फिर भी भाषा-वैज्ञानिक जगत् में इसकी गणना बोली के रूप में होती है। महाकवि सूरदास तथा अष्टछाप के कवियों, रीतिकालीन कवियों के अतिरिक्त अनेक आधुनिक कवियों ने भी इसमें सुंदर साहित्य लिखा है। ब्रज भाषा में गद्‌य-साहित्य भी मिलता है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में यह संपूर्ण उत्तरी भारत की प्रमुख साहित्य भाषा रही है। ब्रज हिंदी की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाषा रही है। सूर, नंददास, तुलसीदास, रसखान, रहीम, बिहारी, मतिराम, भूषण, देव, रत्नाकर, भारतेंदू आदि ब्रज के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। ब्रज में लोकसाहित्य भी प्रचूर मात्रा में मिलता है। इसके बोलने वालों की संख्या एक करोड से अधिक है।

ब्रज भाषा के नाम के साथ जुडा हुआ 'भाषा' शब्द इसके अतीत के गौरव का परिचायक है। माधुर्य एवं समासोक्ति की दृष्टि से यह भाषा हिंदी में सर्वोत्कृष्ट है तथा मध्यप्रदेश में विकसित होने के कारण इसमें संस्कृत एवं प्राकृत की श्रेष्ठ उपलब्धियाँ प्रकट हुई हैं। गाँववारी, ढोलपुरी, भरतपुरी, अंतर्वेदी, जादोबारी, भुक्सा अदि इसकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं।

iii) **ब्रज की विशेषताएँ :**

1) खडी बोली में जहाँ 'ए', 'ओ' पाया जाता है, वहाँ ब्रजभाषा में 'ऐ' और 'औ' पाया जाता है; जैसे; - तो, को, पे, में ने के स्थान पर तौ, कौ, पै, मैं, नै पाया जाता है। घोडा-घोडौ, भला-भलौ आदि।

2) खडीबोली के शब्द के अंत में जहाँ पर 'आ', मिलता है, ब्रजभाषा में उसके स्थान पर 'ओ', और कहीं-कहीं 'ओं' भी मिलता है - जैसे कि आया, होता, जाऊँगा, दूजा का ब्रजभाषा में आयो, होतो, जाऊँगो, दूजो, करैगो आदि रूप मिलते हैं।

3) काल की दृष्टि से खडीबोली में भूत काल के लिए जहां 'था' का प्रयोग होता है वहां ब्रज में 'हुसौ' या 'हौ' का।

4) भविष्य काल का रूप 'गौं' जोडने से बनता है, जैसे - मारौंगौ (मारुंगा)

5) ब्रज; हिंदी की समस्त बोलियों में कोमल प्राण बोली मानी जाती है।

6) ब्रज के प्रमुख अव्यय हैं - अजौ, पुनि, जिमि, किमि।

7) सर्वनामों में 'मैं', के स्थान पर 'हौ' का प्रयोग होता है।

8) प्रश्नवाचक - को, कौन के स्थान पर काहि, कहा।

9) अनिश्चयवाचक अव्यय हैं - कोई, कोड, काहू, कहू आदि।

3) **खडीबोली :**

इसके अन्य नाम हिंदोस्तानी, नागरी हिंदी, सरहिंदी तथा कौरवी भी है। डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार 'खडीबोली' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है - 'एक तो मानक हिंदी के लिए जिसकी तीन शैलियाँ हैं - 'हिंदी', 'उर्दू' और हिंदुस्तानी के लिए और दूसरे उस लोकबोली के लिए जो दिल्ली, मेरठ में तथा उसके आस-पास बोली जाती है। इस्लाम के प्रभाव के कारण हिंदी की अन्य ग्रामीण बोलियों की अपेक्षा खडीबोली में अरबी-फारसी के कुछ शब्द आ गए हैं।' किंतु उनमें पर्याप्त ध्वन्यात्मक परिवर्तन भी हो गया है - जैसे-मतलब 'मतबल' में गुवाही 'उगाही' में परिवर्तित हो गए हैं।

i) **नामकरण :**

बोली के संदर्भ में 'खडी' नाम का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 में लल्लू लाल ने किया था। इसके

अतिरिक्त सदल मिश्र ने भी 'खडीबोली' नाम का प्रयोग उसी अर्थ में किया है। खडीबोली के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं -

1) खडीबोली में मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता है। इन कडी ध्वनियों के कारण इसका 'खडी' नाम पडा।

2) कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इसे फोर्ट विलियम में ब्रज और बांगरू की टेक देकर खडा किया गया, इसलिए इसका नाम 'खडीबोली' हुआ।

आचार्य चंद्रबली पण्डेय ने 'खडी' का अर्थ ठेठ बताया है। गिलक्रिष्ट प्रभृति पश्चिमी विद्वानों का मत है कि यह प्रचलित और स्टैण्डर्ड (परिनिष्ठित / खरी) भाषा के रूप में क्रमश: विकसित हुई है, इसलिए इसका नाम खडी बोली पडा। डॉ. हरदेव बाहरी इस मत के समर्थक हैं। इस संदर्भ में उनका कथन है कि ''याद रहे कि इस प्रदेश की भाषा का यह नाम (खडी बोली) तभी पडा जब इसका व्यवहार शिक्षा और साहित्य में 'स्टैण्डर्ड' भाषा' के रूप में होने लगा।

ii) **क्षेत्र :**

शुद्ध रूप में खडीबोली सहारनपुर, मुज्जफ्फरनगर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग, बुलन्दशहर के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त जिला सहारनपुर के पश्चात यमुना नदी के उस पार इस बोली का क्षेत्र अम्बाला तक व्याप्त है। यह अवश्य है कि अम्बाला के पूर्वी और हिमाचल के कलसिया के पूर्वी भाग में इस पर पंजाबी और पहाडी का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। मुरादाबाद तथा रामपुर जनपदों की बोली भी कौरवी या खडीबोली ही है।

iii) **साहित्य :**

खडीबोली को यदि एक लोक बोली के रूप में लिया जाए तो इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है जिसमें पवाडे मुख्य रूप में उल्लेख्य हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह भाषा अत्यंत समृद्ध है। आदिकाल से लेकर अद्यतन काल तक साहित्यकारों ने हिंदी को विकसित किया है। हिंदी, ऊर्दु, हिंदुस्तानी तथा दक्खिनी हिंदी एक सीमा तक खडी बोली पर ही आधारित हैं। विगत 100 वर्षों में इस बोली का आश्चर्यजनक ढंग से विकास हुआ है और साहित्यिक दृष्टि से भी जितनी खडी बोली समृद्ध है उतनी कदाचित कोई अन्य बोली या भाषा नहीं। साहित्य की प्रत्येक विधा काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, पत्र-पत्रिकाएँ आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम यही बोली है। साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में भी इसका अभुतपूर्व महत्त्व है।

iv) **प्रमुख विशेषताएँ :**

1) स्वर लोप की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है, जैसे कि पंडित-पंडत, अंगुठा-गूंठा, धनुष-धनस, इलाज-लाज, मिठाई-मठाई।

2) प्राय: समस्त स्वर सानुनासिक रूप में मिलते हैं जैसे कि मंगता, आँक, बिंदी, गईं, गुँगा, लऊँ, बातें, मैं, सोंठ, धौंस।

3) यदि शब्द के आदि में 'ण' आता है, तो उसका उच्चारण नहीं होता किंतु शब्द के मध्य तथा अंत में 'न' के स्थान पर 'ण' बोलने की प्रवृत्ति बहुतायत से पायी जाती है।, जैसे जाना-जाणा, नमक-णिमक, पाकिस्तानी-पाकिस्ताणी, आदि।

4) 'र' का 'ड', 'ड' का 'र' भी हो जाता है, जैसे चपरासी का चपडासी, कुडक का कुर्क आदि।

5) भिन्न व्यंजन संयोग की निम्नलिखित प्रवृत्ति दृष्टव्य है। यमुना - यम्ना, कार्तिकी-कल्फी, बृहस्पती-भिस्पत, द्वादशी-द्वास्सी।

6) इसमें महाप्राण के पूर्व इसी स्थिति में अल्प प्राण का आगम जैसे - देक्खा, भुक्खा, आदि।

7) इसमें अरबी-फारसी के शब्दों का बाहुल्य है।

8) हिंदी की अन्य बोलियों की अपेक्षा खड़ीबोली में बलाघात कुछ जोर से पडता है।

4) **भोजपुरी :**

आधुनिक हिंदी में भोजपुरी भाषा का हिंदी बोलियों में विशेष महत्त्व है। आधुनिक भोजपुरी शाहाबाद जिले का एक परगना है तथा भोजपुर के नाम 'बडका भोजपुर' और 'छोटका भोजपुर' नाम के दो गाँव रह गये हैं।, लेकिन प्राचीन काल में भोजपुर मल्ल जनपद की राजधानी था तथा राजा भोज के वंशजों ने इसे बसाया था। राजा भोज के नाम पर ही इस नगर का नाम भोजपुर रखा गया था। इस क्षेत्र की भाषा का नाम भी भोजपुरी पडा। भाषा के रूप में भोजपुरी का प्रयोग सर्वप्रथम 1789 ई. में किया गया था।

i) **नामकरण :**

भोजपुरी के अतिरिक्त इस भाषा को 'पूरबी' भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 'भोजपुरिया' भी इसका नाम है। किंतु भोजपुरी नाम ही विशेष प्रसिद्ध है। भोजपुरी की चार प्रमुख बोलियाँ हैं। उत्तरी भोजपुरी दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी, तथा नागपुरिया। दक्षिणी भोजपुरी ही मूल भोजपुर की बोली है। इसके अतिरिक्त सारन बोली, गोरखपुरी, छपरहिया तथा सोनपारी भी इसकी बोलियाँ हैं।

ii) **भोजपुरी की उत्पत्ति :**

भोजपुरी का विकास मागधी प्राकृत से हुआ है। चूँकि पूर्वी प्रदेशों की अधिकांश बोलियाँ मागधी से विकसित हुई हैं, अत: कतिपय भाषावैज्ञानिकों ने भोजपूरी को बंगला की उपबोली माना है। किंतु यह एक राजनीतिक वितण्डवाद है और भोजपुरी की प्रकृति हिंदी के अनुरूप हैं, तथा बहुत कुछ पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली अवधी से मिलती है। डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी भोजपुरी को मगही और मैथिली से भिन्न मानते हैं किंतु वस्तुत: इसका विकास उन्ही भाषाओं के साथ मागधी से ही हुआ है।

iii) **भोजपुरी का क्षेत्र :**

भोजपुरी के प्रमुख क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में भी भोजपुरी व्याप्त है। इसके मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर और जैनपुर एवं बिहार में शाहाबाद, छापरा, सारन, चम्पारण, रांची, पलामू जिला आते हैं। रांची पलामू अब झारखण्ड में हैं। भारत से बाहर मॉरिशस आदि देशों में भी भोजपुरी बोलनेवालों की बड़ी संख्या है। हिंदी बोलियों में यह सबसे बड़ी बोली है। इसके बोलने वालों की संख्या साढे तीन करोड से कुछ ऊपर है।

iv) **विदेशी स्वरूप :**

भोजपुरी का प्रसार न केवल हिंदी प्रदेश अपितु भारत के बाहर भी है। भोजपुरी हिंदी की एक मात्र भाषा है, जिसका विस्तार विदेशों में भी है और अनेक राष्ट्रों की मुख्य भाषा के रूप में भोजपुरी प्रतिष्ठित है। अंग्रेजी शासन में 'गिरमिटिया मजदूर' के रूप में भारत के बाहर जाकर नौकरी करने वाले लोग थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यक्तियों की संख्या अधिक थी। जो धीरे-धीरे उन राष्ट्रों की प्रमुख शक्ति बन गए। इसप्रकार उनकी भाषा के रूप में भोजपुरी भी उन राष्ट्रों में प्रतिष्ठित हुई। ऐसे देशों में मारिशस, फिजी, सूरनीम आदि देश उल्लेखनीय हैं।

v) **साहित्य :**

भोजपुरी में प्राचीन साहित्य नहीं मिलता। मध्यकालीन संत साहित्य पर भोजपुरी का प्रभाव अवश्य पडा है। आधुनिक काल में भोजपुरी सहित्य का विकास अवश्य हुआ। राहुल सांकृत्यायन, कृष्णदेव उपाध्याय, चतुरी चाचा, रघुवीर, भिखारी, ठाकूर आदि की रचनाएँ भोजपुरी में मिलती हैं। भोजपुरी आज गद्य और पद्य दोनों में विकसित हो रही है। इसके अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाएँ भी भोजपुरी में प्रकाशित हो रही हैं। भोजपुरी में चलचित्रों का निर्माण भी हो रहा है। भोजपुरी साहित्य अकादमी द्‌वारा स्वीकृत भाषा है तथा बिहार सरकार ने भोजपुरी अकादमी बनाकर इसके विकास का प्रयत्न किया है। भोजपुरी लोक साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है।

vi) **विशेषताएँ :**

1) ऐ, औ का उच्चारण अई, अउ, होता है। जैसे - पइसा, मइला, गुउना।

2) स, श, का ह, बन जाता है। माहटर (मास्टर), अहश्मी (अष्टमी), निहचै-निश्चय।

3) शब्दों के अंतर्गत 'र' का लोप हो जाता है, जैसे - लरिका-लइका, कीर - कइ।

4) व्यंजन द्‌वित्व की प्रवृत्ति भोजपुरी में अधिक मिलती है। चाकू-चाक्कू, ढेर-गल्ला।

5) भोजपुरी में स्वरों की अनुनासिकता उल्लेखनीय है । ढीढ-ढींढ, पापड-पांपड, पियार-पिंयार आदि।

4.3.2 लिपि विकास का सामान्य परिचय :

प्रस्तावना :

लिपि, भाषा के अध्ययन का आधार है क्योंकि ध्वनियों को रेखाओं में व्यक्त करने की कला ही लिपि कहलाती है। ध्वनियाँ अस्थायी होती हैं, तथा वक्ता और श्रोता के बीच सम्प्रेषण करती हैं। अत: इनके प्रसार की या सम्प्रेषण की एक सीमा होती है। लेकिन लिपि भाषा का वह स्थायी रूप है जो सदियों तक अक्षुण्ण रह सकता है तथा मानव की सभ्यता के विकास में भाषा के इसी लिखित रूप का महत्त्व सर्वोपरी है। इसका प्रसार अति व्यापक है तथा इसके संप्रेषण की कोई सीमा नहीं। लिपि द्‌वारा संसार में कहीं भी कभी भी संप्रेषण किया जा सकता है।

आदिमानव के पास पहले भाषा ही बनी होगी। एक दूसरे से अपनी वस्तुओं को अलग करने के लिए मनुष्य ने कुछ लिखित चिह्न बनाए होंगे। धोबियों के चित्र संभवत: उसी के अवशेष हैं।

4.3.2.1 लिपि शब्द का अर्थ :

'लिपि' शब्द संस्कृत के 'लिप' धातु से बना है। जिसका अर्थ है, 'लपेटना'। मानव भाषा को अंकित करने का साधन लिपि है। जब मनुष्य की शाब्दिक अभिव्यक्ति को सांकेतिक चिह्नो के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए उन चिन्हों में उसका अर्थलीपन किया जाता है, तब लिपि का जन्म होता है। किसी भी भाषा की समृद्‌धि में लिपि का योग सर्वाधिक होता है।

4.3.2.2 लिपि की उत्पत्ति :

लिपि की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विचारधाराएँ प्रचलित हैं। अधिकांश विद्‌वान यही मानते हैं कि लिपि ईश्वर प्रदत्त होती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से माना जाता है। इसका तर्क यह दिया जाता है कि इस लिपि को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है, इसीलिए यह ब्राह्मी कहलाती है। परंतु यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है। वस्तुत: लिपियों का विकास चित्रों, चिह्नों व आडी-तिरछी आकृतियों से हुआ है। ये चित्र या रेखाएँ मनुष्य ने अपनी तत्कालीन समझ एवं समस्याओं के अनुसार खींची थी, तथा समय-समय पर इसमें सुधार होते रहें और आज उसे यह रूप प्राप्त है।

- **लिपि का इतिहास :**

लिपि का काल एवं स्वरूप विवादास्पद है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब मानव ने लिपि के रूप में भाव-प्रकाशन का कार्य आरंभ किया। प्राचीनतम उपलब्ध सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि, 4000 ई. पू. के मध्य तक लेखन की किसी भी अभिव्यक्ति पद्‌धति का कहीं भी विकास नहीं हुआ था और इस प्रकार के प्राचीनतम अव्यवस्थित प्रयास 10,000 ई. पू. से भी कुछ पूर्व किए गये थे। इसका मतलब इन दोनों के बीच अर्थात, 10,000 ई. पू. से 4,000 ई. पू तक लिपि का विकास धीरे-धीरे होता रहा होगा। उपलब्ध विकास से यही तथ्य सामने आता हैं कि चित्रलिपि ही मनुष्य की आरंभिक लिपि रही होगी। प्राचीन मनुष्य द्‌वारा गुफांओं में अंकित चित्र ही इस तथ्य का आधार है।

लिपियों का विकास :

अ.क्र.	काल	लिपि
1.	आरंभिक काल	चित्र लिपि
2.	विकास काल	सूत्र लिपि
3.	मध्यकाल	प्रतीकात्मक लिपि
4.	उत्तर मध्य काल	भावमूलक लिपि
5.	आधुनिक काल	ध्वनिमूलक लिपि
6.	अतिआधुनिक काल	इलेक्ट्रॉनिक लिपि, कंप्यूटर भाषाएँ।

आरंभ में लिपियाँ चित्रमूलक थी, वे धीरे-धीरे चित्र से धागे के रूप में बदली और प्रतीक एवं भाव से होते हुए ध्वनिमूलक में पहुँची। इसका विकासक्रम उपरोक्त रूप से हैं।

- **चित्र लिपि :**

चित्रों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति चित्र लिपि के नाम से अभिहित होती है। यह भाव व्यक्त करने का आदिम तरीका है। प्राचीन काल में मानव गुफाओं की दीवारों पर या अन्य किसी वस्तु पर, पेड की छाल, लकडी, हड्डी या सींग जैसे कठोर सतहों पर आडी-तिरछी रेखाओं को उकेरकर लिखा करता था। ऐसे पुराने चित्र मेरोपोटामिया, ब्रिटेन, युनान, सीरिया, स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, कैलिफोर्निया, आस्ट्रेलिया आदि जगहों पर मिलते हैं। जैसे -

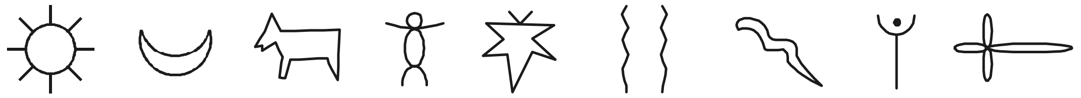

चित्र लिपि में किसी वस्तु को उसके चित्र द्वारा दिखाया जाता था। प्राचीन काल की यह लिपि, एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लिपि थी। सर्वत्र लोग इसे समझ लेते थे। चित्र लिपि में स्थूल वस्तुओं का चित्रण तो हो सकता था। किंतु विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति इसमें संभव नहीं थी। आदमी का चित्र बनना सरल था पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को चित्र के माध्यम से अंकित करना कठिन था। साथ ही साथ समाज में ऐसे कुछ व्यक्ति भी रहे होंगे जिन्हें चित्र निकालना संभव न था। वैसे लोगों को अपने विचार व्यक्त करना अत्यंत कठिन था।

यह कहा जाता है कि चित्र लिपि विकसित होते-होते प्रतीकात्मक हो गई। अत्यंत शीघ्रता की स्थिति में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का चित्रण पूर्ण न होने पर उसके स्थान पर प्रतीक मात्र से ही काम चलाया। ऐसी स्थिति में प्रतीकात्मक या रूढि-चिह्नों को याद रखने की आवश्यकता महसूस होने लगी।

सूत्र लिपि :

यह लिपि विश्व के अनेक देशों में प्रचलित थी। इस लिपि को आज भी भारत सहित अनेक देशों में देखा जा सकता है। स्मरण के लिए आज भी लोग रूमाल, पल्लू आदि में गांठ देते हैं। प्राचीन काल में सूत्र, रस्सी, पेड की खाल आदि में गांठ लगाई जाती थी। धार्मिक कृत्यों में गांठ बांधना, पिपल के वृक्ष पर धागे के चक्कर आदि इसी के उदाहरण हैं। सूत्र लिपि को निम्न प्रकारों से व्यक्त किया जाता था –

- रस्सी में रंग-बिरंगे सूत्र बांध कर।
- रस्सी को रंग-बिरंगे रंग से रंगा कर ।
- रस्सी या जानवरों की खाल आदि में विभिन्न रंगों के मोती, घोंघे, मूंगे या मनके इत्यादि बांध कर।
- रस्सियों की विभिन्न लंबाईयाँ बनाकर।
- रस्सियों की विभिन्न मोटाईयाँ बनाकर।
- रस्सियों में भाँति-भाँति की विभिन्न दूरियों पर गांठ लगाकर।
- डंडे के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मोटाईयों या रंगों की रस्सियाँ बाँधकर।

इस तरह के लेखन का उल्लेख 5 वीं सदी के ग्रंथकार रेहोडोटस् ने किया। पेरू, चीन, तिब्बत, बंगाल, जपान के द्विप, टंजानियाँ आदि जगह सूत्र लिपि मिलती है।

- **रंजानियाँ की सूत्रलिपि :**

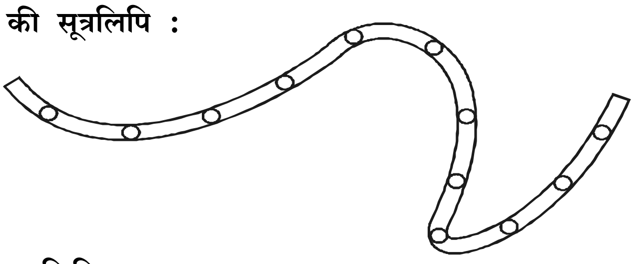

- **प्रतीकात्मक लिपि :**

इस लिपि में संकेतों के माध्यम से संदेश संप्रेषण होता था। भावाभिव्यक्ति प्रतिकात्मक थी। इसे शुद्ध रूप से लिपि नहीं कह सकते, पर दूरस्थ व्यक्ति के लिए भावाभिव्यक्ति का एक साधन था। कई देशों और कबीलों में इसका प्रचार उस काल में प्रचलित था। तिब्बती-चीनी सीमा पर मुर्गे के बच्चे का कलेजा, उसकी चर्बी के तीन टूकडे तथा एक मिर्च लाल कागज में लपेटकर भेजने का अर्थ होता था युद्ध के लिए तैय्यार हो जाओ। इसका नमुना भारत में भी देखा जा सकता है। जब किसी की मृत्यु का संदेश कार्ड पर भेजा जाता है तो कार्ड के एक कोने को काट दिया जाता है। कहीं खतरा हो तो लाल कपडा लहराते हैं। नए मकान और वाहन पर निंबू और मिर्च लटकाई जाती है। या काली हंडी में राक्षस का चित्र बना देते हैं। युद्ध में सफेद झंडा फहराना, स्काउटों का हाथ से बात-चीत करना इसी लिपि के अंतर्गत आता है।

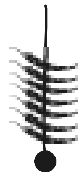

निंबू के ऊपर 7 हरी मिर्च

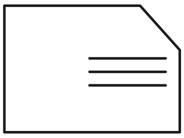

शोक संदेश के लिए कोना कटा पोस्ट कार्ड

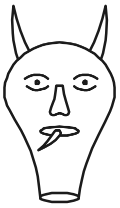

हंडी पर जीभ लपलपाता राक्षस

- **भावमूलक लिपि :**

ऐसी लिपि जो भावों, विचारों तथा वस्तुओं को प्रकट करती है। यह चित्रों पर आधारित रेखात्मक लिपि होती है। यह चित्रलिपि का ही विकसित रूप है। दोनों में अंतर इतना है कि चित्र लिपि में पैर का चित्र पैर की अभिव्यक्ति करता है, किंतु भावमूलक लिपि में वह चलने की क्रिया का द्योतक है। आँखों के साथ ही आँसू चित्रित करने का भाव या दुःखी होना। इस लिपि के अनेक उदाहरण अमेरिका, चीन, उत्तरी अफ्रिका में मिले हैं। इस लिपि के द्‌वारा बडे-बडे पत्र भी लिखे जाते हैं। इस लिपि के बहुत से चिह्न चीनी लिपि में मौजूद हैं। चित्र लिपि की तुलना भाव-लिपि में अधिक सरल, कम समय लेनेवाली तथा अल्प श्रमसाध्य थी। फिर भी उसकी त्रुटियों से मानव परिचित था। इन्ही त्रुटियों को दूर करने के लिए मनुष्य ने ध्वनिमूलक लिपि का आविष्कार किया।

आजकल बुद्‌धी परीक्षा के लिए चित्र देकर उस पर कहानी या घटना का विश्लेषण कराना या चित्र कथा लिखना इस प्राचीन लिपी का आधुनिक रूप है। आजकल फोटोग्राफ या रेखाचित्र देकर बच्चों से कहानी लिखवाना इसी लिपि परंपरा का अवशेष है।

- **भाव-ध्वनिमूलक लिपि :**

ऐसी लिपी कुछ बातों में प्रतीकात्मक होती है और कुछ बातों में ध्वनिमूलक। इसमें कुछ चिह्न चित्रात्मक होते हैं। कुछ भावमूलक और कुछ ध्वनिमूलक होते हैं अर्थात् इनमें इन सबका यथासंभव उपयोग होता है। मेसोपोटैमियन, मिस्त्री तथा हिंदी आदि लिपियाँ इसी लिपि के अंतर्गत आती हैं। कुछ विद्‌वानों के अनुसार सिंधु घाटी की लिपि भी इसी श्रेणी की है।

- **ध्वनिमूलक लिपि :**

इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अक्षर का या चिह्न का संकेत निर्धारित कर लिया जाता है, तथा उसे उसी रूप में उच्चारित करना पड़ता है। इन अक्षरों को क्रम से लगाकर शब्द बनते हैं। शब्दों को व्याकरण के सहयोग से वाक्यों में परिवर्तित किया जाता है। तथा वाक्यों से अर्थ निकले जाते हैं। इस प्रकार की लिपि आधुनिक लिपि है। ध्वनिमूलक लिपि के दो भेद हैं-

अ) अक्षरात्मक लिपि :

इसमें चिह्न किसी अक्षर को व्यक्त करता है, वर्ण को नहीं। नागरी लिपि इसका उदाहरण है। इसके

व्यंजनों में जो ध्वनियाँ होती हैं; यथा, 'क' वर्ण में क्+अ दो वर्ण हैं। इसमें 'क' व्यंजन है और 'अ' स्वर है। यही कारण है कि व्यवहार में उचित होते हुए भी इस लिपि के वैज्ञानिक विश्लेषण में कठिनाई होती है। अरबी, फारसी, बांगला, गुजराती, उडिया, तेलुगू आदि लिपियाँ अक्षरात्मक ही हैं।

ब) वर्णनात्मक :

इसमें ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए अलग चिह्न होते हैं और उनके आधार पर सरलता से किसी भी भाषा का कोई भी शब्द लिखा जा सकता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है। रोमन लिपि इसी प्रकार की है। इसमें 'K' में केवल 'क' ही होता है। इस लिपि का वैज्ञानिक विश्लेषण सरलता से किया जाता है।

इस प्रकार लिपि के विकास क्रम में चित्र लिपि प्रथम अवस्था की लिपि है और वर्णनात्मक ध्वनिमूलक लिपि अंतिम अवस्था की। चित्रात्मक लिपि का विकसित रूप भावमूलक लिपि है और भावमूलक लिपि का विकसित एवं श्रेष्ठ रूप ध्वनिमूलक लिपि है।

4.3.3 देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता :

मानव जीवन में भाषा का अत्यंत महत्त्व है। भाषा का वर्णमाला एवं लिपि से घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक भाषा के लिए एक अलग वर्णमाला आवश्यक होती है। डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया के अनुसार ''वर्णमाला का ध्वनियों के सांकेतिक चिह्न-विशेष की ही संज्ञा लिपि है।'' लिपि शब्द 'लिप्यते' से निकला है, जिसके अनेक अर्थ हैं - लिंपन करना, लेप देना आदि। जब मनुष्य की शाब्दिक अभिव्यक्ति को सांकेतिक चिह्नों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए उन चिह्नों में उसका अर्थलीपंन किया जाता है। तब लिपि का जन्म होता है। किसी भी भाषा की समृद्धि में लिपि का योग सर्वाधिक होता है।

देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख लिपि है। भारतीय संविधान ने इसे राजलिपि, राष्ट्रलिपि के पद पर प्रतिष्ठत किया है। किसी भाषा का ध्वन्यात्मक प्रतिनिधित्व करनेवाली लिपि ही वैज्ञानिक और पूर्ण लिपि कहलाती है। जब हम देवनागरी की तुलना संसार की अन्य लिपियों; रोमन, अरबी आदि से करते हैं, तो पता चल जाता है कि उन लिपियों की अपेक्षा देवनागरी में कुछ ऐसे गुण या विशेषताएँ हैं जिनके फलस्वरूप उसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता संबधी विद्वानों ने अपने मत निम्नानुसार व्यक्त किए हैं-

- **विदेशी विद्वान :**

1) **प्रो. मेनियर विलियम्स :** ''सफल रूप से कहा जा सकता है कि देवनागरी अक्षरों से बढ़कर पूर्ण और उत्तम अक्षर दूसरें नहीं है।''

2) **पिटमैन :** ''संसार में यदि सर्वांश पूर्ण अक्षर हैं, तो देवनागरी के हैं।

3) **ग्राउस :** ''कचहरी के लिए फारसी की यह शैली स्वीकार कर लेने पर विवश होकर नागरी लिपि भी छोड देनी पडेगी, जो एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक लिपि है।''

● **भारतीय विद्वान :**

1) **सेठ गोविंद दास :** ''हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं, समस्त संसार की लिपियों में से सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमारी लिपि में स्वरों और व्यंजनों का जैसा वैज्ञानिक पृथक्करण है वैसा अन्य लिपियों में नहीं।''

2) **डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी :** ''संसार की लिपियों में भारतीय लिपियों की यह विशेषता उल्लेखनीय है कि इसके वर्णक्रम नितांत वैज्ञानिक हैं।''

3) **डॉ. देवेन्द्रकुमार शास्त्री :** ''विश्व की आधुनिक सभी लिपियों में देवनागरी लिपि का स्थान, सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है।''

● **देवनागरी की वैज्ञानिकता :**

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। इसकी वैज्ञानिकता निम्नलिखित विशेषताओं से स्पष्ट होती है :-

1) **अक्षरों का वैज्ञानिक वर्गीकरण :**

देवनागरी की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। जैसे - स्वर पहले वह भी ह्रस्व और दीर्घ क्रम से, बाद में व्यंजन। व्यंजन भी उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न के अनुसार कंठ्य्, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, आदि रूप में हैं। व्यंजन वर्णमाला में भी पहले दो अघोष व्यंजन (क, ख, च, छ) फिर दो घोष (ग, घ, ज, झ आदि) और पाँचवाँ वर्ण अनुनासिक है। इसी प्रकार 'क' वर्ग आदि पाँचों वर्गों के दूसरा और चौथा वर्ण (ख, घ आदि) महाप्राण हैं और पहला तथा तीसरा (क, ग आदि) अल्पप्राण हैं। वर्णों की ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था विश्व की किसी भी भाषा में नहीं है। रोमन, अरबी लिपियों में 'स्वर' 'व्यंजनों' का अलग-अलग वर्गीकरण नहीं है, तथा उच्चारित ध्वनियों का उच्चारण स्थान के क्रमानुसार वर्गीकरण भी नहीं है, जो देवनागरी मे निम्नप्रकार पाया जाता है -

1) कंठ्य - क, ख, ग, घ, ड़

2) तालव्य - च, छ, ज, झ, ञ

3) मूर्धन्य - ट, ठ, ड, ढ, ण

4) दंत्य - त, थ, द, ध, न

5) ओष्ठ्य - प, फ, ब, भ, म

देवनागरी लिपि के ये वर्ण ध्वनियों के उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर पंक्तिबद्ध बिठाए गए हैं जो ध्वनियाँ क्रमश: कंठ्य से सुरू होकर ओष्ठ तक संपन्न होती हैं।

2) **एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिह्न :**

प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र लिपि चिह्न आवश्यक है। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र एक-एक लिपि चिह्न है। जबकि संसार की अन्य लिपियों में यह व्यवस्था नहीं है। जैसे रोमन और उर्दू। रोमन में C, Q, K तीन लिपि चिह्न हैं और उच्चारित ध्वनि 'क' एक ही है। उदा. cat = कैट, kite = काइट, Queen = क्वीन। मतलब, रोमन लिपि में 'क' ध्वनि के लिए K, Q, C का प्रयोग होता है। उर्दू लिपि में भी 'स' ध्वनि के लिए तीन लिपि चिह्न हैं – 'से', स्वाद, सीन, इसी प्रकार 'ज' के लिए 'जे' तथा 'जोय'। इस प्रकार एक ध्वनि के लिए अनेक लिपि चिह्न का प्रयोग अवैज्ञानिक है।

3) **गत्यात्मकता एवं व्यावहारिकता :**

देवनागरी लिपि गत्यात्मक एवं व्यावहारिक है। हिंदी भाषा कई अन्य भाषाओं के संपर्क में आने पर उसे नई-नई ध्वनियों की आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता पूर्ति हेतु देवनागरी में नए लिपि चिह्नों का निर्माण किया गया। क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ऑ आदि चिह्न इसके उदाहरण हैं। इसी तरह अन्य कुछ लिपि चिह्नों का निर्माण किया जाए तो देवनागरी लिपि में विश्व की सारी भाषाओं को लिखने की क्षमता पैदा हो सकती है तथा वह अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनने की भी क्षमता रख सकती है।

4) **निश्चित उच्चारण :**

देवनागरी लिपि में वर्णों के उच्चारण निश्चित हैं। इसके विपरीत रोमन में लिखा कुछ जाता है, और उसका उच्चारण कुछ अलग ही होता है। (Put) शब्द में 'U' का उच्चारण 'उ' है तो (But) शब्द में 'U' का उच्चारण 'अ' है। इसके विपरीत देवनागरी में प्रत्येक वर्ण की उच्चारित ध्वनि निश्चित होती है।

5) **जैसे लिखा जाए-वैसे बोला जाए :**

देवनागरी में जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। अर्थात देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है। जबकि रोमन में बहुत से वर्ण हैं। जिनका उच्चारण नहीं होता जैसे – Knowledge का उच्चारण नॉलेज होता है, इसमें KWD आदि वर्णों का उच्चारण नहीं होता; उसी प्रकार Night, Half आदि शब्दों के उच्चारण ऐसे ही हैं।

6) **ह्रस्व और दीर्घ की स्पष्टता :**

यह नागरी की निजी विशेषता है। इसमें ह्रस्व 'इ' और दीर्घ 'ई' में स्पष्ट भेद है। पर अंग्रेजी में दोनों ध्वनियों के लिए आई (I) से ही काम चल जाता है। जैसे (Nib) निब में 'i' ऱ्हस्व है और Machine में (i) दीर्घ है।

7) **छोटे-बडे की उलझन नहीं :**

नागरी लिपि में रोमन वर्णों के समान छोटे-बडे अर्थात कैपिटल – स्मॉल वर्णों की अलग-अलग

उलझन नहीं; जैसे, A/a B/b आदि।

8) **कलात्मकता, सुंदरता एवं सुगठितता :**

नागरी लिपि के वर्ण अत्यंत कलात्मक, सुंदर एवं सुगठित ढंग से लिखे जाते हैं। इस लिपि में लिखित शब्द अपेक्षाकृत कम स्थान घेरते हैं। जैसे देवनागरी में 'महेश्वर' की अपेक्षा अंग्रेजी में लिखित 'Maheshwara' शब्द अधिक स्थान घेरता है।

9) **स्वर और व्यंजन का योग :**

देवनागरी लिपि को प्रत्येक व्यंजन में स्वर का योग है जैसे कि क= क+अ, ब = ब+अ आदि। अन्य लिपियों में इस प्रकार का योग देखने नहीं मिलता।

10) **व्यापक क्षेत्र :**

देवनागरी लिपि देश के बहुत बडे क्षेत्र में प्रयुक्त हुई है। इसका प्रयोग हिमालय से लेकर महाराष्ट्र तक हरियाणा से बिहार तक है।

इस प्रकार यहाँ देवनागरी लिपि की दस विशेषताएँ प्रस्तुत हैं तथापि कुछ विद्वानों ने इसकी अक्षरात्मकता, वर्णमाला की पूर्णता, लेखन-मुद्रण की एकरूपता, अद्र्ध अक्षर रूपों की सुगमता आदि कुछ और विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके आशय उपरोक्त विशेषताओं में समाहित हैं।

4.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न.

अ) निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायों में से सही पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1) .... यह बोली पश्चिमी हिंदी इस उपभाषा से निकली है।

क) जयपुरी   ख) ब्रज   ग) अवधी   घ) बघेली

2) हिंदी की पांच उपभाषाओं से .... बोलियाँ निकलती हैं।

क) 15   ख) 17   ग) 20   घ) 22

3) पश्चिमी हिंदी से .... बोलियाँ निकलती हैं।

क) 3   ख) 8   ग) 10   घ) 5

4) शौरसेनी अपभ्रंष के मध्यवर्ती रुप से .... इस बोली का विकास हुआ है।

क) अवधी   ख) बघेली   ग) ब्रज   घ) भोजपुरी

5) खडीबोली का एक अन्य नाम .... है।

क) मेवाती   ख) मालवी   ग) मगही   घ) कौरवी

6) प्राचीन काल में भोजपुरी .... जनपद की राजधानी थी।

क) मल्ल ख) भल्ल ग) हल्ल घ) पल्ल

7) ध्वनियों को .... में व्यक्त करने की कला ही लिपि कहलाती है।

क) रेखाओं ख) ध्वनियों ग) स्वरों घ) भावों

8) 'लिपि' शब्द संस्कृत के .... धातु से बना है।

क) विप ख) रिप ग) लिप घ) डिप

9) चित्र के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति .... लिपि के नाम से अभिहित होती है।

क) चित्र ख) सूत्र ग) भाव घ) भावमूलक

10) स्मरण के लिए आज भी लोग रुमाल, पल्लू में .... बांधते हैं।

क) खांट ख) गांठ ग) माठ घ) ठाठ

आ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए।

1) भोजपुरी यह बोली किस उपभाषा से निकली है?
2) हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएँ हैं?
3) अवध का प्राचीन नाम क्या था ?
4) भोजपुर नगर का नाम किस राजा के नाम के आधार पर बना है?
5) तिब्बत-चीनी सीमा पर मुर्गे के बच्चे का कलेजा भेजने का क्या अर्थ था ?
6) प्रतीकात्मक लिपि में कार्ड का कोना काटना क्या दर्शाता है?
7) भारतीय संविधान ने देवनागरी लिपि को किस पद पर प्रतिष्ठित किया है ?
8) उर्दू में 'स' ध्वनि के लिए कितने लिपि चिह्न हैं?
9) दंत्य व्यंजन कौनसे हैं ?
10) देवनागरी लिपि के वर्णों को किन दो वर्गों में विभाजित किया गया है ?

4.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ ।

1) दीर्घ - वह वर्ण जिसका उच्चारण खींचकर हो - जैसे 'अ' का दीर्घ 'आ'
2) कंठ्य - वह वर्ण जिसका उच्चारण कंठ से होता है। क, ख, ग, घ
3) तालव्य - तालू से उच्चारण किया जानेवाला - च, छ, ज

4) मूर्धन्य – वह वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धे की सहायता से होता है – ट, ठ, ड

5) दंत्य – दातों की सहायता से उच्चारण किया जानेवाला।

6) ओष्ठ्य – जिनका उच्चारण ओंठो से हो।

7) अघोष – अल्पध्वनियुक्त।

8) अल्पप्राण – व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पाँचवा अक्षर।

9) महाप्राण – वह वर्ण जिसके उच्चारण में प्राणवायु का विशेष प्रयोग हो।

10) अनुनासिक – नासिक विवर की मदद से मुखोच्चरित ध्वनि (अक्षर) न, म

4.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर :

अ) 1) ब्रज　2) 17　3) 5

4) ब्रज　5) कौरवी　6) मल्ल

7) रेखाओं　8) लिप　9) सूत्र

10) गांठ

आ) 1) भोजपुरी यह बोली बिहारी हिंदी नामक उपभाषा से निकली है।

2) हिंदी भाषा की पांच उपभाषाएँ हैं।

3) अवध का प्राचीन नाम कोसला था।

4) भोजपुर नगर का नाम राज भोज के नाम पर रखा गया है।

5) मुर्गे के बच्चे का कलेजा भेजने का अर्थ – युद्ध के लिए तैय्यार हो जाओ।

6) प्रतीकात्मक लिपि में कार्ड का कोना काटना किसी की मृत्यु के समाचार को दर्शाता है।

7) भारतीय संविधान ने देवनागरी को राजलिपि, राष्ट्रलिपि के पद पर प्रतिष्ठित किया है।

8) उर्दू में 'स' ध्वनि के लिए तीन लिपि चिह्न हैं – से, स्वर, सीन।

9) त, थ, द, ध न दंत्य व्यंजन हैं।

10) देवनागरी लिपि के वर्णों को स्वर और व्यंजन इन दो वर्गों में विभाजित किया गया है।

4.7 सारांश :

1) बोलियों की दृष्टि से हिंदी भाषा का विशेष महत्त्व है। संख्या के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद जरूर हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर हिंदी भाषा के पांच बोली वर्ग हैं। इन पांच बोली वर्ग में कुल सत्रह बोलियों का समावेश है।

2) लिपि के विकास क्रम में चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, भाव ध्वनिमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि अत्यंत महत्त्वपूर्ण लिपियाँ हैं।

3) देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख लिपि है। भारतीय संविधान ने इसे राजलिपि के पद पर प्रतिष्ठित किया है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित एवं प्रतिनिधित्व करनेवाले चिह्न मौजुद हैं। देवनागरी की अपनी कुछ खास विशेषताएँ हैं जो उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध करती हैं।

4.8 स्वाध्याय :

अ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1) बोलियों का विवेचनात्मक परिचय दीजिए।

2) हिंदी की सत्रह बोलियों का परिचय दीजिए।

3) लिपि के विकासक्रम का परिचय दीजिए।

4) देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को स्पष्ट कीजिए।

आ) टिप्पणियाँ लिखिए :

1) अवधी। 2) ब्रजभाषा। 3) खड़ीबोली।
4) भोजपुरी। 5) लिपिविकास। 6) चित्रलिपि।
7) सूत्रलिपि। 8) भावमूलक लिपि। 9) भावध्वनिमूलक लिपि।
10) देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता।

4.9 क्षेत्रीय कार्य :

1) अपने गांव में बोली जानेवाली बोलियों का अध्ययन कीजिए।

2) चित्र लिपि, सूत्र लिपि और प्रतीकात्मक लिपि का सचित्र विश्लेषण कीजिए।

3) देवनागरी लिपि एवं रोमन लिपि का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

4.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए किताबें।

1) भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा - डॉ. सुधाकर कलावडे

2) भाषा और भाषाविज्ञान - तेजपाल चौधरी

3) भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा - डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय, डॉ. प्रमिला अवस्थी

इकाई – 1

1. भाषा विज्ञान की परिभाषाएँ ।
2. भाषाविज्ञान के अध्ययन का महत्व ।
3. भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकता ।

अनुक्रम :

1.1 उद्‌देश्य।

1.2 प्रस्तावना।

1.3 विषय–विवेचन।

1.3.1 भाषाविज्ञान की परिभाषाएँ ।

1.3.2 भाषाविज्ञान के अध्ययन का महत्व ।

1.3.3 भाषा विज्ञान की वैज्ञानिकता।

1.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न ।

1.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ ।

1.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर ।

1.7 सारांश ।

1.8 स्वाध्याय ।

1.9 क्षेत्रीय कार्य ।

1.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए ।

1.1 उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई पढ़ने के उपरांत आप –

1) भाषाविज्ञान का नाम, अर्थ और परिभाषाओं से परिचित हो सकेंगे ।

2) भाषाविज्ञान का विकास और वर्तमान स्थिति को समझ सकेंगे ।

3) भाषाविज्ञान के अध्ययन के महत्व को समझ सकेंगे ।

4) भाषाविज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा पाप्त कर सकेंगे ।

5) विज्ञान और कला की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे ।

6) भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकता समझ सकेंगे ।

7) भाषाविज्ञान के अध्ययन की दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ।

1.2 प्रस्तावना :

'भाषाविज्ञान' भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। 'भाषाविज्ञान' भाषा संबंधी सभी प्रश्नों और समस्याओं का समाधान करता है। भाषा मनुष्य के परस्पर विचार-विनिमय का साधन है। मानव अपने ध्वनि-यंत्र का प्रयोग कर उससे कई प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कर उनके द्‌वारा अपने भावों तथा विचारों का प्रकाशन करता है। यह विचार-विनिमय और भाव प्रकाशन प्रायः ध्वन्यात्मक रुप में होता है। अतः स्वाभाविक रुप से भाषाविज्ञान को लेकर कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। जैसे, भाषाविज्ञान है क्या? भाषाविज्ञान विज्ञान है या कला? भाषाविज्ञान की उपयोगिता क्या है? भाषाविज्ञान का क्या लाभ है? उसकी परिषाभा क्या है? आदि। इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में हमें प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करना है।

1.3 विषय-विवेचन :

यहाँ क्रमशः भाषाविज्ञान की परिभाषाएँ, भाषाविज्ञान के अध्ययन का महत्व तथा भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकता को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे तथापि इसके पूर्व भाषाविज्ञान शब्द, भाषाविज्ञान नामकरण, भाषाविज्ञान का विकास, व्याप्ति एवं भाषाविज्ञान की वर्तमान स्थिति जानने के लिए भाषाविज्ञान की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना अपने आप में आवश्यक हो जाता है।

- **भाषाविज्ञान की पृष्ठभूमि :**

भाषा का इतिहास अति प्राचीन है। आदिम ग्रंथों की रचना के पूर्व भाषा का जन्म हो चुका था। आधुनिक भाषाविज्ञान का जन्म अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इसके जनक 'सर विलियम जोन्स' माने जाते हैं। वे कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रमुख जज थे। उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसायटी के सदस्यों के सामने एक निबंध प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने संस्कृत, ग्रीक और लॅटिन भाषाओं में पाए गए साम्य के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया था कि 'भारत और योरोप की भाषाएँ एक ही स्रोत से विकसित हुई हैं।' इससे भारत और योरोप की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यही भाषाविज्ञान का आरंभ बिंदु था।

प्राचीन काल में भारत की तुलना में पाश्चात्य देशों में भाषाविज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र में उतना गहन अध्ययन नहीं हुआ। युनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और डायोनिमस थ्रैक्स ने भाषाविज्ञान विषयों का गंभीर विवेचन किया है।

7 वीं शताब्दी में भाषावैज्ञानिक अध्ययन में गहराई आई। 20 वीं शताब्दी में तो भाषाविज्ञान के ऐतिहासिक

और तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित भाषाविदों का ध्यान हटकर भाषिक अध्ययन के वर्णनात्मक और एककालिक स्वरूप पर केंद्रित हुआ। 1928 ई. में 'हेग' में अंतर्राष्ट्रीय भाषाविज्ञान परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों में भाषाविज्ञान के चार केंद्र स्थापित हुए। इन केंद्रों को लंदन स्कूल, अमेरिकन स्कूल, प्राग स्कूल और कोपन हॅगन स्कूल के नाम से जाना जाता है। २० वीं शताब्दी के भाषावैज्ञानिकों ने भाषा के अध्ययन को सामाजिक संदर्भों के साथ जोडकर भाषा को देखने की एक नई दृष्टि प्रदान की है। इसप्रकार पाणिनी, पतंजलि, थ्रैक्स से लेकर सर विलियम जोन्स, ब्लूम फील्ड, चोम्स्की, किशोरीदास वाजपेयी, भोलानाथ तिवारी तक सैंकडों मनीषियों ने इसे अपने ज्ञान और चिंतन से समृद्ध बनाया है।

1.3.1 'भाषाविज्ञान' की परिभाषा :

- **'भाषाविज्ञान' शब्द :**

भाषाविज्ञान शब्द दो शब्दों से निर्मित है – भाषा + विज्ञान। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन है। वह विचार – विनिमय का साधन है। भाषा का प्रयोग ध्वनियों पर आधारित होता है। ध्वनियों की विशिष्ट संयोजना सार्थक भाषा का निर्माण करती है। इसी भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण करता है।

'विज्ञान' का अर्थ होता है, शास्त्रीय ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। सरल अर्थ में, उसे ज्ञान का विशिष्ट एवं सम्यक अध्ययन कहा जा सकता है। अतः 'भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले विषय को 'भाषा-विज्ञान' कहा जाता है।' शब्द के अनुसार भाषा का विशिष्ट ज्ञान जिसके द्वारा संभव हो, उसे 'भाषा-विज्ञान' कहा जाता है।

- **'भाषाविज्ञान' का नामकरण :**

भाषाविज्ञान के लिए पहले अंग्रजी में 'साइन्स ऑफ लँग्वेज' नाम था। किन्तु यह नाम लम्बा होने से चल नहीं सका। तब इसके लिए (Linguistics) लिंग्विस्टिक्स शब्द का प्रचलन हुआ। उसका आधार लैटिन शब्द Lingua (जीभ, जिह्वा) है। वस्तुतः फ्रान्स में ही सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था। बाद में अंग्रेजी में 'Linguistics' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। वैसे तो भाषाविज्ञान शब्द पाश्चात्य विद्वानों की देन है। वर्तमान भाषाविज्ञान का आरंभ 1786 में सर विलियम जोन्स के संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन से माना जाता है।

भाषाविज्ञान के लिए आरंभ में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, उनमें एक नाम था 'कम्पेरिटिव ग्रामर' (Comparative Grammar)। पहले व्याकरण और भाषाविज्ञान को मूलतः एक माना गया था। भाषाविज्ञान की सबसे बडी विशेषता तुलना करना है, ऐसा मानकर उसे यह नाम दिया गया था। पर भाषाविज्ञान केवल तुलनात्मक अध्ययन नहीं है यह स्पष्ट होने पर यह नाम छोड दिया गया। सन् 1817 ई. में डेवीज ने भाषाविज्ञान के मिलते-जुलते अर्थ में 'ग्लासॉलोजी' (Glossology) का प्रयोग किया था। 19 वीं सदी के प्रथम तीन चरणों

में भाषाविज्ञान के लिए इसी नाम का प्रयोग किया था। इसी प्रकार प्रिचर्ड ने 1841 ई. में 'ग्लाटॉलोजी (Glottology) का प्रयोग भाषाविज्ञान के लिए किया। मैक्समूलर ने थोडे भिन्न अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया किंतु बीसवीं सदी के आरंभ में इस नाम को भी छोडा गया।

आधुनिक काल में भाषाविज्ञान के लिए भाषाशास्त्र, भाषाविचार, भाषालोचन, तुलनात्मक भाषाविज्ञान, शब्दशास्त्र, भाषातत्व, भाषिकी आदि शब्द प्रयुक्त हो चुके हैं। आज हिंदी में भाषाविज्ञान, भाषाशास्त्र और भाषिकी ये तीन शब्द ही विशेष मान्य एवं उपयुक्त हैं। लेकिन इनमें से 'भाषाविज्ञान' नाम ही सर्वाधिक मान्य एवं प्रसिद्ध है। केंद्रीय सरकार(शिक्षा मंत्रालय, दिल्ली) के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग ने मान्य किया हुआ प्रचलित नाम ''भाषाविज्ञान'' भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त एवं उपादेय है।

- **विविध विद्वानों द्वारा की हुई परिभाषाएँ :**

भाषाविज्ञान के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हम भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

- **भारतीय विद्वान :**

प्राचीन भारत में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत भाषाविज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र में काफी गहराई के साथ अध्ययन हुआ है। संस्कृत साहित्य में भाषाविज्ञान की दो परिभाषाएँ मिलती हैं –

1. ''भाषाया यतु विज्ञानं, सर्वांग व्याकृतात्मकम्,

   विज्ञान दृष्टिमूलं तद् भाषा विज्ञानमुच्यते।''

अर्थात भाषाविज्ञान वह विज्ञान है, जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।

2. ''भाषायाः विज्ञानाम् भाषाविज्ञानम् विशिष्ट ज्ञानम् विज्ञानम।''

अर्थात भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषाविज्ञान कहते हैं।

हिंदी के अनेक विद्वानों ने भाषाविज्ञान को परिभाषा में बाँधने की कोशिश की है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं –

1. **डॉ. श्यामसुंदर दास :–**

''भाषाविज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं, जिसमें भाषा मात्र के भिन्न–भिन्न अंगों एवं स्वरूपों का विवेचन तथा निरुपण किया जाता है।''

अर्थात इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. श्यामसुंदर दास ने भाषाविज्ञान को एक शास्त्र कहा है।

2. **डॉ. मंगलदेव शास्त्री :-**

''भाषाविज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं, जिसमें सामान्य रुप से मानवी भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की समानताओं और विषमताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।''

3. **भोलानाथ तिवारी :-**

''भाषाविज्ञान वह विज्ञान है, जिसमें सामान्य रुप से मानवी भाषा-विशिष्ट, कई और सामान्य-का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक सिद्धांतो का निर्धारण किया गया है।''

4. **डॉ. गुणे :-**

''किसी विशिष्ट परिवार के तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का ध्येय उस परिवार की भाषाओं की पारस्पारिक समानताओं को ज्ञात करनां तथा उनकी व्याख्या करना है।''

5. **डॉ. बाबूराम सक्सेना :-**

''भाषाविज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है।''

6. **देवेंद्रनाथ शर्मा :-**

''भाषाविज्ञान का सीधा अर्थ है - भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान।''

7. **डॉ. नगेंद्र :-**

''भाषा या भाषाओं के सर्वपक्षीय एवं सांगोपांग विवेचन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करनेवाला विज्ञान भाषाविज्ञान है।''

8. **आचार्य सीताराम चतुर्वेदी :-**

''भाषा के वैज्ञानिक तत्व को जानने की विद्या भाषा विज्ञान है।''

9. **डॉ. सरयू प्रसाद अग्रवाल :-**

''भाषाविज्ञान यह विज्ञान है, जो संसार की प्रत्येक भाषा पर लागू होनेवाले सिद्धांतों का निर्धारण करता है।''

10. **डॉ. कपिलदेव द्विवेदी :-**

''भाषा-विज्ञान यह विज्ञान है, जिसमें भाषा का सर्वांगीन विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।''

11. **आचार्य किशोरीदास वाजपेयी :-**

''भाषा संबंधी विशेष ज्ञान युक्ति युक्त ढ़ंग से प्राप्त करना भाषाविज्ञान है।''

12. **डॉ. उदयनारायण तिवारी :-**

''भाषा - शास्त्र का विषय भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना है। इस अध्ययन की सीमा के अंतर्गत मानव कंठ से निःसृत वाणी, प्राचीन तथा आर्वाचीन, संस्कृत एवं असंस्कृत, विद्वान एवं निरक्षर सभी के भाषा के रुपों का समावेश करती है।''

● **पाश्चात्य विद्वान : परिभाषाएँ :-**

पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने भी भाषा का गहन अध्ययन किया है। इन वैज्ञानिकों ने भाषाविज्ञान के लिए अंग्रेजी के जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनमें दो शब्द सर्वाधिक प्रचलित और सर्वमान्य है, वे है Philology और Linguistics.

अतः भाषाविज्ञान के संबंध में पाश्चात्य परिभाषाएँ देखते समय इन दो अंग्रेजी नामों के अर्थ को स्पष्ट करनेवाली परिभाषाओं पर विचार किया जाएगा।

1. **ब्रिटेन का विश्व कोश :**

"The word philology is here, taken as meaning the scince of language i,e. the study of the structure and development of languages, thus corresponding to linguistics."

उपर्युक्त परिभाषा में भाषाविज्ञान के लिए Philology. शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे भाषा का विज्ञान कहा गया है, इसके अंतर्गत भाषाओं का अध्ययन उनकी रचना और विज्ञान की दृष्टि से किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार Philology का जो अर्थ है, वहीं अर्थ Linguistics शब्द का भी है।

2. **ग्लीसन :** (Geleason)

"Descriptive linguistics, the discipline which studies languages in terms of internal structure."

इस परिषाभा में ग्लीसन ने उस विशेष को कहा है, जिसके अंतर्गत भाषओं का डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स अध्ययन करते समय उनकी आंतरिक संरचना को ध्यान में रखा जाता है।

3. **व्हीटनी :** (Whitney)

'भाषा अपनी संपूर्णता में भाषाविज्ञान के अध्ययन का विषय है। इसमें मानवीय वाणी के सभी संभव रुप आ जाते हैं, चाहे वह मनुष्य के मस्तिष्क या मुख में जीवित हो या दस्तावेजों में सुरक्षित अथवा ताम्रलेखों या शिलालेखों में सुरक्षित हो।'

4. **ब्लूम फील्ड :**

"Linguistics is a science which concerns with the scientific study of language in general as well as in perticular."

अर्थात भाषाविज्ञान वह विज्ञान है, जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन सामान्य एवं विशेष रुप से करता है।

5. **कार्ल वासलर :**

"Linguistics means profound philosophy of language in general as well as in particular."

वासलर ने शब्द और अर्थ तत्व पर बल देते हुए यह परिभाषा बनाई है।

6. Dictionary of Linguistics -

"Lingustics - The science of language."

''भाषाविज्ञान भाषा का विज्ञान है।''

7. **ऑस्कर लुइस चावरिया :**

"The general term lingusitics includes in addition to descriptive linguistics historical and comparative study of language."

अर्थात 'भाषाविज्ञान में वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के अतिरिक्त भाषा के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का समावेश होता है।'

8. **हॉकेट :-**

''भाषा के बारे में उपलब्ध व्यवस्थित ज्ञान को भाषाविज्ञान कहते हैं।''

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भाषाविज्ञान की अनेक परिभाषाएँ विद्वानों ने प्रस्तुत की हैं। परिभाषाओं का अनुशीलन करने से स्पष्ट होता है कि,

1. कुछ परिभाषाओं में भाषाविज्ञान के स्वरूप कथन पर बल दिया है।
2. कुछ परिभाषाओं में भाषाविज्ञान के व्यापक अनुसंधानात्मक पक्ष पर बल दिया है।
3. कुछ परिभाषाओं में भाषा अध्ययन की प्रणाली पर बल दिया है।
4. कुछ परिभाषाओं में भाषाविज्ञान की विवेच्य सामग्री पर बल दिया है।
5. कुछ परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि,भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की दिशाएँ भिन्न हो सकती हैं किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोन होना आवश्यक है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर भाषाविज्ञान की सम्यक परिभाषा इस प्रकार हो सकती है- ''भाषाविज्ञान वह विज्ञान है, जो मानव भाषाओं का वैज्ञानिक रीति से सम्यक अध्ययन करता है। अर्थात ''मानव भाषा के वैज्ञानिक, क्रमबद्ध एवं सुसंगठित अध्ययन को भाषाविज्ञान कहते हैं।''

1.3.2 भाषाविज्ञान के अध्ययन का महत्व :

प्रत्येक वस्तु की अपनी उपयोगिता तथा अर्हता होती है। जो वस्तु जितनी ही उपयोगी होगी उससे मानव तथा समाज का उतना ही कल्याण होगा। मानव जाति तथा संस्कृति की समृद्धि तथा कल्याण करना विज्ञान का उद्देश्य है। भाषाविज्ञान की उपयोगिता भी इस संबंध में उपेक्षणीय नहीं है। भाषाविज्ञान के अध्ययन का लाभ, प्रयोजन एवं उपयोगिता क्या है? यह हम निम्नप्रकार स्पष्ट कर सकते हैं-

1. **बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति :**

मानव विवेकप्रधान प्राणी है। भाषा तथा शब्द विषयक अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क में घुमते रहते हैं। उसका इस प्रकार का कौतुहल साहित्य तथा व्याकरण का अध्ययन करते समय अधिक बढ़ जाता है। भाषाविज्ञान इस कौतुहल तथा बौद्धिक जिज्ञासा को तृप्त करने की चेष्टा करता है और साथ ही भाषा संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान उपस्थित करता है। भाषा की उत्पत्ति, उद्भव, विकास, प्रयोग आदि के बारे में हमारी जिज्ञासा भाषाविज्ञान शांत करता है।

2. **विश्वबंधुत्व एवं एकता का विकास :**

भाषाविज्ञान के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी भाषा श्रेष्ठ एवं हेय नहीं है। भाषा की उत्पत्ति तथा भाषा के विभिन्न परिवारों के अध्ययन से विश्वबंधुत्व की भावना वृद्धिंगत होती है। भाषाविज्ञान पाठकों की दृष्टि को अधिक व्यापक और उदार बनाता है। यही कारण है कि यह अपने व्यापकत्व के कारण एक राष्ट्र की सीमित परिधि को लाँघकर विश्व-बंधुत्व तथा मानव मात्र की ऐक्य की भावना का विकास करता है। वह सभी भाषाओं के प्रति सम आदर तथा उदार दृष्टि रखता है। अंततः संसार की समस्त भाषाओं का समान रुप से अध्ययन करने से मानव मात्र में एकता की भावना बढ जाती है। साथ ही भाषाविज्ञान के अध्ययन से विश्व की भाषाओं के प्रति प्रेम, सम्मान की भावना निर्माण होती है।

3. **भाषा की शुद्धता और प्रयोग का ज्ञान :**

भाषा की शुद्धता का संबंध भाषाविज्ञान के अध्ययन से है। कौनसा वर्ण कहाँ से उच्चारित होगा? अर्थनिष्पति के लिए शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाएगा? यह सारी जानकारी भाषाविज्ञान हमें देता है। भाषां और लिपि को अधिक शुद्ध और व्यापक बनाने में इसका अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। भाषाविज्ञान भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। दोषों का परिहार तथा गुणों की वृद्धि करके यह भाषा को अधिक समुन्नत और समृद्ध बनाता है। भाषा, ध्वनि और अर्थ के परिवर्तन के कारणों की खोज करता है ।

4. **भाषा का सम्यक ज्ञान :**

मनुष्य भाषा का जितना उपयोग करता है उतना और किसी दूसरी चीज का नहीं। जिस भाषा से इतना काम लिया जाता है उसका ज्ञान और सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है। भाषा की व्युत्पत्ति से विकास तक, संरचना से प्रेरणा तक, सूचना से चिंतन तक का ज्ञान भाषाविज्ञान कराता है। भाषाविज्ञान भाषा का संपूर्ण ज्ञान कराता है। भाषाविज्ञान, व्याकरण और साहित्य का चिर संबंध है। भाषाविज्ञान के क्षेत्र में शाब्दिक तथा साहित्यिक अध्ययन

में हमें किसी विशेष जाति या मानव समाज के मानसिक स्तर का परिचय मिलता है और उस विचारधारा के विकास से हम अवगत हो जाते हैं। प्रत्येक जाति की विचार अभिव्यक्ति का साधन भाषा है। भाषा का सम्यक अध्ययन भाषाविज्ञान करता है।

5. समाज और संस्कृति के अन्वेषण में सहायक :

भाषाविज्ञान से हम मानव जाति के अतीत तक पहुँच जाते हैं। प्राचीनता की खोज मनुष्य का स्वभाव है। प्राचीन वस्तुएँ प्राय: अतीत के अंधकार में होती हैं। इसी प्राचीन भाषा के अध्ययन से प्राचीन संस्कृति का भी पता लगता है। किसी भी देश की संस्कृति के ज्ञान का आधार उस देश की भाषा होती है। जैसे वैदिक भाषा से भारत की वेदकालीन संस्कृति का ज्ञान होता है।उसी तरह लौकिक संस्कृत से तद्युगीन सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। जिस भाषा से समाज के स्तर और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, उस भाषा को जानने का आधार भाषाविज्ञान है।

6. अन्य ज्ञान-विज्ञानों का सहायक :

भाषाविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विशाल और विस्तृत है। वह किसी भाषा के बंधन को स्वीकार नहीं करता। विश्व की सभी भाषाओं को भाषाविज्ञान ने अपने विराट रुप में समाहित कर लिया है। साथ ही इसका संबंध अनेक शास्त्रों तथा विज्ञानों से है। इतिहास, मनोविज्ञान, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि को भाषाविज्ञान तर्कसंमत बना देता है।

इसके साथ ही भाषाविज्ञान व्याकरण का पथ-प्रदर्शक है। इतिहास की तिथियाँ निश्चित करने के लिए भाषाविज्ञान की ऐतिहासिक भाषाविज्ञान नामक शाखा मदद करती है।

किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थिति का अध्ययन भाषाविज्ञान की सहायता से किया जाता है। भूगोल-वेत्ता भाषाविज्ञान की जानकारी से भाषा में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। भाषाविज्ञान की सहायता से ताम्रपत्रों, शिलालेखों एवं पांडुलिपियों का अर्थ समझा जाता है। मनोरुग्णों की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में भाषाविज्ञान की पर्याप्त सहायता होती है। भाषाविज्ञान और मनोविज्ञान की परस्पर उपयोगिता के कारण भाषाविज्ञान की नई शाखा 'मनोभाषाविज्ञान' अस्तित्व में आ गई है।

सामाजिक स्थिति, सभ्यता, परंपरा आदि पर प्रकाश डालने का काम भाषाविज्ञान करता है। प्रांतीय भाषा निश्चित करने, राज्यभाषा नीति अपनाने, सीमावर्ती क्षेत्रों की भाषा निश्चित करने के लिए भाषावैज्ञानिक राजनीति में काफी सहायता कर सकते हैं। आज सूचना प्राद्यौगिकी के युग में भाषाविज्ञान का विस्तृत आयाम खुल गया है।

अतः उपर्युक्त ज्ञान-विज्ञान की सहायता से भाषाविज्ञान मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि करता है।

7. प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक अनुसंधान में योग :

प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतियों के ज्ञान के लिए मनुष्य हमेशा से ही प्रयासरत है। मानवीय सभ्यता के अतीत को जानने का कौतुहल उसके मन में है। हम भाषाविज्ञान के अध्ययन से अज्ञात तथा अंधकारमय अतीत

के अंत:स्थल में प्रवेश कर मानवीय संस्कृति और सभ्यता के रहस्य और भेदों का अनावरण कर देते हैं। जिस युग का इतिहास इतिहास को भी ज्ञात नहीं, भाषाविज्ञान उस काल का इतिहास लिखने में समर्थ है। प्राचीन काल की मुद्राओं पर अंकित अक्षर, शिलालेख, ताम्र-पट का विश्लेषण भाषावैज्ञानिक ही कर सकता है।

8. अनुवाद में सहायक :

अनुवाद मतलब केवल एक भाषा के शब्द (स्रोत भाषा) के लिए दूसरी भाषा का (लक्ष्य भाषा) शब्द रखना नहीं बल्कि एक भाषा की वैचारिक निधि को दूसरी भाषा में यथावत रखने का प्रयास है। अनुवाद प्रायोगिक भाषाविज्ञान के अंतर्गत आता है। अनुवाद का कार्य समुचित ढंग से होने के लिए भाषाविज्ञान सहायता करता है। भाषा विज्ञान के पास दुनिया की किसीभी भाषा का संरचनात्मक अध्ययन उपलब्ध होता है। भाषाविज्ञान से किसी भी भाषा की रचना का सूक्ष्म अध्ययन कर उच्च कोटि का तथा सटीक अनुवाद किया जा सकता है।

9. कृत्रिम भाषा के विकास में सहायक :-

विश्व के लिए एक सामान्य भाषा का विकास तथा निश्चय करने में भाषाविज्ञान का अध्ययन परम उपयोगी है। पूरे विश्व में वैचारिक आदान-प्रदान के लिए एक ही भाषा का सृजन भाषाविज्ञान कर रहा है। जैसे, 'एस्पेरैंतो' भाषा। इस भाषा के जनक जमेनहाफ हैं करीब 50,000 से अधिक पुस्तकें इस भाषा में प्रकाशित हुई हैं। युरोप में अनेक विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन हो रहा है। साथ ही इसी भाषा में युरोप के बाईस रेडिओ स्टेशनों पर समाचार प्रसारित होते हैं।

10. तुलनात्मक अध्ययन में सहायक :-

भाषाविज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक विज्ञान की अनेक शाखाओं की उत्पत्ति हुई हैं। जैसे, तुलनात्मक नीति और धर्मविज्ञान। अनेक जातियों के धर्म तथा मतों का तुलनात्मक अध्ययन आदि।

11. लिपि के निर्माण तथा सुधार में सहायक :-

भाषा और लिपि को अधिक शुद्ध और व्यापक बनाने में भाषाविज्ञान का अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। भाषाविज्ञान भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। दोषों का परिहार तथा गुणों की वृद्धि करके यह भाषा और लिपि को अधिक समुन्नत और समृद्ध बनाता है। भाषा, ध्वनि और अर्थ परिवर्तन के कारणों की खोज करता है।

12. वाक्-चिकित्सा के लिए आवश्यक :-

ध्वनियों के उच्चारण में गलतियाँ क्यों होती हैं? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता हैं? आदि उच्चारण विषयक दोषों का निराकरण भाषाविज्ञान में किया जाता है। कुछ लोग तुललाहट, हकलाहट के कारण अशुद्ध उच्चारण करते हैं। उन्हें अपने भाव व्यक्त करने में मुसीबत होती है। ऐसे लोगों की चिकित्सा में भाषाविज्ञान सहायता करता है।

स्वरयंत्र, स्वर-तंत्री, नासिका विवर, तालु, दाँत, जीभ, कंठ, होंठ आदि में उत्पन्न दोषों के कारण मनुष्य

तुतलाता है। इन सब दोषों की चिकित्सा का अध्ययन भाषाविज्ञान में किया जाता है। इसका उपयोग मनुष्य के बोलने, सुनने संबंधी दोषों का निराकरण करने के लिए किया जाता है।

13. **पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण और भाषा के मानकीकरण में उपयोग :-**

भाषा का विकास और अभिव्यंजना में वृद्धि के लिए भाषाविज्ञान का योगदान सराहनीय है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में भाषाविज्ञान मूलभूत सामग्री देता है। संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी भाषा के शब्दों में प्रत्यय जोडकर भाषाविज्ञान की सहायता से पारिभाषिक शब्द गढ़े हैं। क्रमिक पुस्तकों के निर्माण में भाषाविज्ञान मूलभूत सामग्री देता है। भाषा के रूप को संमत बनाने का काम भाषाविज्ञान करता है। एकाध शब्द कहाँ से आया? वह कितना प्राचीन है आदि का गहराई में जाकर पता लगाने का काम भाषाविज्ञान करता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाषाविज्ञान का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात मानव-समाज एवं संसार लाभान्वित हो सकता है। भाषाविज्ञान अत्यंत उपयोगी एवं समाज कल्याणपरक होता है। संसार की समृद्धि के लिए भाषाविज्ञान अत्यंत उपयोगी एवं कल्याणकारी विषय है। भाषाविज्ञान का अध्ययन हमारे लिए उतना उपयोगी है, जितना किसी भी अन्य शास्त्र का। जीवन के सभी अंगो से भाषाविज्ञान जुड चुका है।

1.3.3 भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकता :-

भाषाविज्ञान पर विचार करते समय कहा गया है कि इसमें भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इस तरह स्पष्ट है कि यह विज्ञान है। सही रुप में देखा जाए तो भाषाविज्ञान निश्चित रुप से विज्ञान है किंतु प्रश्न यह है कि उसे विज्ञान कहना कहाँ तक उचित है? भाषाविज्ञान विज्ञान है या कला? और अगर यह विज्ञान है तो क्यों और किस सीमा तक विज्ञान है? यह स्पष्ट रुप से समझने के लिए विज्ञान और कला की विशेषताओं को देखना और दोनों की विशेषताओं के आधार पर भाषाविज्ञान को परखना आवश्यक है।

1. **विज्ञान की विशेषताएँ :-**

'विज्ञान' शब्द का मूल अर्थ 'विशिष्ट ज्ञान' है। कभी-कभी विज्ञान को 'शास्त्र' भी कहा जाता है। 'विज्ञान' अपने आप में कोई विषय नहीं, बल्कि एक दृष्टि है, ज्ञान की विशिष्ट पद्धति है। अंग्रेजी के science शब्द का पर्याय है, 'विज्ञान'। विज्ञान का मूल अर्थ True Knowledge होता है। विज्ञान का ज्ञान सत्य, अटल, निश्चित सत्य होता है। विज्ञान का अर्थ किसी वस्तु का सम्यक परिक्षण करना, कारणों का पता लगाना, तुलना करना तथा प्रयोग के द्वारा सिद्धांत निश्चित करना है।

विज्ञान का मुख्य आधार है, कार्य कारण नियम की नित्यता। अर्थात कारण के रहने पर कार्य का होना अनिवार्य है। विज्ञान में विकल्प की गुंजाइश नहीं होती। विज्ञान खोज करता है कि अगर कोई घटना घटित होती है या कोई कार्य होता है तो इसका कारण क्या है?

विज्ञान की दूसरी विशेषता है - प्रयोग। चिंतन और मनन के बाद प्रयोगों के द्वारा वैज्ञानिक विश्लेषण को प्रामाणिक बनाना।

विज्ञान के नियम शाश्वत होते हैं। उसके नियम सर्वत्र लागू होते हैं और उनका फल प्रायः एक ही होता

है। उदा. 'हवा गर्म करने पर हल्की होती है' - यह विज्ञान का शाश्वत नियम है।

विज्ञान में निश्चयात्मकता होती है। विज्ञान सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। सत्य का अन्वेषण करता है। सत्य को प्रस्थापित करता है। विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है इस कारण विज्ञान की दृष्टि विश्लेषणात्मक होती है।

विज्ञान सामग्री प्रधान विषय है। इसमें व्यक्तिगत रुचियों का कोई स्थान नहीं? विज्ञान शुष्क होता है। विज्ञान के निर्मित नियम तात्विक दृष्टि से अपवाद रहित होते हैं। विज्ञान के नियम सूक्ष्म प्रयोगों से निश्चित किए जाते हैं।

समुचित रुप में विज्ञान का कार्य किसी वस्तु का सम्यक परीक्षण करना, कारणों का पता लगाना तथा तुलना एवं प्रयोगों के द्वारा सिद्धांत निश्चित करना है।

2. कला की विशेषताएँ :-

कला का एकमात्र लक्ष्य मनोरंजन होता है। कला का मतलब सौंदर्य की सृष्टि करना है। कला यह व्यक्ति की कृति है। कला में सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति होती है। कला का क्षेत्र निश्चित नहीं है। विज्ञान और कला के सत्य में अंतर होता है। कला विज्ञान से भिन्न है।

कला हृदय से संबंधित है, अतः वह बुद्धि की अपेक्षा हृदय के अधिक निकट है। इस कारण कला में भावना होती है। वह हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति का साधन बन जाती है।

कला व्यक्तिनिष्ठ होती है। कला रचनात्मक होती है। कला के कोई नियम नहीं होते। कला प्रत्येक व्यक्ति की रुचि के अनुसार विभिन्न होती है। एक ही सामग्री से कलाकार अपनी-अपनी रुची के अनुसार विभिन्न रचनाओं का निर्माण कर सकतें हैं। कला के लिए कोई भी विषय साधन होता है, साध्य नहीं। कला पूर्णतः मानवी कृति है।

उपर्युक्त विवेचन से कला और विज्ञान का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तथापि दोनों की कसौटियों पर भाषाविज्ञान को कस कर निर्णय करना उचित है कि भाषाविमान विज्ञान है या कला?

3. भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकता :-

भाषाविज्ञान नाम से ही पता चलता है कि यह भाषा का विज्ञान है। कोई व्यक्ति सहज ही अनुमान कर सकता है कि यह अवश्य ही विशुद्ध रुप में विज्ञान है। पर उसे विज्ञान कहना कहाँ तक उचित है? यह देखने के लिए भाषाविज्ञान का विश्लेषण आवश्यक है।

भाषाविज्ञान में भाषा से संबंधित बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर उसका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही संबंध स्थापित करने का प्रयास होता है। विज्ञान में पदार्थों में कार्यकारण संबंध होता है। याने कि किसी कारण विशेष के उपस्थित रहने पर ही कार्य होता है। विश्लेषण से बिखरी हुई घटनाओं में संगति या तारतम्य स्थापित होता है। ठीक उसी प्रकार विज्ञान का मूलाधार कार्यकारण भाव भाषाविज्ञान में भी होता है।

चिंतन और विचार के पश्चात प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक विश्लेषण को प्रामाणिक बनाया जाता है। विज्ञान की प्रमुख विशेषता प्रयोग है। भाषाविज्ञान में भाषा के प्रयोग किए जाते हैं। भाषा विज्ञान के ध्वनिशास्त्र में ध्वनि संबंधी प्रयोग किए जाते हैं। भाषा की उत्पत्ति, रचना, विकास का पता लगाने के लिए कई प्रयोग हुए हैं। अकबर बादशाह, फ्रेडरिक द्वितीय, मिस्त्र के राजा सैमेटिकस और स्कॉटलैंड के जेम्स चतुर्थ ने इस प्रकार के प्रयोग किए थे।

विज्ञान में शाश्वत नियम होते हैं। विज्ञान की भाँति भाषाविज्ञान में भी सिद्धांत अथवा नियम होते हैं। विज्ञान की भाँति भाषाविज्ञान भी सिद्धांत अथवा नियम निर्धारण से संबंध रखता है। जिस प्रकार विज्ञान में किसी वस्तु का सम्यक् परीक्षण करके उसके संबंध में नियम निर्धारित किए जाते हैं, उसी प्रकार भाषाविज्ञान में भी भाषा की उत्पत्ति, रचना, विकास आदि सभी तत्वों के विश्लेषण से सामान्य नियम निश्चित कर लिए जाते हैं।

विज्ञान में विकल्प की गुंजाईश नहीं होती। विज्ञान का परिणाम सार्वकालिक और सार्वत्रिक होता है। विश्व के किसी भी कोने में प्रयोग करने पर हमें परिणाम एक ही मिलता है पर भाषाविज्ञान के नियम सार्वत्रिक नहीं है। भाषाविज्ञान के नियमों में एकाधिक अपवाद भी मिलता है। भाषा परिवर्तनशील है अतः कभी-कभी नियम के विरुद्ध नये शब्द और ध्वनियाँ भी देशकाल और वातावरण के प्रभाव से आ जाती हैं। परिणामस्वरूप विज्ञान की भाँति इसके नियम सर्वत्र, सार्वकालिक और शाश्वत नहीं है। 'मर्म' और 'कर्म' रुप की दृष्टि से समान है किंतु एक का विकास 'मरम' तथा दूसरे का'काम' के रुप में हुआ है। यह विषय विकास शुद्ध वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में हमें विकल्प और अनुमान पर आश्रित होना पडता है। विभिन्न भाषाओं पर एक ही नियम कैसे लागू हो सकता है? साथ ही ध्वनिपरिवर्तन के कारण सभी भाषाओं में एक-से कैसे हो सकते हैं? इस पर भी सोचना आवश्यक है।

भाषाविज्ञान कला न होकर विज्ञान के अधिक निकट पड़ता है। कला का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन करना और सौंदर्य की सृष्टि करना है जबकि; भाषाविज्ञान का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना है। भाषा समाज की संपत्ति है, कला व्यक्ति की कृति है। कला में सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति होती है जब कि भाषाविज्ञान में ज्ञानार्जन, सत्यान्वेषण, बौद्धिकता होती है। कला का क्षेत्र निश्चित नहीं है, इसमें देशकाल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। जब कि भाषाविज्ञान यह विज्ञान होने से उसके तत्व परिवर्तित नहीं होते। इसमें सर्वव्यापकता दिखती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषाविज्ञान कला नहीं है।

भाषाविज्ञान में विज्ञान के अधिकांश लक्षण दिखाई देते हैं। पर कहीं कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं। इसलिए भाषाविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान (Natural Science) के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। भाषाविज्ञान भौतिकशास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र की तरह विज्ञान नहीं है अपितु यह कला भी नहीं है। भाषाविज्ञान अन्य विज्ञानों की अपेक्षा नया विज्ञान है, इसलिए यह अन्य विज्ञानों की अपेक्षा कम व्यवस्थित और कम नियमित है।

आज कल अध्ययन के विषयों को तीन वर्गों में रखने की परंपरा चल पड़ी है।

क. प्राकृतिक विज्ञान (Natural Science) जैसे, भौतिकी, रसायनशास्त्र, आदि।

ख. सामाजिक विज्ञान (Social Science) जैसे, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि।

ग. मानविकी (Humanities) जैसे, साहित्य, संगीतशास्त्र, चित्रकला आदि।

यदि भाषाविज्ञान को इनमें रखने की बात उठाई जाए तो वह समवेत रुप से सामाजिक विज्ञान के निकट पड़ेगा। यों यदि उसके विभिन्न विभागों की ओर देखें तो उसका 'ध्वनिविज्ञान-शास्त्र', विशेषतः ध्वनि के उच्चरित होने के बाद कान तक के संचरण का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है तो उसकी 'शैलीविज्ञान-शास्त्र शाखा' एक सीमा तक मानविकी में।

निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि भाषाविज्ञान को विज्ञान मानना चाहिए। कहीं-कहीं उसमें अपवाद मिलते हैं मगर समग्र दृष्टि से विचार करने पर भाषा-विज्ञान विज्ञान है, कला नहीं यह मानना ही पड़ता है। वैसे तो भाषाविज्ञान में कला की तरह उपयोगिता, मनोरंजकता और व्यवहार ज्ञान है। किंतु यह सब गौण रुप में है भाषाविज्ञान में कार्यकारण भाव, प्रयोग, निरीक्षण, परीक्षण आदि वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। अतःएव भाषाविज्ञान को 'विज्ञान' कहना ही समुचित है।

1.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न :

अ) निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1. भाषाविज्ञान व्याकरण का ..... है।

   क) विज्ञान ख) प्रकार ग) अंग घ) व्याकरण

2. भाषाविज्ञान के अंतर्गत भाषा का..... अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।

   क) वैज्ञानिक ख) भौगोलिक ग) सामूहिक घ) ऐतिहासिक

3. लिंग्विस्टिक्स..... भाषा का शब्द है।

   क) अंग्रजी ख) ईरानी ग) जापानी घ) लैटिन

4. भाषाविज्ञान भाषा का..... अध्ययन करता है।

   क) प्रायोगिक ख) वैज्ञानिक ग) ऐतिहासिक घ) मानक

5. ..... को भाषाविज्ञान का जनक माना जाता है।

   क) थ्रैक्स ख) ब्लूम फील्ड ग) सर विलियम जोन्स घ) चोम्स्की

6. वर्तमान भाषाविज्ञान का आरंभ ..... ई. में माना जाता है।

   क) 1678 ख) 1786 ग) 1886 घ) 1986

7. ..... ई. में भाषाविज्ञान परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था।

   क) 1928 ख) 1972 ग) 1828 घ) 1786

8. 'विज्ञान' का अर्थ है ..... ज्ञान।

क) विशिष्ट ज्ञान ख) भौतिक ग) रासायनिक घ) हिंदी

9. भाषाविज्ञान का प्रारंभिक नाम ..... था।

क) व्याकरण ख) ध्वनिविज्ञान ग) भाषाशास्त्र घ) तुलनात्मक व्याकरण

10. भाषाविज्ञान का सबसे बडा योगदान ..... को है।

क) राजनीति ख) भूगोल ग) इतिहास घ) समाज विज्ञान

11. लैटिन शब्द 'Lingua' का अर्थ है .....

क) भाषा ख) जिह्वा ग) प्रयोग घ) ज्ञान

12. परिषद के पश्चात विभिन्न देशों में भाषाविज्ञान के ..... केंद्र स्थपित हुए।

क) दोन ख) पाँच ग) चार घ) दस

13. वैदिक भाषा से भारत की ..... संस्कृति का ज्ञान होता है।

क) हडप्पा ख) पुरातत्व ग) वेदकालीन घ) मध्यकालीन

14. इतिहास में भाषाविज्ञान की ..... शाखा मदद करती है।

क) मनोविज्ञान भाषाविज्ञान ख) राजनीति भाषा विज्ञान

ग) ऐतिहासिक भाषाविज्ञान घ) तुलनात्मक भाषाविज्ञान

15. मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में ..... भाषाविज्ञान मदद करता है।

क) प्राकृतिक ख) मानविकी ग) मनोभाषा घ) भौगोलिक

16. अनुवाद ..... भाषाविज्ञान के अंतर्गत आता है।

क) वर्णनात्मक ख) विवरणात्मक ग) विश्लेषणात्मक घ) प्रायोगिक

17. विश्वबंधुत्व की भावना का विकास ..... के अध्ययन से होता है।

क) विशेष भाषा ख) बोली ग) भाषाविज्ञान घ) अर्थविज्ञान

18. ..... आंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम भाषा है।

क) लैटिन ख)एस्पेरैंतो ग) हिंग्लीश घ) ईरानी

19. एस्पेरैंतो में करीब ..... से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

क) 50,000 ख) 5000 ग) 500 घ) 50

20. आजकल अध्ययन के विषयों को ..... वर्गों में रखा जाता है।

क) दो ख) तीन ग) चार घ) पाँच

आ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए।

1. विज्ञान क्या है?

2. लिंग्वेस्टिक (Linguistic) शब्द की व्युत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है?

3. भाषाविज्ञान को सर्वप्रथम कौनसा नाम दिया गया था?

4. भाषाविज्ञान के जनक कौन हैं?

5. भाषाविज्ञान का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था?

6. भाषाविज्ञान के दो पर्यायवाची नाम बताइए?

7. रॉयल एशियाटिक सोसायटी के सदस्यों के सामने सर विलियम जोन्स ने कौनसा मत व्यक्त किया था?

8. कृत्रिम भाषा 'एस्पेरैंतो' के जनक कौन है?

9. प्राचीन काल में ध्वनिविज्ञान के लिए कौनसा नाम प्रचलित था?

10. भाषाविज्ञान का उदय काल कौनसा माना जाता है?

11. कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

12. भाषाविज्ञान विज्ञान है या कला ?

13. भाषाविज्ञान के चार केंद्र कौनसे हैं?

14. 'एस्पेरैतों' भाषा में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हैं?

15. विज्ञान का मुख्य आधार क्या है?

16. भाषाविज्ञान किस अध्ययन विषय के निकट है?

1.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

अभिलक्षण - मूलभूत लक्षण।

भाषिक संरचना - भाषा की रचना के विभिन्न स्तर।

व्यवहृत - प्रचलित।

अन्वेषण - खोज, शोध, अनुसंधान।

विज्ञान - ज्ञान की विशिष्ट पद्धति, विशेष ज्ञान।

सम्यक् - परिपूर्ण, सर्वांगीण।

पाण्डु लिपि - हस्तलिखित प्रतिलिपि।

अर्जित - अर्जन की हुई, प्राप्त की हुई।

निष्काम - निरपेक्ष, स्वार्थ-रहित।

सुकरात - 'सॉक्रेटिस' नाम का हिंदी रुपांतर।

आत्माभिव्यक्ति - स्वयं को अभिव्यक्त करना।

ब्रेल - लिपि - अंधो के लिए प्रयुक्त लिपि।

1.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर :

प्रश्न 1. अ.

1) व्याकरण	11) जिह्वा
2) वैज्ञानिक	12) चार
3) अंग्रेजी	13) वेदकालीन
4) वैज्ञानिक	14) ऐतिहासिक
5) सर विलियम जोन्स	15) मनोभाषा
6) 1786	16) प्रायोगिक
7) 1928	17) भाषाविज्ञान
8) विशिष्ट ज्ञान	18) एस्पेरैंती
9) तुलनात्मक व्याकरण	19) 50,000
10) समाज विज्ञान	20) तीन

प्रश्न 1. आ.

1. विज्ञान का अर्थ होता है - विशिष्ट या शास्त्रीय ज्ञान।
2. लिंग्वेस्टिक (Linguistics) शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द 'Lingua' से हुई है।
3. भाषाविज्ञान को सर्वप्रथम 'तुलनात्मक व्याकरण' (Comparative Grammar) नाम दिया गया।
4. भाषाविज्ञान के जनक 'सर विलियम जोन्स' है।

5. भाषाविज्ञान का प्रथम अधिवेशन 'हेग' में 1928 ई. में हुआ।

6. भाषाविज्ञान के पर्यायवायी नाम है – भाषाशास्त्र, भाषाविचार, भाषा लोचन, भाषा तत्व, भाषिकी, आदि।

7. 'भारत और योरोप की भाषाएँ एक ही स्रोत से विकसित हुई हैं' यह मत सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसायटी के सदस्यों के सामने व्यक्त किया था।

8. कृत्रिम भाषा 'एस्पेरैंतो' के जनक 'जमेनहाफ' है।

9. प्राचीन काल में ध्वनिविज्ञान के लिए 'शिक्षा' यह नाम प्रचलित था।

10. भाषाविज्ञान का उदय काल 1786 ई. माना जाता है।

11. कला का प्रमुख उद्देश्य 'मनोरंजन' होता है।

12. भाषाविज्ञान भाषा का 'वैज्ञानिक अध्ययन' है।

13. लंदन स्कूल, अमेरिकन स्कूल, प्राग स्कूल, कोपन हेगन स्कूल ये भाषा विज्ञान के चार केंद्र हैं।

14. 'एस्पेरैंतो' भाषा में करीब 50,000 पुस्तकें प्रकाशित हैं।

15. विज्ञान का मुख्य आधार कार्य-कारण-नियम की नित्यता है।

16. भाषाविज्ञान 'समाज विज्ञान' अध्ययन विषय के अधिक निकट है।

1.7 सारांश :

1. 'भाषा' मनुष्य के विचार-विनिमय का प्रमुख साधन है। भाषाविज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भाषाविज्ञान शब्द 'भाषा' और 'विज्ञान' इन दो शब्दों के योग से बना है। यह Linguistics का हिंदी रुपांतर है। भाषाविज्ञान का सर्वप्रथम नाम तुलनात्मक व्याकरण था। इसके पर्यायी नाम भाषाशास्त्र, भाषिकी, भाषाविचार आदि है। आधुनिक भाषाविज्ञान का आरंभ 1786 ई. में माना जाता है। भाषाविज्ञान के जनक 'सर विलियम जोन्स' है।

2. भारतीय तथा पाश्यात्य विद्वानों ने भाषाविज्ञान को परिभाषाबद्ध करने की कोशिश की है। भाषाओं का वैज्ञानिक रीति से सम्यक् अध्ययन भाषाविज्ञान है।

3. भाषाविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व इस प्रकार हैं – बौद्धिक जिज्ञासा की पूर्ति, विश्वबंधुत्व की भावना का विकास, भाषा की शुद्धता और प्रयोग का ज्ञान, भाषा का सम्यक् ज्ञान, समाज और संस्कृति अन्वेषण में सहायक, अन्य ज्ञान – विज्ञानों का सहायक, प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक अनुसंधान में योग, अनुवाद में सहायक, कृत्रिम भाषा के विकास में सहायक, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, लिपि निर्माण तथा सुधार में सहायक, वाक् चिकित्सा के लिए आवश्यक पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण और भाषा के मानकीकरण में

सहायक आदि। जीवन के हर क्षेत्र से भाषाविज्ञान जुड़ा है।

4. विज्ञान और कला की अलग-अलग विशेषताओं का अध्ययन करने और उनके आधार पर भाषाविज्ञान को परखने से पता चलता है कि भाषाविज्ञान विज्ञान है, कला नहीं। कला का प्रमुख उद्‌देश्य मनोरंजन होता है जब कि विज्ञान में कार्य-कारण-नियम की नित्यता होती है। भाषाविज्ञान में विज्ञान के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। मगर कहीं - कहीं पर कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं। इसलिए हम भाषाविज्ञान को शुद्‌ध विज्ञान नहीं कह सकते। वैसे तो भाषाविज्ञान सामाजिक विज्ञान के अधिक निकट है।

1.8 स्वाध्याय :

अ. दीर्घोत्तरी प्रश्न -

1. भाषाविज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषाएँ दीजिए।
2. भाषाविज्ञान का महत्व एवं उपयोगिता स्पष्ट कीजिए।
3. भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकता का विवेचन कीजिए।
4. भाषाविज्ञान विज्ञान है या कला? स्पष्ट कीजिए?

आ. टिप्पणियाँ

1. भाषाविज्ञान का नामकरण।
2. भाषाविज्ञान का स्वरूप।
3. भाषाविज्ञान की भारतीय परिभाषाएँ।
4. भाषाविज्ञान की पाश्चात्य परिभाषाएँ।
5. विज्ञान की विशेषताएँ।
6. कला की विशेषताएँ।
7. भाषाविज्ञान के चार लाभ।
8. भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकता।

1.9 क्षेत्रीय कार्य :

1. भाषा संबंधी प्रयोगशाला की जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. भाषाविज्ञान के उपयोग का परिचय प्राप्त कीजिए।
3. विज्ञान के विषय तथा भाषाविज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

4. अंग्रेजी और हिंदी भाषा की वाक्य-रचना की तुलना कीजिए।

5. स्थानीय बोली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कीजिए।

1.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए ।

1. भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा : - डॉ. हणमंतराव पाटील।
2. भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा : - डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय, डॉ. प्रमिला अवस्थी।
3. भाषाविज्ञान की भूमिका : - देवेंद्रनाथ शर्मा।
4. हिंदी भाषा और भाषाविज्ञान : - डॉ. अशोक के. शाह, 'प्रतीक'।
5. भाषिकी, हिंदी भाषा तथा भाषाशिक्षण : - डॉ. अंबादास देशमुख।
6. भाषाविज्ञान : - डॉ. श्यामसुंदरदास।
7. भाषाविज्ञान. और हिंदी भाषा : - डॉ. सुधाकर कलावडे।
8. भाषाविज्ञान : - डॉ. भोलानाथ तिवारी।
9. सामान्य भाषाविज्ञान : - बाबूराव सक्सेना।
10. भाषाविज्ञान के सिद्धांत और हिंदी भाषा : - डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना।

इकाई – 2

भाषाविज्ञान के प्रधान अंगों का सामान्य परिचय

(ध्वनिविज्ञान, शब्दविज्ञान, पदविज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थविज्ञान)

अनुक्रम :

2.1 उद्देश्य।

2.2 प्रस्तावना।

2.3 विषय-विवेचन।

2.3.1 भाषा विज्ञान के प्रधान अंग ।

2.4 स्वयं अध्यन के लिए प्रश्न।

2.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ ।

2.6 स्वयं - अध्ययन प्रश्नों के उत्तर ।

2.7 सारांश ।

2.8 स्वाध्याय ।

2.9 क्षेत्रीय कार्य ।

2.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए ।

2. 1 उद्देश्य :-

प्रस्तुत इकाई पढ़ने के उपरांत आपको -

1) भाषाविज्ञान के प्रधान अंगों का परिचय प्राप्त होगा।

2) भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का महत्त्व समझेगा।

3) भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों के कार्य समझ में आएँगे।

4) भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों की उपयोगिता समझ में आयेगी।

2.2 प्रस्तावना :-

यह निश्चित है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और उसका निश्चित विभाजन करना कठिन है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए, उसे ठीक से समझने के लिए विषय का विभाजन करना अनिवार्य होता है। इस

विभाजन को अलग-अलग नाम देकर उन्हें अंगों से अभिहित किया जाता है। तथापि ज्ञान-विज्ञान की ये सभी शाखाएँ या अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भाषा यह भाषाविज्ञान का विषय है। अध्ययन की सुविधा के लिए भाषावैज्ञानिकों ने इस विषय को कई अंगो में विभाजित किया है। भाषा विज्ञान के प्रधान अगं कौनसे हैं? प्रधान अंगों का क्या महत्त्व है? उनका कार्य किस तरह चलता है? उनकी उपयोगिता क्या है? इन सारे प्रश्नों के संदर्भ में इस इकाई में अध्ययन किया जा रहा है।

2.3 विषय-विवेचन :-

भाषावैज्ञानिकों ने भाषा विज्ञान के सारे अंगों को प्रधान अंग और गौण अंगों में विभाजित किया है। इस इकाई में हम भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों के सामान्य परिचय पर ध्यान देंगे।

2.3.1 भाषा विज्ञान के प्रधान अंग :-

भाषा विज्ञान में भाषा का गहरा और विस्तार से अध्ययन किया जाता है। अतः इसमें भाषा के सभी घटकों अर्थात अंगों का अध्ययन होता है। भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने गहरा अध्ययन किया है। 'भाषा' शब्द से उसके मुख्य चार अंगों का बोध होता है। ये चार अंग हैं -

1) ध्वनि विज्ञान - (Phonetics)

2) पद विज्ञान या रूप विज्ञान - (Morphology)

3) वाक्य विज्ञान - (Syntax)

4) अर्थ विज्ञान - (Semantics)

इनके अतिरिक्त डॉ. भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान के दो और अंग बताए हैं -

1) शब्द विज्ञान -(Wordalogy)

2) प्रोक्ति विज्ञान -(Discoursology)

भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों को हम इस प्रकार से सीढियों में देख सकते हैं। भाषा की निर्मिती में भाषा की महत्त्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई 'ध्वनि' है। सार्थक ध्वनिसमूह से 'शब्द' का निर्माण होता है। शब्दों को रूप देने से 'पदों' की निर्मिती होती है। अनेक पदों की व्याकरणिक रचना से 'वाक्य' बन जाता है। वाक्यों से ही 'अर्थ' की प्रतीति होती है- और पूर्ण अर्थ की प्रतीति करा देनेवाले वाक्यसमूह को 'प्रोक्ति' कहते हैं। इस तरह ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ, प्रोक्ति आदि भाषा विज्ञान के प्रधान अंग निश्चित होते हैं और इनका भाषा विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है।

1) **ध्वनि विज्ञान -** (Phonetics)

भाषा विज्ञान के जिस अंग में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है उसे 'ध्वनि विज्ञान' कहते हैं। इसे 'स्वन विज्ञान' भी कहा जाता है। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। ध्वनि समूहों से ही भाषा का निर्माण होता है। ध्वनि

भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा के अंतर्गत ध्वनि का महत्त्वपूर्ण स्थान होने से ही ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है।

ध्वनि से संबंध रखनेवाले अवयवों में मुख विवर, नासिका विवर, स्वर-तंत्री, ध्वनि यंत्र आदि वाग्वयवों का समावेश हैं। इन उच्चारण स्थानों का ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि के उच्चारण से संबंधित अवयवों को 'वाग्यंत्र' कहते हैं।

कंठ, वर्त्स, तालु, दाँत, ओष्ठ आदि सारे वाग्यंत्र के अंग हैं और इनमें हर एक अंग से अलग-अलग ध्वनियों की निर्मिती होती है। जैसे, कंठ से 'क' वर्ग की, वर्त्स से'च' वर्ग की, तालु से'ट' वर्ग की, दाँतों से'त' वर्ग की, ओष्ठों से'प' वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण होता है। ये सारी ध्वनियाँ मुख से निसृत होती हैं।

ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों के साथ-साथ ध्वनि विकास और उनके परिवर्तन के कारणों और दिशाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से होता है। ध्वनियों का उत्पादन, संवहन, ग्रहण की शैलियों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ध्वनियंत्र तथा वागवयवों का परिचय भी इस अंग से प्राप्त होता है। यह अध्ययन समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से किया जाता है।

ध्वनि की तीन शैलियाँ उल्लेखनीय हैं - उच्चारण या उत्पादन, प्रसरण या संवहन तथा श्रवण। इन शैलियों को ध्वनि विज्ञान की मुख्य तीन शाखाएँ मानी जाती हैं।

1) उच्चारण या उत्पादन ध्वनि विज्ञान -इसमें उच्चारण संबंधित सभी बातों का अध्ययन होता है।

2) संवहन या प्रसरण ध्वनि विज्ञान - इसमें उच्चारण के फलस्वरूप बननेवाली ध्वनि लहरियों का अध्ययन होता है।

3) श्रवण ध्वनि विज्ञान - इसमें ध्वनियों की श्रवण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।

उच्चारण प्रणाली वाग्यंत्र से जुडी है। संवहन की प्रणाली हवा से जुड़ी है और श्रवण प्रणाली कर्ण से जुड़ी है। इन सभी का अध्ययन ध्वनि विज्ञान में होता है।

ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि से संबंधित महत्त्वपूर्ण विषय 'ध्वनि नियम' का समावेश है। ध्वनि विकास और ध्वनि परिवर्तनों को ध्यान में रखकर ध्वनि नियम बनाए जाते हैं। जैसे, 'ग्रिम नियम' इसी से संबंध रखते हैं। इसमें भाषा के इतिहास का ध्वनि की दृष्टि से अध्ययन होता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत 'ध्वनिग्रामविज्ञान' आदि विभाग भी होते हैं।

2) शब्द विज्ञान -

भाषा विज्ञान के जिस अंग में शब्द का अध्ययन किया जाता है उसे 'शब्द विज्ञान' कहते हैं। शब्द विज्ञान का निर्माण डॉ. भोलानाथ तिवारी ने किया है। रूप या पद का मूल आधार शब्द है। अतः भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने शब्द रचना का विचार रूप विज्ञान या अर्थ विज्ञान में किया है। साथ ही इस विभाग के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण, नामविज्ञान, व्यक्ति या भाषा के शब्दसमूह में होनेवाले परिवर्तन के कारण और दिशाएँ आदि पर विचार किया जाता है। 'कोश विज्ञान' तथा 'व्युत्पत्ति विज्ञान' यह शब्द विज्ञान के अंग हैं। शब्दों की

व्युत्पत्ति, शब्दों के नियमों का अध्ययन तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक रूप से इस विभाग में किया जाता है।

3) **पद विज्ञान या रूप विज्ञान** – (Morphology)

ध्वनि विज्ञान के जिस अंग में पद या रूप का अध्ययन किया जाता है उसे 'पद विज्ञान' कहते हैं। इसे 'रूप विचार' या 'पद रचना शास्त्र' भी कहा जाता है। सार्थक ध्वनियों के समूह से शब्द का निर्माण होता है। शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करने से 'पद' या 'रूप' बन जाते हैं। शब्द में संबंधतत्त्व (रचनातत्त्व), विभक्ति जुड़ जाने पर पद की रचना होती है। पद का सीधा अर्थ है पैर। पैर का काम चलना होता है, जब ये पद चलने लगते हैं तब वाक्य बनता है। शब्द का निश्चित अर्थ निकलने पर या शब्द वाक्य में चलने पर उसे 'पद' कहा जाता है। शब्दों में प्रत्यय या विभक्तियाँ जुड़ जाने से अर्थात वह वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बनने पर वह पद बन जाते हैं। जैसे, श्याम, राम, दूध, नहलाया इन चार शब्दों का अपना निश्चित अर्थ है जो मूलार्थ है। सिर्फ इन चार शब्दों से वाक्य नहीं बनता बल्कि इन शब्दों को प्रत्यय और विभक्तियाँ जोड़कर उन्हें वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बनाया जाता है। जैसे, 'श्याम ने राम को दूध से नहलाया। यहाँ शब्द पदों में रुपातंरित किए और उनका पारस्परिक संबंध बना दिया। इसमें श्याम, राम, दूध, नहलाया यह 'अर्थतत्त्व' है तो ने, को, से ये संबंधतत्त्व हैं। इस तरह अर्थतत्त्व और संबंधतत्त्व के योग से पदों का और पदों से वाक्य का निर्माण होता है।

पद विज्ञान के अंतर्गत पदों का विकास तथा उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। लिंग, वचन, काल आदि का अध्ययन भी इसी अंतर्गत होता है। रूप विज्ञान या पद विज्ञान में पद परिवर्तन के कारण, पद परिवर्तन की दिशाएँ आदि का अध्ययन किया जाता है। रूप निर्माण प्रक्रिया भी इसमें आती है। इसमें रुपों का परिवर्तनमूलक और व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन होता है। यह अध्ययन समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक प्रकार से किया जाता है।

4) **वाक्य विज्ञान** – (Syntax)

भाषा विज्ञान के जिस अंग में वाक्य का अध्ययन किया जाता है उसे 'वाक्य विज्ञान' कहते हैं। इसे 'वाक्य विचार' या वाक्य-रचनाशास्त्र भी कहा जाता है। भाषा का प्रधान कार्य विचार-विनिमय करना है और विचार-विनिमय वाक्य के द्वारा होता है। भाषा में वाक्य को सर्वाधिक महत्त्व है इसीकारण इसे महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है।

वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य की संरचना, उसके अवयव आदि का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में भाषा में वाक्य प्रयोग की स्थिति, अर्थ का भी विचार होता है। वाक्य विज्ञान में वाक्यों के गठन का गंभीर अध्ययन किया जाता है। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण तथा क्रियापदों का प्रयोग होता है। अतः इनका अध्ययन भी वाक्य विज्ञान का विषय बन जाता है। वाक्य के दो विभाग हैं उद्देश्य और विधेय। वाक्य का कर्ता और उससे संबंधित बातों को 'उद्देश्य' कहते हैं और क्रिया तथा उससे संबंधित बातों को 'विधेय' कहते हैं। जैसे, दशरथ पुत्र राम अयोध्या जाता है। इस वाक्य में 'राम ' कर्ता है, और उससे संबंधित शब्द 'दशरथपुत्र' है अत: 'दशरथपुत्र राम' यह उद्देश्य है उसीतरह 'जाता है' क्रिया

है और उससे संबंधित शब्द है 'अयोध्या', अतः अयोध्या जाता है' यह विधेय है। इसतरह वाक्य के इन विभागों का भी वाक्य विज्ञान में अध्ययन होता है।

वाक्य विज्ञान में वाक्य के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भिन्न-भिन्न आधारों पर वाक्य के भिन्न-भिन्न प्रकार किए जाते हैं। वाक्य विज्ञान में वाक्य की अवधारना, वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य परिवर्तन, परिवर्तन के कारण, परिवर्तन की दिशाएँ आदि का अध्ययन होता है। ध्वनि विज्ञान की तुलना में यह शाखा बहुत कठिन है। अतः यह अध्ययन समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक प्रकार से किया जाता है।

5) **अर्थ विज्ञान –**

भाषा विज्ञान के जिस अंग में अर्थ का अध्ययन किया जाता है उसे ''अर्थविज्ञान'' कहते हैं इसे ''अर्थविचार'' भी कहा जाता है, 'अर्थ के बिना भाषा का कोई महत्त्व नहीं है। भाषा का शरीर वाक्य से चलकर ध्वनि की इकाई पर समाप्त होता है। शरीर के बाद आत्मा का विचार अनिवार्य है। 'अर्थ' भाषा का आंतरिक पक्ष है जिसे 'आत्मा' भी माना जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान के कुछ विद्वान इसे भाषा का अंग न मानकर उसे दर्शनशास्त्र अथवा मनोविज्ञान का विषय मानते हैं। उनका यह कहना भी कुछ मात्रा में सही है। तथापि अर्थ के लिए ही भाषा का प्रयोग होता है। ध्वनि, वाक्य, पद, शब्द भाषा के शरीर रूप में प्रयुक्त हैं और अर्थ आत्मा के रूप में। अतः अर्थ विज्ञान के अध्ययन के बिना भाषा का अध्ययन सार्थक नहीं बन पाता है।

शब्द और अर्थ का क्या संबंध है? शब्द के अर्थ की प्रतीति क्या है? किसी शब्द या अर्थ का परिवर्तन कैसे होता है? यह सारा अध्ययन इसमें होता है। जैसे, 'असुर' शब्द का अर्थ पहले देवता था लेकिन आज 'राक्षस' या 'दानव' है। या 'स्वर्गवास' शब्द का अर्थ पहले देवताओं का निवास था लेकिन आज वह 'मृत्यु' के अर्थ में व्यवहृत है। इन अर्थ परिवर्तनों के कारणों की मीमांसा अर्थविज्ञान में की जाती है।

अर्थ विज्ञान में प्रायः शब्दों के अर्थ का निर्धारण, उसके स्तर, विकास, कारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्दों के अर्थ परिवर्तन के कारण, अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ, पर्याय, विलोम आदि का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। अर्थ से संबंधित इन सारे विषयों का अध्ययन समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक प्रकार से किया जाता है।

2.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न –

प्रश्न 1. अ) निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायी शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1) .... को अंग्रजी में phonetics कहा है।

क) शब्द विज्ञान ख) अर्थ विज्ञान ग) ध्वनि विज्ञान घ) पद विज्ञान

2) भाषा की लघुतम इकाई..... है।

क) ध्वनि ख) शब्द ग)पद घ) वाक्य

3) ध्वनि को ..... भी कहा जाता है।

क) रूप   ख) स्वन   ग) पद   घ) शब्द

4) पद विज्ञान को ही ..... विज्ञान कहा जाता है।

क) वाक्य   ख) शब्द   ग) रूप   घ) ध्वनि

5) शब्द का परिवर्तित रूप ..... है।

क) पद   ख) वाक्य   ग) अर्थ   घ) ध्वनि

6) ..... को भाषा की आत्मा कहा जाता है।

क) पद   ख) वाक्य   ग) अर्थ   घ) प्रोक्ति

7) रूप या पद का मूल आधार ..... है।

क) ध्वनि   ख) अंग   ग) अर्थ   घ) शब्द

प्रश्न 1. आ) निम्निलिखित प्रश्नों के उत्तर एक ही वाक्य में लिखिए।

1) भाषा विज्ञान के प्रधान अंग कौनसे हैं?

2) स्वन विज्ञान के प्रधान अंग कौनसे है?

3) ध्वनि विज्ञान की कौनसी शाखाएँ हैं?

4) पद विज्ञान के अन्य नाम कौनसे हैं?

5) अर्थ विज्ञान की परिभाषा लिखिए?

6) भाषा की आत्मा किसे कहा जाता है?

2.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ –

स्वन = वाक् ध्वनि

ध्वनि = स्वर या व्यंजन

उपसर्ग = धातु या शब्द के पहले जुड़ता है; जैसे, समालोचना में 'सम' उपसर्ग है।

प्रत्यय = शब्द के अंत में जुडता है; जैसे, बुद्धिमान, मानवता में क्रमशः 'मान', 'ता' प्रत्यय हैं।

2.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर –

प्रश्न 1. अ)

1) ध्वनि विज्ञान   2) ध्वनि   3) स्वन   4) रूप

5) पद 6) अर्थ 7) शब्द

प्रश्न 1. **आ)**

1) ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शब्द विज्ञान और प्रोक्ति विज्ञान ये भाषा विज्ञान के प्रधान अंग हैं।

2) स्वन का पर्यायी नाम ध्वनि है।

3) उच्चारण ध्वनि विज्ञान, संवहन ध्वनि विज्ञान, श्रवण ध्वनि विज्ञान ये ध्वनि विज्ञान की शाखाएँ हैं।

4) रूप विचार, पद-रचनाशास्त्र आदि पदविज्ञान के अन्य नाम हैं।

5) भाषा विज्ञान के जिस अंग में अर्थ का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थ विज्ञान कहते हैं।

6) अर्थ को भाषा की आत्मा कहा जाता है।

2.7 सारांश -

1) भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन अर्थात विशेष या विशिष्ट ज्ञान होता है। वर्तमानकाल में भाषा विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। तकनीकी युग और यंत्र युग के कारण भाषा विज्ञान का क्षेत्र बढ़ चुका है। भाषा विज्ञान के अध्ययन की सुविधा के लिए ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान अर्थ विज्ञान, प्रोक्ति विज्ञान आदि अंगों में उसका विभाजन किया है।

2) ध्वनि विज्ञान में ध्वनि, उनका वर्गीकरण, परिवर्तन, दिशाएँ, ध्वनियंत्र, ध्वनि नियम आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। इसमें उच्चारण ध्वनि विज्ञान, संवहन ध्वनि विज्ञान और श्रवण विज्ञान पर सूक्ष्म विचार होता है।

3) शब्द विज्ञान में शब्दों का वर्गीकरण, नामविज्ञान, व्यक्ति या भाषा के शब्दसमूह में होनेवाले परिवर्तनों के कारण, दिशाएँ शब्दों के नियमों पर भी विचार किया जाता है।

4) पद विज्ञान या रूप विज्ञान में पदों का विकास, कारण तथा धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें पद परिवर्तन के कारण, पद परिवर्तन की दिशाएँ आदि के अध्ययन के साथ पद के परिवर्तनमूलक और उत्पत्तिमूलक अध्ययन होता है।

5) वाक्य विज्ञान में वाक्य की संरचना, उसके अवयव, वाक्य प्रयोग की स्थिति, अर्थ और वाक्य गठन पर गंभीर अध्ययन किया जाता है। इसमें वाक्य के विभाग, प्रकार, वाक्य की अवधारना, वर्गीकरण, वाक्य परिवर्तन के कारण, दिशाएँ आदि पर विचार किया जाता है।

6) अर्थ विज्ञान में प्रायः शब्दों का अर्थ निर्धारण, उसके स्तर, विकास के कारणों का अध्ययन किया जाता है। शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ की प्रतीति के साथ शब्दों के अर्थ परिवर्तन के कारण, दिशाएँ, पर्याय, विलोम आदि का अध्ययन भी इसमें किया जाता है।

2.8 स्वाध्याय :-

अ) दिर्घोत्तरी प्रश्न -

1) भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का परिचय दीजिए।

2) भाषा विज्ञान के अंगों को स्पष्ट कीजिए।

ब) लघुत्तरी प्रश्न -

1) ध्वनि विज्ञान को स्पष्ट कीजिए।

2) पद विज्ञान को स्पष्ट कीजिए।

3) वाक्य विज्ञान को स्पष्ट कीजिए।

4) अर्थ विज्ञान को स्पष्ट कीजिए।

5) शब्द विज्ञान और प्रोक्ति विज्ञान को स्पष्ट कीजिए।

इ) टिप्पणियाँ -

1) ध्वनि विज्ञान। 2) पद विज्ञान। 3) वाक्य विज्ञान।

4) अर्थ विज्ञान।

2.9 क्षेत्रीय कार्य -

1) भाषा विज्ञान के गौण अंगों का सामान्य परिचय दीजिए।

2) वाग्यंत्र, ध्वनिनियम, कोशविज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान की अधिक जानकारी पाइए।

3) किसी एक अंग को लेकर दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

2.10 अतिरिक्त -

1) भाषाविज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी।

2) भाषा और भाषाविज्ञान - डॉ. तेजपाल चौधरी।

3) संरचनात्मक भाषाविज्ञान - डॉ. भारतभूषण चौधरी।

4) भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा - डॉ. सुधाकर कलावडे।

5) भाषाविज्ञान की भूमिका - डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा।

❖❖❖

इकाई - 3

भाषा-विज्ञान का अन्य ज्ञान-विज्ञानों से संबंध

(साहित्य, व्याकरण, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल)

अनुक्रम :

3.1 उद्‌देश्य।

3.2 प्रस्तावना।

3.3 विषय-विवेचन।

3.3.1 भाषा-विज्ञान का अन्य ज्ञान-विज्ञानों से संबंध।

3.4 स्वयं - अध्ययन के लिए प्रश्न।

3.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ।

3.6 स्वयं - अध्ययन प्रश्नों के उत्तर।

3.7 सारांश।

3.8 स्वाध्याय।

3.9 क्षेत्रीय कार्य ।

3.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

3.1 उद्‌देश्य :

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप -

1) भाषा-विज्ञान और भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

2) भाषा-विज्ञान और मानव जाति के इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

3) भाषा-विज्ञान और समाज व्यवस्था का महत्व और उपयोगिता समझने में समर्थ होगें।

4) भाषा-विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ संबंध जान सकेंगें।

5) भाषा-विज्ञान और विविध साहित्य विज्ञान के अंगों से परिचित हो सकेंगे।

6) भाषा-विज्ञान और व्याकरण का महत्व, उपयोगिता और आंतरिक संबंध समझने में समर्थ होंगें।

3.2 प्रस्तावना :

ज्ञान एक अखण्डित धारा है। तत्वतः इस अखण्डित ज्ञान धारा को अलग-अलग शास्त्रों तथा विज्ञानों में इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता कि वे शास्त्र तथा विज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो। केवल अध्ययन की सुविधा के लिए अखण्डित ज्ञान को हमने अलग-अलग विज्ञानों में विभाजित करने का प्रयास किया है। अखण्डित ज्ञान का यह विभाजन मात्र व्यवहारिक है, तात्विक नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से ही सही अखण्ड ज्ञान को विभाजित किया जाने के कारण तथा एक ही ज्ञान के अंश होने कारण सभी ज्ञान-विज्ञान की शाखाएं किसी-न-किसी रूप में एक-दूसरे से संबंधित हैं।

भाषा-विज्ञान मानव द्वारा आविष्कृत विभन्न शास्त्रों एवं विज्ञानों से अपने अध्ययन की सामग्री ग्रहण करता है और उन्हें प्रभावित करता है। डॉ. मनमोहन गौतम के शब्दो में 'भाषा-विज्ञान' का सूक्ष्म से सूक्ष्म विज्ञान, मनोविज्ञान से लेकर ठोस भौतिक विज्ञान तक से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध अवश्य है इसका एक कारण है और वह यह कि भाषा मनुष्य की भाव अथवा विचाराभिव्यक्ति की शक्ति है। अतः भाषा को ही अध्ययन का विषय बनाने वाले भाषा-विज्ञान का संबंध सभी विज्ञानों से होना स्वाभाविक है।'

भाषा विज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध भाषा से है और भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा मानव की प्रवृत्ति और प्रकृति का यथार्थ दर्पण है। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। अतः मानव जीवन से संबंधित विज्ञानों और शास्त्रों से भी भाषा-विज्ञान का घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। जिस प्रकार समाज का एक व्यक्ति अनेक रूपों में (जैसे - बाप, भाई, काका, दादा, नाना आदि) अनेक व्यक्तियों से संबंधित होता है, उसी प्रकार, भाषा विज्ञान की अनेक शाखाएँ अन्य विज्ञानों से निकटतम् संबंध रखती हैं। भाषा विज्ञान का तात्विक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन विज्ञानों तथा शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है। तो दूसरी ओर कुछ तथ्यों के वास्तव ज्ञान के लिए ये भाषा विज्ञान का आश्रय लेते हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनुष्य जीवन से संबंधित सभी ज्ञान विज्ञानों का भाषा विज्ञान से संबंध होता है। इन ज्ञान विज्ञानों का भाषा विज्ञान से क्या संबंध है, इस बात को इस इकाई में स्पष्ट किया जा रहा है।

3.3 विषय -विवेचन :

भाषाविज्ञान का कुछ विज्ञानों के साथ सामान्य, कुछ विज्ञानों के साथ पूरक तो कुछ ज्ञान-विज्ञानों से अन्योन्याश्रित संबंध होता है। भोलानाथ तिवारी ने भाषाविज्ञान का व्याकरण, साहित्य, मनोविज्ञान, शरीरविज्ञान, भूगोल, इतिहास, भौतिकशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन आदि विज्ञानों से होनेवाले संबंधों का विवेचन किया है।

3.3.1 भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान-विज्ञानों से संबंध

1) भाषा-विज्ञान और साहित्य-विज्ञान।

2) यहाँ हम निम्नलिखित संबंधों का विवेचन करेंगे।

3) भाषा-विज्ञान और व्याकरण ।

4) भाषा-विज्ञान और समाज-विज्ञान।

5) भाषा-विज्ञान और मनो-विज्ञान।

6) भाषा-विज्ञान और इतिहास।

7) भाषा-विज्ञान और भूगोल ।

1) **भाषाविज्ञान और साहित्य :**

साहित्य भाषा-विज्ञान के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करता है, अर्थात भाषाविज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए सारी सामग्री साहित्य से प्राप्त करता है। साहित्य में भाषा का चिर-संचित रुप प्राप्त होता है। भाषा-विज्ञान और साहित्य का चोली-दामन की तरह संबंध होता है। भाषा-विज्ञान साहित्य के बिना और साहित्य भाषा-विज्ञान के बिना अधूरा है। भाषा-विज्ञान और साहित्य दोनों में भाषा महत्वपूर्ण तत्व है।

भाषाविज्ञान के दो प्रमुख अंग ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा-विज्ञान पूर्णतया साहित्य पर आधारित हैं। साहित्य प्रारंभिक, मध्यकालीन और वर्तमान कालीन तीनों रुपों को प्रस्तुत करता है। इसके द्‌वारा ही ऐतिहासिक भाषाविज्ञान का स्वरुप प्रस्तुत किया जाता है। तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का आधार भी विभिन्न भाषाओं का साहित्य ही है। यदि विभिन्न भाषाओं का साहित्य उपलब्ध न होता तो तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का विकास असंभव था।

भाषा-विज्ञान का जन्म ही संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के साहित्य के अध्ययन से ही हुआ है। साहित्य के द्‌वारा ही हमें ज्ञान होता है कि किस प्रकार वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश एवं हिंदी आदि भाषाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से विकास हुआ हैं। साहित्य के अभाव मे कई प्राचीन भाषाएँ लुप्त हो गई हैं। साहित्य ही अर्थ-विज्ञान और अर्थ विकास का आधार हैं। शब्दों के अर्थो में किस प्रकार अर्थ-परिवर्तन होते है, अनुपयोगी शब्दों का किस प्रकार विनाश होता है, नये शब्दों का जन्म किस प्रकार होता है आदि की कथाएँ साहित्य में ही प्राप्त होती हैं।

साहित्य और भाषा-विज्ञान एक दूसरे के उपकारक हैं। साहित्य भाषा के प्राचीन रुपों को सुरक्षित रखकर भाषा-विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है। साहित्य के अनेक अस्पष्ट और दुर्बोध शब्दों का इतिहास भाषा-विज्ञान की सहायता से ही ज्ञात हो जाता है। वेद के सैंकडों शब्दों के अर्थ भाषा विज्ञान की सहायता से ही स्पष्ट किए गए हैं । एक भाषा का विद्‌वान अनेक भाषाओं से संबंधित होकर विभिन्न भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

इससे स्पष्ट होता है कि साहित्य भाषा-विज्ञान का उपकारक है तो भाषा-विज्ञान भी साहित्य का उपकारी है।

2) **भाषाविज्ञान और व्याकरण :**

भाषा-विज्ञान और व्याकरण दोनों का सीधा संबंध भाषा से है। अतः भाषा-विज्ञान और व्याकरण एक

दूसरे के इतने समीप हैं कि कभी-कभी दोनों को एक समझा जाता है, या फिर भाषा-विज्ञान को व्याकरण तथा व्याकरण को भाषा-विज्ञान समझने का आभास या भ्रम होता है। व्याकरण को हम शास्त्र कह सकते हैं, जो इस बात के निर्देश पर अधिक बल देता है, कि भाषा में कहाँ, कैसा प्रयोग होना चाहिए, कैसा प्रयोग शुद्‌ध है और कैसा अशुद्‌ध, इसके विपरीत भाषा-विज्ञान है जिसका संबंध इस आदर्श से नहीं है कि कहाँ कैसा प्रयोग होना चाहिए। वह तो केवल इस बात को जानना चाहता है कि कब, कहाँ, कैसा प्रयोग होता है। इन उद्‌धरणों से स्पष्ट होता है कि भाषा-विज्ञान और व्याकरण में कुछ विषमता(भेद) अवश्य है।

भाषा-विज्ञान का कार्य वैज्ञानिक है तो व्याकरण का कलात्मक। व्याकरण का क्षेत्र अत्यंत मर्यादित है तो भाषा-विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। भाषा-विज्ञान के भेद को लेकर डॉ. हनमंत पाटील लिखते हैं-

1) व्याकरण कला है तो भाषा-विज्ञान, विज्ञान है।

2) व्याकरण का क्षेत्र सीमित है तो भाषा-विज्ञान गहराई, व्यापकता से भरा हुआ है।

3) व्याकरण वर्णणात्मक है तो भाषा-विज्ञान-व्याख्यात्मक।

4) व्याकरण नियम-निर्धारण का काम करता है, तो भाषा-विज्ञान भाषा का कार्य करता है।

5) व्याकरण केवल 'रूप' देकर चुप होता है, जब कि भाषाविज्ञान गहराई में जाकर बताता है कि वह रूप कहां से प्राप्त है, कितना पुराना है। इस बात को भोलानाथ तिवारी ने इस तरह समझाया है कि- व्याकरण 'जा (ना) का भूतकालिक रूप 'गया' बताकर चुप होगा पर भाषाविज्ञान गहराई में जाकर बाताएगा कि 'गया' का 'जा' से कोई संबंध नहीं। संस्कृत में 'गम्' और 'या' दो स्वतंत्र धातुएँ थीं। 'या' से 'जा' का विकास हुआ और जाता, जाना, जाये, जाया आदि रूपों का प्रचलन हुआ। 'गया' यह रूप 'गम' से बना है। यह अकेला रूप होने से इसके लिए अलग धातु की कल्पना नहीं की गई और इसे 'जा' का ही रूप माना गया।

6) व्याकरण का क्षेत्र सीमित है। भाषाविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, कारण भाषाविज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है।

7) व्याकरण पुराण मतवादी है तो भाषा-विज्ञान प्रगतिवादी।

8) भाषा-विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है तो व्याकरण भाषा की रचना स्पष्ट करता है।

जिस प्रकार भाषा-विज्ञान और व्याकरण मे कुछ विषमताएँ (भेद) हैं, उसी प्रकार दोनों मे कुछ साम्य भी है।

- **साम्य-**

1) दोनों का भाषा के अध्ययन से साक्षात संबंध है।

2) दोनों भाषा के सुक्ष्मतम अंश का प्रतिपादन करते हैं।

3) भाषा-विज्ञान और व्याकरण दोनों में विवेचन और विश्लेषण ही प्रमुख तत्व है।

4) दोनों भाषा के साधुत्व पर बल देते हैं।

5) भाषा का परिष्कार और यथार्थ ज्ञान दोनों का लक्ष्य है।

6) भाषा का सर्वांगिन विवेचन दोनों का उद्‌देश्य है।

उपर्युक्त विवेचन विश्लेषण को देखने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि भाषा-विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है। जहाँ तक संबंधों का प्रश्न है, पुरक तो है ही, अन्योन्याश्रित भी हैं। बिना भाषा-विज्ञान की जानकारी के अच्छा व्याकरण नहीं लिंखा जा सकता। तो दूसरी ओर भाषाओं के विश्लेषण में भाषा-विज्ञान व्याकरण से पर्याप्त सामग्री और सहायता लेता है। जैसे कि व्याकरण का संधि प्रकरण पूरी तरह भाषा विज्ञान पर आधारित है। और भाषा-विज्ञान अपनी प्रमुख शाखा रुपविज्ञान तथा वाक्य विज्ञान की सारी की सारी मुलभूत सामग्री व्याकरण से ही लेता है। इस तरह भाषा-विज्ञान और व्याकरण का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है।

3) **भाषाविज्ञान और समाजविज्ञान :**

भाषा का व्यवहार व्यक्तियों अर्थात मनुष्यों के द्‌वारा किया जाता है। व्यक्ति समाज का मुख्य घटक है। व्यक्ति के आचार-विचार, उसकी रुचियाँ, उसके व्यवहार, उसके परिवार और समाज से संबंध समाज विज्ञान के अंतर्गत समाविष्ट हैं। भाषा-विचार विनिमय का श्रेष्ठ साधन है। मनुष्य अपने भाव-भावनाओं का विचारों का आदान-प्रदान भाषा द्‌वारा करता है। भाषा समाज की संपत्ति है। वह समाज में रूप ग्रहण करती है।

भाषा में रीति-रिवाज, शिष्टाचार, आचार-विचार और व्यवहार के सैकडों शब्द हैं, जिनकी व्याख्या समाज विज्ञान के ज्ञान से ही सरलता से हो सकती है। समाज विज्ञान की सहायता से ही यह बताया जा सकता है कि कैसे विकास या ह्रास के कारण शब्दों के रुप परिवर्तित हुए और अर्थ परिवर्तन हुआ जैसे कि उपाध्याय से-ओझा या झा, चतुर्वेदी से चौबे, त्रिवेदी से दूबे, शुक्ल-शुक्ला या सुकुल आदि प्रथम शब्द मूल रुप में योग्यता वाचक थे, दूसरे शब्द बाद में जातिवाचक हो गये। किस प्रकार धार्मिक विद्‌वेष के कारण अशोक का, 'देवानां प्रिय' - 'देवाना प्रिय इतिच मूर्खे' - मुर्खवाचक हो गया। दास, दस्यु, अनाथ, काफिर, फिरंगी आदि शब्दों के पीछे इतिहास भरा हुआ है, जो समाज विज्ञान से ही जाना जा सकता है।

समाज व्यवस्था में पद के साथ प्रतिष्ठा है। आदर के साथ स्नेह है, अपनत्व के साथ शिष्टाचार है और इन सब दशाओं का बोध भाषा व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। भाषा के द्‌वारा समाज की उदारता और कंजुसी अथवा स्वार्थ का रुप स्पष्ट हो जाता है। समाज-विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। वह आदमी के छोटे से छोटे क्रिया-कलापों से लेकर बडे-से बडे युगांतकारी निर्णय का लेखा-जोखा रखता है। इसी से स्पष्ट होता है कि समाज-विज्ञान और भाषा-विज्ञान एक दूसरे पर आधारित हैं और एक दूसरे के पूरक भी।

4) **भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान :**

भाषा-विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में मनुष्य के मन का अध्ययन किया

जाता है। मनोविज्ञान इस बात का विश्लेषण करता है कि मन की गति किस प्रकार होती है? किस प्रकार विचार उठते हैं? और किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं? भाषा का आधार विचार या भाव है? विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के मूल में विचार और विचारों का साधन मन है। अतःमनो-विज्ञान का भाषा एवं भाषा-विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है।

इसके अतिरिक्त वाक्य विज्ञान, रुप विज्ञान तथा ध्वनि परिवर्तन में भी मनोविज्ञान बहुत सहायता करता है। अशोभन प्रयोगों के स्थान पर जो शोभन प्रयोग आता है; जैसे मैदान जाना, पांव भारी होना, गंगा नहा जाना आदि शब्दों के प्रयोग के पीछे मनोविज्ञान है। इनकी व्याख्या मनोविज्ञान के आधार पर ही होती है। भाषा की उत्पत्ति और प्रारंभिक रुप की जानकारी में भी मनोविज्ञान विशेषतः बाल मनोविज्ञान बहुत सहायता करता है।

दूसरी ओर भाषा-विज्ञान भी मनोविज्ञान की कम सहायता नहीं करता। मनोविकृत व्यक्तियों के मनोविश्लेषण में भाषा-विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है। भाषा-विज्ञान के आधार पर ही एक मनोविश्लेषक, रोगी मन की मानसिक गुत्थियों और ग्रंथियों को सुलझाकर उसे स्वस्थ बनाता है। दोनों के इस घनिष्ठतम संबंध के कारण ही भाषाविज्ञान में मनोविज्ञान की एक नई शाखा विकसित हो गई है; जिसे 'मनोभाषाविज्ञान' कहते हैं।

5) **भाषा विज्ञान और इतिहास :**

भाषा-विज्ञान और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के उपकारक है। भाषा-विज्ञान की सहायता से प्राचीन अभिलेखों-शिलालेखों, सिक्कों आदि का अध्ययन करके प्राचीन इतिहास के अज्ञान और अंधकारयुगीन इतिहास पर प्रकाश डाला जाता है। मानव जाति के विकास, उत्थान एवं पतन के विवरण को इतिहास कहते हैं। भाषाओं के उद्भव एवं विकास को जानने के लिए इतिहास भाषाविज्ञान को पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। इसलिए इतिहास और भाषा-विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के तीनों रुपों का विवेचन-विश्लेषण निम्नलिखित रुप से किया गया है-

अ) राजनीतिक इतिहास-

किसी देश में किसी अन्य देश का राज्य होना दोनों ही देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। राजनीतिक इतिहास के द्वारा हम हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की और पुर्तगाली आदि शब्दों के आगमन का इतिहास बता सकते हैं। द्विप समूह की भाषा तथा वहाँ के नामों में संस्कृत शब्दों का आधिक्य होना, भारत से वहाँ के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंध की ओर स्पष्ट संकेत करता है।

ब) धार्मिक इतिहास-

धर्म या संप्रदाय पर अश्रित इतिहास भाषा संबंधी अनेक समस्याओं का उत्तर देता है; जैसे, भारत में हिंदी उर्दू समस्या, हिंदुओं की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता और मुसलमानों की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों की अधिकता आदि। भाषाविज्ञान के अध्ययन से ही धर्म के प्राचीन रुप का ज्ञान होता है।

क) सामाजिक इतिहास–

इतिहास, सामाजिक इतिहास को प्रस्तुत करता है। समाज में प्रचलित परंपराएँ किस प्रकार भाषा को प्रभावित करती है; यह सामाजिक इतिहास के द्‌वारा ही ज्ञात होता है। जिस प्रकार भारतीय भाषाओं में माता-पिता आदि के अतिरिक्त जीजा-जीजी, साला-साली, चाचा-चाची, नाना-नानी आदि शब्दों की अधिकता है, उसी प्रकार विदेशी भाषाओं में इतने संबंध बोधक शब्दों का अभाव पाया जाता है। अंगेजी का Brother-in-low शब्द जीजा, साला आदि अनेक शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है। इन उदाहरणों से सामाजिक व्यवस्था का परिचय मिलता है। भारतीय भाषाओं में 'विधवा' शब्द का होना, पर बहुत देर तक 'विधूर' शब्द का आगमन न होना इसी का द्योतक है।

6) भाषा विज्ञान और भूगोल :

भाषा-विज्ञान का भूगोल से बहुत ही करीबी संबंध है। भौगोलिक परिस्थितियों का स्थानीय लोंगो का भाषा पर काफी प्रभाव पडता है। भाषा के उच्चारण में विविधता आती है। शीत प्रधान देशों में शीत के कारण मुँह कम खोलने के अभ्यास से उच्चारणों में अस्पष्टता रहती है। उदा :- ठंडे देशों में दन्त्य ध्वनियाँ (त, थ, द) स्पष्ट नहीं आती बल्कि उसके स्थान पर वत्स्र्य ध्वनियाँ (ट, ठ, ड) बोली जाती है, कारण उनका वाग्यन्त्र इतना अधिक खुल नहीं पाता। लेकिन उष्ण देशें में सरलता से मुँह खोलने के कारण उच्चारणों मे अधिक स्पष्टता तथा ध्वनियों की अधिकता रहती है। इन ध्वनी-परिवर्तनों का ज्ञान भाषा-विज्ञान के कारण हो सकता है।

किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास होना तथा किसी स्थान में बोलियों का अधिक होना भी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। जहाँ दुर्गम पहाड़ एवं रेगिस्तान होंगे तथा गहरे समुद्र होगें, स्वभावतः उनके दोनों ओर के लोगों में वैचारिक आदान-प्रदान कम होता है वहाँ भाषा के प्रसार या उसमें परिवर्तन की संभावना कम रहती है। पहाड़ी तथा जंगली लोगों में परस्पर संपर्क कम होने के कारण प्रायः भिन्न-भिन्न बोलियों का विकास हो जाता है।

अर्थ विज्ञान में भी भूगोल भाषा-विज्ञान की सहायता करता है। जिस क्षेत्र में जो वस्तु पैदा होती है उसका नामकरण उसी के आधार पर किया जाता है। कश्मीर में 'केसर' अधिक पैदा होती है, इसी आधार पर ही शायद कश्मीर को 'कश्मीर' नाम पड़ा है। सदैव से बर्फ से ढ़का रहने के कारण, 'हिमालय', पांच नदियों के कारण, पंजाब; अनेक राज्यों के भू-भूभाग से संबंधित होने के कारण, 'राजस्थान' आदि। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अर्थ विज्ञान में भी भूगोल भाषा-विज्ञान की सहायता करता है। 'उष्ट्र' का अर्थ 'भैसा' से 'ऊंट' कैसे हो गया। सैंधव का अर्थ घोडा और नमक ही क्यों हुआ। संस्कृत में 'कश्मीर' का अर्थ 'केसर' क्यों है? आदि बातों का समाधान निकालने के लिए भूगोल भाषाविज्ञान का सहायक होता है।

3.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न–

प्रश्न 1 अ) निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1) शीत प्रदेश में मुँह .... खोलने के अभ्यास उच्चारणें में अस्पष्टता रहती है।

अ) उपर ब) कम क) ज्यादा ड) पीछे

2) भाषा-विज्ञान का इतिहास के .... रूप से संबंध होता है।

अ) पाँचों ब) दोनों क) तीनों ड) चारों

3) केसर अधिक पैदा होने के आधार पर .... नाम पडा है।

अ) केरल ब) राजस्थान क) हिमालय ड) कश्मीर

4) प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए .... का अध्ययन किया जाता है।

अ) शिलालेखों ब) पर्वतों क) जंगलों ड) बादलों

5) .... विद्वेष के कारण अशोक के लिए 'देवांना प्रिय:' का अर्थ मुर्खवाचक में बदल गया।

अ) धार्मिक ब) सामाजिक क) राजनीतिक ड) सांस्कृतिक

6) सामाजिक परिवर्तन के साथ शब्दों के रूपों में परिवर्तन पर 'चतुर्वेदी' शब्द भी .... में परिवर्तित हुआ।

अ) झा ब) दूबे क) चौंबे ड) शुक्ल

7) भाषा विज्ञान का विवेच्य विषय .... है।

अ) भाषा ब) मनुष्य क) प्राणि ड) प्रकृति

8) मनोविज्ञान में मनुष्य के .... का अध्ययन किया जाता है।

अ) हाथ ब) कर्ण क) मस्तिष्क ड) मन

9) भाषा-विज्ञान और व्याकरण एक दूसरे के इतने समीप हैं कि कभी-कभी दोनों को .... समझने का भ्रम होता हैं।

अ) भिन्न ब) एक क) अलग ड) स्वतंत्र

10) व्याकरण कला है तो भाषाविज्ञान .... है।

अ) शास्त्र ब) तर्कशास्त्र क) विज्ञान ड) वाणिज्य

11) .... भाषा-विज्ञान के लिए मनोरंजक सामग्री प्रस्तुत करता है।

अ) मनोविज्ञान ब) भूगोल क) व्याकरण ड)अर्थशास्त्र

12) .... के अभाव में कई प्राचीन भाषाएँ लुप्त हो गई हैं।

अ) साहित्य ब) समीक्षा क) शास्त्र ड) संगीत

प्रश्न 1 आ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए।

1) भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान-विज्ञानों से किस तरह का संबध होता है ?

2) उष्ण देशों मे उच्चारण में अधिक स्पष्टता क्यों रहती है?

3) पहाड़ी प्रदेश, रेगिस्तान तथा समुद्री क्षेत्रों में बोलियों का विकास क्यों होता है?

4) हिमालय का नाम हिमालय क्यों पडा?

5) भाषा-विज्ञान और इतिहास के संबंधों की दृष्टि से इतिहास किसे कहते हैं?

6) धर्म या संप्रदाय संबंधी समस्याओं का उत्तर हमें इतिहास के कौन से रुप से मिलता हैं?

7) समाज में प्रचलित परंपराएँ भाषा को कैसे प्रभावित करती हैं इसकी जानकारी हमें इतिहास के कौन से रुप से मिलती है

8) भाषा का व्यवहार किसके द्वारा किया जाता है?

9) भाषा के विकास या ह्रास के कारण 'शुक्ल' का परिवर्तन किस रूप में हुआ?

10) उपाध्याय, चतुर्वेदी, त्रिवेदी आदि शब्द पहले योग्यता वाचक थे बाद में किस प्रकार के बने?

11) भाषाविज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए सारी सामग्री कहां से प्राप्त करता है?

11) भाषा-विज्ञान का जन्म कौनसे साहित्य के अध्ययन से हुआ है?

13) भाषा-विज्ञान और व्याकरण दोनों में कौनसा समान तत्व काम करता है?

3.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ-

1) वाग्यन्त्र :- बोलने का यंत्र

2) शीलालेख :- पत्थर पर लिखा या खुदा हुआ कोई प्राचीन लेख

3) अनुगामी :- समान आचरण करनेवाला, अनुयायी

4) अन्योन्याश्रित :- एक दूसरे पर आश्रित।

3.6 स्वयं-अध्ययन प्रश्नों के उत्तर-

प्रश्न १ अ

1) कम	2) तीनों	3) कश्मीर
4) शीलालेखों	5) धार्मिक	6) चौबे
7) भाषा	8) मन	9) एक
10) विज्ञान	11) मनोविज्ञान	12) साहित्य

प्रश्न 2 आ

1) भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान-विज्ञानों में से कुछ विज्ञानों के साथ सामान्य, कुछ के साथ पूरक, तो कुछ विज्ञानों के साथ अन्योन्याश्रित संबंध होता है।

2) उष्ण दोशों में अधिक स्पष्टता इसलिए रहती है कि मुँह खोलने में सरलता होती है।

3) पहाड़ी प्रदेश, रेगिस्तान तथा समुद्री क्षेत्रों में एक दूसरें को कम मिलने के कारण भिन्न-भिन्न बोलियों का विकास होता है।

4) हिमालय हमेशा बर्फ से ढ़का रहने के कारण उसका नाम हिमालय पड़ा।

5) भाषा-विज्ञान और इतिहास के संबंध की दृष्टि से 'मानव जाति के विकास, उत्थान एवं पतन के विवरण को इतिहास कहते हैं।'

6) धर्म या संप्रदाय संबंधी समस्याओं का उत्तर हमें धार्मिक इतिहास में मिलता है।

7) समाज में प्रचालित परंपराएँ भाषा को कैसे प्रभावित करती हैं इसकी जानकारी हमें सामाजिक इतिहास से मिलती है।

8) भाषा का व्यवहार व्यक्तियों अर्थात मनुष्यों द्वारा किया जाता है।

9) भाषा के विकास या ह्रास के कारण 'शुक्ल' का परिवर्तन 'शुक्ला' या 'शुकुल' में हुआ है।

10) उपाध्याय, चतुवैदी, त्रिवेदी आदि शब्द पहले योग्यतावाचक थे बाद में वे झा, चौबे, दुबे बनकर जातिवाचक हो गए।

11) भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए सारी सामग्री साहित्य से प्राप्त करता है?

12) भाषा-विज्ञान का जन्म संस्कृत, ग्रीक, लॅटिन भाषा के साहित्य अध्ययन से हुआ है।

14) भाषा-विज्ञान और व्याकरण दोनों में विवेचन और विश्लेषण यह समान तत्त्व काम करता है।

3.7 सारांश :

भाषा-विज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध भाषा से है तो भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा मानव की प्रवृत्ति और प्रकृति का यथार्थ दर्पण है। व्यवहारिक दृष्टि से ही अखण्ड ज्ञान को विभाजित किया जाने के कारण तथा एक ही ज्ञान के अंश होने के कारण सभी ज्ञान-विज्ञान की शाखाएँ किसी न किसी रुप में एक दूसरे से संबंधित हैं।

1) भाषा विज्ञान और साहित्य का परस्पर घनिष्ट संबंध है। भाषा-विज्ञान की सहायता से ही एक भाषा का विद्वान अनेक भाषाओं से संबंधित होकर विभिन्न भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन कें लिए सारी सामग्री साहित्य से प्राप्त करता है। तो साहित्य के क्लीष्ट अर्थों की समस्याएँ भाषाविज्ञान सुलझाता है।

2) भाषा विज्ञान और व्याकरण का अन्योन्याश्रित संबंध है । भाषा-विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, तो व्याकरण भाषा की रचना स्पष्ट करता है। व्याकरण का कार्य नियम-निर्धारण तो भाषा-विज्ञान का कार्य भाषा परिमार्जन है। भाषाविज्ञान 'क्यों' की तो व्याकरण 'क्या' की मीमांसा करता है। भाषाविज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। व्याकरण रूप देता है भाषाविज्ञान उस रुप का प्रारंभ, इतिहास पेश करता है।

3) भाषा विज्ञान और समाजविज्ञान का एक-दूसरे से पूरक संबध है। भाषा समाज की संपत्ति है, वह समाज में रूप ग्रहण करती है। भाषा में रीति-रिवाज, शिष्टाचार, आचार-विचार और व्यवहार के सैंकडों शब्द है जिनकी व्याख्या समाज विज्ञान के ज्ञान से ही हो सकती है।

4) भाषाविज्ञान और मनोविज्ञान का परस्पर घनिष्ट संबध है। भाषा के मूल में विचार और विचारों का साधन मन है। अतःमनो-विज्ञान का भाषा एवं भाषा-विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। वाक्य, रूप और ध्वनिपरिवर्तन में मनोविज्ञान भाषाविमान की; तो मनोविकृत व्यक्तियों के मनोविश्लेण में भाषाविज्ञान मनोविज्ञान की मदत करता है।

5) भाषा-विज्ञान की सहायता से प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों, सिक्कों, संस्कृति, परंपरा आदि का अध्ययन करके प्राचीन इतिहास के अज्ञान और वंचित इतिहास पर प्रकाश डाला जाता है। भाषा विज्ञान का इतिहास के तीनों रुपों - राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक के साथ संबंध आता है। भाषाओं के उद्भव एवं विकास को जानने के लिए इतिहास पर्याप्त सहायता करता है।

6) भाषा-विज्ञान और भूगोल इन दोनों का परस्पर घनिष्ट संबंध है। भाषा पर भौगोलिक परिस्थिति का परिणाम होता है। शीत प्रदेशों में मुँह के कम खोलने से उच्चारण में अस्पष्टता तो उष्ण प्रदेशों में स्पष्टता होती है। पहाडी प्रदेश आदि में मनुष्यों के परस्पर संपर्क कम होते हैं अत: वहाँ बोलियों का अधिक्य होता है।

3.8 स्वाध्याय :

अ) दीर्घोत्तरी प्रश्न

1) भाषा-विज्ञान का साहित्य, समाज, मनोविज्ञान के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए।

2) भाषा-विज्ञान का इतिहास, भूगोल, व्याकरण के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए।

3) भाषा-विज्ञान का मनोविज्ञान, समाज, साहित्य और इतिहास से संबंध स्पष्ट कीजिए।

आ) टिप्पणियाँ-

1) भाषा-विज्ञान और साहित्य।

2) भाषा-विज्ञान एवं व्याकरण।

3) भाषा-विज्ञान और भूगोल एवं व्याकरण का संबंध।

4) भाषा-विज्ञान और समाज विज्ञान।

5) भाषा-विज्ञान और मनो-विज्ञान।

6) भाषा-विज्ञान और इतिहास।

7) भाषा-विज्ञान तथा भूगोल।

3.9 क्षेत्रीय कार्य :

1) भाषा-विज्ञान का भौतिक विज्ञान, शरीर-विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव-विज्ञान, पुरातत्व विभाग के साथ जो संबंध है उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए।

3.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

1) भाषा-विज्ञान - भोलानाथ तिवारी ।

2) भाषा-विज्ञान - डॉ. कामिनी।

3) भाषा-विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी।

4) भाषा-विज्ञान की भूमिका - डॉ. देवेद्रनाथ शर्मा।

5) भाषा-विज्ञान और हिंदी भाषा - डॉ. सुधाकर कलावडे।

6) आधुनिक भाषा-विज्ञान - डॉ. हनमंतराव पाटील।

❖❖❖

इकाई – 4

1) कारकों के अर्थ और प्रयोग।
2) पदक्रम।
3) विराम चिह्न। (केवल अल्पविराम, निर्देशक (ड़ैश) अवतरण चिह्न)
4) मानक वर्तनी के नियम।

- **अनुक्रम :**

4.1 उद्देश्य।

4.2 प्रस्तावना।

4.3 विषय-विवेचन।

4.3.1 कारकों के अर्थ और प्रयोग।

4.3.2 पदक्रम।

4.3.3 विराम चिह्न।

4.3.4 मानक वर्तनी के नियम।

4.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न।

4.5 पारिभाषिक शब्द शब्दार्थ।

4.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर।

4.7 सारांश।

4.8 स्वाध्याय।

4.9 क्षेत्रीय कार्य।

4.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

4.1 उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप -

1) कारक की परिभाषा एवं भेदों से परिचित होंगे।

(2) पदक्रम की परिभाषा और पदक्रम के नियमों से परिचित होंगे।

(3) विराम चिह्न की परिभाषा और विराम चिह्नों के नियामों से परिचित होंगे।

(4) मानक वर्तनी की परिभाषा और मानक वर्तनी के नियमों से परिचित होंगे।

(5) हिंदी कारकों की परिभाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

(6) हिंदी कारकों के प्रयोगात्मक स्वरुप से परिचित होंगे।

(7) विराम चिह्नों के नियमों का सोदाहरण विवेचन कर सकेंगे।

(9) मानक वर्तनी के नियमों का सोदाहरण विवेचन कर सकेंगे।

4.2 प्रस्तावना :

व्याकरण का शब्दिक अर्थ है 'विश्लेषण'। भाषा के संदर्भ में उसका अर्थ होगा-भाषा का विश्लेषण। अर्थात् व्याकरण भाषा की औषधि है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों को अपने प्रभाव से भाषा में प्रयुक्त कर ठीक करती है, जिसके द्वारा किसी भाषा का सम्यक् ज्ञान होता है। व्याकरण के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, सही समझना सरल हो जाता है। इसलिए किसी भी भाषा को जानने, समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है।

भाषा साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है और दूसरों के विचार समझ सकता है। किसी भाषा की रचना को ध्यान पूर्वक देखने से पता चलता है कि उसमें प्रस्तुत शब्द विचार प्रकट करने का ही कार्य करते हैं। वाक्य में शब्दों का उपयोग किसी विशिष्ट क्रम से होता है और उनमें रूप अथवा अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध रहता है। पूर्णता और स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए, शब्दों के रूपों तथा प्रयोगों में स्थिरता और समानता होना आवश्यक होता है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरुपण होता है, उसे 'व्याकरण' कहते हैं। व्याकरण के नियम लिखी हुई भाषा के आधार पर होते हैं। व्याकरण में 'कारक' किसे कहते हैं? उसके कितने प्रकार हैं? पदक्रम किसे कहते हैं? उसके कौनसे नियम हैं? विराम चिह्न किसे कहते हैं? उनके कितने प्रकार हैं और उनका कब प्रयोग किया जाता है। मानक वर्तनी किसे कहते हैं? उसके कौनसे नियम हैं आदि प्रश्नों के संदर्भ में हम प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करेंगे।

4.3 विषय-विवेचन :

क्रमशः कारकों के अर्थ और प्रयोग, पदक्रम, विराम चिह्न मानक वर्तनी के नियमों का विवेचन करेंगे-

4.3.1 कारकों के अर्थ और प्रयोग :

व्याकरणिक कोटियों में कारक का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण है। 'कारक' शब्द की व्युत्पत्ति 'कृ+अक' के मेल से हुई है जिसका अर्थ है- करनेवाला। लेकिन पारिभाषिक अर्थों में 'कारक' वाक्यों में पदों के अंत: संबंध का निर्धारण करनेवाली व्याकरणिक कोटि है।

भाषा में अनेक वाक्य होते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते है। शब्दों में स्वर-व्यंजन होते हैं। शब्दों में पारस्पारिक संबंध होना अत्यावश्यक होता है। ऐसे वाक्य निर्माण में कारक का महत्त्व रहता है। कारक का संबंध किसी न किसी रुप में क्रिया से रहता है। प्रयोजन प्राप्ति के लिए क्रिया का आरंभ होता है। कारक अनिवार्यतः क्रिया से मिला हुआ होता है – 'क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्' अर्थात् 'क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, उसे कारक कहा जाता है।'

4.3.2 परिभाषा :

''संज्ञा या सर्वनाम का वह रुप जिससे वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहा जाता है।'' दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ''संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका अर्थात् संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं।''

(1) **वि. ल. वर्धे** : ''संज्ञा या सर्वनाम में विकार होने के बाद वाक्य में उनका अन्य शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं।''

(2) **डॉ. माधव सोनटक्के** : ''संज्ञा, सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध सूचित होता है, उसे कारक कहते हैं।''

(3) **प्रा. कृ. ज. वेदपाठक** : ''कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रुप है कि जिससे उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ किस प्रकार का है; वह स्पष्ट होता है।''

(4) **डॉ. माया प्रकाश पाण्डेय** : '' 'कारक' शब्द से आशय है क्रिया के साथ संबंध बतानेवाला तत्त्व। क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है, उसे बतानेवाले तत्त्व को 'कारक' कहते हैं।''

(5) **देवेंद्रनाथ शर्मा** : ''कारक का अर्थ है, करनेवाला अर्थात क्रिया का जनक। जिसका क्रिया से साक्षात परंपरा से संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं।'' अर्थात् संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है, यह दर्शानेवाला रूप ही कारक है।''

(6) **पतंजलि** : कारक अन्वर्थ (सार्थक) शब्द है। कारक का अर्थ है – 'करोति इति कारकम्।' अर्थात् जो क्रिया का निष्पादक (कार्यकरनेवाला) होता है, उसे कारक कहते हैं।''

(7) **कैयट और भर्तृहरि** : का कथन है कि क्रिया साध्य है और कारक साधन है। इस प्रकार ''क्रिया को सिद्ध करनेवाले को 'कारक' कहते हैं।''

(8) **कामता प्रसाद गुरू** : ''संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उस रूप को कारक कहते हैं।''

(9) **पंडित किशोरीदास वाजपेयी** : ''जिसका क्रिया के साथ संबंध हो, उसे कारक कहते हैं।

कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें व्याकरण में 'विभक्तियाँ' कहते हैं। विभक्ति से बना शब्द रूप विभक्त्यंत 'शब्द' या 'पद' कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है - ''कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। विभक्ति के योग से बने हुए रूप, 'विभक्त्यंत शब्द' या 'पद' कहलाते हैं।''

डॉ. ज. म. दीमशित्स ने हिंदी के विभक्ति चिह्न को सहायक शब्द कहा है, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषणों के साथ व्यवहृत होते हैं, जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता फिर भी वाक्य के निश्चित अंग में वे समाविष्ट होकर उनसे किसी न किसी कृति-विशेषता का बोध होता है, जिनसे वाक्य को मूर्तरूप देने में सहायता मिलती है। लेकिन वे सभी संबंधित शब्दों के बाद आते हैं। जैसे - कुर्सी से, कुर्सी पर, कुर्सी के लिए, कुर्सी में कुर्सी के आदि।

4.3.1.3. कारकों के प्रकार :

हिंदी में कारक आठ प्रकार के होते हैं। उनके नाम और उनकी विभक्तियाँ (प्रत्यय, कारक चिह्न) निम्नलिखितानुसार है -

(1) कर्ता कारक - ०, ने

(2) कर्म कारक - को

(3) करण कारक - से (के साथ, के द्वारा, के कारण (साधन के अर्थ में)

(4) संप्रदान कारक - को (के लिए, के वास्ते)

(5) अपादान कारक - से (अलग, जुदाई के अर्थ में)

(6) संबंध कारक - का, के, की (रो, रे री)

(7) अधिकारण कारक - में, पर (पे)

(8) संबोधन कारक - अरे, अरी, हे, अहो, अजी, ओ, ए, ऐ, ओह, अहा आदि

(1) **कर्ता कारक : (०, ने)** (1) ''संज्ञा के जिस रुप से काम करनेवाले का (क्रिया करनेवाले) बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं।''

(2) ''जिस वस्तु अथवा व्यक्ति के बारें में क्रिया कुछ विधान करती है उसे सूचित करनेवाले संज्ञा रूप को कर्ता कारक कहते हैं।''

(3) ''क्रिया से जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को कर्ता कारक कहते हैं।''

हिंदी में कर्ता कारक दो प्रकार के हैं। -: (1) अपरसर्ग कर्ता कारक और (2) सपरसर्ग कर्ता कारक।

(1) **अपरसर्ग कर्ताकारक :** ''जिसमें परसर्ग न लगे ऐसे कर्ता कारक को अपरसर्ग कर्ता कारक कहते हैं।''

उदा. (1) राम मुंबई गया। (2) विद्यार्थी पढ़ता है। (3) राम दो पुस्तकें लाया। (4) मैं सुबह घुमने जाता हूँ। (5) राम जाता है।

(2) **सपरसर्ग कर्ता कारक :** ''जिस में परसर्ग लगे ऐसे कर्ताकारक को सपरसर्ग कर्ता कारक कहते हैं।''

उदा. (1) राम ने रोटी खाई। (2) राम ने मेरा काम किया (3) माधवी ने पत्र लिखा। (4) छात्र ने किताब पढ़ी। (5) लता ने गीत गाया।

नियम – (1) सामान्य तौर पर कर्ता में विभक्ति (कारक चिह्न) नहीं लगाई जाती।

उदा. (1) माधवी पत्र लिखती है। (2) लड़का दौडता है। (3) लड़का पढ़ता है। (4) गायक गा रहे हैं। (5) घोडे दौड़ते हैं।

नियम – (2) क्रिया अगर सकर्मक तथा भूतकाल में हो, तो कर्ता कारक में 'ने' प्रत्यय आता है।

उदा. (1) माधवी ने पत्र लिखा (2) लड़के ने किताब पढी। (3) राम ने रोटी खाई। (4) सिपाही ने चोर पकडा (5) अशोक ने स्कूल जाना छोड़ दिया।

नियम – (3) पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, तथा संदिग्ध भूतकाल में भी कर्ता के साथ 'ने' कारक चिह्न का प्रयोग करते हैं।

उदा. (1) माधवी ने पत्र लिखा। (पूर्ण भूतकाल)

(2) माधवी ने पत्र लिखा है। (सामान्य भूतकाल)

(3) माधवी ने पत्र लिखा होगा (संदिग्ध भूतकाल)

नियम – (4) कर्ता के साथ 'ने' कारक चिह्न का प्रयोग करने पर वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग – वचन के अनुसार होती है। वाक्य में अगर कर्म का उपयोग न किया गया हो तो क्रिया अन्य पुरुष एक वचन में आती है।

उदा. (1) विद्यार्थियों ने नाटक देखा। (2) बालक ने रोटी खाई। (3) बालक ने गीत गाया। (4) गीता ने कहानी पढ़ी। (5) मोहन ने अध्ययन किया।

नियम – (5) अकर्मक धातुओं से बने क्रिया रुपों के साथ संज्ञा और सर्वनाम में 'ने' कारक चिह्न नहीं लगाया जाता।

उदा. (1) मैं हँस पडा। (2) छात्र खूब खेला। (3) मैं रो पडा। (4) मैं भाग गया।

अपवाद : अ) लाना, बोलना, भूलना, बकना ये क्रियाएँ सकर्मक होकर भी भूतकाल में 'कर्ता' के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं किया जाता। क्रिया का रुप भी कर्ता के अनुसार रहता है, कर्म के अनुसार नहीं।

उदा. (1) रेखा बस में छाता भूली। (2) पिताजी बाजार से सब्जी लाए। (3) लता बोली – मैं भी मेले

में जाऊँगी। (4) माँ बकती रही।

ब) सकना, जाना, चुकना और लगना इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते समय मुख्य क्रिया सकर्मक होने पर भी कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं किया जाता।

उदा. (1) मनोज गीत गा सका। (2) पिताजी दफ्तर जल्दी जा सके। (3) मोहन ऋण अदा कर चुका। (4) पिताजी द्वारा पाँच रुपये हाथ में रख देना मोहन को बुरा लागा।

क) छिंकना, नहाना और खाँसना क्रियाएँ अकर्मक होकर भी भूतकाल में इनका प्रयोग करते समय कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) बीच में ही पंडितजी ने छींका। (2) मैं ने नहाया। (3) राम ने खाँसा। (4) राम ने नहाया।

ड) देना और सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते समय मुख्य क्रिया - अकर्मक होने पर भी कर्ता के साथ 'ने' प्रत्यय आता है।

उदा. (1) राम ने मुझे घर नहीं आने दिया। (2) रोगी ने धूप में बैठना चाहा।

इ) सक, लग, चुक, जा, रह, पा, बैठ, उठ इनसे बनी सहायक क्रियाएँ लगी हो, तो सकर्मक धातुओं की क्रियाओं के साथ आने पर भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ 'ने' कारक चिह्न नहीं लगता।

उदा. (1) तुम पढ़ सकती हो। (2) छात्र जा सकते हैं। (3) उसे ड़र लग सकता है। (4) वह रह सकता है। (5) राम यश पा सकता है। (6) राम कक्षा में बैठ सकता है। (7) मोहन सुबह पाँच बजे नींद से जाग सकता है।

(2) **कर्म कारक** : (को) (1) 'जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं।''

(2) ''जिस वस्तु पर व्यक्ति पर या कर्ता पर कर्म का फल पड़ता है, उसे (उस संज्ञा को) कर्म कारक कहते हैं।

(3) ''क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़े वह कर्म कारक है।''

(4) ''कर्ता जो कुछ करता है, उसका फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं।''

उदा. (1) राम ने गणेश को मारा। (2) दशरथ ने राम को वनवास भेजा। (3) मोहन रोटी खाता है (4) अजय पुस्तक पढ़ता है।

कर्म कारक भी सपरसर्ग और अपरसर्ग होते हैं।

अ) सपरसर्ग कर्म कारक : जिस में परसर्ग लगे ऐसे कर्म कारक को सपरसर्ग कर्म कारक कहते हैं।

उदा. (1) सिपाही ने चोर को पिटा। (2) सीता ने राम को बुलाया।

ब) अपरसर्ग कर्म कारक : जिसमें परसर्ग न लगे ऐसे कर्म कारक को अपरसर्ग कर्म कारक कहते हैं।

उदा. (1) सीता फल खाती है। (2) छात्र ने पुस्तक पढ़ी।

नियम : (1) सभी कर्मो को परसर्ग 'को' का प्रयोग नहीं किया जाता।

प्राय : चेतन या सजीव पदार्थों के साथ 'को' यह परसर्ग लगता है और निर्जीव या अचेतन के साथ नहीं लगता।

उदा. (1) मैंने रोटी खाई। (2) बच्च ने लड्डू खाया। (3) राम ने रावण को मारा। (4) मैं ने साँप को देखा।

नियम : (2) कभी-कभी चेतन के साथ भी 'को' प्रत्यय या 'विभक्ति' नहीं लगाते।

उदा. (1) मैंने घोड़ा देखा। (2) मैंने साँप देखा।

विशेष सूचना :

(1) वाक्य में मुख्य तथा गौण कर्म हो तो 'को' प्रत्यय गौण कर्म के साथ आता है।

उदा. (1) लड़के ने गधे को पत्थर मारा। (2) सीता ने गीता को पत्र लिखा।

(2) जो प्रेरणार्थक क्रियाएँ अकर्मक क्रियाओं से बनती हैं, उनके कर्म के साथ प्रायः 'को' प्रत्यय आता है।

उदा. (1) ड्रायव्हर मोटर को चलाता है। (2) कुत्ता लडके को गिराता है।

(3) गतिवाचक क्रियाओं का प्रयोग करते समय स्थान दर्शक कर्म के साथ 'को' प्रत्यय नहीं लगता।

उदा. (1) सेठजी आज मुंबई गए। (2) स्वाति कॉलेज जा रही है।

(4) 'चाहिए' क्रिया का प्रयोग करते समय कर्ता के साथ 'को' प्रत्यय आता है।

उदा. (1) विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए। (2) प्रत्येक को परिश्रम करना चाहिए (3) राम को गाँव जाना चाहिए।

(5) विशिष्ठ प्रयोग में भी 'को' प्रत्यय (कारक चिह्न) का उपयोग किया जाता है।

उदा. (1) बरसात आने को है। (2) बोलने को तो वह बोल गया।

(6) दिन, तारीख, समय को व्यक्त करने के लिए उसके साथ 'को' कारक चिह्न लगाना आवश्यक है।

उदा. (1) राम सोमवार को आएगा। (2) मेरा जन्म-दिन 14 जून को है।

(3) **करण कारक :** (से, के द्वारा, के साथ, के कारण (साधन के अर्थ में))

(1) क्रिया के साधन का बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को कारक कहते हैं।

(2) साधन के तौर पर जिस संज्ञा रूप का उपयोग किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं।

(3) जिस उपकरण के द्वारा क्रिया संपादित करने में सहायता ली जाती है, उसे करण कारक कहते हैं।

(4) संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है, वह करण कारक होता है।

उदा. (1) हम पैरों से चलते हैं। (2) राम ने रावण को बाण से मारा। (3) मैं पेन से लिखता हूँ। (4) माँ चाकू से फल काटती है।

साधन के सिवा करण कारक के अर्थ में 'से' का प्रयोग निम्नलिखित रुपों में भी होता है।

(1) रीति या पद्धति : बेटा ध्यान से अध्ययन करो।

(2) विकार : बेचारे की क्या से क्या हालत हो गई।

(3) कारण : अध्ययन करने से अच्छे गुण मिलते हैं।

(4) दशा या स्थिति : कर्ण स्वभाव से दानशूर था।

(5) मूल्य : सोना किस दाम से बेचा जाता है।

(6) साहित्य : आम खाने से काम, पेड गिनने से क्या फायदा?

(7) शरीर का दोष दिखाने के लिए : मोहनसिंह एक आँख से अंधा था।

नियम – (1) कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ करण कारक 'से' का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) जानकी से गाय देखी गई। (2) मरीज से चला नहीं जाता।

नियम – 2) पूछना, करना, बोलना, कहना, प्रार्थना करना (पर, नफरत, इन्कार, तथा बात करना) ढँकना और माँगना– इन क्रियाओं का प्रयोग करते समय 'से' कारक चिह्न का उपयोग किया जाता है।

उदा. (1) माँ से पूछकर बाहर जाओ। (2) देश से प्यार करना हमारा कर्त्तव्य है। (3) पिताजी से पैसे माँगो। (4) भगवान से प्रार्थना करो।

नियम – (3) आँख, कान, हाथ, प्यास, भूख, जाड़ा आदि शब्द करण कारक में बहुवचन में जब आते हैं, तब 'से' का लोप हो जाता है।

उदा. (1) ऐसी भयानक घटना न किसी ने आँखों देखी न कानों सुनी

(2) अकाल में हजारों गरीब भूखों मरे।

(3) बच्चों के हाथों काम करा लेना आसान नहीं है।

(4) अकाल में हजारों लोग प्यासे रहें।

(4) **संप्रदान कारक** : (को, के लिए, के वास्ते, की खातिर, के हेतु, के निमित्त)

(1) क्रिया का कार्य किसी दूसरे के लिए होता है, तब उस रूप को - संप्रदान कारक कहते हैं।

(2) संप्रदान याने संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कोई क्रिया की जाए वह संप्रदान कारक कहलाती है।

(3) जिसको कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं।

(4) जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया या दिया जाए, वहाँ संप्रदान कारक कहते हैं।

*संप्रदान कारक का चिह्न 'को' है। संप्रदान कारक के 'को' चिह्न के बदले 'के लिए, के वास्ते, की खातिर, के हेतु, के निमित्त' आदि संबंध सूचक अव्ययों का भी प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) मैं आभा के लिए वस्त्राभूषण लाया।

(2) राम ने गरीबों को दान दिया।

(3) दूसरों के वास्ते तुम दुःख क्यों उठा रहे हो?

(4) विवाह के निमित्त मेहमान इकट्ठा हुए।

(5) मोहन परीक्षा के हेतु मुंबई गया।

(6) मैं माँ की खातिर गाँव चला आया हूँ।

विशेष सूचना – कर्म कारक और संप्रदान कारक इन दोनों कारकों का चिह्न (को) एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न-भिन्न है। 'को' प्रत्यय के साथ हुई संज्ञा वाक्य में कर्म कारक का काम करती है तो वह कर्म कारक होती है और वह कर्म न हो तो संप्रदान कारक होती है।

उदा. पार्वती गणेश जी को मोदक देती है और गणेश जी को मोदक बहुत भाते हैं। इन दोनों वाक्यों में 'गणेशजी को' यह रुप अलग-अलग अर्थ में आया है। पहले वाक्य में वह 'कर्म कारक' है तो दूसरे वाक्य में यह 'संप्रदान कारक' है।

(5) **अपादान कारक** : (से,) (अलग, जुदाई के अर्थ में)

(1) संज्ञा आदि का जिस रूप से अलग होना पाया जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं।

(2) पार्थक्य की प्रतीति करानेवाले शब्द को (कारक) अपादान कारक कहते हैं।

(3) संज्ञा के जिस रूप से अलगाव अथवा जुदाई का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं।

उदा. (1) पेड से पत्ते गिरे। (2) मोहन राम से पुस्तक लेता है। (3) मैं अभी गाँव से आया। (4) नदी पर्वत से निकलती है। (5) आसमान से सितारा गिर गया।

नियम – (1) अलगाव अथवा पार्थक्य के सिवा अपादान कारक के अर्थ में 'से' का प्रयोग निम्नलिखित रुपों में भी होता है।

(1) तुलना : सिंह से बाघ बलवान होता है।

(2) आरंभ : हजारों सालों से पृथ्वी घूम रही है।

(3) कारण : सर्दी से राम के हाथ-पैर काँपते हैं।

नियम – (2) लाना, ड़रना, माँगना, लेना, बचना, छूटना, छिपना, तथा रोकना इन क्रियाओं का प्रयोग करते समय स्थान अथवा कारण दिखाने के लिए 'से' का उपयोग करते हैं।

(1) लाना : बाजार से आम लाओ।

(2) डरना : संकटों से मत ड़रो।

(3) माँगना : अंधा लोगों से भीख माँगता है।

(4) लेना : जेब से किसने पैसे लिए।

(5) बचना : शहरों में पैदल चलते समय गाड़ियों से बचकर चलना पड़ता है।

(6) छिपना : डॉक्टर से क्या छिपाये?

(7) रोकना : भ्रष्टाचार से उन्हें कौन रोके?

विशेष सूचना : करण कारक और अपादान कारक इन दोनों का चिह्न ('से') एक ही है लेकिन अर्थ की दृष्टि से दोनों में अंतर होता है। 'से' प्रत्यय लगी हुई संज्ञा साधन के तौर पर हो तो करण कारक है। और जुदाई तथा तुलना के अर्थ में हो तो अपादान कारक है।

उदा. (1) अमर ने पत्थर से फल गिरा दिया। (करण कारक)

(2) पेड़ से फल गिरा (अपादान कारक)

(6) **संबंध कारक :** (का, के, की (रा, रे, री))

(1) संज्ञा के जिस रूप से दो वस्तुओं का या व्यक्तियों का संबंध स्पष्ट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं।

(2) किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध दिखाने के लिए संज्ञा का जो रूप आता है, उसे संबंध कारक कहते हैं।

(3) संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी और वस्तु से प्रकट हो, वह संबंध कारक है। अथवा जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं।

उदा. (1) राम का भाई लक्ष्मण है। (2) यह राम की पुस्तक है। (3) दशरथ के चार बेटे थे। (4) मेरा पत्र आया है। (5) हमारी पाठशाला अच्छी है।

विशेष सूचना : संबंध कारक के 'का, के और की ये तीन कारक चिह्न (प्रत्यय, विभक्तियाँ) हैं। परंतु उत्तम पुरुष एक वचन और बहुवचनमें वह 'रा', 'री', 'रे' हो जाते हैं। और नीजवाचक सर्वनाम आप के साथ वह 'ना', 'नी', 'ने' हो जाते हैं।

उदा. (1) यह मेरा पेन है। (2) यह मेरी गाडी है। (3) यह मेरे बडे भाई हैं। (4) प्रत्येक को अपना मकान अच्छा लगता है। (5) अपनी बेटी पति के घर सुखी रहे यह प्रत्येक माता-पिता की कामना होती है। (6) अपने माता-पिता सभी को प्रिय होते हैं।

संबंध कारक में कारक चिह्न हमेशा लगाया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित नियम याद रखने चाहिए।

नियम – (1) ऐसी एक वचन संज्ञा के पूर्व 'का' कारक चिह्न लगाया जाता है, जिसके बाद कारक का कोई परसर्ग (विभक्ति चिह्न) न हो।

उदा. (1) मोहन का लड़का विश्वविद्यालय में है।

(2) राम का भाई दिल्ली में रहता है।

नियम – (2) पुल्लिंग एकवचन संज्ञा के बाद यदि कोई परसर्ग हो तो उसके पहले का 'के' हो जाएगा।

उदा. (1) मोहन के लडके को पकडो।

(2) मोहन के भाई को पकडो।

नियम – (3) स्त्रीलिंग संज्ञा (चाहे वह एकवचन हो या बहुवचन उसके बाद परसर्ग हो या न हो) के पूर्व 'की' विभक्ति आती है।

उदा. (1) मोहन की लड़की गई। (एकवचन)

(2) मोहन की लडकियाँ गई। (बहुवचन)

(3) मोहन की लडकी ने खाना खाया। (एकवचन)

(4) मोहन की लडकियों ने खाना खाया (बहुवचन)

नियम – (4) संबंध के अलावा स्वामित्व, मूल्य, उद्देश्य, आधार सामग्री तथा आधेय (आधार पर रखी या टिकी हुई वस्तु) पूर्णत्व का एक अंश, लेखक तथा उसकी कृति आदि के बारे में भी 'का, के, की' का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) राजा का राज्य। (2) चार सौ रुपयों की साडी (3) खाने का पदार्थ (4) पायल की चाँदी। (5) रहीम के दोहे। (6) रोटी का टुकडा। (7) सूरदास जी का सूरसागर। (8) नल का पानी।

नियम – (5) शरीर का अवयव तथा रिश्ता दिखाने के लिए एकवचन में भी 'के' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) गाय के दो सिंग होते हैं। (2) दशरथ के तीन रानियाँ थीं।

नियम – (6) मदद करना, पुष्टि करना, सहायता करना इन क्रियाओं का प्रयोग करते समय 'की' (प्रत्यय) का ही उपयोग किया जाता है।

उदा. (1) इंदिराजी ने गरीबों की मदद की।

(2) इस बात से उसके मत की पुष्टि ही होती है।

(3) अपाहिजों की सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है।

नियम – (7) कालवाचक संज्ञाओं में अधिकरण के अर्थ में संबंध कारक 'का' (कारक चिह्न) का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) सुबह का भूला शाम को घर लौटता है।

(2) कब का मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।

नियम – (8) स्थानवाचक संज्ञाओं में भी अधिकरण के अर्थ में संबंध कारक 'के' प्रत्ययों का उपयोग करते हैं।

उदा. (1) हम कोल्हापुर के निवासी हैं।

(2) देहात के लोग अनपढ़ हैं।

नियम – (9) क्रियार्थक संज्ञाओं के साथ 'का' प्रत्यय आता है।

उदा. (1) उसका आना हमें अच्छा नहीं लगता।

(2) इस समय कविता का सुनना ठीक नहीं लगता है।

नियम – (10) संबंध कारक अव्ययों से पूर्व 'के' और 'की' का उपयोग होता है।

उदा. (1) के बिना, के साथ, के पास, की ओर, की तरफ, की तरह आदि।

(7) अधिकरण कारक : (में, पर, पे)

(1) संज्ञा के जिस रुप से क्रिया के आधार का अथवा स्थान का बोध हो जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं।

(2) जिसके द्वारा स्थिति या स्थान का बोध होता है, वह अधिकरण कारक कहा जाता है।

(3) क्रिया के आधार का बोध करानेवाले संज्ञा के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके दो कारक चिह्न हैं – 'में' और 'पर'। कभी-कभी पर के बजाय 'पे' का भी प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) राजा महल में रहता है। (2) पेड़ पर तोता बैठा है। (3) पुस्तक मेज पर है। (4) पुस्तक मेज पे है।

(5) कपडे संदुक में हैं। (6) धर्म के नाम पर झगडा करना उचित नहीं है। (7) पढ़ाई में ध्यान लगाओ।

(अ) अधिकरण के 'में' प्रत्यय का अलग-अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

(1) स्थान : कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय है।

(2) स्थिति : भारत की जनता गरीबी में रहती है।

(3) मूल्य : जनता कापी(बुक) 10 रुपयों में मिलती है।

(4) तुलना : जानवरों में सियार सब से चालाक होता है।

(5) दिशा : भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी का मंदिर है।

(6) कारण : एक ही फटकार में वह बेसुध पड़ा।

(7) के दौरान : इसी वर्ष के दौरान में मोहन डॉक्टर होगा।

(ब) अधिकरण के 'पर' प्रत्यय का अलग-अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

(1) बाह्य आधार या स्थान : रंकाला टॉवर पर घडी थी।

(2) कारण : गिरने पर बच्चा रोने लगा।

(3) के बाद : मेरे मरने पर मेरी आँखें दान की जाय।

(4) अंतर : शिवाजी विश्वविद्यालय यहाँ से दो मील पर है।

(5) काल : नियत समय पर काम करने से अच्छा फायदा होता है।

(6) के प्रति : अपाहिजों पर गुस्सा मत कीजिए।

(7) अधिकता : भारत की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

(क) निछावर करना, तथा मरना (इच्छा करना) इन क्रियाओं के साथ 'पर' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) वीर देश पर जान निछावर करते हैं।

(2) उस पर क्यों मरते हो?

(8) **संबोधन कारक** : (अरे, री, हे, अहो, अजी, ओ, ए, ऐ, ओह, अहा, हाय, उफ् आदि)

(1) संज्ञा के जिस रुप से किसी को सावधान करना, पुकारना, सूचित होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं।

(2) जिस संज्ञा द्वारा किसी को पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं।

(3) वाक्य में जिस संकेत के द्वारा पुकारना, बुलाना, संबोधन करना, दुःख, हर्ष, या आश्चर्य के भाव

व्यक्त करना आदि प्रकट किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात् संबोधित करने के लिए या पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है।

संबोधन कारक के ऊपर उल्लेखित चिह्न हैं, और वे संज्ञा के पूर्व आते हैं।

कुछ लोग इसे अलग कारक नहीं मानते। इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसका कोई प्रत्यय नहीं, इस के साथ बहुधा विस्मयादि बोधक अव्यय आता है।

उदा. (1) ओ लडके! मेरी बात सुनो।

(2) अरी बिटिया! इधर आओ।

(3) हे सज्जनों! इन्हें कुछ अच्छा सुनाओ।

(4) हे राम! श्याम को मत मारो।

(5) हे भगवान! मेरी रक्षा करो।

(6) अरे भाई! मुझे क्यों सता रहे हो?

(7) ये मेरे वतन के लोगों! शहीदों को याद कर लो।

(8) हे भगवान! आज तो वर्षा करो।

(9) अरे मोहन! अब घर आओ।

(10) भगवान! मुझे क्षमा कर दो।

4.3.2 पदक्रम :

वाक्य भाषा की सहज इकाई है। दो या दो से अधिक अथपूर्ण शब्दों के क्रम बद्ध रचना-समूह को वाक्य कहते हैं।

उदा. (1) घोड़ा दौड़ता है। (2) मिलिंद किताब पढ़ता है।

ये दो शब्द समूह वाक्य कहे जा सकते हैं। पहले वाक्य में 'घोड़ा' और 'दौड़ता है' ये दो अर्थपूर्ण शब्द निश्चित क्रम से आए हैं। उसी तरह दूसरे वाक्य में 'मिलिंद' 'किताब' और 'पढ़ता है' ये तीन शब्द निश्चित रुप से क्रम बद्ध हो चुके हैं तथा अर्थपूर्ण बन गए हैं। इसीलिए यह वाक्य कहलाए गए हैं।

शब्द जब वाक्य में आ जाता है, तब पद बनता है। अर्थात् ''जब शब्द संबंधतत्त्व के सहयोग से मूल रूप में रहकर या परिवर्तित होकर वाक्य में प्रयोग करने योग्य 'रूप' को धारण करता है, तब उसे पद कहा जाता है।'' जैसे - 'सैनिक', 'घोड़ा और 'बैठना' ये तीन अलग-अलग शब्द हैं लेकिन इनसे वाक्य बनाने पर वे पद कहलाए जाते हैं- सैनिक घोड़े पर बैठता है। इसमें 'सैनिक', 'घोड़े पर', बैठता है' ये शब्द नहीं रह चुके हैं तो वे 'पद' बन गए हैं।

4.3.2.1 पदक्रम की परिभाषा :

(1) ''पदक्रम का अर्थ है, पदों का निर्धारण। सामान्यत: सभी भाषाओं में वाक्य निर्माण के लिए पदों का कोई न कोई क्रम देखा जाता है, जिसके द्‌वारा निर्मित वाक्य अपने अभीष्ट अर्थ का बोधक होता है, इसी को पदक्रम कहते हैं।''

(2) ''वाक्य में एक-एक पद को क्रम से रखा जाने को ही पदक्रम कहा जाता है।''

(3) ''वाक्य में सार्थक शब्दों में उपयुक्त विन्यास को (शब्दों का स्थान निश्चित करना) पदक्रम कहते हैं।''

(4) ''वाक्य में सार्थक शब्दों को उचित स्थान पर रखने की क्रिया को शब्द-क्रम अथवा पदक्रम कहा जाता है।

वाक्य में पदक्रम का महत्त्व बहुत बडा है। वाक्य में एक-एक पद क्रम से रखा जाता है जिसके परिणाम स्वरुप वाक्य का अर्थ बोध कराने में वाक्य समर्थ हो जाता है। वाक्य में पदों का निश्चित क्रम होता है। इसे ही वाक्य रचना या पदक्रम कहते हैं। प्रत्येक भाषा में वाक्य रचना अलग-अलग ढंग से की जाती है।

उदा. राम पुस्तक वाचतो	(मराठी)
राम पुस्तक ओदुताने	(कन्नड)
रामः पुस्तकं पठति।	(संस्कृत)
अथवा	
पुस्तकं पठति रामः।	(संस्कृत)
Ram reads book	(अंग्रेजी)
राम किताब पढ़ता है।	(हिंदी)

उपर्युक्त वाक्यों में मराठी, कन्नड तथा हिंदी वाक्यों की रचना समान लगती है, तो अंग्रेजी तथा संस्कृत वाक्यों में अलग-अलग रचना दिखाई देती है।

मराठी में सामान्य तौर पर कर्त्ता के बाद कर्म और उसके बाद क्रिया ऐसा क्रम वाक्य रचना में रहता है, तो संस्कृत में यह क्रम बदल दिया तो भी चल सकता है। अंग्रेजी में कर्त्ता के बाद क्रिया और बाद में कर्म आता है।

हिंदी की वाक्य रचना निश्चित है। उसमें प्रथम. कर्त्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया - ऐसा ही क्रम रहता है।

यह पदक्रम 'व्याकरणीय' अथवा 'साधारण पदक्रम' कहलाया जाता है। 'अलंकारिक वाक्यों में अथवा बोलचाल की भाषा में पदक्रम अलग रहता है। उनके नियम निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। इसलिए यहाँ केवल

'व्याकरणीय' अथवा साधारण पदक्रम के नियम दिए गए हैं।

यदि पदक्रम के बिना किसी वाक्य का उच्चारण किया जाता है, तो वह कदापि अपने अभीष्ट अर्थ का बोध नहीं करा पाता।

उदा. जैसे यदि कोई हिंदी में (1) खिला में था फूलबाग। (2) खेला ने खेल में रात मोहन एक। (3) निकलता में है सूरज पूरब। (4) खिल में सरोवर रहे फूल हैं आदि वाक्यों का उच्चारण किया जाता है तो हिंदी के ये सभी वाक्य पदक्रम के अभाव में किसी भी अभीष्ट अर्थ के बोधक नहीं है।

यदि इन वाक्यों में व्याकरण के नियमनुसार पदों का उच्चारण किया जाए तो ये सभी वाक्य अपने-अपने अभीष्ट अर्थ के द्योतक हो जाएँगे। जैसे - (1) बाग में फूल खिला था। (2) मोहन ने रात में एक खेल खेला। (3) सूरज पूरब में निकलता है। (4) सरोवर में फूल खिल रहे हैं। यही कारण है कि पदक्रम भी वाक्य निर्माण का मूलाधार होता है। पदक्रम की कोई एक पद्धति नहीं है। सभी भाषाओं का पदक्रम एक नहीं होता।

पदक्रम के नियम : सामान्य तौर पर साधारण पदक्रम के नियम इस प्रकार बताए गए हैं -

(1) वाक्य में प्रारंभ में कर्त्ता अथवा उद्देश्य, उसके बाद कर्म या पूर्ति और अंत में क्रिया रखी जाती है। याने वाक्य में पहले कर्त्ता या उद्देश्य फिर कर्म या पूर्ति और अंत में क्रिया रखी जाती है।

उदा. (1) प्रिया होशियार जान पड़ती है।

(2) उर्मिला गाना गाती है।

(3) अरुण क्रिकेट खेलता है।

(4) किशोर मोटर चलाता है।

(5) मोहन पुस्तक पढ़ता है।

(2) यदि किसी वाक्य में दो कर्म हों, तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म पीछे आता है। अथवा वाक्य में द्विकर्मक क्रियाओं में जो गौण कर्म होता है वह प्रथम आ जाता है तथा मुख्य कर्म से पीछे आ जाता है।

उदा. (1) राम ने मोहन को एक पुस्तक दी।

(2) मेघा ने अपनी सहेली को पत्र भेजा।

(3) प्रधानमंत्री ने अपने मित्र को मंत्री बनाया।

(4) मोहन ने भिखारी को एक रोटी दी।

(5) हमने अपने मित्र को चिट्ठी भेजी।

(3) कर्ता तथा कर्म कारकों के सिवा दूसरे कारकों में आनेवाले शब्द उनके संबंधित शब्दों के पूर्व आ जाते हैं।

उदा. (1) पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं।

(2) मेरे भाई की तसबीर चित्रकार ने कई दिनों में भी नहीं बनवाई।

(3) दिल्ली से देहरादून तक जानेवाली गाडी चार नंबर प्लेट फॉर्म पर खडी है।

(4) पेड से आम गिर रहे हैं।

(5) गुलाब के पौधे से फूल गिर रहे हैं।

(4) विशेषण जिस संज्ञा से (विशेष्य से) संबंधित रहता है, उसके पहले आ जाता है। अथवा प्रायः विशेषण संज्ञा के पहले तथा क्रिया विशेषण क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है।

उदा. (1) वह अच्छा लड़का है।

(2) वह अच्छा गाता है।

(3) महान शक्तिशाली सॅमसन की ताकद उसके सुनहले बालों में है।

(4) विशाल रंगमंच पर एक कमनीय नर्तकी नाच रही थी।

(5) अच्छी पुस्तकें सस्ती नहीं मिलती।

(5) क्रियाविशेषण अव्यय अथवा क्रियाविशेषण वाक्यांश सामान्यतः क्रिया के पहले आ जाता है।

उदा. (1) हिरन तेजी से चौकड़ी भरता हुआ दौड़ता है।

(2) भाई जरा धीरे-धीरे बोलो।

(3) घोड़ा तेज गति से दौड़ता है।

(4) वर्षा होने के कारण पंचगंगा नदी अधिक भर गई है।

(5) मनुष्य को सुख-दुःख में समान रहना चाहिए।

(6) कर्त्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारों को संज्ञा के पूर्ण लिखना चाहिए।

उदा. (1) सुंदर लड़के ने गरीब लड़के को पके आम दिए।

(2) काले सुंदर घोड़े ने दुबले-पतले घोड़े को भाग-दौड़ में हरा दिया।

(3) बलवान राम ने दुबले-पतले रमेश को कुश्ती में पछाड़ दिया।

(4) अमीर मित्र ने गरीब मित्र को सुंदर कपड़े प्रदान किए।

(5) समझदार राकेश ने नासमझ गोपाल को जीवन का महत्त्व अच्छे ढ़ंग से समझा दिया।

(7) संबंध बोधक तथा उसके अनुसंबंधी सर्वनाम के कर्मादि बहुधा वाक्य के आदि में (प्रारंभ में) आते हैं।

उदा. (1) उसके पास एक पुस्तक है, जिसमें क्रिकेट के खिलाडियों के चित्र हैं।

(2) जिससे लोग घृणा करते हैं। उस पर परमात्मा प्रेम करता है।

(3) जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है।

(4) वह लड़का कहाँ है, जिसे आप ने मेरे पास भेजा था?

(5) उसके पास एक शब्दकोश है, जिसमें हिंदी के पारिभाषिक शब्द अर्थ सहित दिए हैं।

(8) 'क्या' यह प्रश्नवाचक अव्यय कभी वाक्य के आरंभ में आता है, कभी बीच में तो कभी अंत में भी आता है।

उदा. (1) क्या तुम कल मुंबई जा रहे हो?

(2) तुम कल मुंबई जा रहे हो क्या?

(3) तुम कल क्या मुंबई जा रहे हो?

(4) रेल-गाडी क्या आ गई?

(5) रेल-गाडी आ गई क्या?

(6) क्या रेल-गाडी आ गई?

(9) प्रश्नवाचक 'न' यह अव्यय वाक्य के अंतमें ही आता है।

उदा. (1) आप तो कुशल है न?

(2) पिताजी! आप मेरे स्कूल आयेंगे न?

(3) आप तो खुश है न?

(4) छात्रों! मेरी बात समझ में आई न?

(5) मित्र! आप मेरे घर आयेंगे न?

(10) 'न' 'नहीं' और 'मत' ये निषेधवाचक अव्यय बहुधा क्रिया के पूर्व आ जाते हैं। तथा 'नहीं' और 'मत' ये निषेध वाचक अव्यय क्रिया के पीछे भी आते हैं।

उदा. (1) ना बाबा! मैं तुमसे न बोलूँगी।

(2) राज आज भी नहीं आ गया।

(3) मेहमान अभी आनेवाले हैं, तब तक तुम मत खा लेना।

(4) ऐसा गंधा चित्रपट देखने मत जाओ।

(5) उसने आपको देखा नहीं।

(6) उसे बुलाना मत।

(11) संबंध वाचक क्रिया विशेषण - जब-तब, जैसे-तैसे, जहाँ-तहाँ, आदि बहुधा वाक्य में प्रारंभ में ही आ जाते हैं।

उदा. (1) जहाँ गुलब के फूल खिलते हैं, तहाँ काँटे भी दिखाई देते हैं।

(2) जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तब तुम तुरंत भाग आना।

(3) जैसा बोएँगे, वैसा पाएँगे।

(12) संकेत वाचक सम्मुचयबोधक अव्यय -यद्यपि - तथापि, और यदि - तो सामान्यतः वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं।

उदा. (1) यदि जाड़ा लगता है, तो कोट पहन कर जाना।

(2) यदि आप आ जाते, तो मैं आपके साथ अवश्य चलता।

(3) यद्यपि तुम को काम था, तथापि तुम सिनेमा चले गए।

(4) यद्यपि वह छोटा है, तथापि बुद्धिमान है।

(13) संबंध-बोधक अव्यय जिन शब्दों से संबंधित रहते हैं, उनके पीछे आते हैं। अथवा संबंध सूचक अव्यय जिस संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखते हैं, उसके पीछे आ जाते हैं।

उदा. (1) वह चिंता के मारे मरा जा रहा हैं।

(2) बिना सोचे-समझे वह बोलता है।

(3) बेचारा कपडों सहित सो गया।

(4) सोचने के पहले बात मत करो।

(5) वह बेचारी चिंता के मारे मरी जा रही थी।

(14) समुच्चयबोधक अव्यय जिन शब्दों को जोड़ते हैं, उनके बीच में आ जाते हैं।

उदा. (1) बच्चों को माँ-बाप के प्रति आदर होना चाहिए क्योंकि माँ-बाप ही उनके लिए कष्ट उठाते हैं।

(2) राम-सीता और लक्ष्मण तीनों चौदह साल तक जंगल चले गए थे।

(3) ग्रह और उपग्रह सूर्य के आस पास घूमते हैं।

(4) राम और श्याम आज पढ़ने नहीं आए।

(5) पाप और पुण्य ये मनुष्य की मानसिक भावनाएँ हैं।

(15) विस्मयादिबोधक अव्यय तथा संबोधनकारक बहुधा वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाते हैं।

उदा. (1) ओह! उस गरीब की राम कहानी सुनाई नहीं जा सकती।

(2) अरे! यह अचानक क्या हुआ?

(3) छीः! ऐसी गंदी बातें मुँह से निकालते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें?

(4) अरे नटखट! जरा सुनो तो सही।

(5) अरे! वह कब मर गया?

(16) करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक कर्म के पहले आते हैं।

उदा. (1) रमेश ने लाठी से कुत्ते को मारा।

(2) मोहन राम के लिए मिठाई लाया।

(3) मैं ने गोपाल से अपनी पुस्तक ले ली।

(4) मैं ने संदूक में अपने कपडे रख दिए।

(5) पेड़ पर पंछी बैठा है।

(17) समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पीछे आता है और उसके साथ विभक्ति का प्रयोग होता है।

उदा. (1) रामू (मुख्यशब्द) दर्जी को (समानाधिकरण शब्द) बुलाओ।

(2) मोहन सुनार को बुलाओ।

(3) रामू चमार को बुलाओ।

(4) राकेश तेली को बुलाओ।

(5) होरी किसान को बुलाओ।

(18) सर्वनाम के पहले विशेषण नहीं आ सकता, वह सर्वनाम के बाद आता है।

उदा. (1) वह सुंदर है।

(2) वह होशियार है।

(3) वह चालाख है।

(4) वह मेधावी है।

(19) 'ने', 'को', 'से', 'के लिए', 'पर' आदि संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं।

उदा. (1) राम ने रोटी खाई।

(2) राम को बुरा प्रतीत हुआ।

(3) राम ने लक्ष्मण से कहा।

(4) गीता के लिए वस्त्राभूषण लाए।

(5) पेड़ पर पंछी बैठा है।

(20) 'भी', 'तो', 'ही' 'तक' आदि अव्यय उन्हीं शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, जिनके विषय में वे निश्चय प्रकट करते हैं।

उदा. (1) हम से राम ने पूछा तक नहीं।

(2) मैं आज ही घर जाऊँगा।

(3) मैं आज घर ही जाऊँगा।

(4) मैं आज घर जाऊँगा ही।

(5) बीमार होते हुए भी होरी काम कर रहा था।

4.3.3 **विराम चिह्न :**

अनुशासन ही देश को महान बनाता है, उसी तरह 'विराम चिह्न' भाषा और साहित्य को व्यवस्थित रुप प्रदान करता है। विराम चिह्न के प्रयोग से मन के भावनाओं की ठीक से अभिव्यक्ति होती है, साथ ही लिखित रूप में प्रस्तुत विचारों में स्पष्टता आती है।

'विराम' का अर्थ है, ठहरना या रुकना। ''वाक्यों, उपवाक्यों या शब्दों के बीच में रुकने को 'विराम' कहते हैं और रुकने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग करते हैं, उन्हें 'विराम चिह्न' कहते हैं''

दूसरे शब्दों में यों कहें कि ''वाक्य, उपवाक्य, या वाक्यांशों में रचनाकार की मनःस्थिति के ठहराव को संकेत देनेवाले तथा उसे भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करनेवाले चिह्नों को 'विराम चिह्न' कहते हैं।''

प्रा. कृ. ज. वेदपाठक के शब्दों में कहा जा सकता है - ''शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने के लिए, उसी तरह किसी विषय को भिन्न-भिन्न विभागों में विभाजित करने के लिए तथा पढ़ने में ठहरने के लिए लिखित रूप में जिन चिह्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिह्न कहते हैं।''

इस इकाई में हम हिंदी में प्रयुक्त 'विराम चिह्नों का नामोल्लेख करके हमारे अध्ययन के लिए निर्धारित विराम चिह्नों का ही अध्ययन करेंगे।

हिंदी में निम्नलिखत विराम चिह्नों का प्रयोग किया जाता है।

(1) अल्प विराम। ,

(2) अर्ध विराम।	;
(3) पूर्ण विराम।	।
(4) प्रश्न चिह्न।	?
(5) आश्चर्य या उद्‌गार चिह्न।	!
(6) निर्देशक चिह्न (डैश)।	–
(7) कोष्ठक चिह्न।	( )
(8) अवतरण चिह्न।	‘‘ ’’
(9) विवरण चिह्न।	:–
(10) योजक चिह्न।	–
(11) संक्षेप चिह्न।	०,.
(12) पुनुरुक्ति सूचक चिह्न।	’’
(13) स्थानपूरक चिह्न।	... ...
(14) तुलना सूचक चिह्न।	=
(15) समाप्ति सूचक चिह्न।	–०–
(16) त्रुटिपूरक या हंसपद ।	^

सूचना : हमारे पाठ्यक्रम के लिए केवल अल्पविराम, निर्देशक चिह्न (ड़ैश) और अवतरण चिह्न निर्धारित किए गए हैं। अत: इनका हम यहाँ विचार करेंगे

(1) **अल्पविराम (,) :**

अल्प विराम का अर्थ है थोडासा रुकना। वाक्य या वाक्यांश में जहाँ थोड़े समय के लिए रुका जाय वहाँ पर अल्पविराम चिह्न का प्रयोग होता है। अर्थात् ‘अल्पविराम’ वाक्य, वाक्यांश, अभिव्यक्ति के बीच में लगाया जाता है जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। अर्धविराम से कम समय के लिए रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ‘अल्प विराम’ के साथ-साथ इसके लिए ‘कामा’ (,) का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है।

‘अल्पविराम’ (,) या ‘कामा’(,) का प्रयोग निम्निलिखत स्थानों पर किया जाता है।

(1) यदि उद्देश्य अधिक विस्तृत होने लगे, तो उसके पश्चात अल्पविराम चिह्न का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य या वाक्यांशों में बार-बार ‘‘और’’ शब्द के प्रयोग को रोकने के लिए भी अल्पविराम चिह्न का प्रयोग करते हैं।

उदा. (1) आकाश में घने काले बादल, बादलों के बीच कडकती बिजलियाँ मानों जान ही लेंगी।

(2) चारों तरफ चलनेवाली तूफ़ानी गोलियों की बढ़ती हुई आवाज, दूर-दूर तक फैल रही थी।

(3) राम, श्याम, मोहन और सुरेश घर आए।

(2) संबोधन कारक संज्ञा, तथा संबोधन कारक शब्दों के बाद अल्पविराम यह चिह्न आता है।

उदा. (1) भगवान, आप ही मेरे संरक्षक हैं।

(2) लो, यह तो चला गया।

(3) घनश्याम, फिर भी तू सब की इच्छा पूरी करता है।

(3) जब एक ही शब्द भेद के दो-दो शब्दों के बीच में कोई समुच्चयबोधक अव्यय न हो, अल्पविराम चिह्न का उपयोग किया जाता है।

उदा. (1) हम लोग नदी, नाले, झरने पार करते चले थे।

(2) किसान ने भेड, बकरी खरीदे थे।

(3) वहाँ पीले, हरे खेत दिखाई देते थे।

(4) अगर समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े हुए शब्दों पर अधिक अवधारण देना हो, (जोर देना हो) तो भी अल्पविराम चिह्न का प्रयोग करते हैं।

उदा. (1) आजकल पैसा यह उपयोगी, अतएव आवश्यक है।

(2) यह पुस्तक उपयोगी, अतएव उपादेय है।

(5) अगर एकही शब्द भेद के तीन-तीन अथवा अधिक शब्द आ जाय तथा उनके बीच विकल्प से समुच्चय बोधक अव्यय रहे; तो अंतिम शब्द को छोड़ शेष सभी शब्दों के बाद अल्पविराम चिह्न आ जाता है।

उदा. (1) सज्जनों के व्यवहार से स्त्री, पुरुष तथा बचों का भी कल्याण हो जाता है।

(2) भारत के अपने रीति-रिवाज, अपना धर्म, अपनी परंपराएँ और अपने ही विश्वास हैं।

(6) जिस समय वाक्य में जोड़े-जोड़े से शब्द आ जाते हैं, उस समय प्रत्येक जोडे के बाद अल्पविराम चिह्न का उपयोग किया जाता है।

उदा. (1) परमात्मा ने दिन रात, सुख और दुःख, पाप और पुण्य ये सब बनाएँ हैं।

(2) ये सभी हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश ईश्वर ने अपने पास रखे हैं।

(7) समानाधिकरण शब्दों के बीच में अल्पविराम चिह्न का उपयोग किया जाता है।

उदा. (1) भारत के परराष्ट्रमंत्रि, अटलबिहारी वाजपेयी जी ने युनों में हिंदी में भाषण दिया था।

(2) भारत के प्रधानमंत्रि, नरेंद्र मोदी जी ने अमरिका में हिंदी में भाषण दिया था।

(8) छंदो में यति के बाद अल्प विराम चिह्न आता है।

उदा. (1) ''अनूठी आभा से, सरस सुषमा से, सुरस से।

बना जो देती थी, वह गुणमयी भू-विपिन को।।''

उदा. (2) ''निलोपल तन स्याम, काम कोटि सोभा अधिक।

सुनिअ तासु गुनग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक।।''

(9) मिश्र वाक्य में संज्ञा वाक्य छोडकर अन्य बड़े उपवाक्यों के बीच में अल्पविराम चिह्न का उपयोग करते हैं।

उदा. (1) तुम एक ऐसा घर ढूँढ़ निकालो, जिसमें एक भी मनुष्य मृत नहीं हुआ।

(2) हमें अच्छी तरह मालूम है कि महात्मा गांधी दुनिया के महान पुरुष थे।

(10) जिस समय संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों में परस्पर घना संबंध रहता है, उस समय उसके बीच में अल्पविराम आता है।

उदा. (1) हमने रंकाला तालाब देखा, फिर शालिनी पॅलेस देखा और वहाँ से सीधे विश्वविद्यालय देखने गए।

(2) पहले मैंने बगीचा देखा, फिर मैं एक टीले पर चढ़ा और वहाँ से उतरकर सीधा इधर चला आया।

(11) जब छोटे समानाधिकरण प्रधान वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं आता, तब बीच में अल्पविराम चिह्न आता है।

उदा. (1) उस रात हवा चली, पानी बरसा, ओले गिरे।

(2) आकाश में घने काले बादल छाए, बिजलियाँ चमकने लगी, हवा चली, बूँदा-बाँदी होने लगी, मोर नाच उठे।

(12) सकारात्मक और नकारात्मक 'हाँ' या'नहीं' के बीच में अल्पविराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) हाँ, मैं जरुर जाऊँगा।

(2) नहीं, मैं नहीं जाऊँगा।

(3) नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता।

(13) बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में, खैर आदि से प्रारंभ होनेवाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्पविराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) बस, देख लिया तुम्हें।

(2) सचमुच, तुम बड़े अच्छे हो।

(3) अतः, उसका बिलकुल स्वाभाविक और अनुकूल प्रसार होता है।

(4) वस्तुतः, वह है तो पागल!

(5) अच्छा, तो लिजिए और चलिए।

(6) वास्तव में, उसकी कार्य पद्धति प्रशंसनीय है।

(14) उद्धरण के पूर्व अल्पविराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) हरिमोहन ने कहा, ''मैं इस बार चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ।

(2) लोकमान्य तिलक ने कहा, ''स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।

(15) जो उपवाक्य किंतु, लेकिन, क्योंकि, पर, परंतु, अतः आदि समुच्चय बोधक से प्रारंभ होते हैं, उनमें समुच्चय बोधक अव्यय से पहले अल्पविराम चिह्न लगाया जाता है।

उदा. (1) मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, किंतु तुम्हारा खेल जरुर देखूँगा।

(2) वह मेरे ही होस्टल में रहता है, लेकिन एक बार भी मुझसे नहीं मिलता।

(3) तय कर लिया, क्योंकि प्रशासनिक सामर्थ्य और प्रतिभा का संयोग उन्हें अपने भीतर दीख पड़ा।

(4) उन्होंने रीति-निर्वाह का प्रयत्न किया, पर बाद में इस उपचार से एकदम मुक्त हो गए।

(5) माँ थी, अतः उसे क्या चिंता थी?

(16) भावातिरेक में किसी शब्द अथवा शब्द समूह पर बल देने के लिए जब पुनरावृत्ति हो, तब अल्प विराम शब्द का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) दौड़ो, दौड़ो, बम फट गया।

(2) भागो, भागो, भूकंप हो गया।

(3) धिक्कार है, तुमने यह काम किया।

(17) शोक की अभिव्यक्ति, विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद अल्पविराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) हाय, मैं तो लुट गई।

(2) वाह, क्या बात कही आपने।

(3) धिक्कार है, तुमने यह काम किया।

(18) कभी-कभी, तब, वह, तो, कि आदि संयोजक शब्दों के स्थान पर, अल्पविराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) जब स्टेशन पहुँचे, पानी तेज हो गया।

(2) जो टिप्पणी कल मंत्री जी को भेजी थी, कहाँ है?

(3) जब हम को देर हो गई, हम उसके घर ही रुक गए।

(4) कहते हैं, ईसवी सन से कोई दो सौ वर्ष पूर्व की बात है।

(19) दो समान वैकल्पिक वस्तुओं के मध्य अथवा विपरीत भाव परक घटना अथवा विरोध बात जब सूचित की जाए, तो अल्पविराम चिह्न का प्रयोग वांछनीय है।

उदा. (1) जहाँ धुआँ है, वहाँ अग्नि है। विपरीततः जहाँ अग्नि है, वहाँ, धुआँ होना अब आवश्यक नहीं।

(2) जहाँ सुख है, वहाँ दुःख है। विपरीततः जहाँ सुख है, वहाँ दुःख होना अब आवश्यक नहीं।

(20) निश्चितता लाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है।

उदा. (1) रोको मत, जाने दो।

(2) रोको, मत जाने दो।

(21) 'उदाहरण', 'यथा' आदि के पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) यह बात तो सभी को, उदाहरण के लिए मामूली से मामूली आदमी को मालूम होनी चाहिए।

(2) वे दोनो अनेक बातों में, यथा खेलने-कुदने, पढ़ने-लिखने, डिबेट में समान थे।

(22) संख्या के अंको में इकहरे या दुहरे अंको के पश्चात् अल्पविराम चिह्न आता है।

उदा. 1, 234, 33, 54, 212 ....

(2) **निर्देशक चिह्न..(ड़ैश) – (–) :**

निर्देशक चिह्न वस्तुतः ड़ैश है, जो समासक चिह्न (-) से अधिक लंबा होता है। इसको ही 'रेखिका' भी कहा गया है। जहाँ किसी पद पर या शब्द पर अधिक बल देना हो, या विवरण प्रस्तुत करना हो, या किसी शब्द के आगे जगह देनी हो, तो निर्देशक चिह्न या ''रेखिका चिह्न'' का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकतानुसार वाक्य में एक या दो प्रयोग हो सकता है। निर्देशक चिह्न का उपयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है।
1. जिस समय समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों का उपयोग किया जाता है, तो उसके बीच में निर्देशक चिह्न का उपयोग किया जाता है।

उदा. (1) प्रातः काल के सौंदर्य में नित्य नयापन- नूतनत्व दिखाई देता है।

(2) छोटे से दुःख के कारण आपको यह नहीं समझना चाहिए, कि आपका जीवन बिगड़ गया- नष्ट हो चुका।

(2) किसी विषय के साथ उसके संबंध में अन्य सूचना देने के लिए, निर्देशक चिह्न का उपयोग करते हैं।

उदा. (1) कुछ साल पहले से काँग्रेस के दो दल निर्माण हुए- एक चव्हाण काँग्रेस, दूसरा इंदिरा काँग्रेस।

(2) स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय काँग्रेस में दो दल निर्माण हुए- एक शांतिपूर्ण ढ़ंग से आंदोलन करनेवाला और दूसरा क्रांति के द्‌वारा आंदोलन करनेवाला।

(3) किसी व्यक्ति के वाक्यों को उद्‌धृत करते समय उस वाक्य के पहले निर्देशक चिह्न का उपयोग करते हैं। (नाटक या एकांकी में पात्रों के नाम के आगे उनका संभाषण शुरू होने के पहले निर्देशक चिह्न आता है।

उदा. (1) बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता- ''बच्चों को बहलाने वाला, खिलौनेवाला।''

(2) स्वामी विवेकानंद कहते थे- ''ज्ञान ही शक्ति है।''

(3) अध्यापक- भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे।

विद्यार्थी- डॉ. राजेंद्र प्रसाद।

(4) किसी वाक्य अथवा लेख के अंत में उसके लेखक का नाम लिखने के पूर्व निर्देशक चिह्न लगाया जाता है।

उदा. (1) चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग-रहीम

(2) जब तुम आए जग में, जग हँसे तुम रोय।

ऐसी करनी कर चलो कि तुम हँसे जग रोय।। - कबीर

(5) बातचीत के समय रुकावट सूचित करने के लिए, निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) मैं - अब - कुछ भी - सोच नहीं - सकता।

(2) मैं - अब - कुछ भी - कर - नहीं सकता।

(6) ऐसे शब्द या अपवाक्य के पूर्व निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है, जिस पर अवधारण की आवश्यकता होती है।

उदा. (1) फिर क्या था - एक के बाद एक लाठियाँ गिरते सिर पर लगी।

(2) सावरकर जी की किताब का नाम है - 1857 का स्वतंत्रता समर।

(7) किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन हो जाने पर भी, निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) सब को सांत्वना देना, बिखरी हुई सेना को इकट्‌ठा करना, और- और क्या?

(2) मरीजों की सेवा करना, उनको दवाईयाँ देना, रोटी खिलाना, और- और क्या?

(8) कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद निर्देशक चिह्न का प्रयोग करते हैं।

उदा. (1) कमला ने कहा- 'मैं कल चली जाऊँगी।'

(2) गीता ने पत्र में लिखा- मैं अगले सप्ताह में गाँव चली आऊँगी।

(3) राम बोला- अब मैं सोच नहीं सकता।

(4) प्राध्यापक वर्मा ने बताया- मैं कल ज्यादा तासिका ले लूँगा।

(9) 'निम्नलिखित' और 'निम्नांकित' शब्द के बाद निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) नाम निम्निलिखित हैं-

सीता, भारती, विमला।

(2) रचना के आधार पर वाक्य के निम्नांकित भेद हैं-

सरल वाक्य, मिश्रवाक्य, संयुक्त वाक्य।

(10) किसी शब्द अथवा वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए, निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) परिश्रम से सब-कुछ प्राप्त हो सकता है- सुख, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा।

(2) विद्या से सब-कुछ प्राप्त हो सकता है- कुशलता-योग्यता-नौकरी-धन-प्रतिष्ठा।

(11) किसी वाक्य के अंतिम खंड पर जोर देने के लिए, निर्देशक- चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) हाँ, हाँ, आप आइए- बडे शौक से।

(2) हाँ, हाँ आप जाइए- बड़े खुशी के साथ।

(12) संख्याओं, सन्, या दो नामों के बीच निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है, तब इका अर्थ होता है, 'यहाँ से यहाँ तक'।

उदा. (1) पृष्ठ 40-55

(2) सन 1955-56

(3) चंदिगड-दिल्ली

(13) जब हकलाना सूचित करना हो तो निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) च-चल-च-।

(2) पा-पानी-पानी।

(3) आप-आप को बता दूँगा।

(14) वस्तुओं, कार्यों का विवरण देने के लिए, निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) वह बाजार से ये चीजें खरीद लाया-मसाले, चावल, मुरंब्बा व आचार।

(2) मुझे आज बहुत काम करना है-महाविद्यालय जाना, अध्ययन करना, प्रश्नपत्र बनाना, मुद्रालय जाना।

(15) 'कि' के स्थान पर निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) होरी ने कहा- तो क्या तू समझती है, मैं बूढ़ा हो गया?

(2) गीता ने कहा- माँ मैं आपके बिना यहाँ रह नहीं सकती।

(16) किसी विभाजन के उल्लेख से पहले निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है- बिंबग्रहण और अर्थग्रहण।

(2) कर्ताकारक दो प्रकार के हैं- अपरसर्ग कर्ता कारक और सपरसर्ग कर्ता कारक।

(3) **अवतरण चिह्न :** (उद्धरण चिह्न) - ('' '') :

जब किसी विद्वान की उक्ति को उधृत करना हो, या फिर वाक्य में किसी शब्द या बात पर अधिक भार देना हो, तो इसे अवतरण चिह्न एवं उद्धरण चिह्न के अंतर्गत रखते हैं।

निम्नलिखित स्थानों पर अवतरण चिह्न का(उद्धरण चिह्न का) उपयोग किया जाता है।

उदा. (1) प्रेमचंद ने कहा ही है- ''दुनिया अपना ही फायदा देखती है अपना कल्याण हो, दूसरे जिएँ या मरें।''

(2) समानता का महत्त्व स्पष्ट करते हुए कबीर ने कहा है- ''घट-घट में साई रमता, ताके कटु वचन मत बोल रे।''

(3) ''जैसी करनी, वैसी भरनी।''

(2) व्याकरण, अलंकार, तर्क आदि साहित्य विषयों के उदाहरण देते समय अवतरण चिह्न का उपयोग करते हैं।

उदा. (1) ''मौर्यवंशी राजाओं के समय में भी भारतवासियों को अपने देश का ज्ञान था।'' यह साधारण वाक्य है।

(2) अनुप्रास अलंकार का उदाहरण-

''लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल।
लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल।।''

(3) यमक अलंकार का उदाहरण-

''कनक-कनक ते सौगुणी मादकता अधिकाय।
ना खाये बौराय जग या पाये बौराय।।''

(3) कभी-कभी जो संज्ञा-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के पहले आ जाता है, तब वह अवतरण में लिखा जाता है।

उदा. (1) ''लालबहादुर शास्त्री जी की मौत निश्चित किस कारण हो चुकी''- यह बहुतेरे भारतीय नहीं जानते।

(2) ''नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु निश्चित कैसे हो चुकी'' - यह अनेक भारतीय नहीं जानते।

(4) समाचार पत्र, लेख, पुस्तक, चित्र, उपनाम, मूर्ति का नाम तथा पदवी और वस्तु के व्यक्तिवाचक नाम लिखते समय अवरतण चिह्न का उपयोग किया जाता है।

उदा. (1) ''पुढारी'' नामक समाचार पत्र कोल्हापुर से प्रकाशित होता है।

(2) कोल्हापुर में ''वुड़लँड़'' नाम का अच्छा विश्रांति गृह है।

(5) संवाद लेखन में अवतरण चिह्न का अधिक प्रयोग किया जाता है।

उदा. (1) यवन- ''बंदी करो, सैनिक।''

सैनिक- ''मैं नहीं कर सकता।''

यवन- ''क्यों, गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है?

सैनिक- ''यही कि, आप जिसे कहें, उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चलें।''

टिप्पणी : नाटक के संवोदों में प्रायः अवतरण चिह्नों (उद्धरण चिह्नों) को छोड़ दिया जाता है। बिना अवतरण चिह्नों के भी संवाद के कथन चिह्न युक्त ही समझे जाएँगे।

(6) अवतरण चिन्हों (उद्धरण चिह्नों) को पूरे वाक्य के बाद लगाना चाहिए। अवतरण चिह्न से पूर्व विराम चिह्न प्रश्नवाचक चिह्न, या विस्मय चिह्न लगाया जाएगा।

उदा. (1) मोहन ने कहा था, ''वह कल नहीं आएगा।''

(2) मैंने पूछा, ''क्या ट्रेन आ गई?''

(3) उसने चिल्लाकर कहा, ''वाह! क्या जीत हुई!''

(4) वह बोला, ''तुम, तुम्हारा घराना, और यह सब-''

विशेष सूचना : अवतरण चिह्न दो प्रकार के होते हैं - दोहरे अवतरण चिह्न और इकहरे अवतरण चिह्न। ऊपर हमने दोहरे अवतरण चिह्न के बारेंमें विवेचन किया है। अब यहाँ इकहरे अवतरण चिह्न के बारें में विवेचन करेंगे।

- **इकहरा अवतरण चिह्न - (' ') :**

इकहरे अवतरण चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है।

(1) शब्द, वाक्यांश, अथवा वाक्य प्रधान होता है अथवा अवतरण चिह्नों से घिरे हुए वाक्य के बीच में अवतरण की आवश्यकता हो, तो उस समय इकहरे अवतरण चिह्न का- प्रयोग करते हैं।

उदा. (1) ''छोटे बच्चे पानी को 'पा' और दूध को 'दु-दु' कहते हैं।''

(2) ''छोटे बच्चे घोड़ा को 'घोला' और गाड़ी को 'गाली' कहते हैं।''

(2) किसी पुस्तक, व्यक्ति आदि के नामों को 'इकहरे अवतरण चिह्न' में रखा जाता है।

उदा. (1) 'प्रसाद' की 'कामायनी' महाकाव्य के रुप में युगों तक प्रतिष्ठित रहेगी।

(2) सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने 'परिमल' ग्रंथ की रचना की।

(3) 'बालभारती' बच्चों की पत्रिका है

(4) दूसरा अध्याय पढ़ो, जिसका शीर्षक है- 'बात'।

(5) 'साकेत' महाकाव्य है।

4.3.4 मानक वर्तनी के नियम :

किसी भाषा की एकरुपता को बनाए रखने के लिए तथा जन प्रयोगों द्वारा होनेवाली विकृतियों से उसे बचाए रखने के लिए वर्तनी संबंधी नियामों का पालन करना आवश्यक है।

'वर्तनी' संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है - 'शब्द के वर्ण, उन का क्रम तथा उच्चारण विधि।'

''शब्दों के शुद्ध-अशुद्ध लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं।'' अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग (speling) उर्दू में हिज्जजे और बंगला में बनाना कहते हैं। हिंदी में इसे 'अक्षरी' भी कहते हैं। भाषा के गठन में उसकी वर्तनी (speling) का काफी महत्त्व होता है और किसी भाषा को मूर्त करने के लिए जिस प्रकार लिपि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसकी सार्थक रूप में अभिव्यक्ति देने में वर्तनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों के सही उच्चारण के लिए उसकी वर्तनी में एकरूपता का होना आवश्यक होता है। वर्तनी की विविधता के कारण भ्रम पैदा होते हैं। कई बार वर्तनी की अशुद्धि के कारण अर्थ के स्थान पर अनर्थ हो जाता है।

'वर्तनी' की अव्यवस्था के कारण भाषा लेखन में कई प्रकार की उलझनें पैदा होती हैं। इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और हिंदी वर्तनी में एकरुपता लाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1961 में एक विशेषज्ञ समिती की नियुक्ति की थी। इस समिती ने अप्रैल, 1962 में अपनी अंतिम शिफारिशें- प्रस्तुत की। जिन्हें सरकार ने स्वीकृति दी, उन्हें सन 1967 में 'हिंदी वर्तनी का मानकीकरण ' शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित हिंदी भाषा की वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार हैं -

(1) **संयुक्त वर्ण :**

क) खडी पाईवाले व्यंजन -

खड़ी पाईवाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खडी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए।

जैसे - ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य,

शय्या, उल्लेख, ण्यास, राष्ट्रीय, स्वीकृति, यक्ष्मा, त्र्यंबक आदि।

ख) अन्य व्यंजन

(अ) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर :

संयुक्त, पक्का, दफ्तर आदि की तरह बनाएँ जाएँ, न कि संयुत्त्क, पक्का की तरह या न कि संयुक्‌त, पक्‌का, दफ़्तर की तरह।

(आ) ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल चिह्‌न लगाकर ही बनाए जाएँ;

जैसे - वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्‌या, चिह्‌न, ब्रह्मा आदि।

(इ) संयुक्त 'र' के तीनों रुप यथावत रहेंगे;

जैसे - प्रकार, धर्म, राष्ट्र आदि।

(ई) 'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे 'श्र' के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त्+र के संयुक्त रूप के लिए त्र और त्र दोनों रूपों में से किसी एक के प्रयोग की छूट होगी किंतु 'ऋ' को 'ऋ' के रूप में नही लिखा जाएगा।

(उ) हल् चिह्‌न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्‌वितीय व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म के पूर्व;

जैसे- कुट्‌टिम, द्‌वितीय, बुद्‌धिमान, चिह्‌नित आदि। (कुटिट्म, दि्वतीय, बुदि्धमान, चिहि्नत नहीं)

(ऊ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर, पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे;

जैसे- संयुत्त्क, चिह्न, विद्या, चञ्चल, विद्वान, बुद्ध, अङ्क, द्वितीय, बुद्धि आदि।

(2) **विभक्ति-चिह्‌न :**

क) हिंदी के विभक्ति-चिह्‌न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ; जैसे- राम ने, राम को, राम से, आदि तथा स्त्री ने स्त्री को, स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्‌न प्रातिपदिक के साथ मिलकर लिखे जाएँ; जैसे- उसके, उसको, उससे, उसपर आदि।

ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्‌न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए; जैसे- उसके लिए, उसमें से।

ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक लिखा जाए; जैसे-आप ही के लिए, मुझ तक को।

(3) **क्रियापद :**

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ; जैसे-पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा,

घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि।

(4) **हाईफ़न :**

हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है। अर्थात् शब्दों-शब्दों में स्पष्टता के लिए हाइफ़न का विधान किया गया है।

क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए; जैसे- राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती-संवाद, देख-रेख, चाल-चलन, हँसी-मजाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पिना, खेलना-कूदना आदि।

ख) सा, जैसा आदि के पूर्व हाइफ़न रखा जाए; जैसे- तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे।

ग) तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं; जैसे- भू-तत्त्व। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफ़न लगाने की आवश्यकता नहीं है; जैसे- रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।

इसी तरह, अ-नख (बिना नख का) समस्त पद में हाइफ़न न लगाया जाए तो उसे 'अनख' पढ़े जाने से 'क्रोध' का अर्थ भी निकल सकता है। अ-नति(नम्रता का अभाव) अर्नात (थोड़ा), अ-परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) अपरस (एक चर्म रोग), भूतत्त्व (भूत होने का भाव) आदि भू-तत्व (पृथ्वीतत्त्व) आदि। समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न-भिन्न शब्द हैं।

घ) कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है; जैसे-द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थक, द्वि-दिवसीय, आदि। इसे, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है; जैसे -द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थक, द्वि-दिवसीय आदि।

(5) **अव्यय :**

'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ; जैसे- आपके साथ, यहाँ तक।

इस नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदी में आह, ओह, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध करानेवाले अव्यय हैं।

क) कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिह्न भी आते हैं; जैसे- अब से, तब से , यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि।

ख) नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक् लिखे जाने चाहिए; जैसे- आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र आदि।

ग) सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ; जैसे-श्री श्रीराम कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि।

घ) समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक् नहीं लिखे जाएँगे; जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित आदि।

च) यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अतः उसे व्यस्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है। जैसे–रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।

(6) श्रुतिमूलक 'य', 'व' :

हिंदी में 'य' एवं 'व' को श्रुतिमूलक माना गया है। इसके प्रयोग के बारे में निम्नलिखित नियम है –

क) जहाँ श्रुतिमूलक 'य', 'व' का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ इसका प्रयोग न किया जाए अर्थात् किए–किये, नई–नयी, हुआ–हुवा आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाता है जहाँ–श्रुतिमूलक 'य' तथा 'व' का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ इसका प्रयोग न किया जाए अर्थात 'किए', 'नई', 'हुआ', आदि रुपों का ही प्रयोग किया जाए। न कि 'किये, 'नयी', 'हुवा' आदि का।

यह नियम क्रिया विशेषण अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए; जैसे–दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक के लिए, हुए, नई दिल्ली आदि।

ख) जहाँ, 'या' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूलतत्त्व हो, वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है; जैसे–स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व आदि। यहाँ स्थाई, अव्ययी भाव, दाइत्व नहीं लिखा जाएगा।

(7) अनुस्वार तथा अनुनासिकता–चिह्न (चंद्र बिंदु) :

मानक हिंदी प्रणाली में अनुस्वार (ं) तथा अनुनासिकता अर्थात् चंद्र बिंदू (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे।

क) संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद (पंचम अक्षर) सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो, एकरुपता और मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए; जैसे–गंगा, चंचल, ठंड़ा संध्या, संपादक आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। (गङ्गा, चञ्चल, ठण्ड़ा, सन्ध्या सम्पादक आदि रूपों का नहीं।

ख) यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वही पंचमाक्षर दुबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रुप में परिवर्तित नहीं होगा; जैसे–वाङ्मय, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख आदि। अतः इन शब्दों को वांग्मय, अंध, अंन, संमेलन, संमति, चिंमय, उंमुख, आदि रूप ग्राह्य नहीं हैं। अतः इसे ऊपर जैसा कदापि नहीं लिखा जाना चाहिए।

ग) चंद्र बिंदु या अनुनासिकता–चिह्न (ँ) के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है; हंस–हँस, अंगना–अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए, चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्र बिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्र बिंदु के स्थानपर बिंदु (अनुस्वार चिह्न) का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करें,

वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा सकती है; जैसे- नहीं, मैं, में आदि। किंतु जहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग अत्यावश्यक हो, वहाँ चंद्र बिंदु का- यथा स्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाना चाहिए।

कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्र बिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो, वहाँ उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए; जैसे-कहाँ, हँसना, आँगन, सँवारना, आँचल आदि।

(8) **विदेशी ध्वनियाँ :**

हिंदी भाषा में अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषा के शब्द आ गए हैं, जो हिंदी भाषा के अंग बन चुके हैं।

क) हिंदी भाषा में अरबी-फारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रुपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते है; जैसे- कलम, किला, दाग आदि। (क़लम, क़िला, द़ाग नहीं) पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रुप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो, वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएँ; जैसे खाना-ख़ाना, राज-राज़, हाइफन-हाइफ़न। सारांश रुप में कहा जा सकता है कि अरबी-फारसी एवं अंग्रेजी की मुख्यतः पाँच ध्वनियाँ (क़, ख़, ग़, ज़ और फ़) हिंदी में आई हैं, जिनमें से दो (क़ और ग़) तो हिंदी उच्चारण (क, ग) में परिवर्तित हो गई हैं, एक (ख़) लगभग हिंदी 'ख' में खपने की प्रक्रिया में है और शेष दो (ज़, फ़) धीरे-धीरे अपना अस्तित्त्व खोने, बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं।

ख) अंग्रजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। (ऑ, ॉ)। जहाँ तक अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त-सितंबर, 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी-शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफरीश उल्लेखनीय है। उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए की उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णो में अनेक नए संकेत-चिह्न लगाने पडे। अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक-से-अधिक निकट होना चाहिए। उसमें भारतीय शिक्षित समाज में प्रचलित उच्चारण संबंधी थोडे-बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं। अन्य भाषाओं के शब्दों के संबंध में भी यही नियम लागू होने चाहिए।

ग) हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो-दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत् समाज में दोनों रूपों की एक-सी मान्यता है। फ़िलहाल इनकी एकरुपता आवश्यक नहीं समझी गई हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं-

गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ/बर्फ, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फुरसत/फुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापिस/वापस, आखीर/आखिर, बरतन/बर्तन, दोबारा/दुबारा, दूकान/दुकान, बीमारी/

बिमारी आदि।

(9) **हल् चिह्न :**

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल् चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का प्रयत्न न किया जाए; जैसे- 'महान', 'विद्वान' आदि के 'न' में।

(10) **स्वन-परिवर्तन :**

क) संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया जाए। अतः 'ब्रह्मा' को 'ब्रम्हा' 'चिह्न' को 'चिन्ह', 'उऋिण' को 'उरिण', 'ऋण' को 'रिण' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए।

ख) जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है; जैसे-अद्र्ध/अर्ध, उज्ज्वल/उज्वल, तत्त्व/तत्व आदि।

(11) **विसर्ग :**

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो, तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए; जैसे- 'दुःखानुभूति' ।

यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो, तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा; जैसे- 'दुख-सुख के साथी'।

(12) **'ऐ', 'औ' का प्रयोग**

हिंदी में 'ऐ' (ै), और (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है; जैसे, 'गवैया' 'कौवा' आदि। इन दोनों प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्ही चिह्नों (ऐ, ै; औ, ौ) का प्रयोग किया जाए। 'गवय्या', 'कव्वा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं हैं।

(13) **पूर्वकालिक प्रत्यय :**

पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए; जैसे-मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर, खुलकर, दिलाकर, भुलाकर आदि।

(14) **विराम चिह्न :**

पूर्ण विराम को छोडकर हिंदी लेखन में भी सभी विराम आदि चिह्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए; जो अंग्रेजी (या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर) में प्रचलित हैं। जैसे , ; । . ? !, ( ), , :, '' '', ... ०, -, '' '', :-, =, -०-, हिंदी में पूर्णविराम के लिए खडी पाई (।) का प्रयोग किया जाना चाहिए। तथा विसर्ग के चिह्न को ही 'कोलन' का चिह्न (:) मान लिया जाए।

(15) **शिरोरेखा :**

देवनागरी लिपि की लेखन-प्रणाली में शिरोरेखा के संबंध में काफी विवाद है। किंतु फिलहाल उनके लेखन में शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

4.4 स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न :

प्रश्न 1 - अ) निम्नलिखित वाक्यों के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

(1) व्याकरण का शाब्दिक अर्थ ------ है।

क) विश्लेषण ख) परीक्षण ग) निरीक्षण घ) समीक्षण

(2) ------ के द्वारा भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, सही समझना सरल हो जाता है।

क) गणित ख) तर्कशास्त्र ग) अर्थशास्त्र घ) व्याकरण

(3) देवेंद्रनाथ शर्मा के मतानुसार कारक का अर्थ ------ है।

क) चलनेवाला ख) गानेवाला ग) फिरनेवाला घ) करनेवाला

(4) हिंदी में ------ कारक हैं।

क) चार ख) छह ग) आठ घ) दस

(5) कर्ता कारक का कारक चिह्न ------ है।

क) में ख) पर ग) ने घ) से

(6) हिंदी में कर्ता कारक ------ प्रकार के होते हैं।

क) दो ख) तीन ग) चार घ) पाँच

(7) कर्म कारक का कारक चिह्न ------ है।

क) ने ख) को ग) में घ) का

(8) विभक्ति के योग से बने हुए रूप को ------ शब्द 'या' पद कहलाते हैं।

क) विभक्त्यं ख) बिकारी ग) अविकारी घ) विदेशी

(9) माँ चाकू से फल काटती हैं इस वाक्य में ''चाकू से'' ------ कारक है।

क) कर्ता ख) कर्म ग) करण घ) अपादान

(10) क्रिया का कार्य किसी दूसरे के लिए होता है, तब उस रूप को ------ कारक कहते हैं।

क) कर्ता ख) अपादान ग) संप्रदान घ) अधिकरण

(11) पेड से पत्ते गिरे। इस वाक्य में पेड़ से ------ कारक है।

क) संबंध　　ख) अपादान　　ग) अधिकरण　　घ) कर्म

(12) ------ भाषा की सहज इकाई है।

क) ध्वनि　　ख) शब्द　　ग) वाक्य　　घ) अर्थ

(13) पदक्रम का अर्थ ------ का निर्धारण करना है।

क) पदों　　ख) वाक्यों　　ग) मुहावरों　　घ) लोकोक्तियों

(14) वाक्य में एक-एक ------ को क्रम से रखा जाने को पदक्रम कहते हैं।

क) ध्वनि　　ख) पद　　ग) अर्थ　　घ) वर्ण

(15) ------ भाषा में कर्ता, कर्म और क्रिया इस प्रकार का पदक्रम रहता है।

क) संस्कृत　　ख) बंगाली　　ग) हिंदी　　घ) अंग्रेजी

(16) पदक्रम के ------ प्रकार होते हैं।

क) 2　　ख) 4　　ग) 6　　घ) 8

(17) 'विराम' का अर्थ ठहरना या ------ है।

क) रुकना　　ख) भागना　　ग) नाचना　　घ) गाना

(18) ------ का अर्थ थोड़ा-सा रुकना है।

क) अल्प विराम　　ख) अर्ध विराम　　ग) पूर्ण विराम　　घ) प्रश्न चिह्न

(19) अल्पविराम के लिए ------ का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है।

क) यामा　　ख) वामा　　ग) कामा　　घ) कामी

(20) अर्धविराम से कम समय के लिए रुकने के लिए ------ चिह्न का प्रयोग करते हैं।

क) अल्पविराम　　ख) पूर्णविराम　　ग) प्रश्न　　घ) निर्देशक

(21) उद्देश्य बहुत लंबा हो, तो उसके पश्चात् ------ चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

क) अर्धविराम　　ख) पूर्णविराम　　ग) अल्पविराम　　घ) आश्चर्य

(22) समानाधिकरण शब्दों के बीच में ------ चिह्न का उपयोग किया जाता है।

क) पूर्णविराम　　ख) अल्पविराम　　ग) अर्धविराम　　घ) अवतरण

(23) छंदों में यति के बाद ------ चिह्न आता है।

क) प्रश्न　　ख) अल्पविराम　　ग) अर्धविराम　　घ) विवरण

(24) निर्देशक चिह्न वस्तुतः ------ है।

क) अवतरण चिह्न　ख) डैश　　ग) संक्षेप चिह्न　घ) निर्देशक

(25) किसी वाक्य, अथवा लेख के अंत में उसके लेखक के नाम लिखने के पूर्व ------ चिह्न लगाया जाता है।

क) अल्पविराम　　ख) अर्धविराम　　ग) पूर्णविराम　　घ) निर्देशक

(26) किसी व्यक्ति के महत्त्वपूर्ण वचन उधृत करते समय ------ चिह्न का उपयोग करते हैं।

क) अवतरण　　ख) योजक　　ग) निर्देशक　　घ) पूर्णविराम

(27) संवाद लेखन में ------ चिह्न का अधिक प्रयोग किया जाता है।

क) आश्चर्य　　ख) निर्देशक　　ग) अवतरण　　घ) कोष्ठक

(28) अवतरण चिह्न ------ प्रकार के होते हैं।

क) दो　　ख) चार　　ग) छह　　घ) आठ

(29) 'वर्तनी' ------ भाषा का शब्द है।

क) बंगला　　ख) अंग्रेजी　　ग) संस्कृत　　घ) उर्दू

(30) भाषा के गठन में उसकी ------ का काफी महत्त्व होता है।

क) वर्तनी　　ख) शैली　　ग) धारावाहिकता　घ) गतिशीलता

(31) हिंदी वर्तनी में एकरुपता लाने के लिए भारत सरकार के शिक्षामंत्रालय ने सन ------ में एक विशेषज्ञ समिती नियुक्ति की थी।

क) 1957　　ख) 1961　　ग) 1964　　घ) 1966

(32) हिंदी में वर्तनी के लिए ------ कहते हैं।

क) अक्षरी　　ख) स्पेलिंग　　ग) हिज्जे　　घ) बनाना

(33) हाइफ़न का विधान ------ के लिए किया गया है।

क) अर्धविराम　　ख) स्पष्टता　　ग) कठिनता　　घ) सरलता

(34) हिंदी में ------ के लिए खड़ीपाई का प्रयोग किया जाता है।

क) अर्धविराम　　ख) अल्पविराम　　ग) पूर्णविराम　　घ) उद्गार चिह्न

प्रश्न – 1 आ) निम्निलिखित प्रश्नों के उत्तर एक–एक वाक्य में लिखिए।

(1) व्याकरण का शब्दिक अर्थ क्या है?

(2) व्याकरण किसे कहते हैं?

(3) कारक किसे कहते हैं?

(4) डॉ. ज. म. दीमशित्स नें हिंदी के विभक्ति चिह्नों को क्या कहा है?

(5) विभक्तियाँ किसे कहते हैं?

(6) विभक्ति के योग से बने हुए रूप को क्या कहते हैं?

(7) पदक्रम किसे कहते हैं?

(8) कौनसी भाषा में पदक्रम की स्वतंत्रता रहती है?

(9) साधारण पदक्रम का दूसरा नाम क्या है?

(10) विराम चिह्न किसे कहते हैं?

(11) अल्पविराम का क्या अर्थ है?

(12) समाचार पत्र, लेख, पुस्तक, उपनाम, तथा पदवी का नाम लिखते समय कौन से चिह्न का उपयोग किया जाता है?

(13) भाषा के गठन में किसका महत्त्व होता है?

(14) 'हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' शीर्षक पुस्तिका का प्रकाशन कब हुआ?

(15) विराम किसे कहते हैं?

(16) उर्दू में वर्तनी के लिए क्या कहते हैं?

(17) बंगला में वर्तनी के लिए क्या कहते हैं?

(18) खड़ीपाईवाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है?

(19) तत्पुरुष समास में 'हाइफ़न' का प्रयोग कब किया जाता है?

(20) हिंदी में 'य', 'व' को क्या माना गया है?

4.5 **पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ :**

व्याकरणिक – व्याकरण संबंधी

कोटि – श्रेणी, दर्जा, वर्ग

व्युत्पत्ति – उत्पत्ति मूल उद्गम

विकार – परिवर्तन, बदल

प्रकट – स्पष्ट, जाहिर

निष्पादक – निष्पादन करनेवाला, कार्य करनेवाला

विभक्ति – शब्दों का परस्पर संबंध दिखाने के लिए जोडा हुआ प्रत्यय

पार्थक्य – पृथकता, अलगाव

प्रतीति – प्रतीत होने की क्रिया, जानकारी, ज्ञान, धारणा

अभीष्ट – अभिप्रेत, चाहा हुआ, अपेक्षित

पूर्ति – पूरक शब्द

संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय – वाक्यों या उपावाक्यों को जोड़नेवाले अव्ययों को संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं।

समानाधिकरण शब्द – समान श्रेणी के शब्द

मानक – माना हुआ, प्रमाण, स्टैंडर्ड

पृथक – अलग

मूर्त – साकार

निपात – प्रयोग

वर्तनी – अक्षरी

हाईफ़न – योजकचिह्न

प्रतिपदिक – धातु, मूलशब्द

द्विरुक्ति – पुनरुक्ति

समास – दो अथवा दो से अधिक शब्दों के प्रयोग को समास कहते हैं।

छंद – कविता में प्रयुक्त होनेवाले वर्ण, मात्रा यति आदि के संघटन को छंद कहते हैं।

यति – प्रत्येक छंद में अनेक स्थानों पर विराम अथवा रुकने के स्थान बने होते हैं, उन्हें- यति कहते हैं। अर्थात चरणों की निर्दिष्ट या निश्चित गति के ठहराव को यति कहते हैं।

4.6 स्वयं अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1 अ)

(1) विश्लेषण	(2) व्याकरण	(3) करनेवाला	(4) आठ	(5) ने
(6) दो	(7) को	(8) विभक्त्यंत	(9) करण	(10) संप्रदान
(11) अपादान	(12) वाक्य	(13) पदों	(14) पद	(15) 2
(16) 2	(17) रुकना	(18) अल्पविराम	(19) कामा	(20) अल्पविराम
(21) अल्पविराम	(22) अल्पविराम	(23) अल्पविराम	(24) ड़ैश	(25) निर्देशक
(26) अवतरण	(26) अवतरण	(28) दो	(29) संस्कृत	(30) वर्तनी
(31) 1961	(32) अक्षरी	(33) सष्टता	(34) पूर्णविराम	

प्रश्न 1 आ) एक वाक्य में उत्तर।

(1) व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण है।

(2) जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियामों का निरुपण होता है, उसे –''व्याकरण'' कहते हैं।

(3) क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, उसे कारक कहा जाता है।

(4) डॉ. ज. म. दिमशित्स ने हिंदी के विभक्ति चिह्नों को सहायक शब्द कहा है।

(5) कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं।

(6) विभक्ति के योग से बने हुए रुप को 'विभक्त्यंत शब्द' या 'पद' कहते हैं।

(7) वाक्य में एक-एक पद को क्रम से रखा जाने को ही पदक्रम कहते हैं।

(8) अलंकारिक भाषा में पदक्रम की स्वतंत्रता रहती है।

(9) साधारण पदक्रम का दूसरा नाम व्याकरणीय पदक्रम है।

(10) वाक्यों, उपवाक्यों, शब्दों के बीच में रुकने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हे विरामचिह्न कहते हैं।

(11) अल्प-विराम का अर्थ थोड़ा-सा रुकना है।

(12) समाचार पत्र, लेख, पुस्तक, उपनाम तथा पदवी का नाम लिखते समय अवतरण चिह्न का उपयोग किया जाता है।

(13) भाषा के गठन में उसकी वर्तनी का काफी महत्त्व होता है।

(14) ''हिंदी वर्तनी का मानकीकरण'' शीर्षक पुस्तिका का प्रकाशन सन 1967 में हुआ।

(15) वाक्यों, उपवाक्यों, या शब्दों के बीच में रुकने को विराम कहते हैं।

(16) उर्दू में वर्तनी के लिए 'हिज्जे' कहते हैं।

(17) बंगला में वर्तनी को 'बनाना' कहते हैं।

(18) खड़ीपाईवाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाता है।

(19) तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाता है, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो।

(20) हिंदी में 'य' एवं 'व' को श्रुतिमूलक माना गया है।

4.7 सारांश :

(1) व्याकरणिक कोटियों में कारक का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण है।

(2) 'कारक' वाक्यों में अंत संबंध का निर्धारण करनेवाली व्याकरणिक कोटि है।

(3) वाक्य में पदक्रम का महत्त्व बहुत बड़ा है। वाक्य में एक-एक पद क्रम से रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वाक्य का अर्थबोध कराने में वाक्य समर्थ हो जाता है। वाक्य में पदों का निश्चित क्रम होता है। इसे ही वाक्य रचना या पदक्रम कहते हैं।

(4) वाक्य में पद किसी विशिष्ट क्रम से आते हैं और उसमें रूप अथवा अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध रहता है। विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों के रूपों तथा प्रयोगों में स्थिरता और समानता होना आवश्यक है।

(5) पदक्रम दो प्रकार का होता है - साधारण या व्याकरणीय पदक्रम और अलंकारिक पदक्रम। वाक्य में पदक्रम का बहुत बड़ा महत्त्व है। सभी भाषा के वाक्यों का पदक्रम एक नहीं होता। पदक्रम के परिवर्तन अध्ययन कर्त्ता को पदक्रम तथा उसके नियमों से परिचित होना आवश्यक हैं।

(6) विराम चिह्न के प्रयोग से भाषा और साहित्य को समझने में काफी सरलता होती है, यदि इन चिह्नों का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ की स्पष्टता नहीं होगी और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।

(7) विरामचिह्न भाषा को स्पष्ट, सुबोध, तथा सुगम बनाने में सहायता करते हैं। अतः हमें विराम चिह्नों का प्रयोग सीखना और करना चाहिए।

(8) हिंदी में अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्न चिह्न, आश्चर्य चिह्न, निर्देशक, कोष्ठक तथा अवतरण चिह्न इन आठ विराम चिह्नों का मुख्य रुप से प्रयोग किया जाता है।

(9) भाषा की एकरुपता को बनाए रखने के लिए तथा जन प्रयोगोंद्वारा होनेवाली विकृतियों से भाषा को बचाए रखने के लिए वर्तनी संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है।

(10) किसी भाषा को मूर्त करने के लिए जिस प्रकार लिपि की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उसकी सार्थक रूप में अभिव्यक्ति देने में 'वर्तनी' का बहुत बड़ा योगदान होता है।

4.8 स्वाध्याय :

अ) दीर्घोत्तरी प्रश्न

(1) कारक की परिभाषा देकर उसके प्रयोगात्मक स्वरुप पर प्रकाश डालिए।

(2) कारक की परिभाषा स्पष्ट करते हुए हिंदी के कारकों की विभक्तियों का सोदाहरण विवेचन कीजिए।

(3) कारक किसे कहते हैं? यह बताकर कारक के प्रमुख भेदों के लक्षण और उदाहरण स्पष्ट कीजिए।

आ) लघुत्तरी प्रश्न

(1) कर्ता कारक के नियमों का सोदाहरण विवेचन कीजिए (सोदाहरण पाँच नियम)

(2) कर्म कारक के नियमों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। (सोदाहरण पाँच नियम)

(3) करण कारक के नियमों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। (सोदाहरण पाँच नियम)

(4) संप्रदान कारक का सोदाहरण विवेचन कीजिए।

(5) अपादान कारक का सोदाहरण विवेचन कीजिए।

(6) संबंध कारक के नियमों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। (सोदाहरण पाँच नियम)

(7) अधिकरण कारक का सोदाहरण विवेचन कीजिए।

(8) संबंध कारक का सोदाहरण विवेचन कीजिए।

(9) पदक्रम के नियमों को स्पष्ट कीजिए। (सोदाहरण पाँच नियम)

(10) अल्पविराम के नियमों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। (सोदाहरण पाँच नियम)

(11) निर्देशक चिह्न के (ड़ैश) नियमों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। (सोदाहरण पाँच नियम)

(12) अवतरण चिह्न के नियमों का सोदाहरण विवेचन कीजिए।

(13) मानक वर्तनी के नियमों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। (सोदाहरण पाँच नियम)

4.9 क्षेत्रीय कार्य :

(1) हिंदी भाषा की कोई गद्य पुस्तक प्राप्त कीजिए। हर पृष्ठ को ध्यान से पढ़िए और देखिए प्रत्येक वाक्य

में कारकों का कैसे प्रयोग किया है।

(2) हिंदी भाषा तथा अन्य भाषाओं के पदक्रम को समझकर उनके बीच होनेवाले अंतर को समझने की कोशिश कीजिए।

(3) हिंदी भाषा की कोई गद्य पुस्तक प्राप्त कीजिए। हर पृष्ठ को ध्यान से पढ़िए और देखिए प्रत्येक वाक्य में विराम चिह्नों का कैसे प्रयोग किया है।

(4) अपनी पाठ्यपुस्तक से हलन्त शब्दों की तथा सामुहिक शब्दों की सूचियाँ तैयार कीजिए।

(6) अपनी पाठ्यपुस्तक से 'ए' और 'ये' वाले शब्द चुनकर दो वर्गों में विभाजित कर सूचियाँ बनाइए और इन दोनों के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए।

4.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

(1) हिंदी व्याकरण : कामताप्रसाद गुरू

(2) हिंदी व्याकरण एवं रचना : प्रा. कृ. ज. वेदपाठक

(3) हिंदी व्याकरण (रस-छंद-अलंकार सहित) : डॉ. उमेश चन्द्र शुक्ल

(4) हिंदी भाषा एवं व्याकरण : डॉ. मायाप्रकाश पाण्डेय

(5) उपयोगी हिंदी व्याकरण : ज्ञा. का. गायकवाड

(6) व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना : डॉ. हरदेव बाहरी

(7) भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा : डॉ. हणमंतराव पाटील

(8) प्रयोजनमूलक हिंदी : डॉ. माधव सोनटक्के

(9) हिंदी की मानक वर्तनी : कैलाशचंद्र भाटिया

(10) मानक हिंदी व्याकरण : डॉ. शशिशेखर तिवारी

❖❖❖